रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 30 जुलाई, 1996/8 श्रावण, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

तारीख 22 जुलाई, 1995

संख्या 5-14/88-टी०पी०टी०-भाग-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 28, 38, 65, 93, 95, 107, 111, 138, 146, 176 और 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 212 के अधीन यथा अपेक्षित इन नियमों का निम्नलिखित प्रारूप संभाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि सरकार द्वारा प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किये जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् किसी आक्षेप या सुझाव सहित जो हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव (परिवहन), शिमला 171002 द्वारा किसी

1774-राजपत्र/96-30-7-96—1,221. मूल्य : 1 रुपया।

भी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में प्राप्त किये जाएं विचार किया जाएगा, अर्थात् :—

प्रारूप नियम

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1994 है ।
(2) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :

(1) इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो :

(क) "अधिनियम" से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 59) अभिप्रेत है ;
(ख) "निरीक्षण बोर्ड" अभिप्रेत है ;
(ग) "केन्द्रीय नियम" से केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 अभिप्रेत है ;
(घ) "अध्याय" से इन नियमों का अध्याय अभिप्रेत है ;
(ङ) "निदेशक" से निदेशक के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक, हिमाचल प्रदेश परिवहन अभिप्रेत है ;
(च) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;
(छ) अध्याय पांच के प्रयोजनों के लिये "यात्री" से लोक सेवा यान में, उसके चालक या कंडक्टर या कर्त्तव्य के दौरान अनुज्ञा पत्र के धारक किसी कर्मचारी से भिन्न, यात्रा कर रहा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;
(झ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ;
(ञ) "अड्डा" से इन नियमों के अध्याय 9 के अधीन अड्डे के रूप में सम्यक रूप से नियत स्थान अभिप्रेत है ;
(ट) "परिवहन कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन इस रूप से रजिस्ट्रीकृत परिवहन कम्पनी अभिप्रेत है ;
(ठ) "परिवहन सहकारी सोसाइटी" से हिमाचल प्रदेश परिवहन सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1969 (1979 का 3) के उपबन्धों के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत परिवहन सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है ;
(ड) "परिवहन फर्म" से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत परिवहन फर्म अभिप्रेत है ; और
(ढ) "नगरीय क्षेत्र" से नगर निगम, नगरपालिका समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति या छावनी बोर्ड द्वारा प्रशासित क्षेत्र या सरकार द्वारा इस अधिनियम या इस नियमों के प्रयोजनों के लिए नगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है ।

(2) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और केन्द्रीय नियमों में उनके हैं ।

अध्याय-2

मोटर यान चालकों का अनुज्ञापन

3. **अनुभाग अधिकारी :**

(1) प्रत्येक उपमण्डल अधिकारी (सिविल) उस जिले के उपमण्डल क्षेत्र जिसके लिए उसे इस रूप में नियुक्त किया गया है अधिनियम के अध्याय 2 या यथा स्थिति अध्याय 3 के अधीन अनुज्ञाप्तियां जारी करने के लिए अनुज्ञापन अधिकारी भी है जो सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया हो ।

धारा 28 (क)

(2) प्रत्येक अनुज्ञापन अधिकारी क्षेत्राधिकार उस जिले के उपमण्डल का क्षेत्र होगा जिसके लिए उसे इस रूप में नियुक्त किया गया है या ऐसा अन्य क्षेत्र होगा जो सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।

4. **चालन अनुज्ञप्ति के आवेदन पर की जाने वाली कारवाई की प्रक्रिया :**

शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के आवेदन की प्राप्ति पर अनुज्ञापन अधिकारी यथास्थिति, धारा 8 और 9 के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार प्राप्त किए गए आवेदन का सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक को अग्रेषित करेगा जो ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवेदन में दी गई विशिष्टियों और आवेदक के पूर्ववृत्त, जिसके अन्तर्गत आवेदन में दिया गया पता भी है, का सत्यापित करने के लिए आवश्यक समझी जाए और यह भी अभिनिश्चित करेगा कि आवेदन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या, यथास्थिति, चालन अनुज्ञप्ति रखने से निरर्हित या निरर्हता के दायित्व के अधीन तो नहीं है और वह अपनी रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजेगा और पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट प्राप्ति पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञापन प्रदान करने के आवेदन पर अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

धारा 8 और 9

5. **चालन अनुज्ञप्ति के लिए परीक्षण :**

1. यदि अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन नियम 4 के उपबन्धों के अनुसार ठीक पाया जाता है तो :

(क) केन्द्रीय नियमों के नियम 11 में विनिर्दिष्ट शिक्षार्थी की अनुज्ञप्ति के लिए परीक्षण, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा ।

(ख) केन्द्रीय नियमों के नियम 15 में विनिर्दिष्ट चालन अनुज्ञप्ति के लिए परीक्षण, मोटरयान निरीक्षक या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो कि सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया हो, संचालित किया जाएगा :

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करके चलान की सक्षमता जानने के लिए एक से अधिक परीक्षण ले सकेगा ।

2. उप-नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार परीक्षण के प्रयोजन के लिए आवेदक ऐसे समय और स्थान पर उपस्थित होगा जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और परीक्षण के प्रयोजनों के लिए अपने साथ आवेदन सम्बन्धी वर्ग का सेवा योग्य यान लाएगा ।

3. अधिनियम की धारा 9 के अधीन प्रदान की गई कोई भी अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश में किसी सड़क पर लोक सेवा यान चलाने के लिए तब तक सशक्त नहीं करेगा जब तक कि उसकी अनुज्ञप्ति पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा "पहाड़ी सड़कों पर चलाने के लिए" पृष्ठांकित न किया गया हो ।

धारा 28

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए "पहाड़ी सड़कों" से राज्य की सभी सड़कें अभिप्रेत हैं किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी सड़कें नहीं हैं जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा "समतल सड़कों" के रूप में घोषित की गई हैं ।

6. फोटो का अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना :

(1) अनुज्ञप्ति धारक की फोटो अनुज्ञप्ति पर लगाई जाने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी की मोहर से ऐसी रीति में मुद्रांकित की जाएगी कि मोहर की छाप का एक भाग फोटो पर और एक भाग मार्जिन पर हो ।

(2) यदि किसी समय अनुज्ञान प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्ति पर चिपकाई गई फोटो, धारा स्पष्ट प्रतिकृति नहीं रही है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी धारक से अनुज्ञप्ति का तत्काल अभ्यार्पण करने और अपनी नई फोटो की दो नूतन प्रतिलिपियां देने की अपेक्षा कर सकेगा और धारक, ऐसे समय के भीतर जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष स्वयं हाजिर होगा और तदनुसार फोटो प्रस्तुत करेगा ।

(3) उप नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार फोटो की प्राप्ति पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति से पुराना फोटो हटा देगा और अनुज्ञप्ति पर लगी नई फोटो की एक प्रतिलिपि पर मोहर लगाएगा और अनुज्ञप्ति धारक को अनुज्ञप्ति वापस कर देगा और यदि वह अनुज्ञापन प्राधिकारी नहीं है जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई है, फोटो की द्वितीय प्रतिलिपि अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा :

परन्तु अनुज्ञप्ति धारक यदि चाहे तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति उस पर नई फोटो का प्रतिलिपि चिपका कर जारी करेगा और मूल अनुज्ञप्ति को नष्ट कर देगा ।

(4) जब अनुज्ञप्ति पर एक नई फोटो लगाई जाती है तो फोटो पर चिपकाए जाने की तारीख पर टिप्पण किया जाएगा ।

(5) उप नियम 3 के परन्तुक के अधीन जारी की गई द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति की फीस दस रुपये होगी ।

धारा 28(1)

7. अपील प्राधिकारी :

धारा 17 की उप धारा (2) और धारा 19 की उप धारा (3) के प्रयोजनों के लिए अपील प्राधिकारी, राज्य परिवहन प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा ।

धारा 17, 19 और 28

8 अपीलों का संचालन और उनकी सुनवाई :

(1) धारा 17 की उप धारा (2) और धारा 19 की उप धारा (3) के अपील, अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध आक्षेप के आधार उपवर्णित करते हुए ज्ञापन के रूप में, द्विप्रतिक में की जाएगी जिसकी एक प्रतिलिपि के साथ नकद रसीद या पन्द्रह रुपय का खजाना चलान लगाया जाएगा उसके साथ उस आदेश की एक सत्यापित प्रति लगाई जाएगी जिसके विरुद्ध अपील की गई हो ।

(2) जब उप नियम (1) के अधीन अपील की जाती है तो अपील प्राधिकारी, सम्बन्धित अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में जैसा कि अपील प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर, नोटिस जारी करेगा ।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, ऐसी अतिरिक्त जांच के पश्चात्, जो कि आवश्यक हो, आदेश को जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पृष्ठ परिवर्तित या अपास्त कर सकेगा और तदानुसार आदेश करेगा ।

(4) उप नियम (1) के अधीन अपील करने वाला व्यक्ति, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसके सम्बन्ध में अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास दायर (फाईल) किए गए किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस संदाय पर प्राप्त कर सकेगा ।

(5) यथापूर्वोक्त अपील करने वाला व्यक्ति, आवेदन करके और उस पर निम्न नकद रसीद या खजाना चलान लगाकर, अपील प्राधिकारी की नस्ति (फाईल) का निरीक्षण करने का हकदार होगा ।

(6) अपील पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रतिलिपि, दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का संदाय करने पर प्राप्त की जा सकेगी ।

धारा 28(2) (ख)

9 रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की नियुक्ति के लिए प्राधिकारी :

(1) राज्य परिवहन प्राधिकरण का अध्यक्ष, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, के परामर्श से, धारा 8 की उप धारा (3) के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को नियुक्त करने के लिए प्रधिकृत व्यक्ति होगा ।

धारा 8 (3)

(2) धारा 8 की उप धारा (3) के अधीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए देय फीस पन्द्रह रुपये होगी और सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समुचित लेखा शीर्ष में जमा की जाएगी जहां पर परीक्षण सरकारी चिकित्सक द्वारा किया जाता है ।

धारा 28 (2) (ङ)

10 गुम या नष्ट हुई अनुज्ञप्तियां :

(1) यदि किसी धारक से अनुज्ञप्ति खो जाती है, तो वह तुरन्त इन तथ्यों की सूचना एच0 पी0 प्रारूप 1 एल0एल0डी0 में या एच0 पी0 प्रारूप 1 एल0एल0डी0 द्वारा अपेक्षित विशिष्टियों को उपवर्णित करते हुए एक पत्र द्वारा, उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा जिसके क्षेत्र में उसका निवास स्थान है ।

(2) उप नियम (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी, यदि वह अनुज्ञापन प्राधिकारी नहीं है जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई थी, अनुज्ञप्ति की विशिष्टियों के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करेगा और ऐसी जांच के पश्चात् जैसे वह उचित समझे, यदि उसका समाधान हो जाता है कि एक द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति उचित रूप से जारी की जा सकती है, द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति जारी करेगा ।

(3) जहां फोटो अप्रचलित हो गई हो, अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञापन प्राधिकारी को अपनी नई फोटो की दो सप्ट प्रतिलिपियां देगा जिसमें से एक द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति पर चिपकाई जाएगी और दूसरी रिकार्ड में रखी जाएगी ।

(4) इस नियम के अधीन जारी की गई द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति की फीस पच्चीस रुपये होगी :-

परन्तु यदि अनुज्ञप्ति, न्यायालय या प्राधिकारी, जिसे अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में अभ्यर्पित या प्रस्तुत की गई थी, की अभिरक्षा के दौरान खो जाती है तो एक द्विप्रतिक प्रतिलिपि निःशुल्क जारी की जाएगी ।

(5) जब अनुज्ञप्ति खो जाने के बारे में किए गए अभ्यावेदन पर द्विप्रतिक जारी कर दी गई हो और बाद में धारक को मूल अनुज्ञप्ति प्राप्त हो जाती है तो वह तुरन्त मूल अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी को परिवत्त कर देगा परन्तु द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए संदत्त फीस प्रत्यर्पणीय नहीं होगी ।

(6) यदि किसी अन्य व्यक्ति को चालन अनुज्ञप्ति मिल जाए तो वह उसे अनुज्ञप्ति धारक को या निकटतम पुलिस थाना में परिवत्त करेगा ।

धारा 28 (2) (ग)

11 विकृत अनुज्ञप्ति :

(1) यदि किसी भी समय अनुज्ञापन प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा धारित अनुज्ञप्ति इतनी फट गई है या विरूपित हो गई है कि यह युक्तियुक्त रूप से सुपाठ्य नहीं रहीं है या मूल अनुज्ञप्ति का महत्वपूर्ण भाग वियोजित हो चुका है या खो गया है या उसमें अप्राधिकृत परिवर्तन किए गए हैं अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को परिद्ध कर सकेगा और द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा ।

(2) यदि कोई प्रविष्टि अपठनीय या लुप्त है या यह प्रतीत होता है कि प्रविष्टियां वियोजिति गई हैं या प्राधिकारी के बिना परिवर्तन की गई है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, यदि वह अनुज्ञापन प्राधिकारी नहीं है जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई थी, अनुज्ञप्ति की विशिष्टियों के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करेगा और ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह उचित समझे यदि उसका समाधान हो जाता है, तो द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति जारी करेगा ।

(3) यदि उपर्युक्त रूप से परिवद्ध की गई अनुज्ञप्ति पर धारक का फोटो लगाना अपेक्षित हो तो :

(क) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी के विचार में वद्ध अनुज्ञप्ति पर लगी फोटो समाधानप्रद रूप और सुविधाजनक रूप से द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति पर अन्तरणीय है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी उस फोटो को द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति पर अन्तरित, चिपका और मुद्रांकित कर सकेगा, और

(ख) यदि अनुपित प्राधिकारी के विचार में परिबद्ध की गई अनुज्ञप्ति पर चिपकाई गई फोटो ऐसी नहीं है जो कि द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति पर अन्तरित की जा सके तो अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञापन प्राधिकारी की मांग पर अपनी नई फोटो की दो प्रतिलिपियां देगा जिनमें से एक द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति पर चिपकाई जाएगी और मुद्रांकित की जाएगी ।

(4) इस नियम के अधीन जारी की गई द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति की फीस दस रुपये होगी ।

धारा 28(2) (ग)

12 द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना :

जब द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति जारी की जाती है तो इस पर स्पष्ट रूप से लाल स्याही से "द्विप्रतिक" स्टाम्पित किया जाएगा और उसे अनुज्ञप्ति जारी करने की तारीख और अनुज्ञापन प्राधिकारी की मुद्रा से चिन्हित किया जाएगा ।

धारा 28 (2) (ग)

13 अनुज्ञप्ति के स्थान पर अस्थाई प्राधिकार देना :

(1) जब अनुज्ञप्ति धारक ने अनुज्ञप्ति, नवीकरण या धारा 11 के अधीन लोक सेवा यान चलाने के लिए अतिरिक्त प्राधिकार प्राप्त करने के लिए या इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी अन्य उद्देश्य से, अनुज्ञापन प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर दी है और इस उद्देश्य से केन्द्रीय नियमों के नियम 32 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस जमा करवा दी है और इस प्रकार अभ्यर्पित अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द नहीं की गई है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी जिसे अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित की गई है उसे एल0

पी0 फार्म 2 एल0 टैम्प या एच0 पी0 फार्म 2 एल0 टैम्प (एम0 बी0 डी0) में रसीद देगा और इस प्रकार दी गई रसीद में विनिर्दिष्ट अवधि क दौरान धारा 130 और धारा 206 की उप धारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति के स्थान पर इसे प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(धारा 28 (2) (ग)

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी, पुलिस अधिकारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, उप नियम (2) के अधीन जारी की गई रसीद की अवधि, उस पर पृष्ठांकित आदेश द्वारा बढ़ा सकेगा ।

(3) इस नियम क अधीन दी गई रसीद के सम्बन्ध म कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

धारा 206

14. अनुज्ञप्ति की विशिष्टियों की संसूचना :

(1) धारा 19 के अधीन अनुज्ञप्ति का कब्जा लेते समय अनुज्ञापन प्राधिकारी, यदि अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई थी और किसी दूसरे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की गई थी, इस तथ्य की सूचना उस प्राधिकारी को देगा जिसक द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई थी ।

(2) चालन अनुज्ञप्ति धारण या प्राप्त करन के लिए निरर्हित व्यक्तियों की विशिष्टियों और धारा 182 के अधीन सिद्धदोष व्यक्तियों की विशिष्टियों को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और इस निमित्त प्रविष्टि, धारा 26 के अधीन चालन अनुज्ञप्तियों के लिए रखे गए राज्य रजिस्टर में की जाएगी ।

धारा 28(2)(छ)

15. नवीकरणों और पृष्ठाकनों की मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी की सूचना :

(1) धारा 24 के अधीन अनुज्ञप्ति पर निरर्हता सम्बन्धी पृष्ठांकन करने या करवाने वाला न्यायालय या प्राधिकारा इसकी सूचना एच0 पी0 फार्म 4 एल0 ई0 में उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा जिसक द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई थी ।

(2) धारा 15 की उप धारा (6) के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने वाला अनुज्ञापन एच0 पी0 फार्म 5 एल0 आर0 में, नवीकरण के तथ्य को उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसके द्वारा एसी नवीकृति अनुज्ञप्ति जारी की गई थी ।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी जो यान की श्रेणियों में परिवर्धन करता है जिसके अधीन अनुज्ञप्ति, धारक को धारा 6 की उप धारा 3 के अधीन बाहन चलाने के लिए प्राधिकृत करती है, यदि यह वह प्राधिकारी नहीं है जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई है, इस प्रकार किए गए परिवर्धन की सूचना एच0 पी0 फार्म 6 एल0 ए0 डी0 में उस प्राधिकारी को देगा ।

16. पते में परिवर्तन :

वेतन वाले कर्मचारी के रूप में या लोक सेवा यान को चलाने के लिए हकदार बनाने वाली अनुज्ञप्ति का धारक, अस्थायी अनुपस्थिति की दशा, जिसमें तीन महीने की अवधि से अधिक के लिए निवास स्थान में परिवर्तन अन्तर्वलित न हो, के सिवाय अनुज्ञप्ति में दिए गए अस्थायी या स्थायी पते में किसी परिवर्तन की रिपोर्ट उस अनुज्ञापन अधिकारी को देगा जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी और अनुज्ञप्ति का अन्तिम नवीकरण किया था । धारा 28 (2)(छ)

17. फीस के संदाय से छूट :

(1) केन्द्रीय नियमों के नियम 32 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस ऐसे व्यक्ति से प्रभारित नहीं की जाएगी यदि वह संघ की रक्षा सेवाओं में इकाई या फील्ड क्षेत्र में सेवा करता है या कर रहा है चाहे वह मोटर यान चलाने के लिए या अन्यथा नियोजित हो :

परन्तु ऐसे व्यक्ति को भी उपर्युक्त छूट प्राप्त होगी यदि वह विदेश सेवा या, यथास्थिति, फील्ड क्षेत्र सेवा में अपनी वापसी के तीन मास के भीतर अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण के लिए आवेदन कर देता है ।

(2) कमीशन प्राप्त अधिकारियों और कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों से भिन्न भूतपूर्व सैनिक चालक, के केन्द्रीय नियमों के नियम 32 के अधीन किसी फीस के संदाय के बिना चालन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पात्र होंगे । धारा 28(2)

18. चालक का बैज :

(1) मंजिली गाड़ी या संविदा गाड़ी का चालक, इन नियमों से संलग्न प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए धातु के बैज को अपनी छाती पर बाईं ओर प्रदर्शित करेगा, जिस पर उस प्राधिकारी का नाम जिसने मंजिली गाड़ी या संविदा गाड़ी चलाने का प्राधिकार प्रदान किया है, और पहचान संख्या सहित, शब्द "चालक" अंकित किया जाएगा । परन्तु चालक एक से अधिक बैज धारण नहीं करेगा ।

(2) बैज जारी करने के लिए फीस 10 रुपये होगी और यदि बैज गुम या नष्ट हो जाता है, ताकि प्राधिकारी जिस के द्वारा यह जारी किया गया था, दस रुपये के संदाय पर एक द्विप्रतिक बैज जारी करेगा ।

(3) कोई भी चालक अपना बैज किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा या अन्तिरित नहीं करेगा और कोई भी चालक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए, बैज से भिन्न कोई बैज नहीं पहनेगा ।

(4) यदि किसी व्यक्ति को चालक को बैज मिले तो वह, जब तक उसे धारक को न लौटाये, तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी को जिसके द्वारा यह जारी किया गया था तथा निकटतम पुलिस थाना के पुलिस अधिकारी के, अभ्यर्पित करेगा ।

(5) यदि किसी भी समय चालक को मंजिलि गाड़ी या संविदा गाड़ी चलाने को अधिकारी देने वाली चालक अनुज्ञप्ति पर अनुदत्त प्राधिकार अनुज्ञापन प्राधिकारी या किसी न्यायालय द्वारा निलम्बित या प्रतिसंहृत किया जाता है या समय व्यतीत हो जाने के कारण विधिमान्य नहीं रहता है तो चालक यथास्थिति बैज के निलम्बन या प्रतिसंहरण या अनुज्ञप्ति की कालावधि के अवसान से तीन दिन के भीतर उस प्राधिकारी को अभ्यर्पित करेगा जिसके द्वारा वह जारी किया गया था ।

धारा 28(2)

19(1). परिवहन या यान का चालक :

(1) किसी व्यक्ति को यान के बोनट या छत पर या चालक के केबिन में बैठने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा;

(2) अपने निकट बैठे किसी व्यक्ति व्यक्तियों से गपशप नहीं करेगा;

(3) अपने कर्त्तव्यों का ध्यान में रखते हुए, के उपबन्धों और नियमों सम्बन्धित अनुज्ञापन की किन्हीं शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा;

(4) यान को केवल विनिर्दिष्ट स्थान पर ही खड़ा करेगा और इस प्रकार खड़ा करेगा कि यान पैदल संचालन और यातायात के निर्बाध प्रवाह में बाधा नहीं डालेगा;

(5) ऐसी रीति में साफ पोशाक पहनेगा जैसी की क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(6) यान को साफ और स्वच्छ दशा में रखेगा;

(7) जब यान गति में हो किसी युक्तियुक्त कारण के बिना अपना ध्यान नहीं हटाएगा या किसी व्यक्ति से बात नहीं करेगा जब तक कि ऐसा करना अत्यंतिक आवश्यक न हो;

(8) अंधाधुन्ध या खतरनाक रूप से गाड़ी नहीं चलाएगा;

(9) मदिरा या मादक द्रव्य पीकर गाड़ी नहीं चलाएगा या किसी व्यक्ति को यान में नशीले पदार्थ जिसमें मदिरा और मादक द्रव्य भी सम्मिलित हैं पीने की अनुमति नहीं देगा;

(10) अधिनियमों की धारा 104 या 105 के अधीन अपराध का दुरुपयोग नहीं करेगा;

(11) अप्राधिकृत दौड़ या किसी प्रकार की गति के परीक्षण में भाग नहीं लेगा;

(12) निरर्हता की अवधि के दौरान गाड़ी नहीं चलाएगा ;

(13) जब यान किसी दुर्घटना में अन्तग्रस्त है तो रोकना नहीं चूकेगा;

(14) उसके द्वारा धारित बैज या अनुज्ञाप्ति परिवर्तित नहीं करेगा और परिवर्तित बैज या अनुज्ञप्ति का प्रयोग नहीं करेगा ;

(15) ऐसे भोंपू का प्रयोग नहीं करेगा जो संगीतात्मक या कर्ण भेदी ध्वनि देता हो;

(16) जब यान गति में हो तो कोई संगीतात्मक यन्त्र बजाएगा;

(17) मोटर यान पर अतिरिक्त प्रकाश या चिन्हों का प्रयोग नहीं करेगा जो अन्य चालकों या पैडल यात्रियों का ध्यान आकर्षित करे;

(18) उपर की ओर आने वाले यान के रास्ता देने के लिए अपना यान रोकेगा; और

(19) यात्रा के दौरान या जब इसमें यात्री बैठे हों, धूम्रपान नहीं करेगा या किसी व्यक्ति को धुम्रपान करने की अनुमति नहीं देगा।

चालक के कर्तव्य 19 कृत्य आचरण

(2) **उपधारा (1) दिए गए परिवहन यान के चालकों के कर्तव्यों के अतिरिक्त लोकसेवा यान के चालक :**

(1) नियम 144 (2) के अनुसार चालक की सीट के लिए आरक्षित स्थान में किसी व्यक्ति या पशु को नहीं बैठाएगा या अन्यथा इस प्रकार किसी वस्तु को नहीं रखेगा या रखने की अनुमति नहीं देगा जिससे सड़क देखने या यान के उचित किसी वस्तु को नियंत्रण में किसी प्रकार की बाधा पड़े;

(2) यात्रियों को आकर्षित करने के लिए नहीं चिल्लाएगा;

(3) किन्हीं प्रवृत नियमों या विनियमों के अध्यधीन कतिपय विनिर्दिष्ट स्थानों के सिवाए यात्रियों को उतारने या चढ़ाने को प्रतिषिद्ध करने के लिए संवाहक या यान से उतरने की इच्छा रखने वाले किसी यात्री की मांग या संकेत पर, और जब कि यान में जगह हो यात्री बनने की इच्छा रखने वाले किन्हों व्यक्तियों की मांग या संकेत पर यान को पर्याप्त समय की अवधि के लिए; सुरक्षित और सुविधा जनक स्थिति में खड़ा करेगा;

(4) जब किसी स्थान पर या उसके निकट किसी यात्री को उतारने या चढाने के प्रयोजन के लिए, अपने यान का खड़ा करता है जहां अन्य लोक यान उसी प्रयोजन के लिए खड़े हैं यान नहीं चलाएगा कि उससे अन्य यान के चालक या संवाहक या उस पर चढ़ने या चढ़ने के लिए तैयार या उससे उतरने वाले किसी व्यक्ति को संकट सुविधा या बाधा हो और अपने यान को अन्य यान के सामने पीछे और सड़क या स्थान के बाईं ओर खड़ा करेगा;

(5) अपने यान के उचित तथा उपयुक्त दशा में रखने के लिए हर समय युक्तियुक्त सावधानी और तत्परता का प्रयोग करेगा और जानबूझ कर यान नहीं चलाएगा जब यान या उसकी कोई ब्रेक, पहिया या लैम्प त्रुटिपूर्ण दशा में हो जिससे किसी यात्री या अन्य व्यक्ति को खतरे की सम्भावना हो या यान के टैंक में मार्ग में अगले पैट्रोल भरने के स्थान तक ले जाने के लिए पर्याप्त पैट्रोल हो;

(6) यात्री और आशयित यात्रियों से सभ्य और अनुशासित रीति में व्यवहार करेगा ;

(7) अन्य यान पर चढ़ने या चढ़ने की तैयारी करने वाले व्यक्तियों को नहीं रोकेगा ;

(8) यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट सीटों की धारिता से अधिक संख्या में और परमिट के निबन्धनों के अधीन अनुज्ञात किसी अतिरिक्त संख्या में किसी व्यक्ति को यान में खड़े हुए ले जाने की अनुज्ञा नहीं देगा ;

(9) किसी और पर्याप्त कारण के सिवाए, वैध भाड़ा देने वाले किसी व्यक्ति को ले जाने से इन्कार नहीं करेगा;

(10) अच्छे और पर्याप्त कारण के सिवाए, वैधा भाड़ा देने वाले किसी व्यक्ति को ले जाने से इन्कार नहीं करेगा ;

(11) जहां यान में यात्रियों के अतिरिक्त माल भी ले जाया जा रहा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्वावधान रखेगा कि माल की उपस्थित से यात्री संकटापन्न न हों या उनको अनुचित असुविधा न हो;

(12) अच्छे और पर्याप्त कारणों के सिवाए, किसी व्यक्ति से, जिसने बैध भाड़ा संदत्त किया हो यात्रा की समाप्ति से पूर्व, उतरने की अपेक्षा नहीं करेगा ;

(13) इधर उधर नहीं घूमेगा या यात्रा में अनुचित रूप से बिलम्ब नहीं करेगा किन्तु अपने गंतव्य स्थान की ओर, जहां तक हो सके, यान से सम्बन्धित समय सारिणी के अनुसार, जहां ऐसी समय सारिणी न हो वहां समुचित शीघ्रता से, अग्रसर होगा ।

(14) मंजिली गाड़ी की दशा में जो कि मशीनरी बिगड़ जाने के कारण या चालक या संवाहक के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में असमर्थ हो, यात्रियों को किसी अन्य समरूप यान में अपने गंत्वय स्थान तक पहुंचाने का प्रबन्ध करेगा या यदि यान के बिगड़ने से एक घण्टे की अवधि के भीतर प्रबन्ध करने में असमर्थ रहता है तो मांग पर प्रत्येक यात्री को यात्रा की समाप्ति जिसके लिए यात्री ने भाड़ा संदत्त किया है, से सम्बन्धित भाड़े के उचित अनुपात का प्रतिदाय करेगा ;

(15) मंजिली गाड़ी की दशा में यान में किसी वस्तु को ऐसी रीति में नहीं रखेगा या रखना अनुज्ञापत नहीं करेगा जो यात्रियों के प्रवेश या निकास में बाधा डालें ;

(16) जब किसी स्टैंड का प्रयोग करे तो ऐसे स्टैंड के लिए नियत फीस का संदाय करेगा और किन्हीं ऐसी सुसंगत शर्तों का अनुपालन करेगा जिनके अधीन वह स्थान स्टैंड के रूप में प्राधिकृत किया गया है ;

(17) यात्रियों के सामान के सुरक्षित वहन के लिए सम्यक सत्तर्कता बरतेगा ;

(18) यान में यान पर या उसमें चढने या उतरने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त सावधानी रखेगा ;

(19) यह सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त सावधानी रखेगा कि यान के मार्ग और गंतव्य स्थान को उपदर्शित करने के लिए व्यवस्थित सभी साधन यान पर स्पष्टत: और ठीक रूप से प्रदर्शित किए गए हैं ;

(20) यान में या उस पर किसी यात्री या किसी अन्य व्यक्ति के जैसे, भिखारी, फेरी वाला या विक्रेता को भीख मांगने, बेचने या किसी वस्तु के बेचने के लिए प्रसथापना अनुज्ञात नहीं करेगा;

(21) यान चलाते समय रेडिया, टेप रिकार्डर, दूरदर्शन, वी0 सी0 आर0 और ऐसे किसी अन्य उपकरण को नहीं चलायेगा; और

(22) यात्रियों के साथ बहस नहीं करेगा और पूछे जाने पर उपनाम और संख्या इत्यादि देगा ।

(3) उप नियम (1) और (2) के अधीन चालकों के कर्त्तव्यों के अतिरिक्त संविदा गाडी यानों के चालक :

(1) इसके प्रतिकूल समुचित कारण के अभाव में भाड़े द्वारा करार पाए गए गंतव्य स्थान की ओर लघुतम और शीघ्रतम मार्ग से अग्रसर होगा;

(2) भाड़े दार द्वारा उसे उन्मोचित किए जाने से पूर्व उसके भाड़े के करार को समाप्त नहीं करेगा ;

(3) बस स्टैंड में अपनी मोटर यान कैब को उसी क्रम में खड़ा करेगा जिस प्रकार से वहां पहुंचती है । जो यान या कैब बहुत देर से वहां पहले से ही खड़ी हो उसे आगे की ओर खड़ा करेगा और अन्य यान रिक्त स्थान होने पर ही आगे चलेगा;

(4) अपने यान को जब यह कार्य में न लगा हो, इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित स्टैंड के अतिरिक्त किसी सार्वजनिक स्थान पर रहने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा और न ही इसे किराए पर चढ़ाने के प्रयोजन से किसी सार्वजनिक स्थान पर घूमेगा ;

चालक के कर्त्तव्य, कृत्य और आचरण

20. चालक कतिपय व्यक्तियों को यात्रा के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा :

(1) किसी व्यक्ति जिसके बारे में उसे ज्ञान का विश्वास करने का कारण है कि उसे संक्रामक्या सांसर्गिक रोग है या किसी व्यक्ति का शव जिसके बारे में उसे ज्ञान या विश्वास करने का कारण है कि उसका शव किसी ऐसे रोग से ग्रस्त है, को यान में प्रवेश करने या रखने या ले जाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा ।

(2) उप नियम (1) के उपबन्धों के होते हुए भी चालक किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक के लिखित आवेदन पर संक्रामक या सांसर्गिक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को परिवहन यान में ले जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा, परन्तु परिवहन यान से एक ही समय में बिमार व्यक्ति को परिचायक व्यक्ति व्यक्तियों के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को नहीं ले जाया जायेगा ।

(3) जब संक्रामक का सांसर्गिक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के शव को परिवहन यान में ले जाया गया हो तो यान का चालक इस तथ्य की रिपोर्ट सम्बन्धी क्षेत्र के सरकारी चिकित्सा अधिकारी और यान के स्वामी को देने के लिए उत्तरदायी होगा । न ही स्वामी और न ही चालक किसी व्यक्ति को यान का प्रयोग करने के लिए कारित या, अनुज्ञात करेगा जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ऐसी रीति में जो विहित की जाए, यान और चालक को विसंक्रामित नहीं कर दिया जाता और इस बारे में प्रमाण-पत्र चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त नहीं कर लिया जाता ।

धारा 28 (2) (ज)

21 चालक अनुज्ञप्तियों का राज्य रजिस्टर :

(1) चालक अनुज्ञप्तियों का राज्य रजिस्टर केन्द्रीय नियमों से संलग्न प्रारूप द्विप्रतिक में, निदेशक कार्यालय में घोषित किया जायेगा ।

(2) चालक अनुज्ञप्तियों का एक रजिस्टर प्रत्येक अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रारूप में तीन प्रतियों में रखा जायेगा और इसके प्रत्येक पृष्ठ की एक प्रति द्विप्रतिक में, प्रत्येक मास निदेशक को अग्रेषित की जायेगी उक्त रजिस्टर पर प्रत्येक विशिष्टि अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा या निदेशक द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति क्षरा अनुप्राणित की जाएगी ।

धारा 28 (2) (य)

अध्याय-3

मंजिली गाड़ी के संवाहकों को अनुज्ञप्ति देना

संवाहक अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन

(1) संवाहक अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन एच0 पी0 प्रारूप 7 एल कोन ए में जिले के अनुज्ञाप प्राधिकारी जहां आवेदक निवास या कारोबार करता है, दिया जायेगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे ।

(1) आवेदक के अभिनव फोटो की दो स्पष्ट प्रतियां;

(2) फीस के संदाय के परिणाम स्वरूप नगद रसीद या खजाना चालान; और

(3) मेन्ट जान एम्बुलेंस या राज्य में इसके किसी इकाई द्वारा एच0 पी0 प्रारूप एफ0 ए0 वी0 द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र सहित इस निमित निदेशक, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवाएं की सिफारिशों पर निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यावसायी उपयुक्तता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र ।

(2) संवाहक अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन की दशा में यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि आवेदक संवाहक के कर्त्तव्यों का विह करने में शारीरिक रूप से आयोग्य है, तो वह उमसे उप नियम (1) के अधीन पहले से ही दी गई फोटो के अतिरिक्त अपनी स्पष्ट और नवीन फोटो की इकाई प्रति देने और इस निमित संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सिफारिशों पर निदेशक द्वारा नियुक्त चिकित्सा बोर्ड से एच0 पी0 प्रारूप एम0 सी0 कोन में दूसरा उपयुक्तता चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और इस प्रकार प्रस्तुत की गई फोटो, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा समय के रूप से हस्ताक्षरित और मुद्रांकित आवेदन पर अच्छी प्रकार चियकायी जानी चाहिए ।

(3) कोई भी व्यक्ति उप-नियम 1 के अधीन संवाहक + अनुज्ञाप्ति प्राप्त करने, के लिए आवेदन देने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि,

1. वह मैट्रिक पास न हो;
2. अधिनियम और उसके तद्धीन बने नियमों के उपबंधो का ज्ञान न रखता हो;
3. संवाहक के कर्त्तव्यों और कृत्यों से परिचित न हो;
4. अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य न रखता हो;
5. अपने अच्छे चरित्र का संतोषप्रद प्रमाण-पत्र न करे ।

(4) यदि अनुज्ञापान प्राधिकारी द्वारा संवाहक अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन सही रूप में पाया जाता है और अध्याय '3' में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का अनुपालन किया गया है वह एच0 पी0 प्ररूप एल0 कोन0 में संवाहक + अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा जोकि जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और सारे राज्य में प्रवृत होगी ।

धारा 30 और 28 (2) (घ)

23. संवाहक अनुज्ञप्ति पर प्रतिहस्ताक्षर :

राज्य के बाहर क्षेत्राधिकारी रखने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा की गई संवाहक-अनुज्ञप्ति राज्य में प्रवृत्त नहीं होगी, जब कि यह राज्य में क्षेत्राधिकार रखने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी के प्राधिकार के अधीन ऐसी रीति में, जैसी कि संवाहक अनुज्ञप्ति के नवीनकरण के लिए लागू है प्रतिहस्ताक्षरित न की गई हो ।

धारा 38 (2) (ग)

24 संवाहक की अनुज्ञप्ति का नवीकरण :

(1) संवाहक की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अपवेदन, प्ररूप हिमाचल प्रदेश 9 एल0 कोन0 ए0 आर0 में अनुज्ञप्ति के अवसान से तीस दिन पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी को दिया जाएगा और अधिनियम की धारा 30 की उप धारा 5 के अधीन विहित अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ कैस रसीद या चालान, फीस के संदाय के प्रतीक में संलग्न करनी होगी ।

(2) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संवाहक अनुज्ञप्ति आवेदन नवीकरण के लिए ठीक है तो वह अनुज्ञप्ति पर इस विषय में प्रविष्टि कर के उसका नवीकरण कर सकेगा और यह नवीकरण अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा । परन्तु यह कि यदि अनुज्ञाप्ति नवीकरण करने वाला प्राधिकारी, वह प्राधिकारी नहीं है जिसने अनुज्ञप्ति जारी की है, तो अनुज्ञप्ति नवीकरण करने वाला प्राधिकारी नवीकरण करने की सूचना उस प्राधिकारी को देगा जिसने अनुज्ञप्ति जारी की है ।

धारा 30 और 38 (2) (ङ)

6. चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का दायित्व :

कोई व्यक्ति जिसे मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के प्रारम्भ से पूर्व मंजिली गाडी के संवाहक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उसे इसके प्रारम्भ की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर, नियम 22 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसे न करने पर वह धारा 31 के अधीन संवाहक के रूप में कार्य करने से निर्रहित हो जाएगा ।

धारा 31 (2)

6. संवाहक अनुज्ञप्ति की द्विप्रतिक प्रदान करना :

यदि किसी समय संवाहक अनुज्ञप्ति गुम या नष्ट या विकृत हो जाये उससे संलग्न फोटोग्राफ धारक की इच्छानुसार युक्तियुक्त न हो या अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में समाप्त हो जाए प्राधिकारी ऐसे मामले में यथा स्थिति नियम 10 या 11 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई करेगा ।

धारा 38 (2) (च)

. अपीलीय प्राधिकारी :

अपीलीय प्राधिकारी धारा 35 की उप धारा (2) और धारा 34 की उप धारा (4) के प्रयोजनों के लिए क्रमश: राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा ।

धारा 33, 34 और 38 (2) (छ)

. अपीलों का संचालन और सुनवाई :

(1) धारा 33 की उप धारा (2) और धारा 34 की उप धारा (4) के अधीन अपील ज्ञापन के रूप में द्विप्रतिक जिसकी एक प्रति के साथ 0 रुपये की कैश रसीद लगानी होगी, जिसमें कि अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध संक्षिप्त रूप से आक्षेप के आधार उसवर्णित होंगे, के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरूद्ध अपील करनी है संलग्न करनी होगी ।

(2) जब भी कोई अपील की जाए तो अपीलीय प्राधिकारी उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई है को नोटिस जारी करेगा और उसको सुसंगत अभिलेख भेजने को भी कहेगा ।

(3) अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई या युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने और ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे कि वह उचित समझे, उस आदेश को अपास्त, परिवर्तित या उसकी पुष्टि करेगा, जिसके विरूद्ध अपील की गई है और तदनुसार आदेश करेगा ।

(4) कोई भी व्यक्ति जिसने उप नियम (1) के अधीन अपील की हो, आदेश जिसके विरूद्ध अपील की हो, के सम्बन्ध में अनुज्ञापन प्राधिकारी को दिए गए किसी दस्तावेज की प्रति दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का संदाय करने पर प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(5) कोई व्यक्ति जिसने अपील की है अपीलीय प्राधिकारी की नस्ति का आवेदन के साथ निम्नलिखित कैश रसीद या खजाना चालान संलग्न करके निरीक्षण करने का हकदार होगा :

(क) तुरन्त अर्जेन्ट निरीक्षण के लिए 10 रुपये, और
(ख) साधारण निरीक्षण के लिए 5 रुपये ।

(6) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में किए गए आदेश की प्रति 2 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस के संदाय पर प्राप्त की जा सकेगी ।

धारा 38 (2) (ज)

29. संवाहक का बैज :

(1) मंजिली गाड़ी के संवाहक को अनुज्ञाप्त प्राधिकारी द्वारा इन नियमों की प्राम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में जारी धातु बैज अपनी छाती के बाई ओर प्रदर्शित करना होगा और इसमें उस अनुज्ञापन प्राधिकारी का नाम जिसके द्वारा संवाहक अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है और पहचान संख्या के साथ "संवाहक" शब्द अन्तर्लिखित किया जायेगा ।

(2) संवाहक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा राज्य में जारी किए गए बैज एक से अधिक रखेगा ।

(3) संवाहक को जारी किए गए बैज की फीस 10 रुपये होगी और यदि बैज गुम या नष्ट हो जाए या खो जाए तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा द्वितिक बैज 20 रुपये के संदाय पर जारी किया जायेगा ।

(4) यदि किसी संवाहक अनुज्ञप्ति रखने से निरर्हित हो जाए या अनुज्ञापन प्राधिकारी या किसी न्यायालय द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति प्रति संहत कर दी जाये या अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त हो जाने के कारण विधिमान्य न रहे तो संवाहक, यथा स्थिति, ऐसी निरर्हता प्रतिसंहरण या अवधि की समाप्ति के सात दिन के भीतर उस प्राधिकारी को बैज अभ्यर्पित कर देगा, जिसने इसे जारी किया था ।

धारा 38 (2) (ज)

30. बैज अन्तरित नहीं किया जायेगा :

(1) कोई भी संवाहक अपना बैज किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं देगा या इसे अन्तरित नहीं करेगा और कोई अन्य बैज नहीं लगायेगा ।

(2) किसी व्यक्ति को यदि संवाहक का बैज मिल जाये तो वह उसे इसके धारक को वापिस कर देगा या इसे तुरन्त उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को अभ्यर्पित करेगा जिसने इसे जारी किया है या पुलिस अधिकारी को अभ्यर्पित करेगा ।

धाराएं 38 (2) (ज)

31. संवाहक के कर्तव्यों का पालन करने वाला चालक :

मंजिली गाड़ी का कोई चालक मंजिली गाड़ी के संवाहक के कर्तव्यों का बिना संवाहक अनुज्ञप्ति प्राप्त किए दस दिनों की अनधिक अवधि तक अस्थायी रूप में पालन कर सकेगा जब कि उसे राज्य परिवहन उपक्रम के मामले में संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी जो यातायात प्रबन्धक के पद से नीचे का न हो और यातायात कम्पनी या यातायात फर्म या यातायात सहकारी समिति के मामले में, निदेशक या प्रबन्धक भागीदार द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो :

परन्तु ऐसे चालक के पास नियम 22 के उप नियम (3) में संवाहक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए और उसे प्राथमिक उपचार के कर्त्तव्यों का पालन करने के योग्य होना चाहिए ।

धारा 38 (2) (ख)

32. संवाहक के कर्तव्य, कृत्य और आचारण:

मंजिली गाड़ी का संवाहक निम्नलिखित का पालन करेगा:

(1) यात्रा या यात्रा के पड़ाव का विनिर्दिष्ट भाड़ा प्रभारित करेगा और सभी यात्रियों को टिकटें जारी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी विधिमान्य टिकट के बिना यात्रा न करें ;

(2) यात्रा के दौरान या जब यात्री बैठे हों, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को धूम्रपान की अनुमति नहीं देगा ;

(3) वह यात्रियों और आश्रित यात्रियों के साथ सुशील और सभ्य व्यवहार करेगा;

(4) वह राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से साफ सुथरी पोशाक पहनेगा;

(5) यान को साफ सुथरा और स्वास्थ्य की स्थिति में रखेगा ।

(6) यान के चढ़ने वाले या अन्य किसी गाड़ी में चढ़ने को तैयार व्यक्ति के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा;

(7) यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण में विनिर्दिष्ट बैठने की क्षमता से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवा यान में ले जाने की अनुमति नहीं देगा और अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन यान में अनुमंत खड़े यात्रियों को ले जाने के अतिरिक्त अन्य को खड़े होने की अनुमति नहीं देगा;

(8) यात्री या अश्यित यात्रियों को यात्रा के गंतव्य या यान के मार्ग या किसी यात्रा के भाड़े के बिषय में जानबूझकर धोखा नहीं देगा या यात्री को सूचना देने से इन्कार नहीं करेगा ;

(9) विधिक भाड़ा देने वाले किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त कारण के सिवाय ले जाने से इन्कार नही करेगा ;

(10) जहां यान में यात्रियों के अतिरिक्त माल ले जाया जा रहा हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिए की ऐसे माल से यात्रियों को असुविधा या खतरा न हो सभी प्रकार की युक्तियुक्त सावधानी बरतेगा;

(11) यात्रा की समाप्ति से पूर्व, बिना किसी पर्याप्त कारण के, किसी व्यक्ति से, जिसने विधिमान्य भाड़े का संदाय कर दिया हो, यान से उतरने की अपेक्षा नहीं करेगा;

(13) किसी भी यात्रा के दौरान मटर गश्ती नहीं करेगा या अनुचित रूप से देर नहीं करेगा परन्तु यान से सम्बन्धित समय सारिणी के अनुसार, चाहे जितना निकट हो अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेगा या जहां ऐसी कोई समय सारिणी नहीं है युक्तियुक्त रूप से यात्रा समाप्त करेगा;

(13) यदि मंजिली गाड़ी यांत्रिक खराबी के कारण या चालक या संवाहक के नियन्त्रण से बाहर अन्य कारणों से अपने गंतव्य में पहुंचने के अयोग्य हो जाए तो, वह यात्रियों को वैसे ही अन्य यान में गंतव्य तक पहुंचाने का प्रबन्ध करेगा या यदि यान में खराबी के एक घण्टे की अवधि के भीतर ऐसा प्रबन्ध करने के अयोग्य हो जाए तो, वह यात्री के मांगने पर यात्रा के समापन से संबंधित अनुपात अनुसार भाड़े समुचित भाग को यात्री के मांगने पर यात्री को वापिस कर देगा, जिसके लिए यात्री ने भाड़े का संदाय कर दिया था;

(14) मंजिली गाड़ी के मामले में किसी भी वस्तु को यान में इस रीति में रखने की अनुमति नहीं देगा जिससे यात्रियों का प्रवेश और बाहर जाने के रास्ते में रूकाबट हो;

(15) नियम 200 के उप नियम (3) के अधीन फीस संदत्त करेगा, जब किसी स्टैंड का प्रयोग करे तो स्टैंड के लिए नियत फीस का संदाय करेगा जिसके अधीन वह स्थान स्टैंड के रूप में प्राधिकृत किया गया है;

(16) यात्रियों से संबंधित सामान को सुरक्षित ले जाने के लिए समुचित सावधानी बरतेगा;

(17) यान के अन्दर या उपर या यान में प्रवेश करने वाले या उतरने वाले यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त सावधानी रखेगा;

(18) जब यान गति में हो, तो वह बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपना ध्यान नहीं हटायेगा या किसी व्यक्ति से तब तक बात नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा करना अत्यावश्यक न हो;

(19) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मार्ग भाड़े को दर्शित करने के लिए उपबंधित सभी साधनों का प्रयोग किया गया है और यान का गंतव्य ठीक तरह और सुस्पष्ट रूप से यान पर या यान के अन्दर दर्शाया गया हो, सावधानी बरतेगा;

(20) यान खड़ा करने और स्टार्ट करने (चालू करने) के लिए उपलब्ध संकेत आकृतियों का अनुसरण करेगा और किसी भी परिस्थिति में चालक को चिल्लाकर, पैर पटक कर या यान को थपथपा कर या अन्य संकेत की अनधिकृत पद्धितियों का प्रयोग नही करेगा;

(21) यात्रियों से बहस नहीं करेगा और जब पूछा जाए तो अपना नाम और बैज संख्या बताएगा;

(22) शराब के नशे में ड्यूटी पर नहीं आयेगा;

(23) सड़क के किनारे यान रुकने पर यात्रियों को सामान चढ़ाने और उतारने में सहायता करेगा;

(24) किसी भी यात्री या अन्य व्यक्ति को जैसे कि क्रेता, विक्रेता, हाकर या किसी भी वस्तु को बेचने के लिए यान के अन्दर या बाहर अनुमति नहीं देगा;

(25) किसी भी व्यक्ति को चालक के लिए उपलब्ध कैबिन में यान की छत पर या बोनेट पर बैठने की अनुमति नहीं देगा;

(26) जब भी मंजिली गाड़ी असुरक्षित क्रासिंग स्तर पर आ जाए तो यान से उतरने के पश्चात् यान को रुकवाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई रेलगाड़ी किसी दिशा से न आ रही हो। यान को तब तक अपना अनुसरण करने के लिए कहेगा जब तक कि दूसरी तरफ की क्रांसिंग का स्तर न आ जाए; और

(27) जब भी किसी यान में कोई रेडियो, टेप रिकार्डर, टैलिविजन या बी0 सी0 आर0 इसी प्रकार कोई यन्त्र लगाया गया हो तो इसका संचालन करेगा ।

धारा 38 (2) (ग) और (ज)

अध्याय 4

यान का रजिस्ट्रीकरण

33 रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी :

नियम 3 यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अपनी अधिकारिता में यान रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी होगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए :

(क) पर्यटन यान के लिए राज्य परिवहन प्राधिकारी हिमाचल प्रदेश का सचिव रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी होगा, जिसकी अधिकारिता समस्त हिमाचल प्रदेश में होगी, और

(ख) यात्रियों के लिए चलाए जाने वाले आटो रिक्शा के लिए सचिव क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी होगा, जिसकी अधिकारिता का क्षेत्र उस क्षेत्र की राज्य क्षेत्रीय सीमाएं होंगी, जिनके लिए वह नियुक्त है ।

धारा 65 (2) (ख)

34 अपीली प्राधिकारी :
धारा 57 के प्रयोजन के लिए निदेशक परिवहन, अपीलीय प्राधिकारी होगा ।

धारा 57

35 अपीलों का संचालन और सुनवाई :

(1) धारा 57 के अधीन अपील ज्ञापन के रूप में द्विप्रतीक होगी, जिसकी एक प्रति के साथ बीस रुपये का खजाना चालान या कैश रसीद संलग्न करनी होगी, जिसमें, यथा स्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी निरीक्षण बोर्ड आदेश के विरुद्ध आक्षेप के आधार संक्षिप्त रूप में उपवर्णित होंगे और उस आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है संलग्न करनी होगी ।

(2) जब अपील की गई हो तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को नोटिस दिया जाएगा और मोटर यान निरीक्षक के निरीक्षण बोर्ड के आदेश के विरुद्ध की गई अपील के मामले में, अपीली प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार प्ररूप में अपील की जाएगी और अपीली प्राधिकारी अपील से सुसंगत अभिलेख मंगवाएगा ।

(3) अपीली प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी अगामी जांच करने पर, जिसे वह आवश्यक समझे, यदि कोई हो, स्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या निरीक्षण बोर्ड के आदेश को पुष्ट, परिवर्तित या अपास्त करेगा और तदनुसार आदेश करेगा ।

(4) उन नियम (1) के अधीन अपील करने वाला कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या निरीक्षण बोर्ड को दिए गए किसी दस्तावेज की प्रति जिस आदेश के विरुद्ध की गई अपील के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या निरीक्षण बोर्ड के आदेश की प्रति दो प्रति पृष्ठ की दर से फीस के संदाय पर प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(5) उप नियम (1) के अधीन अपील करने वाला व्यक्ति, अपीली प्राधिकारी की पस्ति का निम्नलिखित कैश रसीद या खजाना चालान, आवेदन क साथ संलग्न करक "निरीक्षण" करने का हकदार होगा,

(क) तुरन्त अर्जेन्ट के मामले में दस रुपये,
(ख) साधारण निरीक्षण के पांच रुपये ।

(6) अपीली प्राधिकारी द्वारा अपील द्वारा अपील में किए गए आदेश की प्रति दो रुपये प्रति की दर से फीस का संदाय करने पर, प्राप्त की जा सकेगी ।

36 विशेषज्ञ को निर्देशित करना :

(1) धारा 56 के अधीन योग्यता प्रमाण-पत्र जारी करने से इन्कार करने के आदेश के विरुद्ध की गई अपील के दौरान अपीलकर्ता अपने खर्च पर मांग कर सकता है कि अपीली प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और उसके द्वारा स्वीकार्य विशेषज्ञ की राय ले ली जाए ।

(2) यदि अपीली प्राधिकारी, विशेषज्ञ की विरचना करेगा और उसे विशेषज्ञ की उसकी राय के लिए भेज देगा ।

(3) जहां उप नियम (2) के अधीन विशेषज्ञ को राय के लिए निर्देशित किया जाए तो, उसकी राय अन्तिम रूप से स्वीकार्य होगी ।

37 परिवहन यानों के विवरण प्रदर्शित करने की रीति :

(1) मोटर कार के मामले के सिवाय हिमाचल प्रदेश प्रांयपय 12 पी0 पी0 टी0 वी0 में उपवर्णित विवरणों को परिवहन यान के अन्दर चालक के कैबिन में नियम फ्रेम में, भारतीय संख्याकों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रारूप संख्या में और हिन्दी देवनागरी में प्रदर्शित किए जाएंगे ।

(2) रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र में यथा उप-वर्णित रजिस्ट्रेशन चिन्ह और यान स्वामी का नाम या परिवहन फर्म, परिवहन सोसाईटी, परिवहन कम्पनी का पूरा नाम, प्रत्येक परिवहन यान के दोनों तरफ हिन्दी देवनागरी लिपि में, सुस्पष्ट शब्दों में, 100 मिली मीटर लम्बाई और 20 मिली मीटर मोटाई के परिणाम में प्रदर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह कि सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी के अनुमोदन से नाम को संक्षिप्त रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकेगा ।

38 दुरूस्ती प्रमाण-पत्र के नवीकरण और जारी करने के लिए निरीक्षण बोर्ड :

(1) परिवहन यान के दुरूस्ती प्रमाण-पत्र को प्रदान करने या इसका नवीकरण करने का कृत्य और ऐसे और अन्य कृत्य जिनका निर्वहन धारा 56 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा :

(क) सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा; और
(ख) मोटर यान निरीक्षण द्वारा जिसे सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है ।

(2) यान की योग्यता के विषय में यदि निरीक्षण बोर्ड के सदस्यों की राय में भिन्नता हो तो ऐसी दशा में, निरीक्षण बोर्ड का विनिश्चय यह समझा जाएगा कि यान दुरूस्त नहीं है और निरीक्षण बोर्ड के नाम से दुरूस्ती प्रमाण-पत्र को प्रदान करने से या इसके नवीकरण को अस्वीकार करने या दुरुस्ती प्रमाण-पत्र को रद्द करने के आदेश दिए जाएंगे ।

धारा 56 और 65 (2) (क)

39 दुरूस्ती प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन :

(1) दुरूस्ती प्रमाण-पत्र प्रदान करने या इसके नवीकरण के लिए परिवहन यान, निरीक्षण बोर्ड या प्राधिकृत केन्द्र को जिसके कार्य क्षेत्र में यान रखा गया है, या जिसके कार्य क्षेत्र, उस मार्ग या क्षेत्र का मुख्य भाग भी सम्मिलत है जिसमें कि यान की अनुज्ञप्ति का क्षेत्र बढाया गया है, को प्रस्तुत किया जाएगा :

परन्तु निरीक्षण बोर्ड या प्राधिकृत परीक्षण अन्य बातों के साथ दुरूस्ती प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित यान के प्रकार और डिजाईन का ध्यान रखेगा ।

(2) यदि यांत्रिक कारण या अन्य कारणों से परिवहन यान, प्रमाण-पत्र के अवसान के समय, निरीक्षण बोर्ड या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र जिसके द्वारा प्रमाण-पत्र नवीकरण किया जाना है, के क्षेत्र से बाहर खराब हो जाता है तो कोई अन्य निरीक्षण बोर्ड या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र, ऐसे शर्त पर, बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, जिसके लिये यान का स्वामी उत्तरदायी हो, यदि निरीक्षण बोर्ड या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र की राय में यान हिमाचल प्रदेश प्रारूप 13 सी0 एफ0 के पृष्ठांकन के द्वारा और ऐसी शर्तों के जिन्हें कि निरीक्षण बोर्ड या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र विनिर्दिष्ट करे अध्याधीन रहते हुए प्रयोग के योग्य है, तो उसे ऐसे समय के लिए जो यान की उस निरीक्षण बोर्ड के या परीक्षण केन्द्र के क्षेत्र में जिसके द्वारा कि प्रमाण-पत्र नवीकृत किया जाना चाहिए, वापिसी के लिए युक्तियुक्त हों, इसके अनवरत प्रयोग के लिए प्राधिकृत कर सकता है । तत्पश्चात् यान ऐसे पृष्ठांकन के अनुसार ऐसे क्षेत्र में चलाया जा सकेगा, परन्तु ऐसे क्षेत्र में वापसी के पश्चात् प्रयुक्त नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कि प्रमाण-पत्र का नवीकरण न किया गया हो ।

धारा 65 (2) (ख)

40 निरीक्षण बोर्ड या प्राधिकृत केन्द्र के लिए प्रक्रिया :

(1) निरीक्षण बोर्ड या प्राधिकृत केन्द्र जिसके सम्मुख यान योग्यता प्रमाण-पत्र या नवीकरण जारी करने के लिए प्रस्तुत किया जाए;

(क) दुरूस्ती प्रमाण-पत्र जारी करेगा या यान के विषय में उसे नवीकृत करेगा ;
(ख) कतिपय त्रुटियों के परिशोधन को लम्बित रखने के कारण विनिश्चय को लंबित करेगा; या
(ग) प्रमाण-पत्र जारी करने या उसके नवीकरण से इन्कार कर सकेगा ।

(2) यदि खण्ड (ख) में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है तो, निरीक्षण बोर्ड या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र यान के दूर करना अपेक्षित है, हि0 प्र0 प्ररूप 14 सी0 एफ0 में भेजेगा और मुरम्मत के लम्बित रहते, यान के विषय में किसी पूर्व प्रवृत किसी दुरूस्ती प्रमाण-पत्र को निलम्बित या जब्त करेगा । हि0 प्र0 प्ररूप 14 सी0 एफ0 एक्स0 को पूर्ण करने पर निरीक्षण बोर्ड या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र उन शर्तों को लिखेगा जिनके अधीन उसने प्रमाण-पत्र को प्रदान करने या इसके नवीकरण के लम्बित रहते हुए भी यान को प्रयोग करने की अनुमति दी है । ये शर्तें किसी भी दशा में यात्रियों को भाड़े पर या पारिश्रमिक के लिए या यान की मुरम्मत से सम्बन्धित वस्तु से अन्यथा वस्तुओं के वहन के लिए यान के प्रयोग की अनुमति नहीं देगी ।

(3) यदि निरीक्षण बोर्ड या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र उप नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन दुरूस्ती प्रमाण-पत्र के नवीकरण के मामले में अपने विनिश्चय को आस्थगित करता है और यान के स्वामी या उसके अभिकर्ता को हि0 प्र0 प्ररूप 14 सी0 एफ0 एक्स0 में त्रुटियों की सूची देता है और यदि इसके पश्चात् यान, 2 मास की अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जिसे कि निरीक्षण बोर्ड या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र ने हि0 प्र0 प्ररूप 12 सी0 एफ0 एक्स0 में विनिर्दिष्ट किया है, आगामी परीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो दुरूस्ती प्रमाण-पत्र उस तारीख से जिससे कि इसकी अवधि का अवसान हो गया हो रद्द समझा जाएगा ।

(4) पूर्ववर्ति उप-नियम में किसी उपबन्ध के होते हुए भी , यदि सम्बन्धित यान के कार्यक्षेत्र के निरीक्षण बोर्ड द्वारा यान के परीक्षण में देर की जा रही है या इसके कारण यान के प्रयोगकर्ता या स्वामी का अनावश्यक खर्च हो रहा हो तो, राज्य परिवहन प्राधिकारी का अध्यक्ष या उसके द्वारा मनोनीत किसी व्यक्ति द्वारा कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, दुरूस्ती प्रमाण-पत्र प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए तदर्थ निरीक्षण बोर्ड बनाया जाएगा ।

(5) निरीक्षण बोर्ड या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र केन्द्रीय नियमों के नियम 62 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार, जारी किए गए या नवीकृत किए गए दुरूस्ती प्रमाण-पत्र पर इसके प्रभावी रहने की अवधि को पृष्ठांकित करेगा ।

धारा 65(2) (ख)

41 जब दुरूस्ती प्रमाण-पत्र रद्द किया जाए या इसका नवीकरण से इन्कार किया जाए तो रिपोर्ट भेजना :

निरीक्षण बोर्ड या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र उस क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को जिसके द्वारा यान की अनुज्ञप्ति सबसे पहले जारी की गई थी और उसके क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को जहां कि यान रजिस्ट्रीकृत किया गया है को भी यथास्थिति दुरूस्त प्रमाण-पत्र को रद्द करने या इसके नवीकरण को अस्वीकृत करने के दोनों उपर्युक्त वर्णित मामले के तथ्य की सूचना देगा, निरीक्षण बोर्ड या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र दुरूस्ती प्रमाण-पत्र को जब्त करेगा और उस सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को भेजेगा ।

धारा 65 (2) (ख)

42 मोटर यान का अस्थायी रजिस्ट्रीकरण :

(1) जब मोटर यान के नए क्रेता को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी कार्यालय के अस्थायी तौर पर बन्द होने के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से साधारणतया किसी कारणवश रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अवयवहार्य हो या नए मोटर यान का क्रेता बहुत शीघ्र इसे राज्य की सीमाओं से बाहर निर्यात करना चाहता हो या इस शीघ्रता से उस क्षेत्र में ले जाना चाहता हो जहां कि वह स्थायी रूप से निवास करता है या व्यापार करता है तो, उप नियम (2) के उपबन्धों के अध्याधीन इस निमित सरकार द्वारा नियुक्त यानों की फर्म, व्यापारी या निर्माता, रजिस्ट्रीकरण चिन्का अस्थायी प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा और

ऐसा अस्थायी प्रमाण-पत्र और रजिस्ट्रीकरण चिन्तत्समय, नियमित रजिस्ट्रीकरण चिन्ह और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के सभी प्रयोजनों की पूर्ति करेगा :

परन्तु यथा उपवर्णित व्यक्तियों या फर्म के नाम, जो अस्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के हस्ताक्षर करने के लिए साक्षम हों, जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट होंगे ।

(2) अस्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, ऐसे उन यानों के विषय में जारी नहीं किया जाएगा जो कि अधिनियम के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत न हों ।

(3) अस्थाई प्रमाण-पत्र और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का प्रत्येक आवेदन लिखित रूप में होगा और उसमें उपमण्डल, जिला और वह स्थान दर्शित करना होगा जहां यान को स्थायी रजिस्टर्ड करते हुए संलग्न करना होगा ।

(4) उप नियम (3) के उपबन्धों के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर उप नियम (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति या फर्म हिमाचल प्रदेश प्ररूप 15 सी0 आर0 टैम्पए के पर्ण ए में अस्थाई प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

(5) यदि वह स्थान जिसमें कि यान का स्थायी रूप से रजिस्ट्रीकरण करना है, भारत में है तो, हिमाचल प्रदेश प्ररूप 15 सी0 आर0 टैम्पप के पूर्ण बी0 उस क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसमें कि वह रजिस्ट्रीकृत किया जाना है और अन्य मामलों में उक्त पर्ण बी का निपटारा ऐसे निर्देशों के अनुसार किया जाएगा जो कि समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए हों । प्रति-पर्ण सहित आवेदन और इसके साथ संलग्न प्रमाण-पत्र अनुज्ञप्ति जारी करने वाली फर्म द्वारा अपने अभि-लेख में रखा जाएगा और प्रत्येक कलैण्डर मास के अन्त में या ऐसे अन्य अन्तरालों पर जैसा कि रजिस्ट्री-करण प्राधिकारी निर्देश करे, निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाएगा । आवेदन के साथ प्रतिपर्ण और पर्ण जब रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के अपनेद प्रभार में न हो, उक्त फर्म द्वारा इसके जारी किए जाने की तारीख से 12 मास की अनधिक अवधि के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे ।

(6) राज्य में यान के स्थायी रूप में, उप नियम (5) के अधीन पर्ण बी के प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, उस फर्म को जिसने इसे जारी किया है अपनी अभिस्वीकृति तुरन्त भेजेगा, और वह फर्म अभिस्वीकृति को प्रतिपर्ण के साथ संलग्न करेगी ।

(7) अस्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने वाली फर्म उसी समय केन्द्रीय नियमों के नियम 51 में विनिर्दिष्ट रीति में यान पर प्रदर्शित किए जाने वाला चिन्ह समनुदेशित करेगी । चिन्ह के अक्षर और अंक पीले रंग के तल पर लाल रंग में लिखे जायेंगे ।

(8) इस नियम के अधीन अस्थाई रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस केन्द्रीय नियमों के नियम 81 में यथा विनि-र्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस का आधार होगी ।

(9) फर्म के उप नियम (1) के अधीन मशक्त करने के लिए और उप नियम (7) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए जिला को समनुदेशित रजिस्ट्रीकरण चिन्हों में से रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के ब्लाक का उदिष्ट करेगा ।

(10) जहां अस्थाई रजिस्ट्रीकृत मोटर यान केवल चैसिस है जिसके साथ यान की बाडी संलग्न नहीं है और उसे धारा 43 की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट एक मास की अवधि के पश्चात् भी रोका गया है तो ऐसे मामले में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए 12 मास की अवधि तक विस्तार की अनुमति दे सकेगा ।

परन्तु अस्थाई रजिस्ट्रीकरण के लिए विस्तार निम्नलिखित फीस के संदाय पर होगा :

(क) 3 मास की अनधिक अवधि के विस्तार के मामले में, उप नियम (8) के अधीन अस्थाई रजिस्ट्रीकरण के लिए विनिर्दिष्ट दर से आधे दर पर ; और

(ख) 3 मास से अधिक परन्तु 12 माह से अधिक नहीं की अवधि के विस्तार के लिए प्रत्येक मास या इसके भाग के लिए 50 रुपये की दर से ।

धारा 43 और 65 (2) (ख)

43 परिवहन यान से भिन्न यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का खो जाना या नष्ट हो जाना :

(1) यदि किसी समय परिवहन यान से भिन्न यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र खो जाए या गुम हो जाए, तो यान का स्वामी इस तथ्य की सूचना उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया हो या जिसने धारा 47 के अधीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित किया हो को लिखित रूप में तुरन्त देगा और उक्त प्राधिकारी को द्विप्रतिक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय नियमों के प्ररूप 26 में आवेदन करेगा ।

(2) उन नियम (1) के अधीन आवेदन के साथ केन्द्रीय नियमों के नियम 81 में यथा विनिर्दिष्ट फीस प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार केन्द्रीय नियमों के प्ररूप 23 में लाल स्याही में "द्विप्रतिक" मोहर लगाकर, द्विप्रतिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

धारा 65 (2) (घ)

44 परिवहन यान का दुरुस्ती प्रमाण-पत्र और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र खो जाना या नष्ट होना :

(1) यदि किसी समय परिवहन यान की दुरुस्ती प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण खो जाए या नष्ट हो जाए, तो यान का स्वामी उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को, जिसने धारा 47 के अधीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित किया है या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया है, को इस तथ्य की सूचना लिखित रूप में तुरन्त देगा और केन्द्रीय नियमों के प्ररूप 26 में उक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को द्विप्रतिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और दुरुस्ती प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन करेगा ।

(2) केन्द्रीय नियमों के नियम 81 में यथा विनिर्दिष्ट फीस सहित उप नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो उसे उचित प्रतीत होता हो, केन्द्रीय नियमों के प्ररूप 23 में, लाल स्याही में "द्विप्रतिक" मुद्रांकित करने द्विप्रतिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

धारा 65 (2) (घ)

45 खोए प्रमाण-पत्र मिलने के तत्पश्चात् प्रक्रिया :

(1) धारक के अभ्यावेदन पर, कि असल नष्ट हो चुका है, जब द्विप्रतिक योग्यता प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो और यदि तत्पश्चात असल मिल जाए तो योग्यता का असल प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रजिस्ट्री प्राधिकारी को परिदत करेगा ।

(2) किसी अन्य व्यक्ति को योग्यता प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मिलने पर वह इसे धारक या निकटतम पुलिस थाना में परिदत करेगा ।

धारा 65 (2) (घ)

46 सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब्जे में दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या योग्यतर प्रमाण-पत्र के लिए अस्थायी रसीद :

(1) जब परिवहन यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और योग्यता प्रमाण-पत्र के धारक द्वारा इन्हें रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, निरीक्षण बोर्ड, न्यायालय, पुलिस अधिकारी या धारा 206 के अधीन सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी प्रयोजन के लिए और न तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या न ही योग्यता प्रमाण-पत्र निलम्बित या रद्द किए गए हो यथा उपरोक्त प्राधिकारी या व्यक्ति हिमाचल प्रदेश प्ररूप 16 आर0 टैम्प0 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में लिए रसीद देगा और रसीद में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे समय के दौरान ये प्रमाण-पत्र प्रवृत रहेंगे और धारा 130 की उप धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या योग्यता प्रमाण-पत्र के स्थान पर रसीद प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(2) कोई प्राधिकारी या व्यक्ति जिसने उप नियम (1) के अधीन रसीद अनुदत की है, स्वविकानुसार उस पर आदेश द्वारा पृष्ठांकन करके इसकी अवधि बढ़ा सकेगा ।

(3) इस नियम के अधीन दी गई रसीद की बाबत कोई फीस देय नहीं होगी ।

धारा 65 (2) (घ)

47 यान के विलम्ब से रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस :

मोटर यान का स्वामी यदि धारा 47 की उप धारा (1) के अधीन केन्द्रीय नियमों के नियम 54 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन करने में असफल हो जाता है तो केन्द्रीय नियमों के नियम 81 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए विनिर्दिष्ट फीस के साथ-साथ निम्नलिखित रकम के संदाय के लिए दायी होगा यदि वह पहले ही संदत्त नहीं की गई है, अर्थात :—

	परिवहन यान से भिन्न अन्य यान के (रुपयों में)		परिवहन यान के लिए (रुपयों में)	
(1)	तीन दिनों से अधिक किन्तु तीन मास अनधिक विलम्ब के लिए ।	दस	बीस
(2)	तीन मास से अधिक किन्तु छः मास से अनधिक विलम्ब के लिए ।	वीस	चालीस
(3)	छः मास से अधिक किन्तु बारह मास अनधिक विलम्ब के लिए ।	तीस	साठ
(4)	एक वर्ष से अधिक दो वर्ष से अनधिक विलम्ब के लिए ।	चालीस	अस्सी
(5)	दो वर्ष से अधिक विलम्ब के लिए ।	पचास	एक सौ

धारा 65 (2) (ट)

48 स्वामित्व के अन्तरण की सूचना :

(1) मोटर यान के स्वामित्व के अन्तरण की सूचना केन्द्रीय नियमों के प्ररूप 29 और में दी जाएगी।

(2) यदि स्वामित्व के अन्तरण की प्रविष्टी करने वाला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी नहीं है तो वह स्वामित्व के अन्तर को मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को हि0 प्र0 प्ररूप 17 सी0 आर0 टी0 आई0 में संसूचित करेगा ।

धारा 50 और 65 (2) (य)

46 रजिस्ट्रीकरण चिन्हों का पुनः समनुदेशन :

मोटर यान को नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित करने वाला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पर टिप्पण में विनिर्दिष्ट भाड़ा क्रय के करार में दर्शित स्वामी और अन्य पक्ष को संसूचित करगा, यदि कोई हो और यान के अन्तरण अभिलेख को उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को जिसके पास या रजिस्ट्रीकृत है हि0 प्र0 प्ररूप 18 आर0 एम0 आई0 में आवदेन करेगा ।

धारा 47, 52 और 65 (2) (ख)

50 बाहर से राज्य में प्रवेश करने वाला यान :

जब कोई मोटर यान राज्य में रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उसमें 14 दिनों से अधिक समय के लिए रहता है तो यान का स्वामी या अन्य प्रभारी व्यक्ति उस क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरणाधिकारी को, जिसमें रिपोर्ट के समय मोटर यान है इस बात की सूचना देगा और सूचित करेगा :

(क) उसका नाम और स्थायी पता और पता जहां तत्समय मोटर यान रखा गया है;
(ख) मोटर यान की रजिस्ट्रीकरण चिन्ह;
(ग) मोटर यान की बनावट और वर्णन; और
(घ) परिवहन यान की दशा में, राज्य में उस प्राधिकारी का नाम जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र जारी या प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है।

परन्तु राज्य में मान्यता प्राप्त अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाले परिवहन यान की दशा में, केवल प्रथम प्रविष्टि के अवसर पर इस नियम के अधीन रिपोर्ट करना आवश्यक होगा ।

धारा 47 और 65 (2) (त)

51 निवास और कारबार के ठिकाने में परिवर्तन की सूचना में देरी :

(1) यदि मोटर यान का स्वामी धारा 49 की उप धारा (1) और धारा 50 की उप धारा (2) और (3) के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल हो तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उससे निम्नलिखित रकम की अदायगी भुगतान करने की उपेक्षा कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) तीन दिनों से अधिक किन्तु तीन मास से अनधिक विलम्ब के लिए	दस रुपये
(ख) तीन मास से अधिक किन्तु छः मास के विलम्ब के लिए	बीस रुपये
(ग) छः मास से अधिक किन्तु नौ मास से अनधिक विलम्ब के लिए	चालीस रुपये
(घ) नौ मास से अधिक किन्तु बारह मास से अनधिक विलम्ब के लिए	साठ रुपये

(ङ) एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से अनधिक विलम्ब के लिए — अस्सी रुपये
(च) दो वर्ष से अधिक विलम्ब के लिए — सौ रुपये

धारा 49 (4) 50 (5) और 65 (2)

52 रोड रोलर और इसी प्रकार के लिए छूट :

अधिनियम के अध्याय "4" में अन्तर्विष्ट उपबन्ध और इस अध्याय में अंतर्विष्ट नियम रोड रोलर, ग्रडर और सडकों के निर्माण के लिए प्रयोग होने वाले अन्य परिकल्पित यानों पर लागू नहीं होंगे ।

धारा 65 (2) (ग)

53 वित्त व्यवस्थापक को सूचना :

रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में किसी प्रविष्टि की सूचना जैसे अधिनियम की धारा 51 की उप धारा (10) और 116 के अधीन अपेक्षित है रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा ऐसी प्रविष्टि करने की तारीख को तुरन्त वित्त व्यवस्थापक को हि0 प्र0 प्ररूप 19 हि0 प्र0 ऐन्ट्री में दी जाएगी ।

धारा 51 (10)

54 चुराये और बरामद किये यानों की सूचना :

यान जो चुराया गया है और चुराया गया यान जो बरामद कर लिया गया हो जिसकी पुलिस को धारा 62 के अधीन जानकारी हो, से संबद्ध रिटर्न हि0 प्र0 प्ररूप 20 एस0 आर0 वी0 में हर मास भेजी जाएगी ।

धारा 62 और 65 (2)(6)

55 मोटर यानों का राज्य रजिस्टर :

(1) धारा 63 के अनुसरण में निदेशक के कार्यालय में केन्द्रीय नियम 39 के प्ररूप में मोटर यान का राज्य रजिस्टर रखा जाएगा ।

(2) मोटर यान का राज्य रजिस्टर प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के कार्यालय में उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप में तीन प्रतियों में रखा जायेगा इसके और प्रत्येक पृष्ठ की प्रति तीन प्रतियों में हर मास निदेशक को अग्रेषित की जाएगी तथा कथित रजिस्टर पर प्रत्येक प्रविष्टि ऐसे हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या निदेशक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी ।

धारा 63 और (2) (ग)

अध्याय–5

परिवहन यानों का नियन्त्रण

56 राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन :

(1) कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारण के सदस्य के रूप में हुई है उस समय तक ऐसे ही बना रहेगा, जैसे सरकार अन्यथा आदेश करे । राज्य परिवहन

प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का गैर-सरकारी सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और तत्पश्चात् यदि सरकार द्वारा पुनः नियुक्त नहीं होता तो दो मास से अधिक पर धारण नहीं करेगा :

परन्तु सरकार गैर-सरकारी सदस्य को किसी भी समय हटा सकेगी : परन्तु यह और कि जब किसी गैर-सरकारी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या उसे हटा दिया जाता है या उसका पद रिक्त हो जाता है तो उसका उत्तराधिकारी सदस्य के कार्य की शेष अवधि के लिए उसके स्थान पर नियुक्त होगा जब तक कि उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का गैर-सरकारी सदस्य बैठक में हाजिर होने के लिए और संबद्ध प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेश के अधीन, उसके द्वारा की गई किसी यात्रा के लिए, व हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ग "I" अधिकारी प्राधिकरण के कार बार के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ग-I अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर यात्रा भत्ता और विराम भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा :--

परन्तु—

(क) गैर सरकारी सदस्य जिसका निवास प्राधिकरण के मुख्यालय से अन्य स्थान पर हो, उस दिन के लिए भी जिस दिन उसने प्राधिकरण द्वारा धारित बैठक के स्थान पर पूरे 24 घण्टों के लिए विराम न किया हो पूर्ण दर से विराम भत्ता लेगा, और

(ख) जहां गैर सरकारी सदस्य राज्य विधान सभा का सदस्य हो तो वह हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के भत्ते और पैंशन अधिनियम, 1971 और उसके तद्धीन बने नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय यात्रा भत्ता लेने का हकदार होगा ।

धारा 96 (2)(ख)

57 राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा कारबार का संचालन :

(1) राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक इसके अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर होगी : परन्तु प्रत्येक बैठक के लिए पूर्ण दस दिन का नोटिस दिया जाएगा ।

(2) बैठक में तीन सदस्य गणपूर्ति करेंगे परन्तु यदि बैठक के लिए नियत समय के पश्चात आधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो बैठक ऐसी तारीख और ऐसे स्थान जिसे अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा सदस्य नियम करे, जिसकी अवधि दस दिन से कम न हो के लिए स्थगित हो जाएगी और यदि ऐसी बैठक में भी नियत समय से आधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति न हो तो उपस्थित सदस्य गणपूर्ति करेंगे ।

(3) अध्यक्ष बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह किसी एक सदस्य को बैठक का कार्य करने के लिए अध्यक्ष नाम निर्देशित करने में असफल रहे तो उपस्थित सदस्य बैठक में अध्यक्ष का कार्य करने के लिए एक सदस्य का चुनाव करेंगे ।

(4) अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्यरत सदस्य का, दूसरा या निर्णायक मत होगा ।

धारा 96 (2) (1)

58 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा कारबार का संचालन :

(1) प्रत्येक क्षेत्रीय प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर होगी :

परन्तु प्रत्येक बैठक के लिए पूर्ण दस दिन का नोटिस दिया जाएगा ।

(2) बैठक में दो सदस्य गणपूर्ति करेंगे परन्तु यदि बैठक के लिए नियत समय के पश्चात् आधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो बैठक ऐसी अवधि के लिए स्थगित कर दी जाएगी जो उस दिन से कम न होगी और ऐसे समय और स्थान पर होनी निश्चित की जाएगी जो अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, उप-नियम (3) के अधीन उसके द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नाम निर्देशित सदस्य नियम करे और यदि ऐसी बैठक के लिए नियत समय से आधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो, उपस्थित सदस्य गणपूर्ति करेंगे ।

(3) अध्यक्ष यदि बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह किसी एक बैठक का कार्य करने के लिए अध्यक्ष नाम निदर्शित करेगा और यदि वह किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नाम निर्देशित करने में असफल रहे तो उपस्थित सदस्य बैठक में अध्यक्ष का कार्य करने में लिए एक सदस्य का चुनाव करेंगे ।

(4) अध्यक्ष के रूप में कार्यरत सदस्य का दूसरा या निर्णायक मत होगा ।

धारा 92 (2)(1)

59 नियम 57 और 58 के उपबन्धों का कतिपय मामलों में लागू न होना :

नियम 57 और 58 में अंतर्विष्ट उपबन्ध केवल एक सदस्य से गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में लागू नहीं होंगे ।

धारा 68

60 कारबार के संचालन की प्रक्रिया :

(1) अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को अपनी कार बार के संचालक को नियमित करने के लिए उप-विधियों को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त होगी तथा ऐसे प्राधिकरण का कार बार अपने-अपने प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशाधीन संचालित होगा ।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण से सम्बन्ध सचिव, यथा स्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को बैठक की वास्तविक तारीख से 10 दिन पहले कार्यसूची जिसमें इस पर विचार किया जाना है की प्रति जारी करेगा ।

(3) मंजिली गाड़ी का अनुज्ञापन या माल वाहन अनुज्ञापन या संविदा गाडी का अनुज्ञापन प्रदान करने में आक्षेप के मामले की सुनवाई के सिवाय राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, यथा स्थिति, बैठक किए बिना अभिलिखित सदस्यों के बहुमत से लिखित में किसी विषय को विनिश्चित कर सकेंगे और सम्बद्ध सचिव को भेजेंगे (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस पद्धति को "परिचालन प्रक्रिया" द्वारा निर्दिष्ट किया गया है) ।

(4) सम्बद्ध प्राधिकारण का सचिव प्रत्येक सदस्य को ऐसे विषय की विशिष्टियां जो सदस्य को युक्तियुक्त विनिश्चय करने में समर्थ बनाने में लिए आवश्यक हों परिचालन प्रक्रिया द्वारा भेजेगा और वह तारीख जिसमें सम्बद्ध प्राधिकरण के कार्यालय में सदस्यों में मत प्राप्त किए हो विनिर्दिष्ट करेगा । उपर्युक्त सदस्यों के मत प्राप्ति पर, सम्बद्ध सचिव कागजों को अध्यक्ष के समक्ष रखेगा जो विनिश्चय को प्राप्त किए मतों और उसके द्वारा दिये गए मत या मतों के अनुसार अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र पर पृष्ठांकन द्वारा विनिश्चय अभिलिखित करेगा । दिए गए मतों का अभिलेख सचिव द्वारा रखा जाएगा और सम्बद्ध प्राधिकरण की नियमित गठित बैठक के सदस्य के सिवाए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा

निरीक्षण के लिए यह उपलब्ध नहीं होगा । परिचालक प्रक्रिया द्वारा प्राधिकरण के कार्यालय में सदस्य के मत जिस तारीख तक पहुंचने अपेक्षित हों उस तारीख से पूर्व या एक तिहाई प्राधिकरण के सदस्य से कम द्वारा सचिव से लिखित में नोटिस द्वारा मांग की हो कि विषय प्राधिकरण की बैठक को निर्दिष्ट किया गया हो, पर विनिश्चय नहीं लिया जाएगा ।

(5) मतों की संख्या, अध्यक्ष के दूसरे या निर्णायक मत को अपवर्जित करके जो परिचालन प्रक्रिया द्वारा विनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो गणपूर्ति गठित करने की आवश्यक संख्या से कम नहीं होगी ।

(6) इस नियम में कोई भी बात राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को, परिचालन प्रक्रिया द्वारा बैठक में विचार किए गए किसी विषय पर विनिश्चय करने से नहीं रोकेगी ।

(7) जब विषय का विनिश्चय राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारण की बैठक में हाजिर सदस्यों के मतों द्वारा होता है, सदस्य के सिवाय अन्य कोई व्यक्ति हाजिर होने का हकदार नहीं होगा और किसी तरफ के लिए गए मतों की संख्या के सिवाय मतों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाएगा :

परन्तु जब विषय का विनिश्चय अध्यक्ष के दूसरे या निर्णायक मत के प्रयोग द्वारा होता है, तो ऐसा तथ्य अभिलिखित किया जाएगा ।

(8) राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्य की दशा में किसी के विषय पर सरकारी सदस्यों के सामूहिक रूप से मतभेद हो, तो राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में विषय निश्चय के लिए सरकार और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

धारा 96 (2)

61 राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निदेश जारी करने के लिए शर्तें :

(1) धारा 68 की उप धारा (4) के अधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण निदेश जारी करते हुए सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञापत्र धारकों के बीच अवांछनीय और अमित्र प्रतियोगिता न हो और अनुज्ञापत्रों की संख्या और अनुज्ञापत्र के वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट मार्ग या क्षेत्र यदि अधिरोपित हो, की अनुपालना भी सुनिश्चित करेगा ।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, राज्य सरकार द्वारा आयोजित निदेशों और निर्बन्धनों के अध्याधीन, उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

धारा 68 (4) और 96 (2)(33)

62 आवेदनों के प्रारूप :

धारा 70, 73, 76, 77 या 88 के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए आवेदनों को प्रत्येक के सामने वर्णित निम्नलिखित प्ररूपों में करेगा, अर्थात् :—

यान का विवरण	प्ररूप
(1) मंजिली गाडी	हि0 प्र0 प्ररूप 21 पी0 एस0 टी0 एस0 ए0
(2) संविदा गाडी	हि0 प्र0 प्ररूप 22 पी0 सी0 सी0 ए0
(3) निजी सेवा यान	हि0 प्र0 प्ररूप 23 पी0 सी0 एस0 वी0 ए0
(4) माल वाहन	हि0 प्र0 प्ररूप 24 पी0 जी0 डी0 सी0 ए0
(5) अस्थाई अनुज्ञापत्र	हि0 प्र0 प्ररूप 25 पी0 टैम्प0 ए0
(6) धारा 88 (8) के अधीन विशेष अनुज्ञापत्र ।	हि0 प्र0 प्ररूप 26 पी0 एस0 पी0 ए0

धारा 66 (96)(2)(4)और 88

63 आवेदन की विशिष्टियां :

धारा 70, धारा 73, धारा 76, धारा 77 या धारा 87 के अधीन यान का अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, अर्थात् :—

(1) आवेदन शुल्क के संदाय सम्बन्धी नकद रसीद या खजाना चालाना ।

(2) योग्यता का प्रमाण-पत्र (आरक्षित प्रतिशतता के विरुद्ध अनुज्ञापत्र के लिए दिए गए आवेदन की दशा में) ।

(3) इस बात के लिए शपथ-पत्र कि आवेदक किसी समय कोई अस्थाई या नियमित अनुज्ञापत्र का धारक था और यदि ऐसा हो तो उसके द्वारा फलीट में यानों की संख्या और व्यक्तिगत या परिवहन सोसाइटी, परिवहन कम्पनी या परिवहन फर्म के सदस्य के रूप में, उनके खड़ा करने और मुरम्मत के लिए व्यवस्था के सहित पूर्वतन धारित अनुज्ञापत्रों का विवरण ।

(4) ऐसे भागीदारों या सदस्यों के माता-पिता का नाम, वर्तमान पता और स्थायी पते के साथ, यथास्थिति, रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, हिमाचल प्रदेश, फर्मों के रजिस्ट्रार या कम्पनियों के रजिस्ट्रारों के प्रमाण-पत्र सहित, परिवहन सोसाइटी, परिवहन कम्पनी या परिवहन फर्म के भागीदारों या सदस्यों की विशिष्टियां,

(5) कर के संदाय से सम्बन्धित निकासी प्रमाण-पत्र और प्रत्येक यान के लिए वित्तदाता से निराक्षेप प्रमाण-पत्र, और

(6) भूतपूर्व सैनिक होने की दशा में सेवोन्मुक्त प्रमाण-पत्र ।

धारा 96 (2) (4)

64 अनुज्ञापत्रों के आवेदनों पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की प्रक्रिया :

जहां आवेदनों की संख्या राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी के किसी निदेश के अधीन जारी करने के लिए निर्धारित अनुज्ञापत्रों की संख्या से अधिक हो, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जब मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापत्र या संविदा गाड़ी के अनुज्ञापत्र या माल वहन अनुज्ञापत्र के लिए आवेदनों पर विचार करते समय, धारा 71, धारा 74 या धारा 79 में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देगा अर्थात् :—

(1) आवेदनों पर आक्षेपों को नोटिस के रूप में आमंत्रित करना, आवेदन में विषय वस्तु के अन्तर्विष्ट होने के साथ आवेदक के खर्चे पर राज्य में परिचालित, प्रतिष्ठित समाचार पत्र में अवधि, जिसमें आक्षेप किए जाने हो प्रकाशित होना चाहिए ;

(2) संबद्ध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड पर उपर्युक्त नोटिस का लगाया जाना, और

(3) आवेदनों के निपटान से पूर्व आक्षेप करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना ।

धारा 71 (3) और 96 (2)(33)

65 अनुज्ञापत्र का प्ररूप :

(1) अधिनियम की धारा 72, 74, 76, 79, 80, 87 और धारा 88 के अधीन अनुज्ञापत्र निम्नलिखित प्ररूपों में होगा, अर्थात् :—

अनुज्ञापत्र का विवरण	प्ररूप
(1) मंजिली गाड़ी का अनुज्ञापत्र	हि0 प्र0 प्ररूप 27 पी0 एस0 टी0 एस0
(2) संविदा गाड़ी अनुज्ञापत्र	हि0 प्र0 प्ररूप 28 पी0 के0 सी0
(3) निजी सेवा यान अनुज्ञापत्र	हि0 प्र0 प्ररूप 30 पी0 पी0 एस0 वी0
(4) माल वहन अनुज्ञापत्र	हि0 प्र0 प्ररूप 25 पी0 जी0 डी0 सी0
(क) व्यवसाय या कारबार से संबंधित में या के लिए (ख) भाड़ा या परिश्रमिक के लिए ।	
(5) अस्थाई अनुज्ञापत्र	हि0 प्र0 प्ररूप टैम्प
(6) विशेष अनुज्ञापत्र	हि0 प्र0 प्ररूप 32 एस0 पी0 पी0
(7) राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र	हि0 प्र0 प्ररूप 33 एन0 पी0 जी0 डी0 सी0

(2) अस्थाई अनुज्ञापत्र के मामले के सिवाये प्रत्येक अनुज्ञापत्र "अ" और "आ" दो भागों में होगा । "आ" भाग की एक प्रति भाग "आ" की उतनी प्रतियों के साथ, जो यानों की संख्या के समान हों जिन्हें अनुज्ञापत्र धारक किसी एक समय पर मार्ग पर प्रयोग में लाने के लिए अनुज्ञात हैं, इकट्ठी जारी की जाएंगी । ऐसी प्रत्येक प्रति में अनुज्ञापत्र की संख्या के पश्चात् पृथक से क्रम संख्या जारी की जाएगी और उस प्राधिकारी जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया गया है, उस प्राधिकारी जिस द्वारा अनुज्ञापत्र प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है, द्वारा मुद्रांकित और हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3) यान की पहुंच प्राप्त करने के लिए अनुज्ञापत्र का धारक अस्थायी अनुज्ञापत्र या उसके भाग "आ" की सुसंगत प्रति, यथा स्थिति फ्रेम में या अन्य उपयुक्त पात्र में यात्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एक दरवाजे के भीतर चिपकाएगा और उसे साफ और सुपाठ्य दशा में रखेगा ।

धारा 96 (2)(4)

66 अनुज्ञापत्रों की वैधता का विस्तारण :

(1) अन्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण के नियन्त्रण के अधीन, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जो अनुज्ञापत्र जारी करता है किसी अन्य क्षेत्र या राज्य के भीतर क्षेत्र के भाग तक अनुज्ञापत्र के प्रभाव का विस्तारण कर सकेगा और ऐसे अन्य क्षेत्रों के बारे में अनुज्ञापत्र की शर्तें संलग्न की जा सकेगी और भिन्न क्षेत्रों में अनुज्ञापत्र की शर्तों में परिवर्तन हो सकेगा, बशर्ते मंजिली गाड़ी, यान की दशा में जिसके लिए अनुज्ञापत्र निर्दिष्ट हैं, को सामान्यतः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर और नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन रखा जाता है ।

(2) राज्य के बाहर प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण और किन्ही शर्तों के अध्याधीन जिन पर दो संबद्ध राज्य परिवहन प्राधिकरणों पारस्परिक रूप में सहमत हो सहमति के साथ किसी अनुज्ञापत्र के प्रभाव को पूरे राज्य में या किसी मार्ग या उसके भीतर क्षेत्र में विस्तरित कर सकेगा ।

(3) करार के बारे में, धारा 88 की उप धारा (4) में विनिर्दिष्ट करार हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया अनुज्ञापत्र, प्रतिहस्ताक्षरित किए बिना, करार में विनिर्दिष्ट सभी राष्ट्रीय और राज्य क राजमार्गों में विधिमान्य होगा ।

(4) राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण जो उप नियम (1) या उप नियम (2) के अधीन अनुज्ञापत्र जारी करता है जैसी भी स्थिति हो अनुज्ञापत्र की एक प्रति अपने प्रतिपक्ष अन्य राज्य या क्षेत्र में जहां अनुज्ञापत्र प्रभावी होना, है भेजेगा ।

धारा 88 (1) और 96 (2) (11)

67 अनुज्ञापत्र के प्रदान करने या नवीनीकरण, प्रतिहस्ताक्षर के लिए आवेदन फीस :

(1) अधिनियम के अधीन अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण या प्रतिहस्ताक्षरों के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्न-लिखित फीस के जमा को दर्शाते हुए नगद रसीद या खजाना चालान किया जाएगा, अर्थात् :—

अस्थाई		नियमित
(1) हल्की मान मोटर यान	रुपये 10	रुपये 20
(2) मध्यम भारी मोटर यान	रुपये 25	रुपये 50
(3) संविदा गाड़ी बग्घी आटोरिक्शा	रुपये 10	रुपये 20
(4) संविदा गाड़ी मैक्सी कैब्स	रुपये 15	रुपये 30
(5) संविदा गाड़ी बसें	रुपये 25	रुपये 50
(6) जीप मंजिली गाड़ी ड्राइवर के अतिरिक्त छः यात्रियों तक बैठने की धारिता, प्रत्येक क्षेत्र के लिए	रुपये 10	रुपये 20
(7) अन्य मंजिली गाड़ी और प्रत्येक क्षेत्र के लिए निजि सेवा यान	रुपये 25	रुपये 100
(8) अधिनियम की धारा 88, 8 के अधीन विशेष अनुज्ञापत्र फीस	रुपये 100	रुपये

परन्तु भारत में विदेशी दूतावास को उनके अपने स्वामित्वाधीन परिवहन यानों के सम्बन्ध में जारी अनुज्ञापत्र के लिए कोई फीस देय नहीं होगी ।

(2) उप नियम (1) के अधीन फीस क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, को उस अवधि जिसके लिए अनुज्ञापत्र जारी है, अग्रीम रूप में दी जाएगी ।

(3) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन या अनुज्ञापत्र के प्रतिहस्ताक्षर के लिए फीस प्राप्त करते हुए, हिमाचल प्रदेश प्ररूप 34 आर0 पी0 एफ0 में पृथक रसीद भेजेगा जो फीस देने वाले व्यक्ति को दी जाएगी ।

धारा 96 (2)

68 अनुज्ञापत्र और प्रति हस्ताक्षर के लिए फीस :

(1) अधिनियम के अधीन अनुज्ञापत्र के जारी, नवीकरण और प्रतिहस्ताक्षर के लिए निम्नलिखित फीस देय होगी, अर्थात् :—

यान की विशिष्टियां	अनुज्ञापत्र प्रदान करने/नवीकरण प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए फीस नियमित अनुज्ञापत्र ।

प्रथम वर्ष	प्रत्येक पश्चातवर्ती वर्ष

(क) माल और संविदा गाडी :

(1) हल्का माल मोटर यान	200	125
(2) मध्यम/भारी माल मोटरयान	300	250
(3) संविदा गाड़ी बग्घी।आटोरिक्शा	200	125
(4) संविदा गाड़ी मैक्सीवैक्स	250	150
(5) संविदा गाड़ी बसें	300	250

(ख) संविदा गाड़ी के अतिरिक्त अन्य अनुज्ञापत्र प्रदान करने/नवीकरण।प्रतिहस्ताक्षर के लिए यान फीस क्षेत्र जिसमें अनुज्ञापत्र प्रत्येक क्षेत्र जिसके लिए प्रदान किया गया नवीकृत अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया नवीकृत प्रतिहस्ताक्षरित किया प्रतिहस्ताक्षरित के लिए हो के लिए अतिरिक्त फीस ।

	प्रथम वर्ष वर्ती वर्ष	प्रत्येक पश्चात्	प्रथम वर्ष वर्ती वर्ष	प्रत्येक पश्चात्
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
(1) जीप मंजिली गाड़ी	200	125	125	100
(2) अन्य मंजिली गाड़ियां और निजि सेवा यान	300	250	200	125

परन्तु धारा 70, धारा 73, धारा 76 या धारा 77 के अधीन अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन विचार के लिए लम्बित होने पर, जब अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान कर दिया जाता है तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अपने विवेकानुसार, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अध्याधीन यदि कोई हो, नियमित अनुज्ञापत्र प्रदान करते समय, निर्देश दे सकेगा कि स्थाई अनुज्ञापत्र के लिए संदत की राशि, नियमित अनुज्ञा-पत्र के लिए संदाय फीस से काट ली जाएगी :

परन्तु यह और कि मंजिली गाड़ी की सेवा की दशा में अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट यानों की संख्या के आधार पर अनुज्ञापत्र फीस प्रभारित की जाएगी और तदनुसार अनुज्ञापत्र के "बी" भाग की संख्या जारी की जाएगी ।

स्पष्टीकरण : इस नियम और नियम 69 में प्रयुक्त पद "नियमित अनुज्ञापत्र" से अधिनियम के उपबन्धों क अनुसार आवेदन पर विचार करने के पश्चात जारी किया गया अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है ।

(2) उस अवधि जिसके लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया है की फीस क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को अग्रिम में संदत की जाएगी।

(3) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अनुज्ञापत्र या उसके प्रति हस्ताक्षर के लिए फीस प्राप्त करते समय, अनुज्ञा-पत्र के प्रत्येक भाग "बी" के लिए हि0 प्र0 प्ररूप 34 में पृथक रसीद तैयार करेगा जो फीस देने वाले व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी ।

(4) अन्तिम संदत फीस के लिए रसीद, अनुज्ञापत्र के भाग "बी" के साथ संलग्न की जाएगी और प्रदर्शित की जाएगी ।

69 अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए फीस :

धारा 66 (2)(7)

(1) अस्थाई अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र के प्रतिहस्ताक्षर की बाबत फीस निम्नलिखित होगी :

(क) यानों की विशिष्टियां — प्रदान करने/प्रतिहस्ताक्षर के लिए अनुज्ञापत्र फीस

अस्थाई और विशेष अनुज्ञापत्र

	सात दिनों तक	प्रत्येक पश्चात्वर्ती सप्ताह या उससे भाग के लिए
(1) हल्का माल मोटर यान	50	25
(2) मध्यम/भारी माल मोटर यान	60	30
(3) संविदा गाड़ी कैवस/ आटोरिक्शा	25	15
(4) संविदा गाड़ी मैक्सी कैवस	50	25
(5) संविदा गाड़ी बसें	70	30

(ख) माल और संविदा गाड़ियों से भिन्न यान — अनुज्ञापत्र प्रदान करने/प्रतिहस्ताक्षर के लिए अस्थाई अनुज्ञापत्र फीस ।

मोटर यान अधिनियम की धारा 88, 8 के अधीन अस्थायी/विशेष अनुज्ञापत्र उस क्षत्र के लिए जहां अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया हस्ताक्षरित किया गया है । — प्रत्येक क्षेत्र के लिए जहां अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया हस्ताक्षरित किया गया है ।

	सात दिनों तक रुपये	प्रत्येक पश्चातवर्ती सप्ताह या उसका भाग रुपये	सात दिनों तक रुपये	प्रत्येक पश्चातवर्ती सप्ताह या उसका भाग रुपये
(1) जीप मंजिली गाड़ी	50	25	25	20
(2) अन्य मंजिली गाड़ी और निजी सेवा यान ।	100	50	25	20

(ग) अस्थाई अनुज्ञापत्र की द्विप्रतिक प्रति के लिए — रुपये 20

(1) परन्तु भारत में विदेशी राजदूतावास के लिए उनके द्वारा रखे परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी किए गए अनुज्ञापत्र के लिए कोई फीस देय नहीं होगी ।

(2) उस अवधि जिसके लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया है क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को अग्रिम सब फीस संदत्त की जाएगी ।

(3) अनुज्ञापत्र के लिए फीस प्राप्त करने वाले क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या अनुज्ञापत्र के लिए प्रतिहस्ताक्षरित हि0 प्र0 प्ररूप 34 आर0 पी0 एफ0 अनुज्ञापत्र के भाग "आ" के लिए अलग से रसीद तैयार करनी होगी जो फीस देने वाले व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी ।

(4) यदि अनुज्ञापत्र तत्पश्चात रद्द किया जाता है तो अनुज्ञापत्र के लिए संदत्त फीस संपहृत समझी जाएगी ।

धारा 96 (2) (7)

70 मंजिली गाड़ी और संविदा गाड़ी की धारिता की परिसीमा :

सरकार की विशेष अनुज्ञा के बिना कोई अनुज्ञापत्र या अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर मंजिली गाड़ी या संविदा गाड़ी में चालक और परिचालक को छोड़कर बेहतर (72) यात्रियों से अधिक यात्रियों का प्रवहण प्राधिकृत नहीं किया जाएगा ।

धारा 96 (2) (15)

71 मंजिली गाड़ी और संविदा गाड़ी में माल के वहन की शर्तें :

(1) दोहरी डेक मंजिली गाड़ी के शीर्ष डेक पर कोई माल वहन नहीं किया जाएगा ।

(2) किसी मंजिली गाड़ी या संविदा गाड़ी में किसी समय ऐसा कोई माल वहन नहीं किया जाएगा, जिससे यान का कोई अन्तरंग अस्वच्छ हो या जो इसे अस्वास्थ्यकर बनाने का दायी हो ।

(3) केन्द्रीय नियमों के नियम 137 में विनिर्दिष्ट परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कोई या क्षेत्रीय खतरनाक या परिसंकटमय माल मंजिली गाड़ी या संविदा गाड़ी में वहन नहीं किया जाएगा ।

(4) पूर्ववर्ती उप नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अनुज्ञापत्र विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार किसी समय मंजिली गाड़ी या संविदा गाड़ी म माल वहन किया जा सकेगा । परन्तु यह तब जब कि अनुज्ञापत्र के निबन्धनों के अनुसार यात्रियों को वहन करने की बाध्यताएं उन्मोदित कर ली है ।

(5) जब मंजिली गाड़ी में यात्रियों के अतिरिक्त माल वहन किया गया हो, यान पर माल ऐसी किस्म का हो और इस प्रकार पैक किया गया और सुरक्षित हो ताकि किसी यात्री को खतरा, कष्ट या असुविधा न हो । सीटों की इतनी संख्या जो अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट हो यात्रियों के प्रयोग के लिए स्वतन्त्र और बिना रूकावट के रखी जाएगी और अध्याय के द्वारा आपेक्षित यान में प्रवेश और बाहर की पहुंच बिना अड़चन के होगी ।

(6) नियम 72 के उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञात सामान और वैयक्तिक वस्तु के अतिरिक्त माल का किलोग्राम में भार और वैयक्तिक सामान, अधिकतम यात्रियों की संख्या, जितने के लिए यान रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, को हटाकर वहन किए गए यात्रियों या यात्रियों की संख्या, को, जिनके लिए सीटें सामान से मुक्त और बिना किसी रूकावट के रखी गई है, जो भी ज्यादा हो एक सौ साठ द्वारा गुणा किया जाएगा :

परन्तु उप नियम (6) को दोहरे डैक यान पर लागू करते समय निचले डैक में वहन यात्रियों की संख्या और केवल निचले डैक में सीटों की संख्या को हिसाब में लिया जाए गा ।

धारा 96 (2) (15)

72 मंजिली और संविदा गाड़ी व्यक्तिगत सामान का वहन :

मंजिली गाड़ी के मामले में अनुज्ञापत्र के लिए एक यह शर्त होगी कि प्रत्येक यात्री का सामान और वस्तुएं नीचे दी गई परिसीमाओं के अधीन रहते हुए बिना प्रभार के वहन किया जाएगा :

(अ) नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय मार्ग से भिन्न अन्य मार्गों पर चलने वाली मंजिली गाड़ी ।

(क) रजिस्ट्रीकृत डीलक्स या वातानुकुलित गाड़ी में सीट का प्रयोग करने वाले प्रत्येक यात्री के लिए 30 किलोग्राम ।

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट से भिन्न गाड़ी में प्रत्येक सीट प्रयोग करने वाले प्रत्येक यात्री के लिए 5 किलोग्राम ।

(आ) खण्ड (अ) में विनिर्दिष्ट से भिन्न मार्ग पर चलने वाले मार्गों पर प्रत्येक यात्री के लिए 5 कि0 ग्रा0 ।

बशर्ते कि सामान यात्री द्वारा अपनी गोद में या अपनी सीट के नीचे रहन किया गया है : परन्तु छोटी वस्तुएं जैसे कि ओवर कोट या हैंड बैग या उस जैसी वस्तु को तोला नहीं जाएगा।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अध्याधीन क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण किसी संविदा गाड़ी के प्रयोग पर उसके अन्दर वहन किए जा सकने वाले सामान और वस्तुओं के सम्बन्ध में साधारणतया किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में शर्तें अधिरोपित कर सकेगी ।

धारा 96(2) (16),72 (2) (24) और 96 (2) (33)

73. मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र परमिट और संविदा गाड़ी अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न की जाने वाली शर्तें ।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र या संविदा गाड़ी अनुज्ञापत्र पर धारा 72 की उप धारा (2), धारा 74 की उप धारा (2), धारा 84 या धारा 88 की उप धारा (11) जैसी भी स्थिति हो, में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, अर्थात :

(1) कंडक्टर अन्तिम सीट पर बैठेगा ।

(2) मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापत्र का धारक ड्राईवर और कंडक्टर को विनिर्दिष्ट वर्दी का प्रबन्ध करेगा ।

(3) मंजिली गाड़ी को अनुज्ञापत्र का धारक कर्मचारी के कार्य और आचरण का पर्यवक्षन करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि यान, अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुरूप चल रहा है ।

(4) संविदा गाड़ी अनुज्ञापत्र की स्थिति में मार्ग में न ही कोई यात्री या न ही कोई माल उठाया या उतारा जाएगा, और

(5) धारा 52 के उपबन्धों के अनुसरण में यान में कोई परिवर्तन होने की दशा में, यथास्थिति, मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापत्र या संविदा गाड़ी के अनुज्ञापत्र का धारक, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र दिया गया है इस तथ्य की सूचना देगा और यदि परिवर्तन अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुरूप नहीं है तो क्षेत्रीय परिवहन प्रधिकरण निम्नलिखित करन के लिए स्वतन्त्र होगा :

(क) अनुज्ञापत्र में तदानुसार फेरफार,

(ख) परमिट अनुज्ञप्ति के धारक से ऐसी अवधि के भीतर जसी प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, प्रतिस्थापित यान की व्यवस्था करने की अपेक्षा करने और यदि धारक ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहे वह अनुज्ञापत्र रद्द या निलम्बित कर सकेगा, और उपर्युक्त अनुज्ञापत्र में फेरफार या रद्द करने या निलम्बित करने वाला प्राधिकारी इस तथ्य को अस्य किसी क्षेत्र जिसमें अन्यथा प्रतिहस्ताक्षर के फलस्वरुप अनुज्ञापत्र विधिमान्य है के प्राधिकारी को सूचित करेगा ।

(6) मंजिली गाड़ी या संविदा गाड़ी के अनुज्ञापत्र का धारक ऐसे यान पर उस राज्य में उद्ग्रहित सभी करों की अदायगी करेगा ।

धारा 72(2) (24) 74 (2) और 92(2) (13 और 33)

74 माल वाहन अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न की जा सकने वाली शर्तें

क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकारण किसी माल वहन अनुज्ञापत्र के साथ धारा 79 की उप धारा (2) और 84 में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें संलग्न कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) कोई यात्री या माल मार्ग में लिया या उतारा नहीं जायेगा ;

(ख) माल जो वहन किया जाना है के स्वामीत्व और किस्म को निर्बन्धित करने वाली शर्तें ;

(ग) यान के साथ कोई भी ट्रेलर संलग्न नहीं किया जाएगा; और

(घ) माल गाड़ी का धारक ऐसे यानों पर राज्य में उद्ग्रहित सभी करों की अदायगी करेगा ।

धारा 79 (2)(9) और 96 (2)(3)

75 अनुज्ञापत्र का रद्दीकरण या प्रतिसंहरण :

जब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारण द्वारा किसी विशेष यान या यान की सेवा के सम्बन्ध में, आवेदन पर अनुज्ञापत्र मजूर किया जाता है और यह प्रतीत होता है कि अनुज्ञापत्र किसी दूसरे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारण द्वारा मंजूर किया गया है :

(1) उसी यान के सम्बन्ध में; या

(2) यानों की सेवा के सम्बन्ध में जिसमें यानों की अधिकतम संख्या अपेक्षित है तब आवेदन के समय धारक के कब्जे में अनुज्ञापत्र का पूर्वकथित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के साथ परामर्श करके तत्काल अनुज्ञापत्र में रद्दकरण या उपान्तरण उस रीति में जैसा वह ठीक मार्ग समझे कर सकेगा ।

धारा 96 (2)(9)

76 अनुज्ञापत्र के बदले में अस्थायी प्रधिकार :

(1) जब अनुज्ञापत्र के धारक ने अनुज्ञापत्र के भाग 'अ' या भाग 'आ' या दोनों राज्य परिवहन प्राधिकारण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को नवीकरण या अनुज्ञापत्र के प्रतिहस्ताक्षरों या अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्रस्तुत कर दिये हैं या जब पुलिस अधिकारी या किसी न्यायालय या धारा 206 के अधीन सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी ने व्यक्ति अनुज्ञापत्र को उसके धारक से कब्जे में लिया हो, उपर्युक्त प्राधिकारी या व्यक्ति अनुज्ञापत्र की प्राप्ति के लिए धारक को रसीद देगा और हिमाचल प्रदेश 35 टैम्प० पी० रसीद में ऐसी अवधि जो उक्त अस्थाई प्राधिकार में विनिर्दिष्ट की जाए के दौरान यान चलाने का अस्थाई प्राधिकार देगा और उक्त अवधि के दौरान अस्थायी प्राधिकार मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना अनुज्ञापत्र का विधिमान्य प्रस्तुतिकरण समझा जाएगा : परन्तु प्राधिकारी जिसके द्वारा अस्थायी प्राधिकार प्रदान किया गया है अस्थायी प्राधिकार को जब तक अनुज्ञापत्र वापिस नहीं होता विस्तारित कर सकेगा, परन्तु ऐसा विस्तारण अनुज्ञापत्र की विधिमान्यता की अवधि से अधिक नही होगा ।

(2) जब तक उप नियम (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञापत्र उसके धारक को वापिस नहीं किया जाता, सम्बन्ध यान उप नियम (1) में निर्दिष्ट अस्थायी प्राधिकर में निर्दिष्ट अस्थाई प्राधिकार में विनिर्दिष्ट अवधि या उस उप नियम के परन्तुक अधीन विस्तरित कालावधि से चलायेगा ।

(3) ऐसे अस्थायी प्राधिकार के सम्बन्ध में कोई शुक देय नहीं होगा ।

धारा 95(1)

77 यान को बदलने के लिए प्राधिकृत करने की अनुज्ञा :

(1) यदि विशिष्ट यान से सम्बन्धित अनुज्ञापत्र का धारक किसी समय यान को किसी अन्य के साथ बदलना चाहता है तो वह अनुज्ञापत्र का भाग "अ" और हिमाचल प्रदेश प्ररूप 36 एम0 बी0 रैप0 ए0 में लिखित रूप में उस राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया गया है कारण कथित करते हुए कि बदलना क्यों वांछनीय है अग्रेषित करेगा, और

(1) यदि उसके कब्जे में नया यान है तो रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र अग्रेषित करेगा; और

(2) यदि नया यान उसके कब्जे में नहीं है तो किसी ऐसी विशिष्ट सामग्री जो नए यान में पुराने से भिन्न है, का विवरण देगा ।

(2) उप नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति पर, राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अपने विवेकानुसार आवेदन को नामंजूर कर सकेगा :

(1) यदि प्राधिकरण ने आवेदन से पूर्व साधारणतया उस श्रेणी के परिवहन यानों को कम करने या मार्ग या क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसके लिये अनुक्षापत्र का आवेदन किया हो क अपने आशय की सूचना दी है, या

(2) यदि नया प्रस्तावित यान पुराने यान से तात्विक रूप में भिन्न हो, या

(3) यदि अनुज्ञापत्र के धारक ने अनुज्ञापत्र के उपबन्धों का उल्लंघन किया हो या अवक्रम करार क उपबन्धों के अधीन उसे पुराने यान के कब्जे से वंचित किया गया हो :

परन्तु अपने क्षेत्र के भीतर नये अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन पर विचार करते हुए राज्य का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अन्य बस्तुओं के समान होते हुए इस उप नियम के खण्ड (1) के प्रवर्तन द्वारा अनुज्ञापत्र से वंचित प्रार्थी को अधिमान देगा ।

(3) यदि राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण यान के प्रतिस्थान के लिए आवेदन को मंजूर करे तो राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अनुज्ञापत्र के धारक को अनुज्ञापत्र का भाग "अ" और नये यान के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत करेगा यदि पहले इसे परिदत नहीं किया गया और अनुज्ञापत्र को भाग "अ" और "आ" को सही करेगा और अपनी मोहर और हस्ताक्षरों के अधीन उसे तदानुसार धारक को वापिस करेगा ।

(4) इस नियम के अधीन यान को बदलने के लिए पच्चीस रुपये शुल्क प्रभारित किया जायेगा ।

धारा 83

78 सेवा के भागरूप को बदलने के लिए अनुज्ञापत्र :

(1) यदि अनुज्ञापत्र का सम्बन्ध एक से अधिक मंजिली गाड़ी या संविदा गाड़ी से हो और उसका स्वामी अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी यान को किसी समय भिन्न माडल या धारिता वाले यान द्वारा बदलना चाहता है वह अनुज्ञापत्र के भाग "अ" को हिमाचल प्रदेश प्ररूप 46 एम0 वी0 रैम्प में लिखित रूप में, उस राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जिसने अनुज्ञापत्र जारी किया था को यान को बदलने के कारणों और यान और बदले जाने वाले यान की सुसंगत विशिष्टियों का कथन करते हुए आवेदन अग्रेषित करेगा ।

(2) उप नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अपने विवेकानुसार आवेदन को नामंजूर कर सकेगा :

(1) यदि उसने उस आवेदन से पूर्व साधारणतया उस श्रेणी के परिवहन यानों की संख्या कम करने या मार्ग या क्षेत्र जिसमें अनुज्ञापत्र लागू होना है के बारे में अपने आशय की सूचना दी है ;

(2) यदि नया यान पुराने से तात्विक सम्बन्ध में भिन्न है ; या

(3) यदि अनुज्ञापत्र के धारक ने अनुज्ञापत्र के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है या उसे अवक्रय करार के उपबन्धों के अधीन पुराने यान के कब्जे से वंचित किया गया है।

(3) यदि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण यान को बदलने के लिए आवेदन मंजूर करता है, तो वह अनुज्ञापत्र के धारक को अनुज्ञापत्र के भाग 'आ' को प्रस्तुत करने को कहेगा और अनुज्ञापत्र के भाग 'अ' और 'आ' को तदानुसार अपनी मोहर और हस्ताक्षर के अधीन ठीक करके उसे धारक को वापिस करेगा।

(4) इस नियम के अधीन यान को बदलने के लिए पच्चीस रुपये का शुल्क प्रभारित किया जायेगा।

धारा 83

79 बदले गए यान के अनुज्ञापत्र पर किन्हीं प्रतिहस्ताक्षरों की प्रक्रिया :

(1) नियम 77 और 78 के अधीन यान को बदलने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने वाला प्राधिकारी, जब तक कि अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा आदेश न दे अनुज्ञापत्र के भाग 'अ' और 'आ' पर उपर्युक्त नियम के अधीन शब्द "के लिए भी विधिमान्य" प्राधिकार को बदले जाने की विशिष्टियां सूचित करेगा।

(2) जब तक अनुज्ञापत्र उप नियम (1) में उपबन्धित रूप में पृष्ठांकित नहीं कर दिया जाता या जब तक परिवर्तन, प्रतिहस्ताक्षरित प्राधिकारी द्वारा पृष्ठांकन द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता के सम्बन्ध में अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षरित विधिमान्य नहीं होंगे।

धारा 83

80 अनुज्ञापत्र का अभ्यर्पण :

(1) अनुज्ञापत्र को धारक अनुज्ञापत्र के भाग "अ" और "आ" को राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा यह प्रदान किया गया था, को किसी भी समय अभ्यर्पित कर सकेगा और राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जिसने यह प्रदान किया था ऐसे अभ्यर्पित किसी अनुज्ञापत्र को तुरन्त रद्द करेगा।

(2) जब राज्य या क्षेत्रीया परिवहन प्राधिकरण किसी अनुज्ञापत्र को निलम्बित या रद्द करता है :

(क) तो धारक प्राधिकरण द्वारा लिखित मांग की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर अनुज्ञापत्र के भाग "अ" और "आ" के अभ्यर्पित करेगा ; और

(ख) अनुज्ञापत्र को निलम्बित या रद्द करने वाला प्राधिकारी, अनुज्ञापत्र प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले तथा अन्य किसी प्राधिकारी को जिसके क्षेत्र में नियम 66 के अधीन विधिमान्यता का विस्तारण किया गया है, सूचना भेजेगा।

(3) धारक भाग "अ" और भाग "आ" या भाग "आ" राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा यह जारी किया गया था को किसी अनुज्ञापत्र के अवसान की अवधि समाप्त होने के चौदह दिन के भीतर परिवर्त करेगा । ऐसा कोई अनुज्ञापत्र प्राप्त करने वाला राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अभ्यर्पण के तथ्य को प्राधिकारी या प्राधिकरणों को जिसके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए गए हैं और किसी प्राधिकारी को जिसके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए गए है और किसी प्राधिकारी को जिसके क्षेत्र की विधिमान्यता नियम 66 के अन्तर्गत विस्तरित की गई है, सूचित करेगा ।

धारा 86 और 96 (2) (9)

81 अनुज्ञापत्र का अन्तरण :

(1) जब अनुज्ञापत्र का धारक धारा 82 की उप धारा (1) के अधीन अनुज्ञापत्र का अन्तरण किसी अन्य व्यक्ति को कराना चाहता है तो वह और वह व्यक्ति जिसे वह अन्तरण करना चाहता है हिमाचल प्रदेश प्ररूप 37 ट्0पी0ए0 में, लिखित रूप में अन्तरण के लिए कारण बताते हुए और क्या अन्तरण से अद्भुत कोई प्रीमियम संदाय या अन्य प्रतिफल संक्रांत होना है या उनके बीच संक्रांत हो चुका है और ऐसे किसी प्रीमियम संदाय या प्रतिफल की रकम और स्वरूप के कथित करते हुए, नगद रसीद या अनुज्ञा प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट फीस के खजाना चालान के साथ, अनुज्ञापत्र जारी करने वाले राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को, संयुक्त आवेदन करेगा ।

(2) राज्य या क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, उप नियम (1) के अधीन आवेदन करने वाले दोनों पक्षों को इसके समक्ष हाजिर होने को बुलाएगा और आवेदन को इस प्रकार से निपटा सकेगा जैसे कि आवेदन अनुज्ञापत्र के लिए किया गया हो :

परन्तु सरकार द्वारा धारा 71 की उप धारा (3) के खण्ड के अधीन आरक्षित अनुज्ञापत्रों में से प्रदान किया गया अनुज्ञापत्र धारा 82 की उप धारा (2) के अधीन यथा उपबन्धित के सिवाए अन्तरणीय नहीं होगा और यदि कोई, व्यक्ति जिसे अनुज्ञापत्र प्रदान किया जाता है या उपर्युक्त आरक्षित अनुज्ञापत्रों में से परमिट धारित करता है इसका प्रयोग नहीं करना चाहता वह इसको प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अभ्यार्पण करेगा ।

(3) यदि राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का किसी अनुज्ञापत्र के अन्तरण पर अनुज्ञा दिये जाने के पश्चात् समाधान हो जाएं कि आवेदन अन्तर्वस्तु जिस पर अन्तरण अनुज्ञात किया गया था मिटाया था या उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट विषय वस्तु किन्हीं अन्य तात्विक विशिष्टियों (3) के बारे में अपर्ण थी तो यह तदुपरि पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अन्तरण को शून्य घोषित कर सकेगा और तदुपरि किसी ऐसी शक्ति जिसके लिए पक्षकार उत्तरदायी हों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञापत्र की विधिमान्यता समाप्त हो जाएगी ।

धारा 81

(1) यदि राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अनुज्ञापत्र का अन्तरण उप नियम (2) के अधीन अनुज्ञात करे यह अनुज्ञातपत्र के धारक से लिखित में अनुज्ञापत्र के भाग "अ" और "आ" को सात दिन के भीतर अभ्यर्पण की अपेक्षा करेगा और उसी तरह, व्यक्ति जिसको अनुज्ञापत्र अन्तरित किया जाना है, से पच्चीस रुपये की राशि अन्तरण फीस के रूप में जमा करवाएगा ।

(2) अनुज्ञापत्र के भाग "अ" और "आ" और विनिर्दिष्ट फीस की प्राप्ति पर राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, यथा स्थिति, उस पर से धारक की विशिष्टियों को रद्द करेगा और अन्तरिती की विशिष्टियां पृष्ठांकित करके अनुज्ञापत्र अन्तरिति को वापस भेजेगा ।

(3) यथा उपरोक्त अनुज्ञापत्र का अन्तरण करते समय राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जब तक कि कोई दूसरा राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्रतितस्ताक्षर नहीं कर दिये जाते हैं, अनुज्ञापत्र के द्वारा "अ" और "आ" के साथ अतिरिक्त क्षेत्र का नाम या मार्ग जिसके लिए अनुज्ञापत्र प्रति हस्ताक्षरित किया गया है साधारण या विशेष आदेश द्वारा जैसे अन्यथा अपेक्षित हो अन्तःस्थापित करते हुए, "के लिए विधिमान्य" शब्द पृष्ठांकित कर सकेगा ।

(4) जब तक अनुज्ञापत्र का भाग "अ" और "आ" खण्ड (3) में यथा उपबन्धित पृष्ठांकित नहीं किया जाता या जब तक अनुज्ञापत्र का अन्तरण प्रति हस्ताक्षरों का कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा ।

धारा 96 (2) (7)

82 संविदा गाड़ी की सेवा का विनियमन मंजिली गाड़ी जब तक संविदा गाड़ी के रूप में प्रयोग की जाए तो वह या संविदा गाड़ी :

(1) (1) भाड़ेदार द्वारा लघुतम मार्ग से गन्तव्य स्थान को अग्रसर होगी ;

(2) भाड़ेदार द्वारा उन्मोचित न किए जाने के बिना भाड़ा सम्बन्धी संविदा का प्रतिसंहरण नहीं करेगा ;

(3) वहां पहुंचने के क्रम से, यान को अड्डे पर खड़ा करेगा और इसकी बारी में स्थान को छोड़ेगा; और

(4) किसी सार्वजनिक स्थान पर कार्य के बिना खड़ा नहीं रहेगा ।

(2) राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण उप नियम "1" के निबन्धनों के अनुसार आवेदन की प्राप्ति पर यथा स्थिति द्विप्रतिक अनुज्ञापत्र या भाग या अनुज्ञापत्र के भागों और उस सीमा तक कि वह तथ्यों को सत्यापित करने में समर्थ है, उस पर प्राधिकारी द्वारा किसी के प्रति हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रतियां उस प्राधिकरण को तथ्य सूचित करते हुए पृष्ठांकित करेगा ।

(3) उप नियम (2) के अधीन जारी किए गए द्विप्रतिक अनुज्ञापत्र या द्विप्रतिक अनुज्ञापत्र के भाग पर लाल स्याही से "द्विप्रतिक" स्पष्टतया स्टाम्पित किया जाएगा । उक्त उप नियम (2) के अधीन अनुज्ञापत्र या उसके किसी भाग पर किसी अन्य राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा किए गए किन्हीं प्रतिहस्ताक्षरों की प्रमाणित प्रति अन्य प्राधिकरण के क्षेत्र में उसी प्रकार विधिमान्य होगी मानों कि प्रतिहस्ताक्षर उसके द्वारा ही किए गए हों ।

(4) जब राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, के विचार में अनुज्ञापत्र या अनुज्ञापत्र का भाग इतना गन्दा हो गया हो, फट गया हो या विरूपित हो गया हो जिससे वह आपणय बन गया हो तो उसका धारक अनुज्ञापत्र के भाग को, यथास्थिति, राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को अभ्यर्पित करेगा और द्विप्रतिक अनुज्ञापत्र या अनुज्ञापत्र के भाग के लिए आवेदन करेगा ।

(5) द्विप्रतिक अनुज्ञापत्र या उसके भाग को जारी करने की फीस पच्चास रुपये भाग "अ" के लिए और बीस रुपये भाग "आ" की प्रत्येक प्रति के लिए होगी :

परन्तु यदि मूल अनुज्ञापत्र तीन वर्ष पहले जारी किया गया था तो उप नियम "4" के अनुसरण में जारी किए गए द्विप्रतिक अनुज्ञापत्र की स्थिति में कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी ।

(6) कोई अनुज्ञापत्र या अनुज्ञापत्र का भाग को किसी व्यक्ति को मिल जाता है उस व्यक्ति द्वारा समीप के पुलिस स्टेशन या धारक या राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा यह जारी किया गया था, को परिदत्त किया जाएगा और यदि धारक को कोई अनुज्ञापत्र या अनुज्ञापत्र का भाग मिलता या प्राप्त होता है जिस के सम्बन्ध में द्विप्रतिक परमिट जारी किया जा चुका है तो वह मूल को सम्बद्ध राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को वापिस करेगा ।

धारा (96) (2) (5)

84 **मांग पर अनुज्ञप्ति का पेश करना :**

अनुज्ञापत्र का भाग निदेशक के नियन्त्रण में किसी अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जो उप निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो, किसी युक्ति-युक्त समय पर मांग करने पर पेश किया जाएगा यदि वह वर्दी में हो और ऐसा पदधारी के भाग "बी" के निरीक्षण के प्रयोजन के लिए किसी भी परिवहन यान में चढ़ सकेगा ।

धारा 96 (2) (30)

85. **राज्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील :**

(1) व्यक्ति जो धारा 89 की उप धारा (1) में निर्दिष्ट राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहता है उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर ज्ञापन के रूप में द्विप्रतिक में जिसकी एक प्रति पर बीस रुपये के न्यायालय फीस स्टाम्प लगाए जायेंगे । राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध आक्षेपों के संक्षिप्त कारणों को बताते उप-धारा (2) के अधीन गठित राज्य परिवहन अपील प्राधिकरण इसके पश्चात् इन नियमों में अपील प्राधिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है यथास्थिति आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अपील कर सकेगा ।

(2) उप नियम (1) के अनुसार अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकरण पक्षकारों को तीस दिन से अनधिक समय का नोटिस देकर अपील की सुनवाई के लिए समय और स्थान निर्धारित करेगा ।

(3) कोई अपील जिस आदेश के विरुद्ध यह की गई है रोक के रूप में प्रभाव नहीं रखेगी न ही अपीली प्राधिकारी अपील की सुनवाई लम्बित होने पर रोक को एक तरफा आदेश करेगा । अपील प्राधिकारी किसी अपील का तब तक कि अपीलार्थियों और प्रत्यार्थियों और राज्य या क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण जिसने आदेश पारित किया हो जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता ।

(4) अपीलार्थी या प्रत्यार्थी उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है के सम्बन्ध में दाखिल किए गए किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस संदाय किए जाने पर अभिप्राप्त करने और अपील प्राधिकारी की नस्ति का निरीक्षण करने का अधिकारी होगा, और निरीक्षण के लिए आवेदन पर निम्नलिखित न्यायालय फीस स्टाम्प लगानी होगी :

(क) अत्यावश्यक निरीक्षण के लिए	दस रुपये
(ख) सामान्य निरीक्षक के लिए	पांच रुपये

(5) अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में दिए गए आदेशों की प्रतिलिपि दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस संदाय किए जाने पर अभिप्राप्त की जा सकेगी ।

धारा 96 (2) (3) और (13)

86 अपील की सुनवाई की प्रक्रिया :

नियम 85 के अधीन सुनवाई के लिए अपील प्राधिकारी द्वारा समय और स्थान नियत किए जाने पर अपीलार्थी ऐसी सूचना की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को दस्तावेजों की सूची, दो प्रतियों में जिन पर वह निर्भर होना चाहता है ऐसे दस्तावेजों की प्रतिलिपियों सहित अग्रेषित करेगा और नियत दिन को और पश्चात् वर्ती सुनवाई पर या स्वयं किसी अभिकर्ता या इसे निम्नलिखित रूप में उस द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा ।

धारा 96 (2), (111) और (13)

87 विश्राम अवधि की परिभाषा :

(1) धारा 91 के प्रयोजनों के लिए यान के चालक द्वारा लोक सेवा यान में यात्री के रूप में होने के सिवाय यात्रा के दौरान यान पर बिताए गए किसी समय को सम्मिलित करके, यान या यान में ढोए गए या ढोए जाने वाले माल के सम्बन्ध में चालान से भिन्न काम पर बिताया गया कोई समय विश्राम का अन्तराल होना नहीं समझा जाएगा ।

(2) धारा 91 की उप धारा (1) के प्रयोजन के लिए यान पर या उसके समीप जब यान खड़ी अवस्था में हो और विश्राम या जल पान के लिए यान को छोड़ने में चालक स्वतन्त्र हो यद्यपि उसके द्वारा यान को नजर में रखना अपेक्षित हो, यान के किसी चालक द्वारा, बिताया गया कोई ऐसा समय विश्राम का अन्तराल समझ जाएगा ।

धारा 91 (5)

88 काम के घण्टों का अभिलेख रखा जाना :

किसी व्यक्ति का नियोजक जिसका कार्य धारा 91 की उप धारा (1) के उपबन्धों के अध्याधीन है ऐसे व्यक्ति के कार्य, समय नियत करेगा ताकि उन उपबन्धों के अनुरूप हो जाए और नीचे विनिर्दिष्ट सारणी में कार्य समय को अभिलिखित करेगा और वह अभिलेख निदेशक के नियन्त्रण के अधीन किसी अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए खुला होगा ।

कर्मचारी का नाम

तारीख	एक दिन में कार्य के घण्टे	विश्राम के घण्टे	सप्ताह में कार्य करने के घण्टों की कुल संख्या
1	2	3	4

धारा 91

89 खोई हुई सम्पति :

(1) सरकार के यानों से भिन्न लोक सेवा यान की दशा में संवाहक या यदि उसमे संवाहक न हो तो चालक यात्रा के समापन पर किसी यात्री द्वारा छोड़ी गई किसी वस्तु के लिए यान में तलाशी करेगा और ऐसे यान में किसी अन्य व्यक्ति या उसके द्वारा प्राप्त ऐसी किसी वस्तु को अपनी अभिरक्षा में लेगा और यथाशक्य शीघ्र उसे किसी कार्यालय या अनुज्ञापत्र धारक के स्थान के में उत्तरदायी व्यक्ति या पुलिस थाना के प्रभारी को सौंप देगा । किसी कार्यालय या यान के अनुज्ञापत्र धारक के तीन

उत्तरदायी व्यक्ति उक्त वस्तुएं प्राप्त करके उन्हें सुरक्षित रखेगा और यदि स्वामी या उसके माल के हकदार के रूप में भारित होने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का दावा नहीं किया जाता है तो उस माल के स्वामी का ज्ञान होने पर उससे माल को प्राप्त करने की अपेक्षा करते हुए उसे सूचना की तामील करवाएगा । यदि ऐसे स्वामी का ज्ञान या उसे सूचना की तामील नहीं हो सकती हो तो वह सूचना की अपेक्षा का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी सम्पति को उसके भार को ग्रहण करने के तीन मास के पश्चात् अदावाकृत सम्पति के रूप में निकटतम पुलिस थाना में जमा करवाएग :

परन्तु यदि माल विनश्वर प्रकृति का हो और अठतालीस घण्टों के भीतर उसका दावा नहीं किया गया हो तो उसे सार्वजनिक नीलामी से अनुज्ञापत्र धारक के स्थान के अरदायी व्यक्ति द्वारा व्ययनित कर दिया जाएगा और उनकी रसीदें स्वामी को दे दी जाएंगी । यदि उसका दावा एक सप्ताह के भीतर किया गया हो अन्यथा उन्हें निकटतम पुलिस थाना में जमा करवा दिया जाएगा ।

(2) सरकार के यानों की दशा में संवाहक या संवाहक के न होने पर चालक, राज्य परिवहन उपक्रम के निकटतम कार्यालय में माल को जमा करेगा और स्वामी या राज्य परिवहन उपक्रम के कार्यालय के प्रभारी को हकदार के रूप में भारित होने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यदि माल का दावा नहीं किया जाता है तो वह, ऐसे स्वामी या व्यक्ति का ज्ञान हो जाने पर, उससे माल को प्राप्त करने की अपेक्षा करते हुए सूचना की तामील करवाएगा । यदि ऐसे स्वामी या व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता है या उसको सूचना की तामील नहीं हो सकती है तो वह सूचना की अपेक्षा का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसा प्रभारी माल को ग्रहण करने के तीन मास के पश्चात् सार्वजनिक नीलामी से माल को बेच देगा और उसका आगम सरकारी खजाने में जमा करवाएगा : परन्तु यदि माल विनश्वर प्रकृति का है और उसका दावा अठतालीस घण्टों के भीतर नहीं किया गया हो तो उसे प्रभारी द्वारा सार्वजनिक नीलामी से व्ययनित कर दिया जाएगा और होने वाली आय को सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा ।

(3) यदि माल का दावा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जाता है तो 1 रुपया प्रति किलोग्राम या अगले 24 घण्टों के किसी भाग के लिए 2 रुपये न्यूनतम प्रभाव उद्गृहीत किया जाएगा और अदावाकृत वस्तुओं पर उनकी अभिरक्षा और निपटान के कारण ये ही प्रभार उद्गृहीत किए जाएंगे ।

(4) वस्तुएं जैसे कि आयुद्ध, गोला बारूद, विस्फोटक, मादक तरल, अफीम और उससे तैयार की गई वस्तुएं और भांग और मादक द्रव्य जिनका विक्रय विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है, अदाकाकृत रह जाती है, को पुलिस या आबकारी प्राधिकारी को वस्तुओं की प्रभावी विधि के अधीन व्ययन के लिए दे दिया जाएगा ।

(5) एक अलग रजिस्टर में सही लेख रखे जाएंगे जो प्राधिकारियों के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ।

धाराएं 96 (2), (17) और (107) (2) (च)

90 मंजिली गाड़ी में यात्रियों का आचरण :

( ) यदि किसी समय मंजिली गाड़ी में कोई यात्री:—

(1) विच्छृखल रीति में व्यवहार करता है ;
(2) किसी महिला यात्री को क्षोभ करने की सम्भाव्य रीति में व्यवहार करता है ;
(3) गाली-गलोच की भाषा का प्रयोग करता है ;
(4) किस अन्य यात्री को उत्पीड़ित करता है ;
(5) मद्य या मादक द्रव्य के प्रभाव के अधीन यान में प्रवेश करता है ;

(6) थूकता है ;

(7) अनुज्ञापत्र धारक के किसी प्राधिकृत कर्मचारी या चालक या संवाहक को उसके कर्तव्य निष्पादन में बाधा डालता है या किसी सम्यक् कारण के बिना यान के चालन में हस्तक्षेप करता है ;

(8) किराए के संदाय का जानबूझकर परिवर्जन करता है ;

(9) किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांग करने पर टिकट दिखाने से इन्कार करता है ;

(10) किसी ऐसे टिकट, जो परिवर्तित या विरूपित हो चुका है या किसी अन्य व्यक्ति को जारी हुआ हो जिस पर यह उपदर्शन लगा हो कि यह अन्तरणीय नहीं है का प्रयोग करता है या करने का यत्न करता है ;

(11) जिसका सांसंगिक या संक्रामक रोग से पीड़ित होने का युक्ति-युक्त रूप में संदेह हो ;

(12) अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध को करता है या करने को दुष्प्रेरित होता है ;

(13) विशिष्ट यात्रा के लिए विधिमान्य टिकट से भिन्न टिकट का प्रयोग करता है या करने का यत्न करता है ;

(14) यान में अपने साथ इस प्रकार का सामान ले जाता है जो बाधा डालता, क्षुब्ध करता या असुविधा करता है या किसी अन्य यात्री को संतापकारी होता है ;

(15) एक सीट से अधिक स्थान का अधिभोग करता है या महिलाओं या अन्य प्रवर्ग के यात्रियों के लिए अन्यथा रूप से आरक्षित किसी सीट का विधिपूर्ण हेतुक के बिना अधिभोग करता है ;

(16) यदि उसने अपना टिकट ऐसे परिवर्तित या विरूपित किया है कि उसकी विषयवस्तु अपठनीय हो चुकी हो उस द्वारा तक की गई यात्रा के लिए नए सिरे से किराया संदत्त करने से इन्कार करता है ;

(17) यदि वह यान द्वारा तय की जा रही सम्बन्धित यात्रा के समय बिना टिकट यात्रा करता पाया जाता है तो वह सामान्य किराए के दस गुणा किराए के लिए दायी होने पर ऐसा करने से इन्कार करता है ;

(18) यात्रा, जिसके लिए उसने किराया दिया है के समापन पर संवाहक या चालक द्वारा यदि ऐसा निवेदन करने पर भी वह यान को छोड़ने से इन्कार करता है ;

(19) जानबूझ कर उस यान में प्रवेश करता है और यात्रा करने का आग्रह करता है जो उसके लिए यथा विनिर्दिष्ट यात्रियों की अधिकतम संख्या का वहन कर रहा हो ;

(20) यान के किसी बाहरी भाग पर लटकता है या यान की छत या बोनट पर बैठता है ;

(21) यान की या उस पर लगी किसी फिटिंग या उपस्कर को जानबूझकर नष्ट, खराब करता है, हटाता है या उसमें हस्तक्षेप करता है ;

(22) यान में प्रवेश या निकास के प्रयोजन के लिए उपबन्धित स्थान के सिवाये किसी अन्य स्थान से यान में प्रवेश करता है या उससे बाहर निकलता है ;

(23) जिन यात्रियों ने अपनी यात्रा का समापन कर लिया है, को पहले नीचे उतरने देने के बिना, यान में प्रवेश करने का यत्न करता है ;

(24) पंक्ति या क्रमबद्ध रीति के सिवाये यान में प्रवेश करता है या उसे छोड़ता है ;

(25) किसी प्रकार की मुद्रित या सुंमरूप वस्तु को वितरित करता है या विज्ञापन के प्रयोजन के लिए किन्हीं वस्तुओं को वितरित करता है ;

(26) अन्य यात्रियों को क्षुब्ध करने के लिए किसी शोर मचाने वाले उपकरण करता है या शोर करने के लिए किसी के साथ मिल जाता है ;

(27) यान के अन्दर या उपर भीख मांगता है या किसी वस्तु को बेचता है या बेचने के लिए प्रस्ताव करता है, और

(28) धुम्रपान करता है ; तो चालक या संवाहक या सेवा का कोई प्राधिकृत व्यक्ति या निदेशक के नियन्त्रणाधीन कोई अधिकारी ऐसे यात्री को यान से नीचे उतारने की अपेक्षा कर सकेगा

और यान को रोक सकेगा और उसे खड़ा रखेगा जब कि यात्री नीचे नहीं उतर जाता या चालक या संवाहक के निवेदन पर किसी पुलिस अधिकारी या राज्य परिवहन उपक्रम/परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा यान से हटाया जा सकेगा ।

(2) इन नियमों के उल्लंघन के लिए उप नियम (1) में निर्दिष्ट यात्री पूछे जाने पर अपना सही नाम बताने से इन्कार नहीं करेगा और कोई किराया, जिसे वह दे चुका हो, को वापिस लेने का हकदार नहीं होगा और अपराध का दोषी होगा जिस के लिए वह धारा 177 के अधीन शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा ।

धारा 95

91 **यात्रियों को एकत्र करने के लिए बल प्रयोग का प्रतिषेध :**

लोक सेवा यान का कोई चालक या संवाहक या अभिकर्ता टिकटों का विक्रय करने के लिए किसी लोक सेवा यान में यात्रा करने को किसी व्यक्ति या किसी अन्य को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को न छुएगा न परेशान करेगा न ही बल का प्रयोग करेगा या न जोर से चिल्लाएगा या किसी हार्न, बड़ी घण्टी, सीटी, ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर, बाजा या यात्रियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किसी अन्य यन्त्र का ऊंचा शोर मचाने के लिए प्रयोग नहीं करेगा ।

धारा 96 (2) (27)

92 **टिकटों का विक्रय :**

लोक सेवा यान का कोई चालक या संवाहक या लोक सेवा यान में टिकट विक्रय का अभिकर्ता टिकटों को किसी ऐसे स्थान में न बेचेगा या बेचने का प्रयत्न नहीं करेगा या किसी ग्राहक से अनुरोध नहीं करेगा जिसको जिला मैजिस्ट्रेट ने लोग उद्घोषणा द्वारा या किसी अन्य रीति द्वारा जिसे वह उचित समझे अधिसूचित किया हो कि ऐसा स्थान, ऐसी बिक्री या अनुरोध के लिए अनुज्ञात नहीं है ।

धारा 96 (2) (28)

93 **टिकट अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन :**

(1) लोक सेवा यान द्वारा यात्रा करने के लिए कोई भी व्यक्ति टिकट विक्रय अभिकर्ता के रूप में उसी यान या किसी नियत कार्यालय से भिन्न स्थान पर यह कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसने अनुज्ञापन प्राधिकारी से उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञप्ति द्वारा अनुमति प्राप्त न की हो ।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजनों के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ही अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा ।

(2) उप नियम (1) के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति का यान में यात्रा करने के लिए अनुरोध या प्रेरित कर रहा हो, को यात्रा के लिए टिकट अभिकर्ता के रूप में कार्य करता हुआ समझा जाएगा ।

धारा 96 (2) (28)

94 **टिकट अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति का जारी करना :**

(1) नियम 93 की अधीन अनुज्ञप्तियां निम्नलिखित को मिला कर बनाई जाएगी :

(क) हिमाचल प्रदेश प्ररूप (38) टी0ए0पी0 में अनुज्ञापत्र, और

(ख) इन नियमों की प्रथम अनुसूची में दर्शित धातु का बैज ।

(2) व्यक्ति या परिवहन सोसाइटी, परिवहन फर्म या परिवहन कम्पनी जो एक या अधिक लोक सेवा यानों का अनुज्ञापत्र धारक हो तथा जिसके लिए अभिकर्ता कार्य करेगा के आवेदन के सिवाये किसी अभिकर्ता

की अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी । व्यक्ति या परिवहन सोसाइटी, परिवहन फर्म या परिवहन कम्पनी जो आवेदन कर रही है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मालिक" कहा गया है) हिमाचल प्रदेश प्ररूप 38 टी0ए0पी0 में अनुज्ञापत्र के प्रथम भाग को पूर्ण और अधिक प्रमाणित करने को अपेक्षित होगा । अन्य प्रविष्टियां अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेशों द्वारा या के अधीन पूर्ण की जाएंगी ।

(3) टिकट अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति को जारी करने की फीस पच्चास रुपये होगी ।

धारा 96 (2) (28)

95 टिकट अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति का रद्दकरण :

(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी नियम 93 के अधीन जारी किसी अनुज्ञप्ति को मालिक जिसके आवेदन पर इसे प्रदान किया गया था के आवेदन पर इसे तुरन्त रद्द करेगा ।

(2) अभिकर्ता को उसके आवेदन पर जारी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए आवेदन करने वाला स्वामी अभिकर्ता से अनुज्ञापत्र और बैज को अभ्यर्पित करने को कहेगा और अभिकर्ता उन्हें स्वामी को तुरन्त अभ्यार्पित करने को आबद्ध होगा ।

(3) जहां कोई स्वामी उप नियम (2) के अधीन किसी अभिकर्ता से उसके बैज और अनुज्ञापत्र का अभ्यर्पण करने की अपेक्षा करता है, तो वह उन्हीं को अपने आवेदन सहित अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए यथासम्भव न्यूनतम विलम्ब से और सभी मामलों में अठतालीस घण्टों के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

धारा 96 (2) (28)

96 टिकट अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति की अवधि :

जब तक लघुतर अवधि नियत न की गई हो, टिकट अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति जारी या नवीकरण की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगी परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय रद्द की जा सकेगी यदि उसे यह प्रतीत हो कि अभिकर्ता का आचरण जनता के साथ असंतोषजनक है या अभिकर्ता ऐसे हैसीयत में बने रहने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है ।

धारा 96 (2) (28)

97 टिकट अभिकर्ता के बैज का प्रदर्शित किया जाना :

(1) टिकट अभिकर्ता अपनी ड्यूटी के दौरान अपने बैज और अनुज्ञापत्र को हर समय अपने साथ रखेगा तथा बैज छाती की बांई ओर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया होना चाहिए ।

(2) टिकट अभिकर्ता हिमाचल प्रदेश प्रारूप 38 टी0ए0पी0 पर बने अपने अनुज्ञापत्र को वर्दी पहने किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उप निरीक्षण की पंक्ति से कम का न हो या निदेशक के नियन्त्रण के अधीन किसी अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर प्रस्तुत करने को आबद्ध होगा ।

धारा 96 (2) (28)

98 नियम 94, 95 या 96 के अधीन दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपील :

(1) निदेशक ही ऐसा प्राधिकारी होगा, जिसको नियम 94 के अधीन टिकट अभिकर्ता को अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इन्कार कर रहे, नियम 95 के अधीन सवारी के आवेदन पर टिकट अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति

का रद्दकरण या नियम 96 के अधीन टिकट अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति का रद्दकरण करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी, तथा इस निमित उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

(2) उप नियम (1) के अधीन अपील ज्ञापन के रूप में जिस पर नकद पावती या बीस रुपये का खजाना चालान लगा हो, अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध आक्षेपों के आधारों को संक्षिप्त रूप में उप वर्णित करते हुए प्रस्तुत की जाएगी और जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है की प्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न की जाएगी ।

(3) जब कोई अपील प्रस्तुत की गई है तो निदेशक उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को नोटिस जारी करेगा जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है ।

(4) अपील प्रस्तुत करने वाला कोई व्यक्ति, आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है के सम्बन्ध में दाखिल किए गए किसी दस्तावेज की प्रति को दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस संदाय करने पर प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(5) अपील करने वाला कोई व्यक्ति निदेशक की पावती का निरीक्षण करने का हकदार होगा और इसके लिए आवेदन के साथ नकद पावती या खजाना चालान संलग्न किया जाएगा जो निम्नलिखित है :—

(क)	अत्यावश्यक निरीक्षण के लिए	दस रुपये
(ख)	सामान्य निरीक्षण के लिए	पांच रुपये

धारा 96 (2) (28)

99 टिकट अभिकर्ता का आचरण अनुज्ञप्त टिकट अभिकर्ता :

(1) यात्रियों या आशयित यात्रियों के साथ सभ्य और सुशील रीति में व्यवहार करेगा ;
(2) किसी महिला यात्री से संभाव्यत: क्षोभ या उत्तेजन पैदा करने की रीति में व्यवहार नहीं करेगा ;
(3) किसी यात्री से गाली गलोच की भाषा का प्रयोग या किसी यात्री को उत्पीड़ित नहीं करेगा ;
(4) विधिक किराया निविदत करने वाले किसी आशयित यात्री को, ठोस या पर्याप्त कारणों के सिवाय टिकट जारी करने से इन्कार नहीं करेगा ;
(5) यात्रियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा ;
(6) किसी यात्री या आशयित यात्री को गन्तव्य स्थान या यान के मार्ग के बारे या किसी यात्रा के किराया के बारे में जानबूझकर धोखा या सूचना देने से इन्कार नहीं करेगा ;
(7) यात्रियों को उस यान पर चढ़ने को समर्थ बनाने के लिए जिसके लिए उन्हें टिकट जारी किए गए है, उचित रूप से उनका मार्ग दर्शन करेगा ;
(8) यात्रियों से झगड़ेगा नहीं, और अपना नाम अनुज्ञप्ति संख्या यदि उसे ऐसा कहा जाए उन्हें देगा ;
(9) ड्यूटी के समय किसी मादक पदार्थ के नशे में नहीं होगा ; और
(10) ऐसी रीति में पोशाक पहनेगा जैसी राज्य परिवहन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे और सफाई का ध्यान रखेगा ।

धारा 96 (2) (28)

100. विसंक्रामण :

(1) सभी लोक सेवा यानों को प्रत्येक दो मास के पश्चात् डी0डी0टी0 या गमैक्सीन व्यवस्थापन या किसी अन्य विसंक्रामक से रोगाणु मुक्त किया जाएगा और स्वामी, सम्बद्ध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य) या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित उस प्रभाव का प्रमाण-पत्र देगा । दो मास की अवधि की संगणना यथा पूर्वोक्त ठीक प्रमाण-पत्र देने की तारीख से की जाएगी :

परन्तु यदि किसी अनुज्ञापत्र धारक द्वारा यानों के विसंक्रामण के लिए उसके अपने परिसर में स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समाधान से पर्याप्त व्यवस्था की गई हो तो ऐसे अनुज्ञापत्र धारक द्वारा दिया गया विसंक्रामण का प्रमाण-पत्र पर्याप्त होगा ।

(2) लोक सेवा यान का स्वामी एक सामयिक रजिस्टर बनाएगा वह तारीख दर्शाई गई हो जिन पर लोक सेवा यान समय-समय पर रोगाणु मुक्त किया गया था, और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को सचिव या सहायक सचिव द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए पेश करेगा ।

धारा 95

101 माल गाड़ियों में व्यक्तियों का वहन:

(1) फौज या पुलिस के वहन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले यान या मंजिली गाड़ी की दशा में जिस में यात्रियों के अतिरिक्त माल का वहन भी किया जाता है के सिवाय माल गाड़ी में इसके स्वामी । भाड़ेदार, स्वामी या यान के भाड़ेदार का सद्भावी कर्मचारी और इस नियम के अधीन अनुज्ञात व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति का वहन नहीं किया जाएगा ।

(2) माल यान चालक केविन में उस संख्या से अधिक किसी व्यक्ति का वहन नहीं किया जाएगा जिनके लिए चालक सीट के लिए आरक्षित स्थान को निकाल कर, सीट के साथ-साथ 380 मिली मीटर माप प्रति व्यक्ति की दर से बैठने की जगह हो और किसी माल यान में चालक के अतिरिक्त वहन किए जाने वाले माल से सम्बन्धित कुल छः व्यक्तियों से अधिक का वहन नहीं किया जाएगा :

परन्तु सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त माल गाड़ी की दशा में छः व्यक्तियों से अधिक का वहन राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जा सकेगा ; परन्तु अधिकतम बारह व्यक्तियों के अधीन रहते हुए ऐसी संख्या यान के फर्श का वर्ग मीटरों में क्षेत्रफल को 063 मीटर द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त संख्या से अधिक नहीं होगी ।

(3) किसी व्यक्ति का वहन माल के ऊपर या अन्यथा इस रीति में नहीं किया जाएगा जिससे कि ऐसे व्यक्ति को यान से गिरने का खतरा हो और किसी भी दशा में, किसी व्यक्ति का वहन माल यानों में इस रीति से नहीं किया जाएगा जिससे कि उसके शरीर का कोई अंग, जब वह बैठा हुआ हो, यान की सतह जिसके ऊपर यान खड़ा हो , से अधिक ऊंचाई पर हो जाए ।

(4) उप नियम (2) के उपबन्धों के होते हुए भी, किसी माल गाड़ी के लिए प्रदत्त अनुज्ञापत्र की शर्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनके अध्याधीन यान में व्यक्तियों की अधिक संख्या का वहन किया जा सकेगा, परन्तु अधिकतम बारह के अध्याधीन रहते हुए, ऐसी संख्या यान के फर्श के वर्ग मीटरों में क्षेत्रफल को 063 मीटर द्वारा विभाजित किए जाने पर प्राप्त संख्या से अधिक नहीं होगी ।

(5) इस नियम के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी यान में किराये या पारिश्रमिक के लिए किसी व्यक्ति का वहन सिवाए अनुज्ञापत्र के उपबन्धों के अनुसार, जब तक कि ऐसे प्रयोजन के

लिए यान के प्रयोग को प्राधिकृत करने वाला अनुज्ञापत्र लागू नहीं है, प्राधिकृत नहीं समझा जाएगा ।

धारा 96 (2) (31)

102. माल गाड़ी में पशुओं के वहान के लिए शर्तें :

(1) लोक स्थान में किसी पशु का वाहन, माल गाड़ी में नहीं किया जाएगा जब तक कि :—

(1) यान की माल बाडी मजबूत लकड़ी के तख्तों या लोहे की चादरों से निर्मित न हुई हो जिन की कम से कम ऊंचाई यान के फर्श से सभी ओर पीछे को मापित किए जाने पर 105 मीटर हो ; और

(2) पशु को यान के किनारे से बांधे हुए रस्सों द्वारा उचित तौर पर सुरक्षित न कर लिया गया हो ।

(2) माल गाड़ी में पशुओं का वहन करते समय यान का स्वामी :—

(1) बकरियों, भेड़ों, सूअर, हिरण, भेडा, भेडी, मेमनें और इनकी तरह अन्य की दशा में जब ऐसे यान का व्हील बेस 36 मीटर से कम का हो तो एक समय में चालीस से अधिक का वहन नहीं करेगा और जब ऐसे यान का व्हील बेस 36 मीटर या इससे अधिक हो तो पच्चास से अधिक का वहन नहीं करेगा ; और

(2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट उन पशुओं से भिन्न की दशा में बछड़ों/छोटे बच्चों सहित चार या बछड़ों/छोटे बच्चों के बिना पांच से अधिक का वहन नहीं करेगा जब व्हील बेस 36 मीटर से कम हो और बछड़ों/छोटे बच्चों सहित पांच या बछड़ों/छोटे बच्चों के बिना छः से अधिक का वहन नहीं करेगा जब ऐसे यानों का व्हील बेस 36 मीटर या अधिक हो ; और

(3) पशुओं की प्रत्येक श्रेणी के सामने नीचे दिए गए फर्श स्थान के पैमाने के अनुसार यान में फर्श स्थान के आधार पर पशुओं का वहन करेगा :

पशुओं की श्रेणी	अपेक्षित फर्श स्थान प्रति पशु
1. खच्चर या वधिया घोड़ा	2 20 वर्ग मीटर
2. भैंस या भैंसा	1 67 वर्ग मीटर
3. गाय या बैल या व्यस्क औसर या सांड	1 48 वर्ग मीटर
4. टटू या गधा या बछड़ा या बछड़ी	1 20
5. दो या तीन वर्ष के बछड़े	1 11 वर्ग मीटर
6. दो वर्ष से कम के बछड़े	0 74 वर्गमीटर
7. हिरण और सूअर	0 50 वर्ग मीटर
8. भेड़ें या भेड़ा और बकरी	0 32 वर्ग मीटर

(3) माल गाड़ी की दशा में अनुज्ञापत्र धारक द्वारा दैनिक ढुलाई का अभिलेख निम्नलिखित सारिणी में तैयार किया जाएगा ; अर्थात् :

अनुज्ञाप धारक का नाम व पता	अनुज्ञापत्र की किस्म	स्थाई अस्थाई	यान की रजिस्ट्रेशन संख्या	वाहन : किराया या पारिश्रमिक/व्यवसाय या निजी कारोबार		
तारीख	यात्रा की क्रम संख्या	प्रेषक या बुकिंग अभिकर्ताओं का नाम व पता	प्रेषिती का नाम व पता	वहन की गई वस्तु का नाम	भार क्विंटल/कि0ग्रा0	प्रारम्भ
1	2	3	4	5	6	7

गन्तव्य स्थान	कि0मी0 अर्थात 7 और 8 के बीच की दूरी	पूरे किए गए क्विंटल कि0मी0 स्तम्भ "6" और स्तम्भ "9"	रुपयों में भारित माल भाड़ा	टिप्पणियां
8	9	10	11	12

जहां लागू न हो काट दें ।

विशेष टिप्पणी :

(1) यदि एक वस्तु से अधिक का वहन उसी यात्रा के दौरान किया जाता है या मार्ग के बीच के स्थानों को बुक किया जाता है तो प्रत्येक वस्तु का विवरण सभी स्तम्भों के अधीन अलग पंक्तियों में अलग-अलग से दर्शित किया जाएगा ।

(2) साधारणतया यान का प्रारम्भ और गन्तव्य स्थान ही स्थौरा "कारगो" का प्रारम्भ और गन्तव्य स्थान होगा । उनके भिन्न-भिन्न होने की दशा में स्थौरा का प्रारम्भ और गन्तव्य स्थान क्रमशः स्तम्भ "7" और "8" के अधीन स्तम्भ टिप्पणियां में यान के प्रारम्भ और गन्तव्य स्थान को दर्शाते हुए एक टिप्पणी सहित अतः स्थापित किया जा सकेगा ।

(3) सर्कस या चिड़ियाघर का या उनके लिए आशयित किसी भी पशु का लोग स्थान पर माल वाहन में वहन नहीं किया जाएगा जब तक कि वन्य हिस्त पशु के मामले में उपयुक्त पिंजरा या तो अलग से या यान की माल गाड़ी के अभिन्न हिस्से पर हर समय पशु को कसकर बांधे रखने को पर्याप्त बल का प्रयोग करते हुए उपबन्धित न किए जायें ।

(4) उप नियम "1" के अधीन उप नियम "4" के अधीन किसी पशु का वहन लगातार 200 से अधिक किलो मीटरों के लिए नहीं किया जाएगा और आठ घण्टों की निरन्तर यात्रा के पश्चात् चार से छः घण्टों का विराम होगा ।

(5) कोई माल गाड़ी किसी पशु का वहन करते समय पच्चीस किलो मीटर प्रति घण्टा से अधिक की गति से नहीं चलायी जाएगी ।

(6) कोई माल गाड़ी पशुओं के वहन के दौरान रास्ते में पशुओं को चराने के लिए आवश्यक चारा के सिवाये किसी अन्य माल का वहन नहीं करेगी ।

धारा 96 (2) (27)

103 परिवहन यानों के चालकों द्वारा लाग बुक और शिकायत बुक का रखा जाना :

(1) मंजिली गाड़ी से भिन्न परिवहन यान का स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि यान का चालक लाग बुक को रखता है और भाड़ा परेषण की विशिष्टियां उसमें दर्ज करता है ।

(2) संविदा गाड़ी और निजी सेवा यान की दशा में लाग बुक में दर्ज होने वाली विशिष्टियां निम्नलिखित होंगी :—

(क) पहचान के लिए उसे समर्थ बनाने वाली विशिष्टियां सहित भाड़ेदार का नाम ;
(ख) दल में सम्मिलित व्यक्तियों की लगभग संख्या ;
(ग) यात्रा का प्रस्थान और समापन स्थल और अनुगमन मार्ग;
(घ) तारीख और समय जिसको यात्रा पूरी होने की संभावना हो ; और
(च) वहन किए गए किसी माल का स्वरूप और भार, और माल वहन की दशा में,

(1) क्रम संख्या
(2) चालक का नाम
(3) डियूटी का स्वरूप से तक
(4) माल का विवरण और वजन
(5) प्रेषित करने की तारीख सहित स्थान और समय
(6) पहुंच को संभाव्य समय सहित गन्तव्य स्थान
(7) दूरी
(8) भारित माल भाड़े की राशि
(9) परेषक का नाम और पता
(10) परषित का नाम और पता
(11) निरीक्षण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पदनाम
(12) टिप्पणियां

परन्तु बहुत से स्वामियों के विविध माल का वहन करने वाले यान की दशा में प्रत्येक परेषण का अभिलेख मानक बिल प्ररूप पर निम्नलिखित रूप में रखा जाएगा :

(1) स्वामी का नाम
(2) चालक का नाम
(3) यान संख्या

(4) प्रेषक
(5) प्रेषित
(6) से
(7) को
(8) माल का स्वरूप और उसका वजन
(9) दूरी
(10) भाड़ा
(11) टिप्पणियां

(3) उप नियम (2) द्वारा अपेक्षित, यान में यात्री या माल ले जाने से पूर्व और यान यात्रा आरम्भ होने से पूर्व लाग बुक में दर्ज की जाएगी ।

(4) इस नियम के उपबन्ध संविदा गाड़ी या माल गाड़ी के रूप में प्रयोग में लाए जाने के लिए प्राधिकृत मंजिली गाड़ी पर भी लागू होंगे ।

(5) इस नियम के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित लाग बुक यथास्थिति, राज्य के सचिव या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और स्टाम्पित की जाएगी और किसी भी समय या यान सड़क पर हो या किसी भी समय किसी पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से कम का न हो या निदेशक द्वारा यथा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी के मांग किए जाने पर चालक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी ।

(6) राज्य के सचिव या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधि प्रमाणित, एक शिकायत पुस्तिका प्रत्येक मंजिली गाड़ी या संविदा गाड़ी में रखी जाएगी और यथा स्थिति संवाहक या चालक द्वारा साफ और सुथरी दशा में रखी जाएगी और इसमें कोई प्रविष्टि करने को स्वतन्त्र किसी यात्री की मांग पर यथा स्थिति संवाहक या चालक द्वारा पेश की जाएगी ।

धारा 92 (2) (6) और (32)

04 अन्य अभिलेखों का रखा जाना :

(1) राज्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी परिवहन यान की बाबत अनुज्ञापत्र धारक से अभिलेख रखने और ऐसे प्ररूप में जैसे अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, यान के बारे विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा और ऐसे अभिलेखों और विवरणियों में यान के दैनिक प्रयोग के बारे में निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित होंगी :

(1) चालक और संवाहक और अन्य परिचारक का नाम और अनुज्ञप्ति संख्या यदि कोई हो,
(2) मार्ग जिस पर या क्षेत्र जिसके भीतर यान का प्रयोग किया गया था,
(3) तय किए गए किलो मीटरों की संख्या,
(4) यात्रा के प्रारम्भ और समापन्न और यात्रा के दौरान किसी ठहराव पर जब चालक विश्राम करता है का समय वजन,
(5) विनिर्दिष्ट स्थानों के बीच वहन किए गए माल का वजन और माल की स्वरूप, और
(6) मंजिली गाड़ी में वहन किए गए माल की दशा में फेरों की संख्या और किलो मीटर जब केवल मात्र माल का वहन किया गया था और जब यात्रियों के अतिरिक्त माल का वहन किया गया था और पश्चात्वर्ती दशा में यात्रियों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या ।

(2) कोई भी स्वामी, परिवहन यान को न चलाएगा या न किसी चालक को चलाने की अनुमति देगा जब तक कि उसके अपने कब्जे में कथित चालक का नाम और पता, जो उसकी चालन अनुज्ञप्ति में उपवर्णित हो तथा अनुज्ञप्ति संख्या और प्राधिकारी का नाम जिसके द्वारा यह जारी किया गया था, का अभिलेख लिखित रूप में न हो ।

धारा 96 (2)

105 अनुज्ञापत्र धारक के पते में परिवर्तन :

(1) यदि अनुज्ञापत्र धारक यथा स्थिति, अनुज्ञापत्र में उपवर्णित पते के अनुसार निवास करना या अपने कारोबार का स्थान छोड़ देता है तो वह चौदह दिनों के भीतर नये पते की सूचना देते हुए अनुज्ञापत्र के भाग "ए" का उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया गया था और पते के परिवर्तन के बारे में प्रविष्टि करवाने के लिए दस रुपये फीस की संदाय करेगा ।

(2) उप नियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे अनुज्ञापत्र में नाम और पता दर्ज करेगा और उस क्षेत्र के प्राधिकारी को विशिष्टियों की सूचना देगा, जिसमें यह अनुज्ञापत्र प्रतिहस्ताक्षर या अन्यथा के आधार पर विधि मान्य है ।

धारा 96 (2) (24)

106 लोक सेवा यान की क्षति या विफलता की सूचना :

(1) संजिनी या संविदा गाड़ी अनुज्ञप्तिपत्र का धारक घटना के सात दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी को जिसके द्वारा उस यान का अनुज्ञप्तिपत्र जारी किया गया था ऐसे यान या उसके किसी भाग की क्षति या विफलता की लिखित रूप में रिपोर्ट करेगा यदि क्षति या विफलता ऐसे स्वरूप की हो जिससे यान अनुज्ञप्तिपत्र शर्तों के अनुसार तीन दिनों से अधिक की अवधि के लिए प्रयोग में लाए जाने को अयोग्य हो जाता है ।

(2) संजिनी गाड़ी की सेवा के बारे में किसी अनुज्ञप्तिपत्र का धारक, घटना के सात दिन के भीतर अनुज्ञप्ति-पत्र के प्राधिकार के अधीन उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी यान की क्षति या विफलता जो इस स्वरूप की हो, जो धारक को तीन दिनों से अधिक की अवधि के लिए अनुज्ञप्तिपत्र के किन्हीं उपबन्धों या शर्तों के अनुपालन करने में बाधा डालती है कि लिखित रूप में प्राधिकारी को रिपोर्ट देगा जिसने अनुज्ञप्तिपत्र जारी किया था ।

(3) पूर्ववर्ती उप नियमों के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, प्राधिकारी, जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया गया था नियम 77 और 78 के उपबन्धों के अध्याधीन :

(1) घटना की तारीख से दो मास से अनधिक अवधि के भीतर या तो क्षति की प्रतिपूर्ति करने या यान को ठीक करने या उसके बदले यान का उपबन्ध करने, जैसा भी विनिर्दिष्ट करे, के निदेश दे सकेगा ।

(2) यदि यान की क्षति या विफलता ऐसी हो कि कथित प्राधिकारी की राय में घटना की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर इसकी परिपूर्ति या इसे सही नहीं किया जा सकता हो तो अनुज्ञापत्र के धारक को प्रतिस्थापी यान उपलब्ध कराने को निर्दिष्ट करेगा, और जब अनुज्ञापत्र का धारक ऐसे किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो तदनुसार अनुज्ञापत्र को निलम्बित, रद्द या परिवर्तित कर सकेगा ।

(4) निर्देश देने वाला या उप नियम (3) के अधीन अनुज्ञापत्र को निलम्बित, रद्द या परिवर्तित करने वाला प्राधिकारी किसी अन्य क्षेत्र के प्राधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा जिसमें प्रतिहस्ताक्षर या अन्यथा के आधार पर अनुज्ञापत्र विधि मान्य है ।

धारा 96 (2) (24)

107 यान को चलाने में विफलता की सूचना :

(1) यदि मंजिली गाड़ी का धारक किसी समय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समय सारिणी के अनुसार किसी कारण से अपने यान को चलाने में विफल रहता है तो वह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरी जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया गया था तथा निकटतम उप आयुक्त या उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) को भी इस बारे में तुरन्त सूचना भेजेगा ।

(2) उप नियम (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, उप आयुक्त या उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) यथा स्थिति ऐसी आनुकल्पिक व्यवस्था करेगा जैसी वह उचित समझे ।.

धारा 96 (2) (24)

108 परिवहन यानों और उनकी विषय वस्तु का निरीक्षण :

(1) वर्दी में कोई पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, या निदेशक के नियन्त्रण के अधीन कोई अधिकारी जो उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किया गया हो, किसी भी समय जब यान लाक स्थान में हो, माल गाड़ी चालक से यान को रोकने और इसे इसके समय के लिए जितना आवश्यक हो, विराम में रखने की अपेक्षा करेगा ।

(2) उप नियम (1) के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी किसी माल यान की विषय वस्तु की जांच करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि :

(1) यान के बारे में अनुज्ञापत्र माल यान पर वहन किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा के बारे में उपबन्ध या शर्तें अन्तर्विष्ट हो ; और

(2) अधिकारी के पास अनुमान लगाने का कारण हो कि यान, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में चलाया जा रहा हो ।

(3) वर्दी में कोई पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या अधिकारी और कराधान विभाग का कोई अधिकारी जो कराधान उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या निदेशक के नियन्त्रण के अधीन कोई अधिकारी जो इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, किसी भी समय, जब यान सार्वजनिक स्थान में हो, लोक सेवा यान के चालक से यान को रोकने और इतने समय के लिए रोके रखने की अपेक्षा करेगा जितना यान के यात्रियों की संख्या और अन्य विषय वस्तु की युक्ति युक्त जांच करने के लिए आवश्वक हो ताकि उसका समाधान हो जाए कि अधिनियम और तदधीन विरचित नियमों के उपबन्धों और यान के बारे में अनुज्ञापत्र के उपबन्धों और शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है ।

(4) निरीक्षण बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किसी अधिकारी को किसी लोक सेवा यान का सार्वजनिक स्थान में किसी युक्ति-युक्त समय पर निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

धारा 96 (2) (30)

109 टैक्सी मीटर :

(1) प्रत्येक मोटर कैब में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नमूने पर टैक्सी मीटर फिट किया जायेगा और यह उसके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुरूप होगा।

(2) अनुज्ञापत्र धारक जिसने टैक्सी मीटर लगाना हो, निरीक्षण बोर्ड के समक्ष निरीक्षण के लिए अपने यान को पूर्ण करने के समय हिमाचल प्रदेश नियन्त्रक बाट और माप या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि टैक्सी मीटर परीक्षित और मोहरबन्द कर दिया गया है और जब यान का जिस पर टैक्सी मीटर लगाया गया है पुनः निरीक्षण किया जाता है या जब किन्हीं कारणों से इसकी मोहर तोड़ना आवश्यक हो जाता है तो परीक्षण के लिए टैक्सी मोटर को पेश करेगा।

धारा 74 (2) (8) और 96 (2)(20)

110 धारा 93 के अधीन अभिकर्ता और पक्ष प्रचारक की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया :

(1) जिला के एक उप मण्डल में प्रवृत करने की धारा 93 के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश प्ररूप 39 जी0बी0ए0 1 पर सम्बद्ध उप मण्डलीय अधिकारी (सिविल) को आवेदन कर सकेगा :

परन्तु यदि अनुज्ञप्ति, जिला में एक से अधिक उप-मण्डल में प्रवृत करनी हो तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को आवेदन किया जायेगा और यदि अनुज्ञप्ति एक से अधिक क्षेत्र में प्रवृत करनी हो तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को आवेदन किया जायेगा और यदि अनुज्ञप्ति एक से अधिक क्षेत्र में प्रवृत की जानी हो तो हिमाचल प्रदेश प्ररूप 40 जी0बी0 ए0 2 पर राज्य परिवहन प्राधिकरण को आवेदन किया जायेगा।

(2) उप नियम (1) के निबन्धनों के अनुसार आवेदन के साथ 30 रुपये की फीस के संदाय की नकद रसीद या खजाना चालान संलग्न किया जायेगा।

(3) उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए किए गए आवेदन पर विचार करते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखितन तथ्यों का भी ध्यान रखेगा, अर्थात:—

(क) आवेदक द्वारा स्वामित्व प्राप्त या उसके नियन्त्रण के अधीन माल यानों की संख्या।

स्पष्टीकरण :

खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के नियन्त्रण के अधीन माल गाड़ियों की ऐसी संख्या समझी जायगी जैसी माल गाड़ियों के अपने-अपने स्वामियों से उन द्वारा हि0 प्र0 प्ररूप 41 जी0बी0ए0 3 पर अभिप्राप्त घोषणा के अन्तर्विष्ट हो।

(ख) परिचालन स्थान पर माल के भण्डारकरण के लिए आवेदक के कब्जा में आवास की उपयुक्तता ;

(ग) माल गाड़ियों के खड़ा करने के लिए आवेदक द्वारा उपबन्धित सुविधाएं यदि, कोई हों और ;

(घ) आवेदक के वित्तीय साधन और माल वाहनों द्वारा वहन किए गए माल के संग्रहण, अग्रेषण और वितरण के व्यवसाय का दक्षता पूर्ण संचालन करने में उसकी क्षमता।

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी, स्थान या स्थानों जहां व्यपयोग किया जाना हो को विनिर्दिष्ट करते हुए, यथास्थिति, हि0 प्र0 प्ररूप 42 जी0बी0ए0 4 या हि0 प्र0 इस अध्याय में ("यथा अनुज्ञप्ति विनिर्दिष्ट किया गया है") प्रदान करेगा या प्रदान करने से इन्कार करेगा :

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने से तब तक इन्कार नहीं करेगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता और इन्कार के कारणों को अभिलिखित करके और लिखित रूप में उसे संसूचित नहीं किया जाता ।

धारा 93और 96 (2) (29) (33)

111 शर्तों के साथ अनुपालन के लिए प्रतिभूति :

(1) नियम 110 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों और इन नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय आवेदक से 5000 रुपये की राशि की प्रतिभूति देने की अपेक्षा करेगा :

परन्तु जब-जब अनुज्ञापन प्राधिकारी की अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संव्यवहार किए जाने वाले कारबार की मात्रा का स्टाक प्राप्त करने के पश्चात यह राय हो कि 5000 रुपये की अनुभूति राशि अपर्याप्त है तो वह लिखित रूप में अभिलिखित कारणों के लिए अनुभूति की राशि बढ़ा सकेगा परन्तु इस नियम में दी जाने वाली प्रतिभूति पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी ।

(2) यदि अनुज्ञप्ति धारी किन्हीं शर्तों जिनके अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है या इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो किसी अन्य कार्रवाई जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञापन प्राधिकारी आदेश द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित कारणों के लिए अंशत: या पूर्ण रूप से प्रतिभूति समपहृत कर सकेगा :

परन्तु इस उप नियम के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता :

परन्तु यह और कि यदि प्रतिभूति राशि किसी समय उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट राशि से कम हो जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी प्रतिभूति राशि को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति तुरन्त जमा करेगा ।

(3) जमा प्रतिभूति राशि जब तक समपहृत न की गई हो अनुज्ञप्ति की अवधि के अवसान पर या स्वेच्छा से कारबार बन्द करने की दशा में पहले ही सम्बन्धित व्यक्ति को वापिस की जाएगी ।

धारा 93 (22) (ग) और 96 (2) (24)

112 विधिमान्यता और नवीकरण की अवधि :

(1) नियम 110 के उप नियम (4) के अधीन अनुदत अनुज्ञप्ति इसे प्रदान करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी और एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी ।

(2) उप नियम (1) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को यथास्थिति, हि0 प्र0 प्ररूप 44 जी0बी0ए0 6 में इसके अवसान की तारीख से कम से कम 3 दिन पूर्व किया जायेगा ।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन करके इसका नवीकरण किया जायेगा ।

धारा 93 और 96 (2)(29)

113 अनुज्ञप्ति के लिए फीस :

नियम 110 या नियम 112 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए फीस निम्नलिखित होगी :

(क) मूल अनुज्ञप्ति के प्रदान के लिए 500 रुपये ;

(ख) प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिष्ठान या उप अभिकरण को अनुपूरक अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए 100 रुपये ;

(ग) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए यदि आवेदन समय पर किया गया है :

(1) मूल अनुज्ञप्ति 200 रुपये ,
(2) प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिष्ठान या उप अभिकरण के लिए अनुपूरक अनुज्ञप्ति 100 रुपये ।

(घ) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए शक्ति यदि आवेदन समय पर न किया गया हो परन्तु अनुज्ञप्ति के अवसान से पूर्व किया गया हो :

(1) मूल अनुज्ञप्ति :

(क) यदि आवेदन सात दिन के विलम्ब से किया गया है 50 रुपये,
(ख) यदि आवेदन सात से अधिक किन्तु चौदह से अनधिक दिन के विलम्ब से किया गया है 60 रुपये ;
(ग) यदि आवेदन चौदह से अधिक किन्तु 21 से अनधिक दिन के विलम्ब से किया गया है 80 रुपये;
(घ) यदि आवेदन 21 से अधिक किन्तु 30 से अनधिक दिन के विलम्ब से किया गया है 200 रुपये ;

(2) अनुपूरक अनुज्ञप्ति :

(क) यदि आवेदन 15 दिन के विलम्ब से किया गया है 20 रुपये ,
(ख) यदि आवेदन 15 से अधिक किन्तु 30 से अनधिक दिनों के विलम्ब से किया गया है 30 रुपये ।

टिप्पणी :

इस नियम में अभिव्यक्ति "मूल अनुज्ञप्ति" से माल वाहनों द्वारा वहन किए गए माल के संग्रहण, अग्रेषण या वितरण के कारोबार में लगे हुए किसी व्यक्ति के मुख्यालय के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है और "अनुपूरक अनुज्ञप्ति" से शाखा कार्यालय के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ।

114 अनुज्ञप्ति की शर्तें :

(1) नियम 110 और 112 के अधीन जारी या नवीकृत अनुज्ञप्ति शर्तों के अध्याधीन होगी, अर्थात्

(1) नियम 116 के उपबन्धों के अध्याधीन अनुज्ञप्तिधारी माल को चढ़ाने और उतारने के लि स्थान का उपबन्ध करेगा ;

(2) अनुज्ञप्ति धारी प्रेषण या वितरण के लिए संग्रहीत माल के संग्रहण की उचित व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) माल को अग्रेषित या वितरित करने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञप्ति धारी,

(क) प्रेषिती के प्रति किसी हानि या क्षति के लिए दायी होगा जब माल उसके नियन्त्रण या कब्जे में हो ;

(ख) प्रेषिती को माल का उचित वितरण करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ग) माल को वास्तविक रूप में प्राप्त कर लेने के बिना माल परिवहन रसीद जारी नहीं करेगा ; और

(घ) प्रेषिती से माल परिवहन रसीद और उसी के गुम होने या गलत स्थान पर रखे जाने की दशा में माल के मूल्य का आवश्यक क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र वस्तुतः प्राप्त कर लेने के बिना वह प्रेषिती को माल का वितरण नहीं करेगा ;

(4) अनुज्ञप्तिधारी किसी हानि या क्षति के विरूद्ध माल का बीमा करेगा जब यह उसके नियन्त्रण या कब्जे में होगा ।

(5) अनुज्ञप्तिधारी अपने नियन्त्रण के अधीन यानों और माल के संग्रहण, प्रेषण और वितरण का सही अभिलेख रखेगा जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस निमित समयक् रूप से प्राधिकृत अनुज्ञापन प्राधिकारी के निरीक्षण के लिए खुला रखा जायेगा और प्रतिवर्ष पूर्व 6 मास की बाबत हि0प्र0 प्ररूप 45 जी0बी0ए0 7 में एक विवरणी प्रत्येक 30 वर्ष और 31 मार्च के पश्चात् 30 दिन के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा ।

(6) अनुज्ञप्तिधारी यानों को चलाने वाले व्यक्तियों को उन द्वारा प्रेषक या प्रेषिती से प्राप्त किय जाने वाले ढुलाई के सही आंकड़े देगा ।

(7) अनुज्ञप्तिधारी कमीशन जो उस द्वारा भारित किया जाए, का सही लेखा तैयार करेगा और अनुज्ञप्ति धारी जिसकी प्रतिवर्ष कुल आय 25000 रुपये या इससे अधिक हो अपने लेखा की संपरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंट से करवायेगा ;

(8) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियन्त्रण के अधीन माल यानों के उन मार्गों का विधिमान्य अनुज्ञापत्र है जिस पर यानों को चलाना पड़ता है ;

(9) अनुज्ञप्तिधारी एक समय में कम से कम 200 किलोग्राम को तोलने में सक्षम तोल यन्त्र को अच्छी दशा में बनाए रखेगा ।

(10) अनुज्ञप्तिधारी अपने ग्राहकों की उसी क्रम में परिचर्या करेगा जिसमें वे उसके पास जाते हैं :

परन्तु ऐसे विनश्वर माल से सुबन्धित ग्राहकों को जैसा राजपत्र में सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए अन्य ग्राहकों के उपर अग्रता दी जायेगी जिसमें वे अनुज्ञप्तिधारी के पास जाते हैं ।

(11) अनुज्ञप्तिधारी यानों को चलाने वाले व्यक्तियों के बीच उस क्रम में प्रेषण समानुदेशित करेगा जिसमें वे उसके पास पहुंचे हो और उपलब्ध माल की विशिष्टियों और यानों को चलाने

के लिए इन्तजार कर रहे व्यक्तियों को कालानुक्रम से अभिलिखित करके एक रजिस्टर तैयार करेगा ।

(12) अनुज्ञप्तिधारी इन यानों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा और ऐसी शर्तों का पालन करेगा जैसी अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट करें ।

(13) अनुज्ञप्तिधारी सभी संविदाएं निम्नलिखित विशिष्टियों को अन्तरविष्ट करते हुए लिखित रूप में करेगा, अर्थात् :

(क) प्रेषक और प्रेषिती का नाम और पता ;

(ख) प्रेषण का विवरण और भार ;

(ग) गन्तव्य स्थान और प्रारम्भ के स्थान से गन्तव्य स्थान तक किलोमीटर में दूरी ;

(घ) प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर और पूर्ण ट्रक के लिए प्रति किलोमीटर माल भाड़ा ;

(ङ) वितरण अनुदेशों उदाहरणतया तारीख जिसको और निश्चित स्थान जहां पर प्रेषित को माल का वितरण किया जाना है ;

(च) संदाय के लिए करार के निबन्धन और ;

(छ) स्वामी, चालक का नाम यान की रजिस्ट्रीकरण संस्था, इसका प्राधिकृत भार और कमीशन की राशि ;

(14) अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुमोदित परिसर का सही रीति में प्रबन्ध करेगा और उसको सही और साफसुथरी दशा में रखेगा ; और

(15) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियां बरतेगा कि अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन न हो ।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को लिखित रूप में कम से कम एक मास का नोटिस देने के पश्चात् या तो उसकी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त में परिवर्तन कर सकेगा या उसकी अनुज्ञप्ति में कोई और शर्त लगा सकेगा ।

धारा 96 (2) (29)

115 कमीशन की दर :

अनुज्ञप्तिधारी उन यानों से अधिक का चला रहे व्यक्तियों से कमीशन प्रभारित नहीं करेगा जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिष्ठान उपरी प्रभारी और अन्य सुसंगत कारकों को बनाए रखने में उपगत खर्चों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए ; परन्तु कमीशन उतराई और लदाई का खर्चों को छोड़कर होगा ।

धारा 93 और 96 (2) (29)

116 प्रयोग में लाए जाने वाले परिसर :

(1) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी सम्बद्ध क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय या पुलिस प्राधिकारियों के परामर्श से ऐसे परिसरों पर सनि की स्थिरता, स्वच्छता और भण्डारकरण सुविधाओं को ध्यान में

रखते हुए अनुज्ञप्तिधारी की अभिरक्षा में माल के भण्डारकरण के लिए माल यानी को खड़ा करने या माल को उतारने या चढ़ाने के प्रयोग में लाए जाने वाले अनुज्ञप्ति के अनुज्ञप्ति धारी या किसी आवेदक के कब्जे में या द्वारा स्वामित्व प्राप्त किन्हीं परिसरों का अनुमोदन कर सकेगा ।

(2) जहां क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारण उप नियम (1) के अधीन किन्हीं परिसरों का अनुमोदन करने से इन्कार करता है वहां वह ऐसे इन्कार के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा :

परन्तु ऐसे इन्कार से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी या आवेदक को, यथास्थिति, सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

धारा 93 और 96 (2) (29)

117 अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्दकरण :

(1) अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति को रद्द या ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित निलम्बित कर सकेगा यदि उसकी राय में अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया गया हो :

परन्तु इस नियम के अधीन निलम्बन या रद्दकरण के किसी आदेश को देने से पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे रद्दकरण या निलम्बन के लिए लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करेगा ।

धारा 93 और 96 (2) (29)

118 अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना :

(1) यदि किसी समय अनुज्ञप्ति गुम हो जाती है, नष्ट या फट जाती है या इस प्रकार से विरूपित हो जाती है कि अपठनीय हो जाए तो अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति प्रदान करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरन्त आवेदन करेगा :

परन्तु यदि अनुज्ञप्ति खो जाती है तो अनुज्ञप्ति धारक निकटतम पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाएगा और उसकी एक प्रति अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन के साथ संलग्न करेगा ।

(2) उप नियम (1) के अधीन आवेदन के साथ 10 रुपये की नकद रसीद या खजाना चालान संलग्न किया जाएगा और ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी लाल स्याही से "दूसरी प्रति" स्टाम्पित करके अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करेगा ।

(3) यदि अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति उप नियम (2) के अधीन इस अभ्यावेदन पर प्रदान की जाती है कि मूलत: प्रदान की गई अनुज्ञप्ति गुम या नष्ट हो गई हो और मूल अनुज्ञप्ति तत्पश्चात् प्राप्त हो जाती है तो यह सम्बद्ध प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर दी जाएगी ।

धारा 93 और 96 (2) (29)

119 अनुज्ञप्ति का प्रदर्शन :

(1) जिस व्यक्ति के नियम 110 के अधीन माल को एकत्रित करने के लिए अनुज्ञाप्ति प्राप्त की है वह अनुज्ञप्ति को अपनी ड्यूटी के समय अपने साथ रखेगा और सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर इसे प्रस्तुत करेगा ।

(2) नियम 110 के अधीन वस्तुओं के अग्रेषण और वितरण के लिए जिस व्यक्ति ने अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर ली हो अनुमोदित परिसर में किसी सहज दृष्य स्थान पर अपनी अनुज्ञप्ति को प्रदर्शित करेगा और सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति का निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध करवायेगा ।

(3) जिस व्यक्ति ने वस्तुओं के संग्रह, अग्रेषण और वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली हो जब अपनी डियूटी पर हो, वह अपनी अनुज्ञप्ति अपने पास रखेगा और सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा और अनुमोदित परिसर में प्रमुख स्थान पर उस अनुज्ञप्ति की एक शुद्ध प्रति प्रदर्शित करेगा ।

धारा 93 और 96 (2) (29)

120 अपील :

(1) नियम 110, 116, 117 के अधीन किए गए आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर ;

(क) यदि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित किया हो, तो अपील सचिव परिवहन हिमाचल प्रदेश सरकार को, और

(ख) यदि आदेश किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, अपील सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(2) अपील का ज्ञापन संक्षिप्त में आरोप के आधारों का उल्लेख करते हुए द्विप्रतीक में दायर करेगा और उस आदेश की प्रमाणित प्रति और 20 रुपये की खजाना चालान की रसीद भी साथ लगाएगा ।

धारा 93 और 96 (21) (3) (13)

121 प्रतिलिपि के प्रदाय पर फीस का उदग्रहण :

(1) प्राधिकरण जिसने आदेश पारित किया हो जिसके विरुद्ध नियम 120 के अधीन अपील की जानी है व्यक्ति द्वारा आवेदन देने पर दो रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से फीस संदत्त करने पर आदेश या अन्य सुसंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि देगा :

परन्तु उपर्युक्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव को भी उपरोक्त रीति में प्रत्यायोजित की जा सकेंगी जो कि इन शक्तियों का प्रयोग केवल उसी दशा में करेगा जब कि अध्यक्ष प्राधिकरण के मुख्यालय से दूर हो और उसके साथ सम्पर्क स्थापित करने में विलम्ब होने की सम्भावना हो, जो परिस्थितियों के अनुसार युक्तियुक्त न हो :

परन्तु प्राधिकरण के सहायक सचिव को भी उक्त रीति में प्रत्यायोजित की जा सकेगी जो कि इन शक्तियों का प्रयोग केवल उसी दशा में करेगा जब कि अध्यक्ष और सचिव दोनों प्राधिकरण के मुख्यालय से दूर हों और दोनों में से किसी के साथ भी सम्पर्क स्थापित करने में विलम्ब की सम्भावना हो जो परिस्थितियों के अनुसार युक्तियुक्त न हो :

परन्तु यह और भी कि प्रत्यायोजित प्राधिकार की हैसियत से सहायक सचिव द्वारा पारित किए गए कोई भी आदेश सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव से ऐसे पारित किए गए आदेश की पुष्टि करवाई जाएगी ।

(2) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में इन नियमों के अधीन अपने सचिव या सहायक सचिव को यथास्थिति, द्विप्रतीक अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के भागों का जारी करने के लिए अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

धारा 93 और 96 (2) (3) और (13)

122 राज्य परिवहन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रत्यायोजन :

राज्य परिवहन प्राधिकरण अपने काम काज को तत्परता से निपटाने के लिए साधारण या विशेष प्रस्ताव द्वारा:

(1) अपने सचिव को उसमें निहित समस्त या कोई शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा, परन्तु निम्नलिखित के बारे में कोई प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकेगा अर्थात् :

(क) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की गतिविधियों को समन्वित और नियमित करने के लिए अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियां ;

(ख) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के बीच मतभेद के विवादों का निपटारा करने के लिए अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियां ;

(ग) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के निदेश जारी करने के लिए अधिनियम की धारा 68 की उप धारा (4) के अधीन शक्तियां ;

(घ) मंजिली गाड़ी की अनुज्ञप्ति को नामंजूर करने के लिए अधिनियम की धारा 71 और 72 के अधीन शक्तियां ;

(ङ) अधिनियम की धारा 73 और 74 के अधीन संविदा गाड़ी अनुज्ञप्ति को नामंजूर करने की शक्तियां ;

(च) अधिनियम की धारा 86 के अधीन अनुज्ञप्ति को रद्द करने की शक्तियां ; और

(2) उप नियम (1) के अधीन समस्त शक्तियां जो सचिव को प्रत्यायोजित की जा सकेगी :

परन्तु उन मामलों में जहां अध्यक्ष और सचिव दोनों को राज्य परिवहन प्राधिकरण की समान शक्तियां प्रत्यायोजित की हों सचिव शक्तियों का प्रयोग केवल तभी करेगा जबकि अध्यक्ष प्राधिकरण के मुख्यालय से दूर और उससे सम्पर्क स्थापित करने में विलम्ब हो सकता हो :

परन्तु यह और भी कि जहां अध्यक्ष और सचिव दोनों के समान शक्तियां प्रत्यायोजित की हों, प्रत्यायोजित प्राधिकरण की हैसियत से सचिव द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की पुष्टि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा करवाई जाएगी ।

धारा 68 (5) और 96 (2) (33)

123 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन :

क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण अपनी कार्यवाही में अभिलिखित सामान्य या विशेष प्रस्ताव द्वारा ऐसी शर्तों के अध्याधीन जैसी कि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट की गई हों निम्नलिखित प्रत्यायोजित कर सकेगा ;

(क) अधिनियम की धारा 87 के अधीन अध्यक्ष और इसके सचिव को स्थायी अनुज्ञप्ति देने की शक्ति:

परन्तु सचिव यह शक्ति तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि अध्यक्ष प्राधिकरण के मुख्यालय से दूर न हो और उसके साथ सम्पर्क स्थापित करने में विलम्ब होने की सम्भावना हो जो परिस्थितियों के अनुसार युक्तियुक्त न हो :

परन्तु यह और भी कि यह शक्ति सहायक सचिव को भी प्रत्यायोजित की जायेगी जोकि इसका प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि दोनों अध्यक्ष जिनमें से किसी के साथ सम्पर्क स्थापित करने में विलम्ब होने की सम्भावना हो जो परिस्थितियों के अनुसार युक्तियुक्त न हो या सचिव मुख्यालय से दूर हो ।

(ख) अधिनियम की धारा 88 के अधीन सचिव और सहायक सचिव को अनुज्ञप्ति के प्रतिहस्ताक्षर प्रदान करने की शक्ति में इसका प्रयोग वह तब तक नहीं करेगा जब तक कि सचिव मुख्यालय से बाहर हो और उससे सम्पर्क स्थापित करने में विलम्ब होने की सम्भावना हो जोकि परिस्थितियों के अनुसार युक्तियुक्त न हो ।

(ग) अधिनियम की धारा 82 के अधीन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति अन्तरण की स्वीकृति देने की शक्ति सचिव को:

परन्तु इस शक्ति का प्रयोग वह ऐसे म.मलों में ही करेग, जिनमें पूर्ण जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि आवेदन की विषय वस्तु पूर्ण और सही है और अनुज्ञप्ति के बदले में पक्षकारों के बीच प्रिमियम संदाय या प्रतिफल नहीं दिया जाना है ।

(घ) द्विप्रतीक अनुज्ञप्ति या उसका भाग या भागों, यथास्थिति, को जारी करने की शक्ति सचिव को और उसकी मुख्यालय से अनुपस्थिति में सहायक सचिव को ; और

(च) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 88 की उप धारा (8) के अधीन विशेष अनुज्ञा प्रदान करने की शक्तियां : परन्तु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जिसने प्रत्यायोजित प्राधिकारी के रूप में कोई विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान की है तो वह इसकी सूचना विवरण प्रत्येक मास के अन्त में सचिव को भेजेगा । -

धारा 68 (5) और 96(2) (33)

अध्याय-7

राज्य परिवहन उपक्रमों से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध

124 स्कीम की विशिष्टियां और प्रकाशन :

(1) धारा 99 या धारा 62 के उपबन्धों के अधीन स्कीम का प्रस्ताव या अनुमोदित स्कीम का

उपांतरण राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा जोकि हिमाचल प्रदेश प्ररूप 46 एस0 एस0टी0यू0 में होगा । उक्त प्रारूप निर्दिष्ट समस्त विशिष्टियों से युक्त होगा ।

(2) स्कीम के प्रस्ताव के बारे में धारा 100 के अधीन यथापेक्षित जनसाधारण के सूचनार्थ तथा आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए इसका प्रकाशन राजपत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में परिचलित हिन्दी भाषा के समाचार पत्र और हिमाचल प्रदेश राज्य में पर्याप्त रूप से परिचलित अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में किया जाएगा ।

धाराएं 99 और 107 (क)

125 आक्षेप दाखिल करने की रीति :

धारा 100 की उप धारा (1) के निबन्धनों के अनुसार संसूचना द्वारा सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार को संबोधित करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण को एक प्रतिलिपि प्रेषित करके और उक्त उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट तीस दिन की कालावधि के भीतर, राज्य परिवहन उपक्रम को रजिस्ट्री पत्र द्वारा आक्षेप दाखिल करेगा ।

धारा 99 और 107

126 आक्षेपों पर विचार और उनका निपटारा :

(1) सम्बद्ध राज्य परिवहन उपक्रम नियम 125 के अधीन प्राप्त किए आक्षेपों के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी राज्य परिवहन प्राधिकरण सचिव तथा (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार को ऐसे आक्षेपों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई अन्तिम तारीख की समाप्ति के 15 दिन के पश्चात् भेजेगा ।

(2) उप नियम (1) के अधीन राज्य परिवहन उपक्रम की टिप्पणी पर राज्य परिवहन प्राधिकरण विचार करेगा और सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार को राज्य परिवहन उपक्रम की टिप्पणी के प्राप्त होने के 30 दिन की कालावधि के भीतर अपने विचार देगा ।

(3) सरकार उप नियम (2) के निबन्धनों के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण के विचार प्राप्त करने पर आक्षेपकर्ता या उसमें प्रतिनिधि और राज्य परिवहन उपक्रम को मामले के बारे में सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात आक्षेपों के बारे में विचार करेगी और निपटाएगी और यह या तो इसे अनुमोदित कर देगी या स्कीम का उपान्तरण कर सकेगी ।

धारा 99 और 107

127 स्कीम का प्रकाशन :

अनुमोदित या उपान्तरित स्कीम, यथास्थिति, नियम 126 के उप नियम (3) के अधीन राजपत्र में प्ररूप 47 ए0 एस0 एस0 टी0 यू0 में और उस क्षेत्र में या स्कीम के अधीन आने वाले रूट में प्रचलित हिन्दी के समाचार पत्र में भी प्रकाशित की जाएगी ।

धारा 99 और 107

128 राज्य परिवहन उपक्रम को अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए आवेदन :

(1) अनुमोदित योजना के अनुसरण में अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के विषय में मंजिली गाडी, माल गाड़ी या संविदा गाडी के लिए अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए नियम 62 में विनिर्दिष्ट सुसंगत प्ररूप में राज्य परिवहन उपक्रम, सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा :

परन्तु यदि अधिसूचित क्षेत्र या मार्ग एक से अधिक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की अधिकारिता में आता हो तो उस दशा में आवेदन उस क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को देना होगा जिसकी अधिकारिता में क्षेत्र या मार्ग का मुख्य भाग आता हो और वह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी उसे अपनी टिप्पणी सहित राज्य परिवहन प्राधिकारी को विचार के लिए प्रेषित करेगा ।

(2) उप नियम (1) के अन्तर्गत आवेदनों के बारे में संदय फीस वही होगी जो अनुज्ञापत्र के नवीकरण या प्रदान करने के आवेदन के लिए नियम 67 में विनिर्दिष्ट है ।

(3) इस नियम के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए फीस यथास्थिति वहीं होगी जो नियम 68 या 69 में यथा विनिर्दिष्ट है ।

धारा 99 और 107

129 आदेशों की तामील की रीति :

धारा 103 की उप-धारा (2) अधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण या यथास्थिति संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के आदेशों की तामील स्कीम के अन्तर्गत क्षेत्र में हिन्दी भाषा प्रचलित समाचार पत्र में नोटिस द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाएगी । धारा 99 और 107

अध्याय 8

मोटर यानों का निर्माण, उनके उपस्कर और उनका रख-रखाव

130 सामान्य :

(1) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल को किसी ऐसे मोटर यान के लिए प्रयोग नहीं करेगा या किसी भी व्यक्ति को ऐसे मोटर यान के लिए सार्वजनिक स्थल के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी, जो इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों या केन्द्रीय नियमों के अध्याय "5" अन्तर्विष्ट उपबन्धों या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा तद्वाधीन दिए गए आदेशों का अनुपालन न करता हो ।

(2) इस नियम की कोई भी बात ऐसे मोटर यान को जो दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो और दुर्घटना स्थल पर हो या इस प्रकार से क्षतिग्रस्त या अन्यथा त्रुटिपूर्ण यान को मुरम्मत या हटाने के लिए निकटतम स्थान पर ले जाया जा रहा हो :

परन्तु जहां कोई मोटर यान चालक के प्रभाव नियंत्रणाधीन नहीं रह सकता हो तो उसे अनुकर्षण के सिवाये सार्वजनिक स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

131 पिछले भाग को देखने वाला शीशा :

रोड रोलर और सड़क निर्माण या रख-रखाव के लिए विशेष रूप से बनाए गए या अनुकुलित यानों से भिन्न प्रत्येक मोटर यान में भीतर की ओर या बाहर की ओर शीशा इस प्रकार से लगाया जाएगा जिस से कि चालक को पीछे के किसी भी अन्य ऐसे यान की उपस्थिति का ज्ञान हो सके, जिसका चालक उस यान से आगे गुजरना चाहता है ।

धारा 111

132 घातक प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन) :

(1) भारत में रजिस्ट्रीकृत रोड रोलर और सड़क निर्माण या सड़क के रख-रखाव के लिए विशेष रूप से

बनाए या अनुकूलित यानों से भिन्न किसी मोटर यान पर मासकट या इस प्रकार के अन्य फिटिंग यन्त्र ऐसी अवस्था में नहीं ले जाया जायेगा कि जिससे यह किसी व्यक्ति से टकराकर उसे नुक्सान पहुंचाये या जब तक ऐसे मासकट से किसी व्यक्ति को चोट लगाने की सम्भावना हो ।

(2) किसी भी यान को जो इस प्रकार निर्मित की गई हो कि उसे संलग्न रिम के व्हील से परे 102 मिलीमीटर से अधिक दूरी पर कोई हब या हब कैप या एक्सल पार्श्वीय भाग पर प्रेक्षेपण किया गया हो जब तक कि एक्सल हब या हब कैप, पार्श्व भाग में यान की बाडी या पंखों से भरे प्रक्षेपित और जिस पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध न हो, प्रयुक्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

धारा 111

133 विंड स्क्रीन वाईपर :

प्रत्येक मोटर यान जो ऐसे निर्मित किया गया हो कि चालक विंड स्क्रीन में देखे बिना यान के अग्र भाग को विंड स्क्रीन खोलकर नहीं देख सकता हो या अन्यथा पर्याप्त दृष्टि से नहीं देख सकता हो, दक्ष स्वचालित विंड वाईपर लगाया जाएगा ।

धारा 111

134 स्प्रींगिंग :

रोड रोलर या सड़क निर्माण या सड़कों के रख-रखाव के लिए विशेष रूप से बनाए गए या अनुकुलित यान से भिन्न प्रत्येक मोटर यान या प्रत्येक ट्रेलर स्प्रींगिंग के पर्याप्त और युक्तियुक्त साधनों से जो कि पर्याप्त रूप में यान के फ्रेम और रोड व्हील्स के बीच अच्छी और उपयुक्त स्थिति में हो सुसज्जित किए जायेंगे परन्तु यह नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होगा :

(क) प्रत्येक ट्रैक्टर जिसका लदान रहित भार 4,536 किलोग्राम से अधिक का हो यदि ट्रैक्टर के सभी स्प्रिंग के विना व्हील हवादार टायर के साथ लगाये गये हों ;

(ख) कोई भूमि लोकोमोटिव, भूमि ट्रैक्टर, भूमि उपकरण, कृषि ट्रेलर या कोई आय ट्रेलर, जोकि केवल गिरे हुए पेड़ के कर्षण के लिए प्रयोग किए गए हो ; और

(ग) यान जो कार्य में या निजि परिसरों में प्रयोग करने के लिए परिकल्पित किया गया है और केवल कार्य या परिसर के एक भाग से कार्य के अन्य भाग या परिसर में 4 किलोमीटर की दूरी के भीतर प्रयुक्त हुआ हो ।

धारा 111

135 यान जिसमें बायें हाथ का सटीयरिंग नियंत्रण लगाया गया हो, यान के पिछले भाग में स्पष्ट प्लेट पर या स्पष्ट धरातल पर सफेद या सहल दृश्य स्थान पर लाल रंग में जिसका प्रत्येक शब्द पैंतीस मिलीमीटर से कम ऊंचाई का न हो, और जिनकी एकरूपता तेरह मिलीमीटर से कम न हो, शब्द लैफट हैंड ड्राईव प्रदर्शित किये जायेंगे ।

धारा 111

136 विंग्ज

(1) लोकोमोटिव ट्रैक्टर या रोड रोलर से भिन्न प्रत्येक यान या रोड रोलर या सड़क निर्माण या सड़कों के रख-रखाव के लिए विशेष रूप से बनाए गए या अनुकुलित यान से भिन्न जब तक कि मोटर यान की बाडी में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध न हो तो जहां तक व्यवहार्य हो कीचड़ या पहिया घूमने से पानी या कीचड़ फैंकने के लिए विंग्ज या इसी प्रकार की फिटिंग उपलब्ध की जाएगी ।

(2) लोकोमोटिव द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर के सिवाए प्रत्येक ट्रेलर के पिछले पहियों के साथ उक्त विंग्ज उपलब्ध करवाए जाएंगे ।

धारा 111

137 साईड व्हील :

मोटर साईकिल के साथ संलग्न प्रत्येक साईड कार, मोटर साईकिल के बांई ओर इस प्रकार संलग्न की जाएगी कि मोटर साईकिल के अनुलग्य अक्ष के सीधे कोण से लम्ब रूप रेखा में व्हीलज पूरी तरी इस रूप से बाहर न हो, जो मोटर साईकिल के आगे और पीछे प्रक्षेपण बिन्दू तक न गुजरे ।

138 चालक से सम्पर्क :

(1) प्रत्येक परिवहन यान, चाहे वह यात्रियों या माल के प्रयोग के लिए हो, जिसमें कि निश्चित विभाजन द्वारा माल कक्ष या यात्रियों से चालक की सीट अलग हो और जो तुरन्त खोली न जा सके को, सक्षम साधनों से मुसज्जित किया जायेगा ताकि ऐसे कोष्ठ से यात्री, संवाहक या क्लीनर द्वारा चालक को यान रोकने के लिए संकेत करने में सक्षम हो सके, परन्तु संवाहक या क्लीनर माल यान में पीछे बैठेगा ताकि यान जिसमें वह यात्रा कर रहा है की तरफ तेज गति से किसी यान को आते देखे तो चालक को संकेत कर सके ।

(2) उप नियम (1) निम्नलिखित को लागू नहीं होगा :

(अ) पैट्रोल टैंक लारी ;
(ब) यान जिसकी समस्त चैसिस पर टैंक फिट हुआ हो ;
(स) स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कूडा-करकट ले जाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यान ।

(3) प्रत्येक मालगाड़ी या ट्रैक्टर, ट्रेलर संयोजन में ऐसे दक्ष साधन उपलब्ध करवाये जायेंगे जिससे संवाहक या क्लीनर, चालक को यान रोकने या अधिक गति मे जाने वाले यानों को रास्ता देने के लिए संकेत करने के लिए सक्षम हो सकें, सम्पर्क घंटी का उपयुक्त रूप से और साकेट प्रकार का होगा, ताकि सम्पर्क घंटी को ट्रेलर को संयोजित करते समय सम्बद्ध या असम्बद्ध किया जा सकें ।

धारा 111

139 रंग करने पर प्रतिबन्ध :

(1) कोई भी मोटर यान ओलिव हरे रंग में नहीं रंगी जाएगी, परन्तु सैनिक प्रबन्ध के रूप में खरीदे गए किसी सैनिक मोटर यान को अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व ओलिव हरे रंग से भिन्न रंग मे पुनः रंगा जाएगा और पुनः किया गया ऐसा रंग इन नियमों के अधीन मोटर यानों के वर्ग या वर्गों को यथा लागू रंगों के वर्गीकरण के अनुरूप, यदि कोई हो, किया जायेगा ।

(2) शैक्षणिक संस्थान से सम्बन्धित कोई मोटर यान :

(क) हल्के नीले या आकाशीय नीले रंग में खिड़कियों से 178 मिलीमीटर नीचे की बाडी पर चारों और 254 मी0 मी0 गहरी नीली चौडी पट्टी के साथ रंगा जाएगा ;
(ख) गहरी नीली पट्टी के नीचे संस्थान का शीर्ष, यान के पिछले और अगले पहियों के बीच दोनों ओर सजिव रंग में लिखा जाएगा ; और

(ग) संस्थान व नाम आगे की ओर विंड स्क्रीन से ऊपर या नीचे उपलब्ध स्थान के अनुसार लिखा जायेगा ।

(3) राज्य पुलिस संगठन से सम्बन्धित मोटर साईकल के अतिरिक्त कोई भी मोटर साईकिल पीले रंग में नहीं रंगा जाएगा ।

140 मंजिली गाड़ी जब मंजिला गाड़ी के रूप में प्रयुक्त की जा रही हो तो उस पर विशेष चिन्ह प्रदर्शित करना :

(1) कोई भी मंजिली गाड़ी या यान जोकि मंजिली गाड़ी के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा हो, तब तक संविदा गाड़ी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि यान के दोनों ओर यह लिख कर कि यान तत्समय के लिए संविदा गाड़ी के रूप में प्रयोग किया जाएगा न कि मंजिली गाड़ी के रूप में बोर्ड न लगाया जाये ।

(2) उप नियम (1) के अधीन अपेक्षित बोर्ड पर सफेद तल पर लाल शब्दों में "आन कन्ट्रैक्ट" शब्द प्रदर्शित किए जायेंगे जो शब्द रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए विनिर्दिष्ट अंकों के आकार मे कम नहीं होंगे और छत के समीप या स्तर पर प्रमुख और स्पष्ट स्थिति में लगाए जायेंगे ।

(3) उप नियम (1) के अधीन अपेक्षित कोई किसी यात्रा के आरम्भ करने से पूर्व जिसके लिए कि यान का प्रयोग संविदा गाड़ी के लिए किया जाता है या पर लगाया जाएगा और पूरी यात्रा के दौरान बोर्ड लगाए रखना होगा और बोर्ड या उन मार्गों या मार्ग को दर्शित करने वाले चिन्ह जिन पर कि अन्य समय पर यान चलाया जाना है उस यात्रा के दौरान हटा दिए जायेंगे या ढक दिये जायेंगे ।

धारा 111

141 लोक सेवा यान के लिए विशेष अपेक्षाएं :

(1) प्रत्येक लोक सेवा यान और उसके समस्त भाग को जिन में रंग कार्य या वार्निश भी सम्मिलित है साफ सुथरा और अच्छी स्थिति में रखा जाएगा और उसका इंजिन यांत्रिक और सभी कार्य करने वाले कल पुर्जे विश्वसनीय रूप मे ठीक रखें जायेंगे ।

(2) प्रत्येक लोक सेवा यान को प्राथमिक चिकित्सा बाक्स सहित निम्नलिखित वस्तुएं सुविधा पूर्वक रखने के लिए ग्लेज्ड अनुकूल आयाम अग्र भाग में बनाना होगा :

(1) प्राथमिक चिकित्सक निदेशों की पुस्तिका,
(2) साधारण खपच्चियों का सेट (जिसमें चार लोहे के सर्किट के साथ छः खपचियां होंगी)
(3) चार त्रिकोणिय बैंडेज ;
(4) शल्य चिकित्सा फाहों के पैकेट ;
(5) जीवाणू हीन फीगरज पट्टियां संख्या में 2 ;
(6) जीवाणू हीन फीगरज पट्टियां संख्या में 24 ;
(7) जीवाणू हीन हाथ और पांव की पट्टियां संख्या में 12 ;
(8) जीवाणू हीन शरीर की पट्टियां संख्या में 3 :
(9) जीवाणू हीन चलने की पट्टियां ;

(क) छोटे आकार की दो ;

(ख) बड़े आकार की दो ;
(10) आंखों के दो पैड ;
(11) एक कार्ड सेफटीपिन ;
(12) एक कैंची;
(13) पच्चीस मिली मीटर का एक रपूलप्लास्टर ;
(14) दवाई पिलाने वाला एक गिलास ;
(15) रोगाणू रोधक क्रीम जिसमें सेनट्रीमीड बी0 पी0 नान ग्रेजी आधार में 0.5 प्रतिशत हो ;
(16) शल्य चिकित्सा स्पीरिट एक बोतल ;
(17) साल वोलटाईन चार बोतल ;
(18) चार छोटे टोरनीक्वेट ;
(19) कार्क लगी हुई खाली बोतल और आई ड्राप के लिए केमल हेयर बुरुश ;
(20) एक पैड स्पलींटर चेमटी और ;
(21) 75 सी0 सी0 का दवाई गिलास ।

142 यान की स्थिरता को मापना :

(1) दो मंजिला लोक सेवा यान की स्थिरता ऐसी होगी कि जब 59 किलो ग्राम प्रति व्यक्ति भार जो चालक और संवाहक सहित सही सापेक्ष स्थिति में लदा हो, यदि ले जाई जाए और ऊपरी मंजिल में यात्रियों की पूर्ण संख्या हो, केवल यदि धरातल जिस पर यान खड़ा हो यान क्षतिजीय बिन्दु से दोनों तरफ 28 डिग्री झुक जाये जिस पर कि यान न उल्ट सकता हो ।

(2) मोटर कैब से अन्यथा लोक सेवा यान की स्थिरता ऐसी होगी कि यह भार की किसी भी स्थिति में जिसमें कि प्रत्येक यात्री 73 किलोग्राम भार का हो, जिसके लिए की यान का रजिस्ट्रीकरण किया गया है यदि धरातल जिस पर यान खड़ा है यदि यान का क्षैतिक झुकाव उस बिन्दू पर दोनों और 35 डिग्री हो जिस पर की यान उलट सकता है, न उलटे ।

(3) स्थिरता का परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ यान के पहिए को साईड में से बचाने के लिए खिसकने से बचाने के लिए प्रयक्त किसी स्टाक की ऊंचाई जब पहिया इस नियम की अपेक्षाओं के अनुसार पारित किया जाता है तल जिस पर उलटने से पूर्व यान खड़ा है और उस पहिए के रिम का दूसरा भाग जो तल के निकटतम है के बीच की दूरी के दो तिहाई से अधिक नहीं होगी ।

धारा 111

143 बैठने का स्थान :

(1) मोटर कैब से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान में प्रत्येक यात्री के लिए साधारण यान की दशा में 375 वर्ग मिलीमीटर से अन्यून डीलक्स यान में 400 वर्ग मिलीमीटर बैठने के स्थान का उपबन्ध किया जायेगा। बैठने का स्थान प्रत्येक सीट के आगे सीधी पंक्ति और समकोण में नापा जायेगा :

(क) जब सीटें यान के साथ रखी जाती है साईड पर सीटों की पीठ, दूसरी ओर से सीटों की पीठ से कम से कम 1,37 मीटर की दूरी की होगी ;

(ख) जब सीटें यानों के आर-पार रखी जाती हैं और एक ही दिशा में हों तो प्रत्येक स्थान पर वहां, सीटों के पीठ के बीच 68,5 सैंटीमीटर से अन्यून स्पष्ट स्थान होगा ;

(ग) जब सीटें यानों के आर-पार हों और एक दूसरे के सामने हों, वहां प्रत्येक स्थान पर सीटों की पीठ के बीच 1,25 मीटर से अन्यून स्थान होगा ;

(घ) जहां सीटें इस प्रकार से रखी जाती हैं कि एक कतार में यान के साथ-साथ हो और सीटों की दूसरी कतार यान को पार करती हो तो सीटों के अग्र और देशान्तरीय भाग और अनुप्रस्थ सीटों के निकटतम के बीच स्पष्ट स्थान 450 मिलीमीटर से अन्यून होगा और अधिकतम लेग स्थान,

(ङ) साधारण यान की दशा में 254 मिलीमीटर सेमी डीलक्स यान की दशा में 330 मिलीमीटर और डीलक्स यान की दशा में 380 मिलीमीटर से अन्यून होगा ;

परन्तु डीलक्स यान के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त विनिर्देश भी लागू होंगे, अर्थात् :

(1) सीट और बैक रेसट्स पूर्ण युक्त सपरिंग रखे जाएंगे ;

(2) प्रत्येक यात्री के लिए , हैड रैस्ट, आराम रैस्ट, और थाई रैम्ट सहित पृथक पुश बैक पद्धति का उपबन्ध किया जाएगा ;

(3) सभी सीटों की पीठ सीट स्तर से उपर 700 मिलीमीटर की ऊंचाई तक रखी जाएगी ;

(4) कर्मी दल के लिए पृथक केबिन की व्यवस्थता की जाएगी ;

परन्तु यह और की सैमी डीलक्स में निम्नलिखित उपबन्ध किया जायेगा :

(1) सीटें, जिनके साथ हैड रैस्ट, थाई रैस्ट और आराम रैस्ट लगें हों ;

(2) सीटें और सीटबैक पूर्ण रूप से सपरिंग युक्त हों ;

(3) प्रवेश करने और बाहर जाने के लिए पृथक दरवाजों की व्यवस्था हो ;

(4) सभी सीटों की बैक सीट स्तर से 700 मिलीमीटर की ऊंचाई तक रखी जाए ।

(2) सभी सीटों की पीठें सीट स्तर से ऊपर 400 मिलीमीटर की ऊंचाई तक रखी जाएगी ।

(3) सभी लोक सेवा यानों में सभी सीटें आगे की ओर होंगी : परन्तु एकल डेक यान की दशा में राज्य परिवहन प्राधिकरण उक्त सीमाओं के भीतर मापन विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र या पहाड़ी सड़कों पर लोक सेवा यानों या लोक कार्य यान को विशेष प्रकार के अनुरूप होगा, परन्तु यह और भी कि यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि फर्श, बोर्ड की चोटी या छत आलंब के निचले स्तर से यान के केन्द्र के साथ-साथ नापी गई अन्दर की ऊंचाई या हैड रूम रखने वाले विशिष्ट यान या यानों के वर्ग में लोक प्रयोजन के लिए किसी कार्य को कार्यान्वित करने के लिए रखी गई ऊंचाई, उपयुक्त है तो वह ऐसी आन्तरिक ऊंचाई वाले यानों को अधिसूचना द्वारा आम या विशेष क्षेत्रों या मार्गों पर ऐसी शर्तों के अध्याधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए इस नियम के उपबन्धों से छूट दे सकेगी ।

धारा 111

144 **चालक की सीट :**

(1) कोई भी लोक सेवा यान, यान के दायीं ओर से ही चलाया जाएगा ।

(2) प्रत्येक लोक सेवा यान में चालक की सीट के लिए स्थान आरक्षित रखा जाएगा ताकि वह यान पर पूरा नियन्त्रण रख सके और विशेषतया :

(क) सीट का भाग जिस पर चालक की सीट टिकी हुई है स्टीयरिंग पहिए के निकटतम बिन्दू से 280 मिलीमीटर से अन्यून होगा और यह सीट इस प्रकार से निर्मित की जाएगी ताकि वह समयोजित हो सके और 350 मिलीमीटर तक बढ़ सके और चालक की सीट इस प्रकार से निर्मित की जाएगी ताकि उल्लिखित समायोजन के आगे और पीछे के अतिरिक्त ऊपर नीचे हो सके ;

(ख) यान की चौड़ाई 630 मिलीमीटर से कम नहीं होगी और किसी भी दशा में सटीयरिंग स्तम्भ के केन्द्र की बायीं ओर 250 मिलीमीटर से कम नहीं बढ़ाई जायेगी ताकि किसी गियेर स्तर, ब्रेक लीवर या अन्य यन्त्र के केन्द्र से यान के एसिस के समानान्तर खींची गई रेखा जिसके लिए चालक निरन्तर पहुंच रखता हो चाल ककी सीट के लिए आरक्षित ऊंचाई के भीतर 50 मिलीमीटर से अन्यून होगी ;

(ग) मोटर कैब से भिन्न लोक सेवा यान की दशा में खण्ड (ख) के अनुसार आरक्षित स्थान, बाईं ओर होगा और सीट के ऊपर 300 मिलीमीटर से अनधिक ऊंचाई तक और सीट के अगली ओर यान के तल से उपर रखा लकड़ी या अन्य उपयुक्त विभाजक से पर्याप्त ऊंचाई तक घेरा जाएगा ।

(3) कोई भी लोक सेवा यान इस प्रकार से निर्मित नहीं किया जाएगा कि चालक की दायीं ओर कोई व्यक्ति बैठ सके या कोई सामान ले जा सके ।

(4) प्रत्येक लोक सेवा यान इस प्रकार से निर्मित किया जायेगा कि बाडी के अगले पिल्लर के सिवाये चालक को आगे और अपने दायीं हाथ की ओर 90 डिग्री के कोण से स्पष्ट दिखाई दे सके । बाड़ी का अगला पिल्लर इस प्रकार से निर्मित किया जाएगा कि चालक को देखने में कम से कम रूकावट पड़े ।

राज्य परिवहन प्राधिकरण लिखित रूप से आदेश द्वारा निर्देश रोकेगा कि यान अपने चलने की अवधि पूर्ण करने के पश्चात् सड़क पर चलाए जाने से हटा नहीं दिया जाता है तब तक इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के निपटान संगठन द्वारा इस नियम की कोई भी बात और इसके परिणामस्वरूप इसके उपबन्धों द्वारा अपेक्षित कि यान दायीं ओर से चलाया जाएगा , बाएं हाथ के सटियरिंग नियन्त्रण के विशेष श्रेणी के या लोक सेवा यान पर लागू नहीं होगी ।

धारा 114

146 कुल सीटों की क्षमता :

(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी मोटर केब से भिन्न किसी भी लोक सेवा यान को उसमें उतनी सवारियों के लिए रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जितनी यान के रजिस्ट्रीकृत लदे और अनलदे भार किलोग्राम में से एक सौ अठारह किलोग्राम घटाकर शेष को एक मंजिली गाड़ी की दशा में 160 से और दो मंजिली गाड़ी की दशा में 130 से विभक्त करके प्राप्त हुई गिनती के समान हो या सवारियों की इस गिनती के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जो गाड़ी साधारण ढंग से लदी हो और रजिस्ट्रीकृत ऐक्सल भार से उसका भार अधिक न हो ।

(2) लोक सेवा यान में ले जाने वाले अनुमन्त व्यक्तियों की संख्या के अतिरिक्त :

(1) 12 वर्ष से अनधिक आयु का शिशु आधा गिना जाएगा ; और
(2) 3 वर्ष से अनधिक आयु का शिशु गिना नहीं जायेगा ।

147 मुख्य कक्ष :

मोटर कैब से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान में फर्श की सतह से यान के केन्द्र के साथ नापा हुआ मुख्य कक्ष या छत अवलंब की भीतरी ओर से निम्नलिखित आन्तरिक ऊंचाई होगी :

(क) एकल डैक यान की दशा में स्थाई-अस्थाई 1,4 मीटर से अन्यून और 1,5 मीटर से अनधिक ;

(ख) चल हुई एकल डेक यान की दशा में 1,4 मीटर से अनधिक ; और

(ग) दोहरी डेक यान की दशा में ऐसा माप जो सरकार प्रत्येक ऐसे विशेष मामले में विनिर्दिष्ट करें :

परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकरण एकल डेक यान की दशा में उक्त सीमाओं के भीतर ऐसा माप विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो विशिष्ट या पहाड़ी सड़कों में लोक सेवा यान के अनुरूप होगा ।

धारा 111

148 दरवाजों की चौड़ाई :

(1) मोटर कैब से भिन्न लोक सेवा यान का प्रत्येक प्रवेश या निकास द्वार कम से कम 530 मिलीमीटर की चौडाई और पर्याप्त ऊंचाई में होगा ।

(2) प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार ताला बन्दी यांत्रिकी के प्रचालन द्वारा बाहर की ओर खुला करेगा।

(3) दरवाजों के हत्थे या दरवाजे कैच के लीवर इस प्रकार से निर्मित और लगाए जायेंगे कि वे उखड़ें न या अपने आप न चलें ।

(4) सभी दरवाजे इस प्रकार से निर्मित किए जायेंगे ताकि वे आवश्यकता के समय लोक सेवा यान के भीतर और बाहर से शीघ्र खुल सकें ।

(5) प्रत्येक लोक सेवा यान का प्रवेश द्वार से पृथक आपातकाल निकास द्वार होगा ।

(6) सभी आपातकाल निकास :

(1) भीतर की ओर बड़े अक्षरों में आपातकाल निकास स्पष्ट रूप में चिन्हित किए जायेंगे ;
(2) बाहर की ओर से खुलने वाले दरवाजे लगाए जाएंगे ;
(3) इस प्रकार से निर्मित किए जायेंगे जो यान के भीतर और बाहर से खुल सकें ;
(4) कसाव यन्त्र से सज्जित होंगे जिन्हें तुरन्त खोला जा सके किन्तु इस प्रकार से निर्मित होंगे ताकि आकस्मिक खुल जाने पर उससे सुरक्षा बनी रहे ;
(5) यान के बाहर भूमि पर खड़े साधारण ऊंचाई वाले व्यक्तियों की सुलभ पहुंच में होंगे ;
(6) यात्रियों की सुलभ पहुंच में होंगे ,
(7) इस प्रकार से रखे जाएंगे कि कोई सीट या यान में रखी गई वस्तु आपातकाल दरवाजे के मार्ग में कोई रूकावट नहीं डालेगी,
(8) या तो यान के पीछे या उसके दायें हाथ की ओर स्थित होगा ;
(9) की ओर कोई मार्ग नहीं होगा,

(7) लम्बे मार्गों पर चलाये जाने वाली डीलक्स बसों से भिन्न लोक सेवा यान में आपातकाल और चालक की सीट के अतिरिक्त प्रवेश और निकास के लिए विभिन्न क्षर की व्यवस्था की जाएगी ;

(8) प्रत्येक सीट से, कम से कम एक निकास तक के लिए बिना रोक पहुंच होगी :
परन्तु यह नियम, चालक के साथ वाली सीट को लागू नहीं होगा, यदि चालक के प्रवेश द्वार से भिन्न ऐसी सीट के लिए अन्य प्रवेश द्वारा पहुंच है ।

(9) या तो यान के बाहरी ओर से या मार्ग द्वारा चालक की सीट के लिए सीधी पहुंच होगी जो गैंगवे के लिए विनिर्दिष्ट आयाम से कम होगी ।

धारा 111

149 पकड़ने की रेलिंग :

मोटर कैब से भिन्न लोक सेवा यान में आपातकाल निर्गम के सिवाये प्रत्येक प्रवेश या निकास द्वार पर यात्रियों को यान पर चढ़ने या उतरने के लिए पकड़ने की रेलिंग लगाई जायेगी ।

धारा 111

150 सीढ़ियां :

(1) मोटर कैब से किसी भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान में जब यान खाली है आपातकाल निर्गम से भिन्न किसी प्रवेश या निकास द्वार के लिए सबसे नीचे की सीढी की ऊंचाई सतह से ऊपर 500 मिलीमीटर से अनधिक या 425 मिलीमीटर से अन्यून होगी । आबद्ध सीढी 225 मिलीमीटर चौड़ाई से कम नहीं होगी और किसी भी स्थिति में तब तक यान की बाडी से बाहर नहीं होगी जब तक उसे आगे के विंग द्वारा सुरक्षा न प्रदान की गई हो या अन्यथा इसमें पैदल चलने वाले यात्रियों को कोई क्षति न पहुंचे, किसी सीढी और सीट के अगले किनारे से गुजर रहे वर्टीकल प्लेन की कम से कम दूरी 225 मिलीमीटर से कम नहीं होगी ।

(2) दोहरे डैक यान की दशा में :

(क) नीचे से उपरी डैक तक जाने वाले सभी सीढ़ियों के गईजर बन्द होंगे और टाप लेडिंग बोर्ड की ऊंचाई पर कोई अनारक्षित द्वार नहीं छोड़ा जायेगा ।

(ख) डैक के सिरे के राईजर के निकट तक बिन्दू से सीट की पीठ से किसी पकड़ने वाले रेलिंग को निकालकर जो 75 मिलीमीटर से अनधिक हो, सीढी के डैक सिरे के सामने की सीट के निकट तक बिन्दु से गुजर रही सीधी लाईन तक 660 मिली मीटर से अनधिक होगी ; और

(ग) सीढी से बाहर बाहरी रटियरिंग इस प्रकार से निर्मित किया जाएगा या बैंड इस प्रकार रखा जाएगा ताकि वह चढने या उतरने के लिए स्क्रीन का कार्य करें और गार्ड रेलिंग की बाहरी ऊंचाई प्रत्येक सीढी के आगे ऊपर एक मीटर अन्यून होगी ।

धारा 111

151 कुशन :

जहां लोक सेवा यान की सीटों में जुडे हुए या बिना जुडे हुए कुशन की व्यवस्था की जाती है वहां कुशन अच्छी किस्म के चमड़े के कवर या इस किस्म की अन्य सामग्री से ढके जायेंगे ताकि इन्हें साफ सुथरी और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखा जा सके ।

धारा 111

152 गाड़ी के माप और गार्ड रेलिंग :

(1) मोटर कैब को छोड़कर प्रत्येक लोक सेवा यान इस प्रकार से बना होगा कि :—

(क) एक छत वाले बन्द बाडी यान की दशा में;

(1) फर्श से यथास्थिति बाडी की साइजों की या खिड़कियों की दहलीज की ऊंचाई 710 मिलीमीटर से अन्यून कम नहीं होगी, और

(2) यदि बाडी की साइडों या खिड़कियों की दहलीज की सीकट के सबसे ऊंचे भाग से ऊंचाई 450 मिलीमीटर से कम हो तो बैठी सवारियों के बाजुओं को उन से बाहर निकलने से

और गुजर रहे यानों द्वारा चोट लगने से बचाने के लिए गार्ड रेलिंग या और प्रबन्ध किया जाएगा या उस सीमा जहां तक साईजों की खिड़कियां या खिड़कियों के शीशे नीचे किए जा सकते हों ऐसे हों कि जब शीशे नीचे किए जाएं तो सबसे उपर का किनारा किसी भी सीट के सबसे ऊंचे भाग से 450 मिलीमीटर से कम न हों ;

(ख) दोहरे डैक यान की दशा में जिसमें ऊपर का डैक खुला हो ऊपर के डैक की साईडों और किनारों पर जंगलों का प्रबन्ध किया जाएगा जिनका ऊपर का भाग डैक के तख्तों या साईडों मे लगी झीरियों से उपर कम से कम एक मीटर और अगले तथा पिछले जंगले के उपर के भाग तक के तखतों या झीरियों से उपर कम से कम एक मीटर होगा और वह डैक के चैम्बर के पीछे होगा ।

(2) इस नियम के प्रयोजनार्थ सीट बैक, सीट का भाग नहीं समझा जायेगा ।

धारा 111

153 मौसम से यात्रियों की सुरक्षा :

(1) दोहरे डैक यान से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान इस प्रकार से निर्मित किया जाएगा कि उसमें आवद्ध और पानी न निकलने वाली छत या पानी न निकलनें वाला हुड लगा हो जो यथा अपेक्षित उठाया या नीचे किया जा सकता हो ।

(2) दोहरे डैक के खुले टाप डैक के सिवाय प्रत्येक लोक सेवा यान में उपयुक्त खिड़कियां बिक या स्वरिव होंगे जो यान के रोशनदानों को रोके बिना हर समय मौसम से यात्रियों का बचाव करेंगे । जब स्क्रीन कपड़े के बने हों तब ये सारे, हर समय यान मे सुरक्षित रूप में आवद्ध होंगे ।

(3) जब शीशे वाली खिड़कियों या चिक का प्रयोग किया जाता है, तो उनकी खड़खडाहट को रोकने के लिए प्रभावकारी उपाय का उपबन्ध किया जायेगा ।

(4) किसी मुख्य खिड़की या वायु स्क्रीन को खोले बिना यात्रियों और चालक दोनों के लिए पर्याप्त रोशनदान होगा ।

धारा 111

154 आईना लगाने पर प्रतिबन्ध :

कोई आईना या शीशे से ढके चित्र किसी लोक सेवा यान में युक्ति युक्त प्रकाश देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी किन्तु ऐसे प्रकाश या स्क्रीनिंग से चालक को आगे देखने में कोई रूकावट नहीं होनी चाहिए ।

धारा 111

155 बाडी का निर्माण :

लोक सेवा यान की बाडी और बाडी का लेआउट, समय-समय पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में निर्मित किया जायेगा और यान के फ्रेम से आबद्ध होगा ।

धारा 111

156 ईंधन टैंक :

(1) कोई भी ईंधन किसी गैंगवे के किसी भाग के अधीन जो एकल डैक यान या दोहरे डैक यान के निचले डैक के प्रवेश या निर्गम द्वार के 60 किलोमीटर के अधीन हो, किसी लोक सेवा यान में नहीं रखा जायेगा ।

(2) प्रत्येक लोक सेवा यान में कोई ईंधन टैंक इस प्रकार रखा जायेगा कि अतिरिक्त बहाव किसी लकड़ी पर या किसी ऐसी जगह इकट्ठा नहीं हो जाए जहां वह तुरन्त ज्वलनशील हो । सभी ईंधन टैंक भरने का स्थान यान की बाडी से बाहर होगा और भरने का ढक्कन इस प्रकार परिकलित या निर्मित किया जायेगा कि वह सुरक्षा पूर्वक स्थिति में लगाया जा सके ।

धारा 111

157 बिजली की तारें :

सभी विद्युत तारें या लीड्स पर्याप्त रूप से विद्युत रोधी होंगी ।

धारा 111

158 अग्नि शामक :

प्रत्येक लोक सेवा यान राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रकार के अग्नि शामक से सुसज्जित होगा और इसका निरीक्षण ऐसी अवधि और ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा कि जिन्हें राज्य परिवहन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे । व्यक्तियों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अवधि पर निरीक्षण किया जायेगा ।

धारा 111

159 जलारोधी कैन्वस :

प्रत्येक लोक सेवा यान यात्रियों से सम्बन्धित और यान की छत पर ले जाये जाने वाले सामान की सुरक्षा के लिए जलारोधी कैन्वश वतिखाल से सुरक्षित होगा ।

धारा 111

160 नटों का लाक होना :

प्रत्येक लोक सेवा यान के सभी चलित भाग और सर्विस वाइब्रेशन के अधीन सभी भाग जो बोल्ट या स्टड और नट से जुड़े हुए हों, ढीले होने से रोकने के लिए लाक नट या प्रभावकारी स्प्रिंग सहित नट या लोक नट वाशर या कुंगरेदार नट से और स्पलिट पिन्ज या किसी अन्य साधन या प्रभावकारी यन्त्र से कसे होंगे ।

धारा 111

161 आरम्भ और गंतव्य स्थान का प्रदर्शन :

मोटर कैब से भिन्न लोक सेवा यान का स्वामी, इन नियमों की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित रीति से यान के सामने चालक की सीट के उपर, यात्रा के प्रारम्भ और उस मार्ग के समाप्ति को दर्शाते हुए, जिसके लिए उसके पास अनुज्ञा पत्र है, बोर्ड प्रदर्शित करेगा । बोर्ड यान की पूरी चौडाई पर लगाया जायेगा । यात्रा प्रारम्भ और समाप्ति करने वाले शब्दों के अक्षर सफेद तल पर काले रंग से लिखे जायेंगे और वे प्रत्येक किसी भी भाग में 100 मिलीमीटर उंचाई और 20 मिलीमीटर की मोटाई से कम नहीं होंगे । लोक सेवा यान का स्वामी दो भागों में विभाजित करके, उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट बोर्ड के नीचे अरबी अंकों में सफेद चाक में लिखकर एक में ट्रिप संख्या और दूसरे में अनुमोदित प्रस्थान समय दर्शित करते हुए इसे काले स्ट्रीप पर प्रदर्शित करेगा ।

धारा 111

162 फर्शी बोर्ड :

(1) प्रत्येक लोक सेवा यान के फर्शी बोर्ड पक्के होंगे और इस प्रकार नजदीकी से जोड़े जायेंगे या सामग्री से ढके जायेंगे ताकि यथा सम्भव वायु प्रवाह और धूलि को दूर किया जा सके ।

(2) फर्शी बोर्डों में जल निकास के प्रयोजन के लिए ही छिद्र किए जायेंगे किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं ।

धारा 111

163 अतिरिक्त पहिया और पुर्जे :

(1) केवल शहरी क्षेत्रों में चलाये जाने वाले सेवा यानों के बारे में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा यथा अन्यथा विनिर्दिष्ट के सिवाये प्रत्येक लोक सेवा यान हर समय अच्छी और उपयुक्त दशा में कम से कम एक अतिरिक्त पहिए या हवादार टायर से युक्त रीम से सज्जित होगा, जो तुरन्त हवा से भरा जा सके और इस प्रकार से बचाया जा सके कि वह तुरन्त उतारा जा सके और यान में उसके किसी पथ पहिए के स्थान पर लगाया जा सके, परन्तु किसी ऐसी यात्रा की पूर्णता के दौरान जिसमें अतिरिक्त पहिए का प्रयोग किया गया हो, दूसरे अतिरिक्त पहिए का रखना आवश्यक नहीं होगा ।

(2) प्रत्येक लोक सेवा यान हर समय निम्नलिखित को शामिल करते हुए पहिए या रीम और टयूब को बदलने के लिए आवश्यक प्रभावकारी जैक और अन्य औजारों और पंचर की मुरम्मत करने के लिए आवश्यक उपस्करों से सुरजलित होगा, अर्थात् :,

(1) यान पर प्रत्येक नट को फिट करने का "पाना"
(2) एक पेचकस ;
(3) एक जोड़ा प्लायर ;
(4) एक हथौड़ा ;
(5) दो टायर लीवर ;
(6) टायर रिपेयर आउट फिट ;
(7) टायर पम्प ;
(8) पहिया (व्हील) जैक ;
(9) एक अतिरिक्त हैड लाईट बल्ब, और एक अतिरिक्त गियर लैम्प बल्ब, और
(10) अतिरिक्त फयूज ।

(3) मोटर कैब से भिन्न प्रत्येक परिवहन यान में ढलान पर यान को रोकने के लिए चेन से संलग्न उपयुक्त ब्लाक सज्जित होगा ।

धारा 111

164 विज्ञान और लोक सेवा यान पर अन्य अंकन :

(1) राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा उनमन्त के सिवाये किसी लोक सेवा यान पर कोई विज्ञापन बिन्दू, अंक या लेखन प्रदर्शित नहीं किया जायेगा ।

(2) भारतीय डाक और तार विभाग के साथ संविदा द्वारा या उसके अधीन डाक ले जाने के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त लोक सेवा यान पर सफेद तल पर लाल रंग में, यान की साफ सतह या प्लेट पर सुस्पष्ट स्थान में शब्द "डाक" प्रदर्शित किये जायेंगे जिसमें प्रत्येक शब्द ऊंचाई में 100 मिलीमीटर और समरूप मौटाई में 20 मिलीमीटर से कम नहीं होगा ।

(3) उपयुक्त के सिवाये किसी भी मोटरयान पर कोई संकेत या लेख जिसके अन्तर्गत शब्द "डाक" है प्रदर्शित नहीं किया जायेगा ।

धारा 111

165 माल गाड़ी की बाडी और लदान प्लेट फार्म :

(1) प्रत्येक माल गाड़ी की बाडी जिसके अन्तर्गत ट्रेलर भी है, यान के फेस से इस प्रकार बांधी या निर्मित की जायेगी जो समय-समय पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुरूप होगी। यान अन्य प्रयुक्त किये जाने वाले पथ पर बिना किसी खतरे या असुविधा के लदान को ले जाने के लिए जिसके लिए इसका प्रयोग किया जाना है सपर्थ होगा ताकि लदान बाडी या प्लेट फार्म के भीतर सुरक्षित रूप से पैक किया जा सके।

(2) प्रत्येक माल गाड़ी जिसके साथ ट्रेलर और संयुक्त रूप से ट्रैक्टर-ट्रेलर जुड़े हों, में एक विद्युत यन्त्र लगाया जायेगा ताकि यांत्रिक कार्य प्रणाली के असफल हो जाने और ट्रेलर के छूट जाने पर चालक के केबिन में बजर द्वारा घंटी बजाई जा सके।

धारा 111

166 माल गाड़ी के चालक की सीट :

जहां तक चालक की सीट का सम्बन्ध है, प्रत्येक माल गाड़ी को नियम 144 के उपबन्ध लागू होंगे।

धारा 111

167 आटो रिक्शा और ट्रैक्टर ट्रेलर के लिए अपेक्षाएं :

(1) प्रत्येक आटो रिक्शा की :

(1) बाडी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित स्टेशन वैगन या डिब्बा प्रकार "टाईप" या हैकनि गाड़ी के प्रकार की होगी जो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की इच्छानुसार पक्की तरह निर्मित की जायेगी और यान के फ्रेम के साथ सुरक्षित स्थिति में कसी जायेगी और धूप, हवा और वर्षा से यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए जायेंगे।

(2) छत इस प्रकार से निर्मित की जायगी ताकि यात्रियों की धूप और वर्षा से सुरक्षा की जा सके और यह मैटलशीट या कैनवस या अन्य उपयुक्त सामग्री की होगी ;

(3) रोड क्लीयरेंस 225 मिलीमीटर से अनधिक और 150 मिलीमीटर से अन्यून होगी ;

(4) फर्श बोर्ड उस तल से जिस पर आटो रिक्शा खड़ा है 550 मिलीमीटर से अनधिक होगा।

(5) चालक की सीट बाडी के अगले पैनल से कम से कम 100 मिलीमीटर की क्लीयरेंस की होगी और चालक के लिए विंड स्क्रीन की व्यवस्था की जायेगी।

(6) चार यात्रियों के बैठने की क्षमता रखने वाले आटो रिक्शा की स्थिति में कम से कम 275 मिलीमीटर पांव रखने का स्थान और 2 यात्रियों को बैठने की क्षमता रखने वाले आटो रिक्शा की स्थिति में 375 मिलीमीटर के पांव रखने के स्थान की व्यवस्था की जायेगी।

(7) में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित टैक्सी मीटर की व्यवस्था की जायेगी,

(8) में विद्युत हार्न के साथ-साथ बल्ब हार्न भी लगाया जायेगा, और

(9) में चालक को पीछे दृश्य को किसी रुकावट के बिना साफ देखने के लिए उपयुक्त स्थान पर रियर व्यू मीटर लगाया जायेगा ;

परन्तु चार यात्रियों की बैठने की क्षमता रखने वाले आटो रिक्शा की स्थिति में जिसमें प्रवेश द्वार या निकास द्वार आगे या पीछे से है और सीटें आर-पार आधार पर रखी गई है, आटो रिक्शा का गैंगवे 300 मिलीमीटर से अन्यून होगा।

(2) केन्द्रीय नियम के अध्याय (5) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्याधीन जहां तक से संयुक्त रूप से जुड़े ट्रैक्टर ट्रेलर और उक्त अध्याय के अधीन ट्रेलरों के लिए विनिर्दिष्ट कुल आयाम से सम्बन्धित हो ;

(क) कृषि उत्पाद के प्रयोग के लिए ट्रैक्टरों से संलग्न ट्रेलरों को सम्मिलित करते हुए माल के वहन के लिए ट्रैक्टरों के साथ संलग्न किये जाने वाले ट्रेलरों ;

(1) में ठेले लाईट, स्टाप लाईट, साईड इंडिकेटर, आगे और पीछे पार्किंग लाईट उपबन्ध होगी ;

(2) की दस प्रतिशत के न्यूनतम ग्रेडिएट पर अधिकतम भार सहित खोले गए ट्रेलर की पार्किंग के लिए पर्याप्त क्षमता की पार्किंग ब्रेकस होगी ;

(3) में संसपैंशन सिस्टम का पर्याप्त प्रबन्ध होगा और ओवर रन ब्रेकस रखेंगे जो ब्रेक लगने के समय हिच कम्बीशन के स्थान पर समान रूप से लगें ;

(4) कि लदान ऊंचाई ट्रैक्टर के स्टीयरिंग व्हील के केन्द्र की ऊंचाई से अधिक नहीं होगी ; और

(5) की ऊंचाई ट्रैक्टर चौड़ाई से अधिक नहीं होगी ।

(ख) ट्रैक्टर जिसके साथ ट्रेलर जोडा जायेगा :

(1) में रियर व्यू मिरर लगाया जायेगा ताकि ट्रैक्टर चालक सड़क के पिछले दृश्य को देख सके ;

(2) में सैल्फ लाकिंग और स्प्रिंग लोडिंग सवाईवल टाईप लगी होगी । संयुक्त रूप से जुड़े ट्रैक्टर ट्राली को खींचने की लाईन समानान्तर होगी और इसका एक हुक हैवी डियूटी फोजर्ड स्टील का बना होगा ;

(3) में ईंजन लगा होगा जिसकी :

(क) क्षमता 35 हार्स पावर होगी जहां लदान एक हजार किलोग्राम से अनधिक हो ;
(ख) क्षमता 35 हार्स पावर से अधिक होगी जहां लदान एक हजार किलोग्राम से अधिक किन्तु दो हाजर किलोग्राम से अनधिक हो ।

धारा 111

168 झण्डे का प्रयोग :

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत उच्च पदस्थ या अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मोटर यान से भिन्न अन्य किसी यान पर झण्डों या झण्डे की छड़ों का प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

धारा 111

169 लाल बत्तियों का प्रयोग :

भारतीय झण्डा संहिता के अनुसार अपनी मोटर कारों पर सुस्पष्ट झण्डो के प्रयोग की आज्ञा प्राप्त अधिकारियों की मोटर कारों से भिन्न किसी अन्य मोटर यान पर पीछे की लाल बत्ती के सिवाये आगे की लाल बत्ती नहीं जलायेगा :

परन्तु यह उपबन्ध यान के आन्तरिक प्रकाश या किसी दिशा में सूचक द्वारा प्रदर्शित अपर बत्ती को लागू नहीं होगा :

परन्तु यह और कि सड़क पर यानों की जांच पड़ताल (चैक) करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को मीटर कारों में टिमटिमाती लाल बत्तियां लगाई जायेंगी ।

धारा 111

अध्याय-8

यातायात का नियन्त्रण

170 तोलने के यन्त्र का प्रयोग :

(1) कोई भी तोलने का यंत्र धारा 114 के प्रयोजनों के लिए तब तक प्रयोग नहीं किया जायेगा जब तक राज्य परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रक, भार एवं माप तोल, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रत्येक छः माम से कम से कम एक बार इसकी जांच न की जाये ।

(2) कोई भी तोलने का यन्त्र राज्य परिवहन प्राधिकरण की मंजूरी के बिना नहीं लगाया जायेगा ।

(3) राज्य परिवहन प्राधिकरण उप नियम (2) के निबन्धनों के अनुसार तोलने के यन्त्र को चलाने की मंजूरी देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा अर्थात् :

(क) आम जनता के हितों और तोलने के यन्त्र को सुचारू रूप में कार्य करना ;
(ख) यातायात के नियंत्रण की दृष्टि से तोलने के यन्त्र को लागने के स्थान की उपयुक्तता ;
(ग) परिक्षेत्र में रह रहे या सम्पत्ति रखने वाले लोगों के क्षोभ का परिवर्जन ;
(घ) उसी क्षेत्र में विद्यमान अन्य तोलने के यन्त्रों के सम्बन्ध में तोलन यन्त्र लगाने के स्थान की उपयुक्तता;
(ङ) कोई अन्य बात जो सुसंगत प्रतीत होती हो ।

धारा 138(2) (ख)

171 गियर मुक्त चालान पर निर्बन्धन :

कोई व्यक्ति अधिनियम की अनुसूची के भाग "अ" में परिवहन चिन्ह संख्या 10 द्वारा चिन्हांकित किसी पहाड़ी पर दबे हुए क्लच पैडल या किसी मुक्त चक्का या चलाने वाली अन्य युक्ति जो इंजन को ब्रेक की तरह कार्य करने से रोकती हो, के साथ मोटर यान नहीं चलाएगा ।

धारा 138 (2)(ज)

172 चलते यानों में चढ़ने और पकड़ने पर प्रतिषेध :

(1) कोई व्यक्ति चलते मोटर यान में नहीं चढ़ेगा या चढ़ने या उतरने का प्रयास नहीं करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति या मोटर यान का चालक पहियों वाले यान को बांधने या खींचने या अन्यथा किसी प्रयोजन के लिए जब मोटर यान गति में हो उसे पकड़ने नहीं देगा या पकड़ने की अनुमति नहीं देगा ।

धारा 138 (2) (छ)

173 खींचना :

(1) किसी मोटर यान द्वारा यांत्रिक रूप से नियोग्य या अधूरे रूप से जोड़े गये मोटर यान या रजिस्ट्रीकृत ट्रेलर से भिन्न किसी यान को खींचा या बांध कर खींचा नहीं जायेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकृत ट्रेलर से भिन्न कोई मोटर यान किसी अन्य मोटर यान द्वारा तब तक खींचा या बांध कर खींचा नहीं जायेगा जब तक खींचे या बांधकर खींचे जा रहे मोटर यान में चालक के स्थान पर ऐसा व्यक्ति न हो जिसके पास ऐसी अनुज्ञप्ति हो जो उसे उस प्रकार के यान को चलाने के लिए प्राधिकृत करे या जब तक खींचे जा रहे मोटर यान के अगले पहिए मजबूती से और सुरक्षित तौर पर किसी क्रम या अन्य यन्त्र द्वारा, खींचने वाले यान पर. सड़क की सतह मे उपर टिका कर अवलम्बित नहीं किया जाता ।

(3) जब मोटर यान किसी अन्य मोटर यान द्वारा खींचा जा रहा हो तो अगले यान के पिछले भाग और पिछले यान के अगले भाग के बीच की दूरी किसी भी समय 4,6 मीटर से अधिक नहीं होगी । खींचने वाले रस्से या जंजीर को इस प्रकार से बांधने के पग उठाये जायेंगे कि सड़क पर चलने फिरने वाले लोगों को यह आसानी से दिखाई दे और खींचे जाने वाले के पिछले भाग पर सफेद प्लेट पर काले अक्षरों में 75 मिलीमीटर से अनधिक बड़े शब्द "आन टो" प्रदर्शित किये जायेंगे ।

परन्तु किसी व्यक्ति को, शब्द "आन टो" के प्रदर्शन में असफल रहने पर इस उप नियम का उल्लंघन करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जायेगा, यदि वह मोटर यान जो दूसरे साधारणतय: इस प्रयोजन के लिए मोटर यान के खराब होने के स्थान से मार्ग में किसी समीपस्थ स्थान तक जहां आवश्यक सामग्री प्राप्त की जा सके दूसरे यान को खींच रहा हो ।

(4) ट्रेलर या साईड कार से भिन्न कोई मोटर यान जब किसी अन्य यान को खींच रहा हो तो उसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी ।

धारा 138 (2) (छ)

174 यातायात एकत्रिकरण :

जहां कोई सड़क या गली जिसमें पैदल चलने के मार्ग या पगडण्डियां हों साईकिलों या विनिर्दिष्ट श्रेणियों के अन्य यातायात के लिए सुरक्षित हों में कोई व्यक्ति वर्दी वाले पुलिस अधिकारी की मंजूरी के बिना किसी मोटर यान को नहीं चलाएगा या किसी ऐसी पगडण्डी या पैदल चलने के मार्ग पर मोटर यान को चलाने की आज्ञा नहीं देगा या दिलायेगा ।

धारा 138 (2) (ज)

175 भार का बढ़ा हुआ भाग :

(1) दो डैक वाले सार्वजनिक सेवा यान की छत से बाहर कुछ भी रखा या ले जाया नहीं जायेगा ।

(2) कोई व्यक्ति किसी मोटर यान को सार्वजनिक स्थान में नहीं चलाएगा या किसी व्यक्ति से नहीं चलवाएगा या चलाने की अनुमति नहीं देगा जो ऐसी रीति में भार से लदा हुआ हो कि किसी व्यक्ति को खतरा होने की संभावना हो या इस रीति में भार से लदा हुआ हो कि यान या उसके किसी भाग या किसी चीज का विस्तार,

(क) बाड़ी के किनारे से आगे पार्श्व तक या बाडी के किनारे के आगे उर्ध्व तल में बढ़ा हुआ हो ;

(ख) सामने की ओर यान के सबसे आगे के भाग से आगे बढ़ा हो ;

(ग) पीछे की ओर, सामान वाहक के अतिरिक्त, यान के सबसे पीछे के भाग 1,2 मीटर की दूरी से अधिक हो ; और

(घ) ऊंचाई में, उस सतह से जिस पर मोटर यान खड़ा है, 4.0 मीटर से अधिक हो ।

(4) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी या उसका कार्यालय यदि इस प्रकार प्राधिकृत हो इस नियम में किन्हीं या सभी मोटर यान को, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन जो विनिर्दिष्ट की जाये छूट दे सकेगा।

धारा 138 (2) (झ)

176 खतरनाक पदार्थों का वहन :

(1) यान के लिए आवश्यक ईंधन और तेल के अतिरिक्त मानव जीवन के लिए खतरनाक और संकटमय स्वरूप के अत्याधिक ज्वलनशील या अखतरनाक पदार्थ का किसी यान पर वहन नहीं किया जाएगा जब तक इसे इस प्रकार से बांधा न गया हो या बाडी इस प्रकार से गढी हुई न हो जैसी कि भारत सरकार के विस्फोट नियंत्रण या उस द्वारा इस निमित किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाये कि दुर्घटना की स्थिति में भी उस "यान" द्वारा ले जाये जा रहे लोगों को या यान को या जन सम्पत्ति को क्षति या चोट लगने की संभावना न हो ।

(2) यदि निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की राय में कोई यान की किसी उप नियम (1) के उल्लंघन में लदाई की जाती है तो वह मोटर यान के चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति को मानव जीवन के लिए खतरनाक या संकटमय स्वरूप के माल जैसा कि विज्ञान एवं तकनिकी विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये को हटाने या पुनः बांधने का आदेश दे सकेगा अन्यथा इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी क्षेत्र के पुलिस प्राधिकारियों की सहायता से यान या माल जब्त करने के लिए दायी होगा ।

धारा 138 (2) (झ)

177 ध्वनि संकेत :

(1) मोटर यान का कोई चालक श्रवणीय चेतावनी देने के लिए हार्न या अन्य यन्त्र को जो मोटर यान में लगा हुआ हो लगातार या उससे अधिक जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो नहीं बजाएगा या अन्य व्यक्ति से नहीं बजवाएगा या बजाने की अनुमति नहीं देगा ।

(2) जिला मैजिस्ट्रेट राजपत्र या क्षेत्र में परिचालित एक या दो समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित करके अधिनियम की पांचवी अनुसूची में दर्शाए गए यातायात चिन्ह संख्या 7 को यथोचित स्थान पर स्थापना करके, ऐसी अवधि के दौरान, जो उसके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी क्षेत्र में मोटर यानों के चालकों को श्रवणीय चेतावनी देने के लिए, मोटर यान में लगे हुए हार्न घण्टा अन्य यन्त्र के प्रयोग को प्रतिषिद्ध कर सकेगा :

परन्तु यह कि जब जिला मैजिस्ट्रेट कतिपय विनिर्दिष्ट समय के दौरान श्रवणीय चेतावनी देने के लिए हार्न या अन्य यन्त्र के प्रयोग पर रोक लगाता है तो वह यातायात चिन्ह के नीचे यथोचित सूचना अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में ऐसे प्रयोग की रोक की अवधि दर्शाते हुए लगाएगा ।

धारा 113 (2) (ख) और 138 (2) (झ)

178 कट आउटज:

मोटर यान का कोई चालक, किसी सार्वजनिक स्थान में साइलेन्सन के अतिरिक्त किसी कट आउट या किसी अन्य यन्त्र का प्रयोग नहीं करेगा । ईंधन की निष्कासित गैस सुरक्षित रूप मे छोड़ी जाती है ।

धारा 138 (2) (झ)

179 पीछे की ओर गाडी चलाने पर रोक :

मोटर यान का कोई चालक , पहले अपना समाधान किए बिना कि वह ऐसा करने मे किसी व्यक्ति को खतरा या अनुचित असुविधा पैदा नहीं करेगा या किन्हीं परिस्थितियों में सड़क रोलर के अतिरिक्त किसी लम्बी दूरी में या उस अवधि में जो घुमाने के लिए पर्याप्त आवश्यक हो यान को पीछे की ओर नहीं चलायेगा ।

धारा 138 (2) (झ)

180 यान खड़ा हो बत्तियों का प्रयोग :

(1) यदि नगरीय क्षेत्र की सीमा में ऐसी अवधि जिसमें बत्तियों की आवश्यकता हो, मोटर यान खडा हो, तो किसी सड़क या गली या अन्य जगह की ओर किसी सुनिश्चित नियुक्त पार्किंग स्थान पर साधारणतया या विशेषत: अपेक्षा किए जाने के अतिरिक्त मोटर यान के लिए जलाना आवश्यक नहीं होगा ।

(2) नगरीय क्षेत्र की सीमाओं से बाहर ऐसी अवधि के दौरान जिसमें बत्तियों की आवश्यकता सड़क का प्रयोग करने वालों को खतरा या अनुचित असुविधा न हो यदि मोटर यान खड़ा है तो मोटर यान की बत्तियों को जलाना आवश्यक नहीं होगा ।

धारा 138 (2) (झ)

181 चकाचौंध वाली बत्तियां :

(1) मोटर यान का चालक हर समय जब मोटर यान की बत्तियां प्रयोग में हो, "बत्तियों को" इस प्रकार से अभिचालित करेगा कि किसी व्यक्ति को चकाचौंध से खतरा या अनुचित असुविधा न हो ।

(2) जिला मैजिस्ट्रेट राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसे क्षेत्रों या स्थानों में जो अधिसूचना विनिर्दिष्ट किए गए अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में यथोचित सूचनाओं द्वारा शक्तिशाली या तेज बत्ती का प्रयोग प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

धारा 138 (2) (झ)

182 लैम्पों की दृष्टयता और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह :

(1) किसी भी मोटर यान पर कोई भार या अन्य वस्तु तब तक इस प्रकार नहीं रखी जाएगी, जिसमें किसी भी समय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित किसी मोटर यान पर लगाए जाने या प्रदर्शित किए जाने वाले किसी लैम्प, रजिस्ट्रीकृत चिन्ह या अन्य चिन्ह की दृष्यता में बाधा पहुंचे, जब तक कि इस प्रकार चिन्हित या अन्यथा मलिन लैम्प या चिन्ह के प्रतिरूप को अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में प्रदर्शित नहीं कर दिया जाता ।

धारा 138 (2) (झ)

183 सड़क पर रुकने के चिन्ह :

(1) जब किसी सड़क के जंकशन या पैदल क्रॉसिंग या अन्यथा के प्रवेश पथ पर या सतह पर कोई लाईन पेन्ट से बनाई गई हो तो कोई भी चालक मोटर यान को ऐसे नहीं चलाएगा कि जब पुलिस अधिकारी द्वारा या यातायात नियंत्रण बत्तियों या अधिनियम की अनुसूची के चिन्ह 3 के अस्थायी प्रदर्शन द्वारा रुकने को इशारा किया जाये तो यान का कोई भाग किसी भी समय उस लाईन के आगे नहीं जाएगा ।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए किसी भी स्थान पर लाईन की चौड़ाई 50 मिलीमीटर से कम नहीं होगी और लाईन या तो सफेद या पीले रंग में होगी ।

184 **पहाड़ी सड़कों पर विशेष उपबन्ध :**

सभी पहाड़ी सड़कों पर सभी चालक निम्नलिखित विशेष नियमों का पालन करेंगे, अर्थात :

(क) ऐसे स्थान के सिवाय जहां कम से कम 180 मीटर आगे की ओर पूरी सड़क स्पष्ट दृश्य है कोई मोटर यान दूसरे यान से आगे नहीं निकलेगा ;

(ख) जब दो मोटर यान एक दूसरे का प्रतिमुख स्थान पर पहुंचते हैं जहां वे टकराने के खतरे के बिना नहीं मिल सकते, पहाड़ी पर नीचे की ओर जाने वाला यान उपर की ओर आने वाले यान को निकलने के लिए रास्ता देगा और जब ऐसा मिलन ढाल उतराई पर या सड़क समतल दूरी पर होता है तो सड़क के अन्दर की ओर अर्थात् ऐसी साईड जो पहाड़ी के ऊपर की ओर का यान हो रास्ता देगा ।

(ग) चालक जब हर मोड़ पर जब मोड़ काट रहा हो हार्न देगा, परन्तु अस्पताल के समीप, मोड पर हार्न देना आवश्यक नहीं होगा यदि उस मोड या झुकाव पर हार्न न देने का संकेत है ।

(घ) चालक किसी लोक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा सेवा यान को किसी पहाड़ी सड़क पर तब तक नहीं चलाएगा जब तक उसकी अनुज्ञप्ति में पहाड़ी सड़कों पर चलने के लिए पृष्ठाकन नहीं किया जाता है ।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए पद शब्द पहाडी सड़क से राज्य में उन सड़कों को छोड़ कर जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा "प्लेन सड़कें" घोषित की जा सकेगी सभी सड़कें अभिप्रेत है ।

धारा 112, 115 और 138 (2) (झ)

185 **मोटर साईकलों के साथ ट्रेलरों का प्रतिषेध :**

(1) मोटर साईकल साईडकार के सहित या के बिना दो पहियों से अनधिक पहियों वाले ट्रेलर नहीं खींचेगा ।

(2) कोई भी मोटर यान बिना लदे 227 किलो ग्राम भार या 1,5 मीटर सम्पूर्ण चौडाई से अधिक के ट्रेलर को राज्य परिवहन प्राधिकरण की अनुमति के बिना नहीं खींचेगा ।

धारा 138 (2) (झ)

186 **कतिपय यानों से ट्रेलर के जोड़े जाने पर प्रतिषेध :**

कोई मोटर यान जो लम्बाई में 9,14 मीटर से अधिक हो ट्रेलर नहीं खींचेगा : परन्तु यह नियम नियोग्यता के परिणाम स्वरूप खींचे जा रहे किसी मोटर यान को लागू नहीं होगा ।

धारा 138 (2) (झ)

187 **ट्रेलरों के परिचालक :**

(1) जब किसी मोटर यान द्वारा ट्रेलर या ट्रेलरों को खींचा जा रहा हो तो ट्रेलर या ट्रेलरों या खींचने वाले मोटर यान पर जैसी भी स्थिति हो अठारह वर्ष से कम उम्र के अपना काम करने में सक्षम निम्नलिखित व्यक्तियों को साथ रखा जाएगा अर्थात :

(क) यदि ट्रेलर या ट्रेलरों की ब्रेक, खींचने वाले मोटर यान के चालक या उस यान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं लगाई जा सकती हो तो :

(1) प्रत्येक ट्रेलर पर ब्रेकें लगाने में सक्षम एक व्यक्ति ; और

(2) गाडी में अन्तिम ट्रेलर के पिछली ओर या के समीप एक व्यक्ति इस स्थिति में रखा जायेगा "बैठाया जायेगा" ताकि वह ट्रेलर के पीछे की सड़क का स्पष्ट दृष्य आगे निकलने वाले यानों के चालकों को "संकेत" देने के लिए खींचने वाले मोटर यान के चालक से सम्पर्क कर सके ;

(ख) यदि खींचने वाले मोटर यान के चालक द्वारा या उस यान पर ले जाये जा रहे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ट्रेलर की ब्रेकें लगाई जा सकती हों तो ऐसा अन्य व्यक्ति चालक के अतिरिक्त अपने यान पर खण्ड (क) के उप खण्ड (2) और एक व्यक्ति गाड़ी में अन्तिम ट्रेलर पर ले जाया जाएगा ;

(ग) यदि ट्रेलरा ट्रेलरों को रेल इंजन द्वारा खींचा जाता है इस बात के होते हुए भी कि ट्रेलर ।ट्रैलरों के ब्रेक चालक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाये जा सकते हैं प्रत्येक ट्रेलर पर एक व्यक्ति और रेलगाड़ी में अन्तिम ट्रेलर पर दो से अधिक व्यक्ति रखे जायेंगे, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जैसा खण्ड (क) के उप खण्ड (2) के उपबन्धों द्वारा अपेक्षित है ।

(2) यह नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होगा :

(क) कोई ऐसा ट्रेलर जिसमें दो से अधिक पहिए न हो और जब गाड़ी में प्रयोग करके अकेले अन्य ट्रेलरों के साथ प्रयोग के समय 771 किलोग्राम से अधिक भार न हो ;

(ख) आरटी कुलेटिडयान का ट्रेलिग हाफ ;

(ग) ऐसे ट्रेलर को जिसका प्रयोग केवल खींचने वाले यान के प्रयोजनों के लिए पानी लाने के लिए किया जाये, जब अकेले और गाडी में अन्य ट्रेलर के साथ प्रयोग किया जाये ;

(घ) मोटर यान द्वारा खींचे जा रहे किसी कृषि सम्बन्धी या सड़क बनाने या सड़क मुरम्मत करने वाले या सड़क साफ करने वाले किसी उपकरण को ;

(ङ) विशेष प्रकार से बनाये गये या किन्हीं उद्देश्यों के लिए अनुकुलित किसी ट्रेलर पर किसी सहयोगी को सुरक्षित नहीं ले जाया जा सकता हो, या

(च) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरो द्वारा उस सीमा तक जहां तक ऐसी छूट दी जाती हो इस नियम के किसी या सभी उपबन्धों से विशेष प्रकार से छूट और किसी प्रयोजन के लिए विशेष प्रकार से छूट देकर विशेष प्रकार से बनाए गए किसी बन्द ट्रेलर को ।

धारा 138 (2) (झ)

188 ट्रेलरों के लिए प्रभेदक चिन्ह :

(1) कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में किसी भी ऐसे मोटर यान को जिसके साथ ट्रेलर या ट्रालियां लगी हों तब तक स्वयं चलाने का प्रस्ताव नहीं करेगा या नहीं चलवाएगा जब तक ट्रेलर या गाड़ी की अन्तिम ट्राली के पीछे, यथास्थिति, नियमों की तीसरी अनुसूची में अन्तर्विष्ट आरेख में सुभेदक चिन्ह काले तल पर सफ़ेद रंग में न लगा हो ।

(2) ट्रेलर में चिन्ह साफ और स्पष्ट रूप में इस प्रकार चिपकाया जायेगा कि :

(क) चिन्ह पर अक्षर खड़े/सीधे लिखे हों और जो ट्रेलर के पीछे से आसानी से सुस्पष्ट हो ;

(ख) किन्ह, ट्रेलर के पीछे की ओर मध्य में या दाहिनी ओर हो ; और

(ग) उसका कोई भाग तल से 1.2 मीटर की ऊंचाई से अधिक न हो ।

(3) यह नियम 188 के उप नियम (2) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट मामलों को लागू नहीं होगा ।

धारा 65 (2) (छ) और 138 (2) (झ)

189 ट्रेलरों का प्रयोग :

(1) जोड़ने वाले यान के आधे खिसते हुए ट्रेलर से भिन्न किसी ट्रेलर को सार्वजनिक सेवा यान के साथ नहीं जोड़ा जायेगा ।

(2) नियम 188 के अधीन यथा अपेक्षित पुलिस दल को ले जाने के लिए प्रयोग किए जा रहे ट्रेलर या कृषि प्रयोजन और परिचारक को सम्मिलित करते हुए छः से अनधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रेलर के सिवाय परिचारक/परिचारकों से भिन्न कोई भी व्यक्ति ट्रेलर म नहीं जाया जाएगा ।

धारा 138 (2) (झ)

190 कर्मीदल रहित रेलवे लाईन को पार करना :

नियंत्रित या अनियंत्रित किसी रेलवे क्रासिंग के प्रवेश पर प्रत्येक मोटर यान का चालक यान को रोकेगा और तब तक रेलवे क्रासिंग को पार नहीं करेगा, जब तक वह विश्वस्त नहीं हो जाता कि रेलवे पथ दोनों तरफ से साफ ।

धारा 131 और धारा 138 (2) (झ)

191 यातायात नियंत्रण संकेतों का अनुपालन करने का कर्त्तव्य :

(1) मोटर यान का प्रत्येक चालक सार्वजनिक स्थान में जब मोटर यान को चला रहा हो तो ऐसे सार्वजनिक स्थान में तत्समय यातायात को नियंत्रित करने के लिए वर्दी पहने किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उसे दिए गए ।

स्पष्टीकरण : "यातायात नियंत्रण संकेत" से इस नियम के प्रयोजन के लिए इन नियमों की चौथी अनुसूची में दिए गए यातायात नियंत्रण संकेत अभिप्रेत है ।

192 सिर में हैल्मैट का प्रयोग :

मोटर साईकिल को चलाने वाला या उस पर बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति हैल्मैट का प्रयोग करेगा जो कि समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो से अनुमोदित किया गया हो ।

धारा 119 और 138 (2) (झ)

अध्याय–9

सार्वजनिक स्थानों में मोटर यान का विराम/अड्डों का नियंत्रण

193 मंजिली गाड़ी का विराम :

(1) बस अड्डे के सिवाये कोई मंजिली गाडी चालान के दौरान या किसी समय शहरी क्षेत्र के अधिसूचित बस पर यात्रियों को ले जाने या उतरने के लिए पांच मिनट से अधिक नहीं रूकेगी ।

(2) जिला मैजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकेगा कि इस निमित शहरी क्षेत्र में उस द्वारा अधिसूचित (जिला मैजिस्ट्रेट अधिसूचना द्वारा या ऐसी अन्य रीति में जैसी वह उचित समझे सार्वजनिक अद्घोषणा करेगा) किसी गली या सड़क पर कोई भी मंजिली गाडी उसके द्वारा बस स्टाप या बस अड्डे के रूप में नियत किसी स्थान के सिवाये यात्रियों को चढाएगा या उतारेगी नहीं ।

(3) कोई भी मंजली गाडी बस स्टाप पर ऐसे यात्रियों को लेने, जो यान के पहुंचने की प्रतीक्षा में हो और ऐसे यात्रियों जो नीचे उतरना चाहते हों, को उतारने के लिए आवश्यक समय से अधिक नहीं रोकी जाएगी ।

(4) यदि मंजिली गाड़ी का चलन किसी शहरी क्षेत्र से आरम्भ या समाप्त होता है तो यह बस अडडे से आरम्भ या समाप्त होगा, जब तक कि जिला मैजिस्ट्रेट विशेषतया यान को इस नियम के उपबन्धों से छूट नहीं देता ।

(5) जहां मंजली गाड़ी को पूर्ववर्ती उप नियमों के उपबन्धों से छूट प्राप्त हो तो उस स्थान से जहां पर मंजिली गाड़ी चालान के आरम्भ या समाप्ति पर गैराज में या बाहर खड़ी है यथास्थिति 183 मीटर की दूरी या ऐसी अन्य दूरी जैसी छूट आदेश में नामित हो, तक कोई यात्री न तो चढ़ाया जायेगा या न उतारा जायेगा ।

(6) उप नियम (4) के उपबन्धों से मंजिली गाड़ी को छूट देने में जिला मैजिस्ट्रेट छूट के आदेश में यह शर्त रख सकेगा कि इस प्रयोजन के लिए नियत विशेष बस स्टाप पर पहले यात्रियों को उतारा जायेगा और उसके पश्चात् यात्रियों को चढ़ाया जायेगा ।

(7) उप नियम (4) के अधीन किया गया कोई आदेश एक वर्ष की अवधि या ऐसी कम अवधि जो जिला मैजिस्ट्रेट निर्देशित करे और किसी भी समय उसके विवेकानुसार रद्द या उपान्तरित किया जा सकेगा, के लिए प्रवृत रहेगा ।

(8) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण मंजिली गाडी के अनुज्ञापत्र के लिए शर्त लगा सकेगा कि जब यान प्रयोग न किया जा रहा हो तो नियम 196 के अधीन नियत बस अड्डा या पार्किंग स्थान के सिवाये किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़ा नहीं किया जायेगा । परन्तु उक्त उपबन्ध मंजिली गाड़ी को लागू नहीं होंगे जब यान यात्रियों के बिना, माल के वहन के लिए मंजिली गाडी के रूप में प्रयोग किया जा रहा हो, बशर्ते कि यान के साथ बोर्ड लगाया गया हो जिस पर यथास्थिति, "संविदा पर" या "केवल माल ले जाने के लिए" अंकित किया गया हो । परन्तु यह और कि भाड़े का विवरण यान की लाग बुक में दर्ज कर दिया गया हो ।

194 संविदा गाडी का विराम :

क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण किसी संविदा गाडी या किसी मंजिली गाडी जो संविदा गाडी के रूप में प्रयोग की जा रही हो, पर शर्त अधिरोपित कर सकेगा कि शहरी क्षेत्र में पार्किंग स्थान पर या मोटर कैब की स्थिति में नियम 196 के अधीन नियत टैक्सी अड्डे के सिवाये किसी सार्वजनिक स्थान में यान उस क्रमवर्ती मिनट से अधिक नहीं रोका जायेगा ।

धारा 96 (2) (21) और 138 (2) (ड)

195 पार्किंग स्थान :

नियम 201 के उपबधों के अधीन रहते हुए, जिला मैजिस्ट्रेट क्षेत्रीय परिवहन के नियन्त्रण के अध्यधीन और सम्बन्धित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले पुलिस अधीक्षक और स्थानीय प्राधिकरण के परामर्श से धारा

117 के अधीन मोटर यानों के लिए पार्किंग स्थान और अड्डे नियत करने के लिए आदेश कर सकेगा। परन्तु कोई स्थान जो निजी स्वाधिकृत नहीं है स्वामी द्वारा या उसकी लिखित सहमति के साथ आवेदन के सिवाये पार्किंग स्थान या अड्डा नियत नहीं किया जायेगा ।

धारा 96 (2) (21) और 138 (2) (ड)

196 टैक्सी स्टैंड :

(1) नियम 196 के अधीन नियत प्रत्येक टैक्सी स्टैंड पर :

(क) चालक अपनी मोटर कैब को स्टैण्ड में उसी क्रम से खड़ा करेगा जिस क्रम में वहां पहुंचती है । मोटर कैब जो काफी देर से प्रतीक्षा में आगे खड़ी है वह स्थान खाली होने पर चलेगी ;

(ख) प्रथम दो मोटर कैब के चालक अपने यान के पास किसी व्यक्ति द्वारा भाड़े पर यान ले जाने को तैयार खड़े रहेंगे ।

(ग) भविष्य में कुछ समय के लिए किसी मोटर कैब को टैक्सी स्टैंड में नहीं रखा जायेगा जब तक कि चालक किसी मध्यवर्ती भाड़े के प्रस्ताव को, जो उसे दिया गया हो को स्वीकार करने का इच्छुक न हो ; और

(घ) कोई भी निर्योग्य मोटर कैब टैक्सी स्टैंड में नहीं रखी जायेगी जब तक कि निर्योग्यता का तुरन्त उपचार आशयित न हो ।

(2) जिला मैजिस्ट्रेट किसी टैक्सी के मामले में उप-नियम (1) के अन्तर्विष्ट किन्हीं या सभी उपबंधों को शिथिल कर सकेगा ।

(3) टैक्सी स्टैंड मे मोटर कैब को भाड़े पर ले जाने के लिए इच्छुक व्यक्ति पर उप नियम (1) में दर्शित कोई भी बात, प्रथम कैब को ले जाने या उसके द्वारा स्वःइच्छा से यान चुनने की स्वतन्त्रता पर निर्बन्धन अधिरोपित करने के लिए बाध्यकर नहीं होगी ।

धारा 96 (2) (23) और 138 (2) (ड)

197 आस्वाछिक विराम :

कोई भी व्यक्ति इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में किसी यान के विराम के लिए दण्ड का दायी नहीं होगा यदि यान किसी यान्त्रिक त्रुटि ऐसे अन्य कारण से जो, चालक या प्रभारी व्यक्ति के नियन्त्रण के बाहर हो, यान रोका गया है ; परन्तु चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति को धारा 122 के उल्लंघन पर उसको दण्डित किया जाना तब तक जारी रहेगा जब तक यान को इस प्रकार हटाने में सभी व्यवहारिक कदम न उठाये गए हों ताकि अन्य व्यक्तियों को पथ का प्रयोग करने में कोई खतरा, रुकावट या असुविधा नहीं होगी ।

धारा 122 और 138 (2) (क)

198 हार्न के प्रयोग पर प्रतिषेध :

कोई भी व्यक्ति सन्निकट दुर्घटना का बचाव करने के सिवाये बस स्टैण्ड पार्किंग स्थान या टैक्सी स्टैंड की सीमा के भीतर किसी मोटर यान के हार्न या चेतावनी देने के अन्य आवाज वाले यन्त्र को नहीं बजायेगा ।

धारा 138 (2) (1)

199 बस स्टैंड का वर्गीकरण :

(1) बस स्टैण्ड का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जायेगा :

(अ) बस स्टैंड जो राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा प्रशासित साधारण बस स्टैंड के रूप में है;

(आ) किसी निजी व्यक्ति या कम्पनी को जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रबन्धाधीन प्रबन्ध के लिए साधारण बस स्टैंड के रूप में सौंपा गया कोई बस स्टैंड ;

(इ) नगरपालिका या सीधे रूप में या संविदाकार के अभिकरण के माध्यम से प्रशासित साधारण बस स्टैंड या कम्पनी बस स्टैंड ।

(ई) अन्य बस स्टैंड या कम्पनी बस स्टैंड ।

(2) जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नियम 196 के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश में स्थगित किये जाने के लिए अन्तन्त स्टैंड की श्रेणी दर्शित होगी और प्रारूप अर्थात् हिमाचल प्रदेश प्रारूप 47 स्टैंड "आ" हिमाचल प्रदेश प्रारूप स्टैंड "इ" या हिमाचल प्रदेश प्रारूप 51 स्टैंड "ई" में होगा और जिले में प्रचलन द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा जो जिला मैजिस्ट्रेट उचित समझे एक या अधिपत्रों में प्रकाशन द्वारा अधिसूचित किया जायेगा ।

(3) जिला मैजिस्ट्रेट प्रत्येक बस स्टैंड पर संदत की जाने वाली फीस या संदय अधिकतम फीस समय-समय पर नियत करेगा ।

धारा 96 (2) (22) और 138 (2) (ड)

200 स्टैंड की अनस्थिति के बारे में विचार :

जिला मैजिस्ट्रेट स्टैंड के रूप में प्रयोग किए जाने वाले स्थान के बारे में अनुज्ञा प्रदान करने का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा अर्थात् :

(क) साधारण जनता के हित और परिवहन पद्धति का दक्ष संगठन ;
(ख) यातायात नियन्त्रण की दृष्टि से स्थल की उपयुक्तता ;
(ग) स्थान में रह रहे या सम्पत्ति रखने वाले व्यक्तियों को क्षोभ से बचाव ;
(घ) उसी नगर में अन्य स्टैंडों के बारे में स्थल की उपयुक्तता;
(ङ) कोई अन्य विषय जो सुसंगत प्रतीत होता है ।

धारा 96 (2) (22) और 138 (2) (ड)

201 सभी स्टैंड को प्रयोज्य शर्तें :

1. नियम 196 के अधीन स्टैंड के रूप में प्रयोग किये जाने वाले स्थान की अनुज्ञा प्रदान करने वाला प्रत्येक आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा अर्थात् :

(क) स्टैंड की भूमि और भवन हर समय साफ और मुरम्मत द्वारा अच्छी स्थिति में रखा जायेगा ;
(ख) स्टैंड उचित और व्यवस्थित रीति में प्रशारित किया जायेगा ;
(ग) जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा स्टैंड के रूप में स्थान का प्रयोग करने के लिए अनुमति कोई व्यक्ति परिवहन कम्पनी, परिवहन फर्म, परिवहन सोसायटी या प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्टैण्ड में यान के प्रवेश करने या छोड़ने या वहां ठहराव के बारे में अधिनियम या नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता है सभी सावधानियां बरतेगा ;

(घ) बस स्टैण्ड में सुस्पष्ट स्थान पर बोर्ड स्थापित किया जायेगा जिस पर संदेय फीस और यानों के स्वामियों और चालकों से देय पूरी राशि न अधिक न कम वसूल की जायेगी, दर्शित की जायेगी ;

(ङ) यात्रियों द्वारा लोक यानों या माल गाड़ियों में ले जाये जाने वाले माल को ज्ञात करने के लिए स्टैण्ड में तोल मशीन रखी जायेगी ; और

(च) स्थानीय प्राधिकरण या स्टैण्ड का प्रशासन करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति :

(1) ऐसे अभिलेख रखेगा जो जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर निर्देशित किये जाये;

(2) स्टैण्ड पर ऐसे कर्मचारी नियोजित करेगा जो जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा किये गये आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें ;

(3) अधिकतम संख्या में यात्रियों के लिए स्टैण्ड पर एक ही समय में महिलाओं के लिए पृथक आवास रखते हुए प्रतीक्षालय कक्षों का उपबन्ध करेगा ;

(4) दोनों लिंगों के लिए उपयुक्त शौचालय का उपबन्ध करेगा ;

(5) स्टैण्ड पर नियमित रूप से रखे जाने वाले यानों के चालकों और सम्वाहकों के लिए विश्राम कक्षों का उपबन्ध करेगा ;

(6) यात्रियों, चालकों और स्टैण्ड पर सभाव्ययतः नियोजित किये जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए पीने के पानी के पर्याप्त पानी का उपबन्ध करेगा ;

(7) स्टैण्ड में नियमित रूप से रखे गये सभी यानों या उन यानों के ऐसे यात्रियों के लिए जैसा जिला मैजिस्ट्रेट विनिर्दिष्ट करे, आच्छादित या अन्य स्वरूप के आवास का उपबन्ध करेगा;

(8) रात्रि के समय स्टैण्ड में प्रकाश करने का उपबन्ध करेगा;

(9) स्टैण्ड के पृथक भाग में यानों को धोने और साफ करने की सुविधाएं उपलब्ध करवायेगा;

(10) महिला यात्रियों के लिए वाश बेसन, नलके वाले क्लाक रूम का उपबन्ध करेगा ।

(2) जिला मैजिस्ट्रेट, राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदित से आदेश के साथ कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकेगा, जिसे वह स्टैण्ड के दक्ष प्रशासन या अन्यथा लोक हित में आवश्यक समझे ।

धारा 96 (2) (12) और 138 (2) (ङ)

202 श्रेणी "आ" के स्टैण्ड :

(1) जब श्रेणी "आ" के स्टैण्ड की स्थापना के लिए प्रयोग किये जाने वाले स्थान के बारे में अनुज्ञा प्रदान करने वाला आदेश किया गया है, जिला मैजिस्ट्रेट मन्जूरी आदेश की शर्तों और अधिनियम तथा नियमों के सभी उपबन्धों के अनुपालन के उत्तरदायी होने और स्टैण्ड के प्रबन्ध और रख-रखाव करने के लिए किसी व्यक्ति, फर्म या कम्पनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रबन्धक निर्दिष्ट किया गया है) के साथ करार कर सकेगा ।

(2) उप नियम (1) के अधीन किए गये प्रत्येक करार की शर्त होगी कि प्रबन्धक ऐसे विवरण का लेखा रखेगा जो जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित हो और ऐसा लेखा जिला मैजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नियुक्त किसी पदधारी या लेखा परीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए सदैव खुला रहेगा ।

(3) ऐसे प्रत्येक करार में और यह भी दर्शित होगा कि प्रबन्धक स्टैण्ड पर एकत्रित समस्त फीस को रखने का हकदार होगा या इसके बदले उसका कुछ के भाग या समेकित राशि हिमाचल प्रदेश सरकार को संदेय होगी ।

(4) उप नियम (1) के अधीन करार इस प्रकार से किया जायेगा ताकि कतिपय समय के भीतर प्रबन्धक द्वारा विनिर्दिष्ट भवनों का निर्माण करने या स्टेज के स्थल पर विनिर्दिष्ट कार्य करने या नियम 202 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने की अपेक्षा की जा सके ।

(5) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के बाएं, कोई भी करार, उप नियम (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति से जो स्टैण्ड पर संभाव्यतः रखे जाने वाले किन्हीं यानों में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः वित्तीय हित रखता हो और जब तक जिस व्यक्ति से करार किया जाना है वह सहमत नहीं हो जाता है कि वह स्टैण्ड के किसी कार्य में हित रखने वाले किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा, करार नहीं किया जायेगा ।

धारा 96 (2) (22) और 138 (2) (ड)

203 **श्रेणी "ई" के स्टैण्ड :**

(1) श्रेणी "ई" के स्टैण्ड को प्रशासित करने वाला स्थानीय प्राधिकरण उसके बारे में प्राप्त आय और उपगत व्यय, का पृथक लेखा रखेगा और जो लेखे स्टैण्ड के बारे में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियोजित प्रबन्धक या संविदाकार के लेखों के साथ होंगे वे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किये गये प्रबन्धकों के अधीन लेखा परीक्षा के अध्याधीन होंगे और जिला मैजिस्ट्रेट और उसके द्वारा प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी पदधारी द्वारा युक्ति युक्त समय पर सदैव निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।

(2) श्रेणी (इ) के स्टैण्ड के लिए स्थल के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट कटौतियां सहित जिला मैजिस्ट्रेट के अनुमोदित से स्टैण्ड के प्रबन्ध रोशनी और उसके अनुरक्षण के लिए उपगत व्यय को कटौती करने के पश्चात् स्टैण्ड के प्रशासन से प्राप्त हुए समस्त लाभ, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नये भवनों की कीमत और स्टैण्ड पर सुधार या यानों के चालकों या प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यय किए जायेंगे ।

(3) नये भवनों, सुधारों और सुविधाओं पर उप नियम (2) के अधीन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यय की जाने वाली राशि को अवधारित करते समय निम्नलिखित के समान कटौती की जायेगी :

(क) स्टैण्ड के लिए भूमि या भवन अर्जित करने के प्रयोजन के लिए पिछले बीस सालों के दौरान स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उधार ली गई राशि पर संदत्त किये जा रहे ब्याज की राशि या यदि स्थानीय प्राधिकरण ने पिछले बीस वर्षों के दौरान भूमि और भवन अर्जित करने के लिए स्वयं राशि व्यय की हो तो चालू बैंक दर पर उस राशि पर ब्याज की राशि;

(ख) स्टैण्ड में सम्मिलित भूमि और भवन के कारण किसी व्यक्ति को स्थानीय प्राधिकरण से देय कोई भाड़ा ;

(ग) फीसों से कुल प्राप्ति के तीन प्रतिशत से अनधिक ऐसी अतिरिक्त राशि जो जिला मैजिस्ट्रेट और स्थानीय प्राधिकरण के बीच करार की गई हो ;

(4) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन के सिवाये श्रेणी 'ई' के स्टैण्ड का प्रशासन चलाने वाला स्थानीय प्राधिकरण स्टैण्ड का प्रबंध किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपेगा या स्टैण्ड के कार्य में नियोजित करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञा नहीं देगा जो स्टैण्ड पर संभावयतः रखे जाने वाले किन्हीं यानों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई वित्तीय हित रखता हो ।

धाराएं 96 (2) (22) और 138 (2) (ड)

204 श्रेणी "घ" के स्टैण्ड :

1 श्रेणी "घ" के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान की अनुज्ञा प्रदान करने वाले आदेश में प्रयुक्त किये जाने वाला क्षेत्र स्पष्ट रूप से दर्शित किया जाएगा ।

2 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की विशेष अनुज्ञा के लिए सिवाये उप नियम (1) के अधीन कोई आदेश तक नहीं किया जायेगा जब तक कि स्टैण्ड के रूप में स्थान का प्रयोग करने के लिए पांच से अनधिक यानों के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति परिवहन कम्पनी परिवहन फर्म, या परिवहन सोसाइटी के नाम परमिट न हो ।

3. जिला मैजिस्ट्रेट श्रेणी "घ" के किसी स्टैण्ड की स्थापना के लिए अनुज्ञा देने से पूर्व अपना समाधान करेगा कि प्रस्तावित स्थल ऐसी अवस्थिति में नहीं है जिससे के स्वामियों से कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

4. ऐसे यान से भिन्न श्रेणी "घ" स्टैण्ड में किसी अन्य यान को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसके बारे में किसी ऐसे व्यक्ति, परिवहन कम्पनी, परिवहन फर्म या परिवहन सोसाइटी के पास परमिट है जिसके नाम स्टैण्ड का प्रयोग करने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट के आदेश में विशेष रूप से लिखित यानों सहित स्टैण्ड मंजूर किया गया है ।

धारा 96 (2) (22) और 136 (2) (ड)

205 स्टैण्ड की सीमांकित सीमायें :

स्थानीय प्राधिकरण या व्यक्ति जिसे स्टैण्ड का प्रशासन सौंपा गया है जिला मैजिस्ट्रेट के समाधान पर स्थाई स्वरूप के खम्भों या अन्य चिन्हों को स्थापित करेगा जिसमें स्टैण्ड में सम्मिलित भूमि की सीमाएं सुस्पष्ट रूप में दर्शित की जायेगी ।

धारा 96 (2) (22) और 138 (2) (ड)

206 स्टैण्ड पर अधिक आवाज देने वाले यंत्रों पर प्रतिषेध :

अधिक शोर करने वाली किसी हार्न, घण्टी, सीटी, ग्रामोफोन, लाऊड स्पीकर, वाद्य उपकरण या अन्य यन्त्र का किसी स्टैण्ड पर यात्रियों को आकर्षित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

धारा 96 (2) (22) और 138 (2) (ड)

207 सरकार को प्रोद्भूत धन का निपटान :

हिमाचल प्रदेश सरकार को स्टैण्ड के प्रशासन से प्रोद्भूत धन विधान मण्डल के मत के अध्याधीन निम्नलिखित के लिए लगाया जायेगा :

(क) स्टैण्ड पर सुधार सुविधाओं का उपबन्ध करने,
(ख) स्टैण्ड के लिए स्थलों के अर्जन, या
(ग) कोई अन्य उद्देश्य जो सरकार की राय में स्टैण्ड के प्रभावकारी कार्य प्रणाली के लिए उचित हो ।

धारा 96 (2) (22) और 138 (2) (ड)

208 सभी परिवहन यानों के लिए स्टैण्ड का खुला रहना :

जब तक स्टैण्ड में स्वीकृत जगह पहले ही पूर्णतः भरी न हो, चालक या प्रभारी व्यक्ति को जो फीस के भुगतान का प्रस्ताव करता है किसी भी परिवहन यान को ए० बी० या सी० श्रेणी के अड्डे में प्रवेश के लिए इन्कार नहीं किया जायेगा :

परन्तु जहां पर किसी यान के स्वामी को श्रेणी (डी) के स्टैण्ड की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो या श्रेणी (डी) के स्टैण्ड को प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान की गई हो, तो उस स्टैण्ड के चार किलोमीटर के भीतर स्थित श्रेणी (ए), (बी) या (सी) स्टैण्ड में अपने यान के प्रवेश का कोई अधिकार नहीं होगा ।

धाराएं 96 (2) (22) और 138 (2) (ड)

209 अड्डों की स्थापना के आदेश का रद्दकरण :

(1) जिला मैजिस्ट्रेट किसी भी समय उसके द्वारा दिए किसी पूर्ववर्ती के द्वारा किसी अड्डे की स्थापना की अनुमति के आदेश को रद्द कर सकेगा, यदि उसकी राय में कोई शर्त जिस पर अड्डे की स्थापना करने की अनुमति दी गई थी का उल्लंघ न किया गया हो या अड्डे का संतोषप्रद प्रबन्ध नहीं किया जा रहा हो या इसका जारी रहना लोक हित में न हो।

(2) उप नियम (1) के अधीन कोई आदेश रद्द करने से पहले जिला मैजिस्ट्रेट अड्डे का प्रशासन चलाने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा और उसमें कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा ।

(3) अड्डे की स्थापना की अनुज्ञा देने वाला आदेश यदि उप नियम (1) के अधीन रद्द न किया गया हो तो यह तीन वर्ष की अवधि या ऐसी कम अवधि जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जा सकेगी के लिए प्रवृत रहेगा और ऐसा आदेश जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा ।

धारा 96 (2) (22) और 138 (2) (झ)

210 जिला मैजिस्ट्रेट के कार्य पर नियन्त्रण :

(1) जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा अड्डे की स्थापना की स्वीकृति देने वाले या स्थापना को रद्द करने वाले आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश को प्राप्त करने के तीस दिन के भीतर मण्डल आयुक्त को अपील कर सकेगा, जिसका आदेश अन्तिम और निश्चायक होगा ।

(2) उप नियम (1) के अधीन अपील की सुनवाई के लिए प्राधिकारी के रूप में नियुक्त मण्डल आयुक्त की शक्तियों के सिवाये जिला मैजिस्ट्रेट अड्डों की स्थापना और बसों को खड़ा करने सम्बन्धी सभी मामलों में राज्य परिवहन प्राधिकरण नियन्त्रणाधीन होगा और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विशिष्ट या साधारण अनुदेशों का पालन करेगा ।

धाराएं 96 (2) (22) और 138 (2) (ड)

211 अड्डों पर अधिकारियों का नियन्त्रण :

निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस अध्याय में अन्तर्विष्ट नियमों को उपबन्धों को अड्डों के प्रबन्धकों द्वारा पालन किया जा रहा है ।

धाराएं 96 (2) (22) और 132 (2) (ज)

अध्याय-10

तृतीय पक्ष के जोखिम के विरुद्ध मोटर यान का बीमा :

212 बीमे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना :

मोटर यान का स्वामी रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञापत्र को प्रदान या नवीकृत करने दुरुस्त प्रमाण-पत्र जारी या नवीकृत करने, स्वामित्व का अन्तरण करने, कर का भुगतान या किसी प्राधिकारी को अपने आप या किसी अन्य व्यक्ति का उसके आदेश से या उसकी अनुमति से यान का सार्वजनिक स्थान पर प्रयोग करने के लिए अधिनियम के अध्याय "11" की अपेक्षाओं के अनुसार अपने आवेदन के साथ बीमा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जो उस तारीख से विधिमान्य होगा जब आवेदन प्रस्तुत किया जाता है :

परन्तु अधिनियम की धारा 147 की उप धारा (2) के अधीन छूट प्राप्त मोटर यान के स्वामी को बीमा प्रमाण-पत्र के स्थान पर केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 148 में विहित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

धारा 146 (2) (3)

213 मोटर यानों की आरक्षित निधि :

मोटर यान आरक्षित निधि स्थापित की जाएगी और इसके लिए अंशदान धारा 146 की उप धारा (3) में विनिर्दिष्ट किन्हीं प्राधिकारियों द्वारा प्रति यान 500 रुपये से अन्यन वार्षिक की दर से किया जायेगा :

परन्तु जब प्रति यान की अधिकतम सीमा 2500 रुपये हो जाए तो यह अंशदान बन्द कर दिया जाएगा, किन्तु उक्त दर पर पुनः जारी कर दिया जाएगा जब निधि में से राशि निकालने के कारण मोटर यान आरक्षित निधि की सीमा अधिकतम सीमा से कम हो जाती है।

धारा 146 (3)

अध्याय-11

यान दुर्घटना दावा अधिकरण

214 प्रतिकर के दावे के लिए आवेदन :

धारा 166 के अधीन प्रतिकर के दावे के लिए आवेदन प्ररूप एम० ए० सी० टी० अ में किया जाएगा।

धाराएं 165 और 176

215 आवेदक का शपथ पर परीक्षण :

प्रतिकर दावे के आवेदन की प्राप्ति पर दावा अधिकरण आवेदक का शपथ पर परीक्षण करेगा और ऐसे परीक्षण का सार लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, जब धारा 166 की उप धारा (3) के उपबन्धों के अनुसार आवेदन समय वर्जित है तो दावा अधिकरण आवेदक से विलम्ब के क्षमादान का लिखित रूप में कारण पूछेगा और यदि कोई पर्याप्त कारण न हो यह आवेदक को बुलाये बिना ही रद्द कर दिया जायेगा ।

धाराएं 168 (1) और 176

216 आवेदन का संक्षिप्त खारिज किया जाना :

दावा अधिकरण नियम 216 के अधीन अभिलिखित आवेदन और कथन संक्षिप्त रूप में यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरान्त आवेदन को खारिज कर देगा यदि उसकी राय में उस पर आगामी कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

धाराएं 169 और 176

217 अन्तर्ग्रस्त पक्षकारों को सूचना :

यदि आवेदन नियम 217 के अधीन खारिज नहीं किया जाता है तो दावा अधिकरण दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त मोटर यान के स्वामी और बीमाकर्त्ता को आवेदन की प्रति तारीख की सूचना सहित जब आवेदक को सुना जायेगा भेजेगा और निश्चित तारीख को साक्ष्य देने के इच्छुक पक्षकारों को बुला सकेगा ।

धाराएं 169 और 176 (ख)

218 पक्षकारों की हाजरी और परीक्षण :

(1) मोटर यान के स्वामी और बीमाकर्त्ता यदि दावा अधिकरण द्वारा अपेक्षित हो पहली सुनवाई को या इस से पूर्व या ऐसे समय के भीतर जैसा कि दावा अधिकरण अनुज्ञात करे आवेदन में उठाये गये दावे से सम्बन्धित एक लिखित कथन दायर कर सकेगा और ऐसा लिखित कथन अभिले का भाग होगा ।

(2) यदि स्वामी या बीमाकर्त्ता दावे का विरोध करता है और यदि लिखित कथन दायर नहीं किया गया है तो दावा अधिकरण दावे के बारे में स्वामी और बीमाकर्त्ता का परीक्षण करेगा और परीक्षण के सार को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा ।

धाराएं 169 और 176 (ख)

219 साक्षियों को समन करना :

यदि कार्यवाही में किसी पक्ष द्वारा साक्षियों को बुलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो दावा अधिकरण अन्तर्वलित व्यय के संदाय पर यदि कोई हो, ऐसे साक्षियों की उपस्थिति के लिए जब तक यह नहीं समझा जाता कि न्यायोचित निर्णय के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है समन जारी कर सकेगा :

परन्तु यदि दावा अधिकरण की राय में पक्षकार वित्तीय रूप में कमजोर है तो वह अन्वर्लित व्यय के संदाय के लिए आग्रह नहीं करेगा और उसका निर्वहन सरकार करेगी :

परन्तु जहां पक्षकार पूर्णतः या अंशतः सफलता प्राप्त करता है इसलिए व्यय जो सरकार द्वारा उठाया गया है उसे स्वामी या बीमाकर्त्ता को अदा करने के निर्देश दिये जायेंगे जैसी भी स्थिति हो ।

धाराएं 169 और 176 (ख)

220 विधिक व्यवसायी की उपस्थिति :

दावा अधिकरण अपने विवेकानुसार किसी भी व्यक्ति को, अपने समक्ष विधिक व्यवसायिक के माध्यम से हाजिर होने की अनुमति दे सकेगा ।

धाराएं 169 और 176 (ख)

221 स्थानीय निरीक्षण :

(1) दावा अधिकरण उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही के दौरान, किसी भी समय, स्थानीय निरीक्षण या जांच से सुसंगत सूचना देने वाले किसी व्यक्ति के परीक्षण के प्रयोजन के लिए, उस स्थान जहां दुर्घटना घटी हो, का दौरा कर सकेगा ।

(2) स्थानीय निरीक्षण के लिए दावा अधिकरण जा सकेगा ।

(3) दावा अधिकरण स्थानीय निरीक्षण करने के उपरान्त संप्रक्षित किए तथ्यों का संक्षिप्त ज्ञापन म टिप्पण करेगा और ऐसा ज्ञापन कार्यवाही अभिलेख का एक भाग होगा ।

(4) उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट ज्ञापन कार्यवाही से संलिप्त किसी भी पक्ष को दिखाया जा सकेगा जो इसे देखने का इच्छुक हो, इसकी प्रति आवेदन करने पर ऐसे किसी पक्ष कों, दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से प्रदान की जा सकेगी ।

धाराएं 169 और 176 (ख)

222 यानों का निरीक्षण :

दावा अधिकरण, यदि उचित समझे तो दुर्घटना में ग्रस्त मोटर यान की उसके स्वामी द्वारा उल्लिखित विशिष्ट समय और स्थान पर स्वामी के परामर्श से निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

धाराएं 169 और 176 (ख)

223 संक्षिप्त परीक्षण की शक्ति :

दावा अधिकरण, स्थानीय निरीक्षण के दौरान या किसी अन्य समय उसके समक्ष लम्बित मामले की औपचारिक सुनवाई के सिवाये ऐसे किसी भी व्यक्ति का परीक्षण कर सकेगा जो ऐसे मामले सम्बन्धी जानकारी दे सकता हो, चाहे ऐसे मामले में वह गवाह हो या उसे गवाह के रूप में बुलाया जा सकता हो और चाह कोई या सभी पक्षकार उपस्थित हो या उपस्थित न हो ।

(2) उप नियम (1) के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने वाले व्यक्ति को शपथ नहीं दी जायेगी ।

धारा 169 और 176 (ख)

224 साक्ष्य अभिलिखित करने की रीति :

जैसे ही साक्षियों के परीक्षण की कार्यवाही होती है, दावा अधिकरण प्रत्येक साक्षी के संक्षिप्त सार का ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसा ज्ञापन दावा अधिकरण के सदस्यों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित किया जाएगा और यह अभिलेख का एक भाग होगा :

परन्तु किसी भी चिकित्सक साक्षरी का साक्ष्य जहां तक हो सके अक्षरश ही लिखा जाएगा ।

225 सुनवाई का स्थगन :

यदि दावा अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदन पहली सुनवाई में निपटाया नहीं जा सकता तो वह उन आवश्यक कारणों को अभिलिखित करेगा जिनक कारण स्थगन किया गया तथा स्थगन की तारीख के बारे में उपस्थित पक्षकारों को भी सूचित करेगा ।

धाराएं 169 और 176

226 **जांच के दौरान व्यक्तियों को सहयोजित करना :**

(1) दावा अधिकरण यदि उचित समझें, जांच से सुसंगत किसी मामले के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाले एक पर अधिक व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगा।

(2) सहयोजित व्यक्ति को यदि कोई पारिश्रमिक अदा करना है, तो यह प्रत्येक मामले में दावा अधिकरण द्वारा आधारित किया जायेगा।

धाराएं 169 और 176 (ख)

227 **वाद विषयों की विरचना करना :**

दावा अधिकरण किसी लिखित कथन, परीक्षित गवाहों के साक्ष्य और किसी स्थानीय परीक्षण के परिणाम पर विचार करने के उपरान्त वाद विषयों को विरचित एवं अभिलिखित करेगा जिन पर मामले का ठीक निर्णय आधारित हो।

धाराएं 169 और 176 (ख)

228 **वाद विषयों का अवधारण करना :**

दावा अधिकरण वाद विषयों की विरचना करने के पश्चात् साक्ष्य को अभिलिखित करेगा जो प्रत्येक पक्षकार प्रस्तुत करना चाहे।

धाराएं 169 और 176 (ख)

229 **डायरी :**

दावा अधिकरण पर कार्यवाहियों की डायरी तैयार करेगा।

धाराएं 169 और 176 (ख)

230 **प्रतिकर का अधिनिर्णय और निर्णय :**

(1) दावा अधिकरण आदेश पारित करते समय प्रत्येक विसतरित वाद विषयों पर पहुंचे निष्कर्ष और ऐसे निष्कर्ष के कारण निर्णय में संक्षिप्त रूप में अभिलिखित करेगा और बीमाकर्ता द्वारा सदत किए जाने वाले प्रतिकर की राशि और व्यक्ति जिसे प्रतिकर संदत किया जायेगा, को विनिदिष्ट करते हुए अधिनिर्णय करेगा।

(2) जहां पर प्रतिकर दो यां अधिक व्यक्तियों को अधिनिर्णीत किया गया है, दावा अधिकरण प्रत्येक को संदेय रकम की भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) जब दावा अधिकरण निर्णय को सुनाता है और अधिनिर्णय करता है तब अधिनिर्णय का प्रभावी भाग क्षेत्रीय भाषा में पढ़कर सुनाएगा जो दावादारों द्वारा समझा जा सके, और यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि वे प्रतिकर की पूरी रकम लेने के हकदार है जिसका अनिर्णय उनके पक्ष में किया गया है और वे अधिवक्ताओं को प्रतिकार की राशि का कोई भी प्रतिशत संदत्त करने के दायी नहीं होंगे किन्तु केवल अधिकरण द्वारा अवधारित फीस भी संदत करनी पड़ेगी।

धाराएं 169 और 176 (ख)

231 **कतिपय मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना :**

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित उपबन्ध जहां तक हो सके अर्थात् आदेश 5 नियम (9) से (13) तथा (15) से (30) तक आदेश9, आदेश 13 नियम '3' से '10'; आदेश नियम '2' से '21' और आदेश '17' ,आदेश '21' और आदेश '23' नियम 1 से 3 दावा अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के लिए लागू होंगे।

धाराएं 169 और 176 (ख)

232 **दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील का प्ररूप और रीति :**

दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील जिन अधारों पर की जा रही है उन्हें संक्षिप्त रूपों में दर्शाते हुए ज्ञापन के रूप में की जाएगी और इसके साथ निर्णय और अधिनिर्णय जिसके विरुद्ध अपील की गई है। की प्रति संलग्न की जाएगी।

धारा 173 और 176ग

233 **फीस :**

(1) धारा 166 के अधीन प्रतिकर के संदाय के आवेदन पर कोई भी न्यायालय स्टाम्प फीस उदगृहित नहीं की जायेगी ।

(2) नस्तियों के निरीक्षण के लिए प्रभारित न्यायालय फीस की राशि प्रत्येक मामले में प्रथम घण्टे के लिये 2 रुपये और पश्चात्वर्ती प्रथम घण्टे के लिए एक रुपया मांगी जाएगी।

(3) सम्बन्धित पक्षकारों को साक्ष्य की कार्बन प्रति जो दो रुपये प्रति पृष्ठ न्यायालय फीस स्टाम्प का भुगतान करने पर दी जायेगी और इस प्रकार की प्रतियों को प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र पर पांच रुपये की न्यायालय फीस स्टाम्प लगानी होगी।

(4) अन्तिम आदेश के अधिनिर्णय या मध्यवर्ती आदेश या दावा अधिकरण के पास दायर किसी दस्तावेज की अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए प्रति पृष्ठ दो रुपये की राशि न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में वसूल की जायेगी।

धारा 176 (घ)

234 **दावा अधिकरण की शक्तियां :**

आदेशों का पृष्ठांकन करने में दावा अधिकरण को वे सभी शक्तियां जो सिविल न्यायालय बिक्री को निष्पादन के अवमान और प्रतिरोध और ऐसे अन्य मामलों में प्रयोग कर सकेगा, प्राप्त होगी।

धारा 176 (ङ)

अध्याय-12

मोटर यान विभाग

235 **गठन और लागू होने का विस्तार :**

धारा 213 के अधीन नियुक्त सभी अधिकारियों को इस अध्याय के नियम लागू होंगे जो निदेशक के अधीन होंगे जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मोटर यान विभाग के अधिकारी कहा गया है।

धारा 213

236 अधिकारियों का वर्गीकरण :

नियम 236 में विनिर्दिष्ट अधिकारी वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के रूप में वर्गीकृत किए जायेंगे और वर्ग चार पदधारी ऐसे होंगे जो नियम 238 में संगठित हैं।

237 मोटर यान विभाग के अधिकारियों की शक्तियां :

नियम 237 के अधीन प्रत्येक वर्ग में सम्मिलित मोटर यान विभाग के अधिकारी, अधिनियम के अधीन अपराधों के बारे में उनके सामने दर्शित पुलिस की शक्तियों का प्रयोग करेंगे :

वर्ग 1

(क) निदेशक	पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रयोगतव्य शक्तियां।
(ख) सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी	पुलिस उप अधीक्षक द्वारा प्रयोगतव्य शक्तियां।

वर्ग 2

सहायक आयुक्त परिवहन तकनीकी	पुलिस उप अधीक्षक द्वारा प्रयोगतव्य शक्तियां।

वर्ग 3

(क) सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी	पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रयोगतव्य शक्तियां।
(ख) मोटर यान निरीक्षक	पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रयोगतव्य शक्तियां।

वर्ग 4

चपड़ासी, अर्दली जब पड़ताल पर हों	पुलिस के सिपाही द्वारा प्रयोगतव्य शक्तियां।

238 मोटर यान विभाग के अधिकारियों के कर्त्तव्य, शक्तियां और कृत्य :

(1) मोटर यान विभाग के सभी अधिकारी अधिनियम और उसके अधीन बनाये या जारी किए गए नियमों, विनियमों के उपबन्धों या अधिसूचनाओं को लागू करने और ऐसे कर्त्तव्यों जो उन्हें सौंपे गए हैं या सौंपे जा सकें, का सम्पादन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) मोटर यान विभाग के अधिकारी, अपने-अपने प्रसार के यातायात और परिवहन के समुचित नियन्त्रण और अड्डों के निरीक्षण अभिकर्ताओं को एकत्रित करने, भेजने और/या वितरित करने चालकों के प्रशिक्षण स्कूलों, प्राधिकृत केन्द्रों को आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विनियमन और नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) जिलों में यातायात नियन्त्रण, जिला पुलिस के पास रहेगा और मोटर यान के विभाग के अधिकारियों द्वारा पड़ताल से यातायात नियन्त्रण में पुलिस के कार्य में कोई हस्ताक्षेप नहीं होगा।

धारा 213

239 पहचान पत्र :

मोटर यान विभाग का प्रत्येक अधिकारी अपने साथ निदेशक या सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुप्रमाणित पास पोर्ट फोटो का पहचान पत्र रखेगा जिसमें उसका नाम, पदनाम, जन्म तिथि और विशेष पहचान चिन्ह का संक्षिप्त विवरण होगा।

धारा 213

240 **वर्दियां :**

(1) मोटर यान विभाग के अधिकारियों के लिए वर्दी इस प्रकार से बनायी जायेगी कि नियमित पुलिस बल द्वारा प्रयोग की जाने वाली वर्दी का भ्रम या गलती न हो।

(2) मोटर यान विभाग के वर्ग 3 और वर्ग 4 का प्रत्येक अधिकारी जब मोटर यान विभाग के अधिकारियों के लिए वर्दी ग्रीष्म ऋतु के लिए :

1. चाकलेटी भूरे रंग का पजामा (ट्राउजर)।
2. खाकी कमीज।
3. चाकलेटी भूरे रंग की पगड़ी।
4. खाकी रस्सी के साथ सीटी।
5. चमडे की भूरे रंग की पेटी।

शरद ऋतु के लिए :

1. चाकलेटी भूरे रंग का पजामा (ट्राऊजर)
2. खाकी सर्ज की कमीज।
3. चाकलेटी रंग की ऊनी जर्सी।
4. चाकलेटी भूरे रंग की पगड़ी।
5. खाकी रस्सी के साथ सीटी।
6. चमड़े की भूरे रंग की पेटी।

पद चिन्ह :

10 सैंटीमीटर

मोटर यान विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार
पदनाम

3 सैंटीमीटर

(3) मोटर यान विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्दी, फैन्सी ड्रैसों, नाटकों या अन्य मनोरंजनों में नहीं पहनी जायेगी और यह किसी अन्य व्यक्ति को प्रयोग के लिए किराये पर भी नहीं दी जायेगी।

(4) मोटर यान विभाग के वर्ग 1 और वर्ग 2 के अधिकारियों से भिन्न कोई भी अन्य अधिकारी जब तक उसने वर्दी या पद चिन्ह न लगाया हो और उसके पास पहचान पत्र न हो तब तक यान को नहीं रुकवायेगा, खड़ा नहीं रखेगा उसमें प्रवेश, और यात्रा नहीं करेगा या उसका निरीक्षण नहीं करेगा और अधिनियम या नियमों के अधीन अधिरोपित किसी कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा।

अध्याय—13

प्रकीर्ण

241 **फीस का प्रतिदाय :**

राज्य परिवहन प्राधिकरण का सचिव या संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का सचिव नियम 243 और 244 के उपबन्धों के अध्याधीन केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में अन्यथा उपबंधित के सिवाए,

आवेदन पर भविष्य में उसी प्रयोजन के लिए संदेय फीस के विरुद्ध समायोजन कर सकेगा या निम्नलिखित का प्रतिदाय कर सकेगा :

(क) संदत्त का अधिक, जहां संदत्त राशि उचित फीस से अधिक है ;

(ख) पूर्ण संदत्त फीस, जहां फीस भूल से संदत्त की गई थी; और

(ग) पूर्ण संदत्त फीस, जहां फीस का प्रेषण उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए फीस संदत्त की गई थी किए गए आवेदन द्वारा अनुसरणीय न हो।

242 निरीक्षण के पश्चात् प्रतिदाय :

(1) यदि प्रतिदाय के लिए आवेदन अधिक संदाय की तारीख से तीन मास के भीतर न किया गया हो तो अधिक संदत्त फीस का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

(2) यदि प्रतिदाय के लिए आवेदन सरकार के खाते में फीस के जमा करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर नहीं किया गया हो तो मूल द्वारा संदत्त की गई फीस के लिए कोई प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(3) यदि प्रतिदाय के लिए आवेदन सरकार के खाते में फीस के जमा कराये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर न किया गया हो तो जहां फीस की प्रेषण उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए फीस संदत्त की गई हो, आवेदन सहित न हो वहां फीस का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

243 निरसन और व्यावृत्तियां :

हिमाचल प्रदेश को पंजाब पुगर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा '5' के अधीन जोड़े गये क्षेत्रों को प्रवृत, दी पंजाब मोटर व्हीकल्ज रूल्ज, 1940 और पंजाब मोटर ऐक्सिडण्टस कलेमज ट्रिब्यूनल रूल्ज, 1964 और हिमाचल प्रदेश मोटर ऐक्सिडैन्टस कलेमज ट्रिब्यूनल रूल्ज 1960, हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट व्हीकल्ज रूल्ज 1964 और प्रथम जनवरी, 1966 से तुरन्त पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में प्रवृत्त पंजाब मोटर व्हीकल्ज रूल्ज, 1940 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

परन्तु यह कि निरसित नियमों के अधीन जारी कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही जहां तक कि यह इन नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो इन नियमों के ततस्थानी उपबन्धों के अधीन जारी या की गई समझी जायेगी।

"प्रथम अनुसूची"

हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1986 का नियम 18, 29 और 94 चालकों, संवाहकों और टिकट अभिकर्ताओं के लिए बैज।

चालक का बैज
(नियम 18 देखें)

चालक
294
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी
शिमला।

हल्के वजन की 45 मिलीमीटर ब्यास के सफेद धातु, शब्द और संख्या नीले रंग में अंकित या अलंकृत होने चाहिए ।

संवाहक का बैज
नियम 29 देखें

संवाहक
294
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी
शिमला ।

हल्के वजन की 45 मिलीमीटर ब्यास की सफेद धातु, शब्द और संख्या नीले रंग में अंकित या अलंकृत होने चाहिए ।

टिकट अभिकर्ता का बैज
(नियम 94 देखें)

टिकट अभिकर्ता
89
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी
मण्डी ।

निकोना बैज जिसका निचला किनारा 100 मिलीमीटर लम्बा अन्य दोनों किनारों का प्रत्येक हिस्सा 70 मिलीमीटर और लाल तल पर सफेद शब्दों में होने चाहिए ।

"द्वितीय अनुसूची"

(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 162 देखें)

325 मिलीमीटर निराकरणीय	(250 मिलीमीटर) नियत	(325 मिलीमीटर) निराकरणीय
शिमला या शिमला	एच0पी0 03 0999	दिल्ली
शिमला या शिमला	एच0 पी0 03 0999	दिल्ली
शिमला	एच0 पी0 03 0999	दिल्ली

1. प्रस्थान और अन्तिम स्टेशन को सफेद तल पर काले अक्षरों में दर्शाया जायेगा ।
2. रजिस्ट्रीकरण संख्या काले अक्षरों में सफेद तल पर दर्शायी जायेगी ।
3. प्रस्थान के स्थान और अन्तिम स्टेशन को दर्शाने वाले शब्दों के अक्षर अंग्रेजी में या अंग्रेजी या हिन्दी दोनों में होंग और प्रत्येक अक्षर उंचाई में 65 मिलीमीटर और मोटाई में 13 मिलीमीटर से कम नहीं होंगे ।

"तृतीय अनुसूची"

(नियम 189 देखें)

सुभेदक चिन्ह ट्रेलर के पिछले भाग पर या ट्रेलर की ट्रेन की अन्तिम ट्रेलर के पिछले भाग पर दर्शाया जायेगा ।

शब्द काले तल पर सफेद रंग में होंगे । शब्द की उंचाई में 175 मिलीमीटर और चौड़ाई में 125 मिलीमीटर, स्ट्रोक 30 मिलीमीटर चौड़े, चिन्ह का माप 200 मिलीमीटर उंची, 175 मिलीमीटर चौड़ी ।

उक्त माप न्यूनतम है । चिन्ह यदि वांछनीय हो, बड़े पैमाने पर भी प्रदर्शित किया जा सकेगा ।

"चतुर्थ अनुसूची (भाग अ)

(हिमाचल प्रदेश मोटर यान अधिनियम, 1992 का नियम 192)

1. संकेत संख्या 1 पीछे से आने वाली गाड़ी को रोकना संकेतकर्ता अपना बांयां बाजू, कंधे से सीधा और जमीन के समानान्तर, हथेली को सामने की ओर इसकी पिछली और पिछले यान की तरफ करके फैलाएगा ।

2. संकेत संख्या 2 आगे से आने वाले यान को रोकना । संकेतकर्ता, अपना दायां बाजू, उंगलियां बन्द करके और हथेली से आने वाले यान की ओर करके अपने सिर के ऊपर उठाएगा ।

3. संकेत संख्या 3 आगे और पीछे दोनों ओर से आ रहे यानों को इकट्ठे रोकना संकेतकर्ता, संकेत संख्या 1 और 2 में दर्शाए गए के अनुसार अपने दोनों बाजू फैलाएगा ।

4. संकेत संख्या 4 बायीं तरफ से आ रहे और दायीं ओर मुड़ने वाले यातायात रोकना । संकेतकर्ता संकेत संख्या 1 के अनुसार अपना बायां बाजू फैलाएगा । उसका दायां बाजू हथेली को नीचे की ओर करके, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा होगा ।

संकेत संख्या 5 :

बायीं ओर से आ रहे यातायात को दायीं ओर मुड़ने देने के लिए दायीं ओर से आ रहे यातायात को रोकना संकेत संख्या (2) के अनुसार संकेत दायां बाजू फैलाकर दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त बाजू किनारे की तरफ और हथेली दायीं ओर होगी ।

संकेत संख्या 6 :

बायीं ओर से आ रहे यातायात को रोक कर दायीं ओर से आने वाले यातायात को दाएं मुड़ने देना दायां हाथ उस स्थिति में उठाकर जैसा संकेत (2) में दिखाया गया है और बायां हाथ बायीं ओर हथेली उठाकर जैसा चित्र में दिखाया गया है ।

संकेत संख्या 7 यातायात को रोकने के लिए चेतावनी संकेत :

यह संकेत प्रारम्भिक रूप में दाएं या बाएं मुड़ने के बाद अन्य दिशा के यातायात को शुरू करने के लिए आवश्यक है ।

संकेत संख्या 8 :

इधर आएं, बायीं ओर से आ रहे यान को पीछे करना दायां बाजू संकेत संख्या (2) के अनुसार होगा और बायां बाजू कोहनी से ऊपर की ओर उठाया होगा और इसे कंधे की स्थिति में लायेगा। इस क्रिया को बार-बार दोहराया जायेगा ताकि यान का चालक यह समझ सकें कि उसे बुलाया जा रहा है ।

संकेत संख्या 9 :

इधर आयें, दायीं ओर से आ रहे यान को पीछे करना संख्या (1) के अनुसार अपना बायां बाजू फैलाएगा और दायां बाजू कोहनी से ऊपर उठाया होगा और इसे कंधे की स्थिति में लायेगा । संकेतकर्ता दायीं ओर भी देखेगा ।

संकेत संख्या 10 इधर आयें, सामने की ओर से आ रहे यान को पीछे करना :

सिगनल अपना दायां बाजू कोहनी से ऊपर की ओर उठाएगा और हथेली के पिछले भाग को यान की ओर करते हुए इसको कंधे की स्थिति में लाएगा । यह क्रिया बार-बार दोहराएगा ।

भाग 2

लाल बत्ती से रुकना अभिप्रेत है । स्टाप लाईन से पीछे प्रतीक्षा करें।

लाल और अम्बर बत्ती से भी रुकना अभिप्रेत है जब तक हरी बत्ती न हो न तो गजरेन ही चलना आरम्भ करे ।

हरी बत्ती से अभिप्रेत है, यदि रास्ता साफ है तो आप जा सकते हैं । यदि आपने बायीं या दायीं ओर मुड़ना है तो विशेष ध्यान रखें और पैदल यात्रियों को रास्ता दें ।

अम्बर बत्ती से अभिप्रेत है स्टाप लाईन पर रूकें । यदि अम्बर बत्ती आपके स्टाप पार कर लेने के बाद जली हो या आप स्टाप लाईन के इतने नजदीक हो कि दुर्घटना होने की सम्भावना हो तो आप जा सकते हैं ।

हरे तीर से अभिप्रेत है कि आप तीर द्वारा दर्शाई गई दिशा में जा सकते हैं ।

पैदल चलने वाले ।

"हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 10"

अनुज्ञप्ति के गुम और नष्ट हो जाने की सूचना और अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए आवेदन

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी

सेवा में,

मैं ..... निवासी (स्थाई पता) .....

.....

वर्तमान पता.....
पिता का नाम.....एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी.....
.....द्वारा जारी मेरी चालन अनुज्ञप्ति संख्या.....
तारीख.....जो निम्नलिखित में गुम हो गई है ।

2. मैं एतद्द्वारा अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए आवेदन करता हूं और पच्चीस रुपये फीस के रूप में नकद रसीद, खजाना संख्या.....और तारीख
.....द्वारा निविदत करता हूं ।

3. मैं अपने नये फोटो की दो प्रतियां संलग्न करता हूं,

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर
और निशान अंगूठा ।

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यालय प्रयोग हेतु

भाग-1

1. चालन अनुज्ञप्ति की द्विप्रतीक संख्या.....जो मेरे द्वारा.....19
.....मास.....के..... दिन
को जारी की गई है जो पहले तारीख को प्रदान की गई थी ।

आवेदक का आवेदन पत्र संख्या.....उसे कारण दर्शाते हुए
पत्र संख्या.....तारीख.....द्वारा नामंजूर कर दिया गया ।

तारीख

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ।

अनअपेक्षित विकल्प को काट दें ।

भाग-2

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी.....को भाग 3 के सत्यापन और पूर्ण करने के लिए प्रेषित ।

तारीख

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ।

भाग-3

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी.....को वापिस किया जाता है । फोटो तथा हस्ताक्षर/निशान अंगूठा की तुलना कर ली गई है ।[1]

ऐसी कोई अनुज्ञप्ति इस कार्यालय द्वारा जारी की गई प्रतीत नहीं होती है । मेरा समाधान नहीं हुआ है कि आवेदक वर्णित अनुज्ञप्ति का धारक था । मेरा समाधान हो गया है कि आवेदक इस कार्यालय द्वारा निम्नलिखित रूप में जारी अनुज्ञप्ति का धारक था : [1]

1. संख्या .....
2. जारी किये जाने की तारीख.....
3. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अन्तिम नवीकरण.....
4. अवसान की तारीख.....
5. यान का वर्ग [2] .....
6. अनुज्ञप्ति.....

(क) धारक को संदत कर्मचारी के रूप में यान चलने का हकदार बनाती है[1]
(ख) लोक सेवा यान को चलाने का प्राधिकार रखती है ।[1]
(ग) निम्नलिखित पृष्ठांकन रखती है ।

तारीख..... अनुज्ञप्ति प्राधिकारी

---

1. अनुपेक्षित विकल्प को काट दें ।
2. यहां अधिनियम की धारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट (क) (ख) (ग) इत्यादि भरें ।

भाग-4

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी.....को अभिलेख वापिस भेजा जाता है । अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति मेरे द्वारा.....19.....के .....वे मास के.....वे दिन को जारी की गई है ।

1. उसके साथ चिपकाई गई फोटो की प्रति संलग्न है ।

मैंने अपने पत्र संख्या.....तारीख द्वारा आवेदित अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति को जारी करने से इन्कार कर दिया है । उस पत्र की प्रति संलग्न है ।[1]

तारीख..... अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ,

अनापेक्षित विकल्प को काट दें ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 2 एल0 टैप

[मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 130(1) और हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1971 का नियम, 13]

हिमाचल प्रदेश सरकार
चालक अनुज्ञप्ति रसीद

(1) मैंने नीचे वर्णित अनुज्ञप्ति को अपने कब्जे में ले लिया है :

संख्या.....
धारक का नाम.....

पिता का नाम.....
वर्तमान पता,.....

.....

.....

(2) यदि धारक को उसकी अनुज्ञप्ति के परीक्षण के लिए बुलाया जाता है तो उसे उसके बदले में यह रसीद दिखानी होगी ।

(3) यह रसीद.....19.....तक विधिमान्य है या तब तक विधिमान्य होगी जब तक की अनुज्ञप्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलम्बित या रद्द नहीं कर दिया जाता, जो भी पहले हो ।

तारीख.....

उपर्युक्त रसीद का तथाकथित उन्हीं शर्तों पर.....19.....
तक विस्तार किया जाता है ।
तारीख.....

रसीद प्रदान करने वाले या उसका विस्तार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम ।

हि0 प्र0 प्ररूप 3 एल0 टैम्प0
(मोटर यान विभाग)

[मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 206 (3) और हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1989 का नियम 13]

पुस्तिका संख्या.....
प्ररूप संख्या.....
यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

र्तन
से रिपोर्ट में क्रास निर्देश

परमिट की संख्या और इसे जारी करने वाले क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का नाम (केवल परिवहन यानों की दशा में).....

तारीख और समय के साथ अपराध का स्थान.....

अपराध (विशिष्टियों सहित विधि की धारा या नियम).....
अभियुक्त का नाम.....
अभियुक्त का स्थाई और.....
अस्थाई पता.....
.....

जबकि आपके विरुद्ध उपर्युक्त विवरणित अपराध के लिए अभियोग चलाया जाता है आपसे मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी .....के न्यायालय में .....को *10 बजे अपराध तथाकथित आरोप का उत्तर देने के लिए जब तक कि न्यायालय अन्यथा आदेश न करें, अपेक्षा की जाती है ।

आपकी चालक अनुज्ञप्ति संख्या.....मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 206 के अनुसरण में कब्जे में ले ली है , जब कि आपको अनुज्ञप्ति वापिस नहीं कर दी जाती या न्यायालय अन्यथा आदेश न दें, यह अभिस्वीकृति एक प्राधिकार का कार्य करेगी, जिससे कि आप उन्हीं निबन्धनों पर चालन कर सकेंगे जोकि आपकी अनुज्ञप्ति में लागू हैं।

तारीख..... हस्ताक्षर और पदनाम ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप (4) एल0 ई0

[मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 24 और हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 15(1)]

अनुज्ञप्ति पर न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा पृष्ठांकन सूचना

.....मैजिस्ट्रेट, ...श्रेणी.....का.....
न्यायालय.....प्राधिकरण,

प्रेषित

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी

नाम.....
पिता का नाम.....
स्थायी पता.....
.....
.....
वर्तमान पता.....
.....

.....के पक्ष में जारी अनुज्ञप्ति संख्या.....
तारीख....., पर पृष्ठांकन इस न्यायालय/अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित रूप में कर दिया है :—

पृष्ठांकन की तारीख.....

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा.....और हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम.....न्यायालय द्वारा दण्डादेश ।

मैजिस्ट्रेट.....श्रेणी ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 5 एल0 आर0

[मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 15 (6) और हिमाचल प्रदेश मोटर यान 1991 का नियम 15 (2)]

अनुज्ञप्ति के नवीकरण की सूचना

षक

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी,

.....

षित

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी.

मैंने.....

नाम.....

पिता का नाम.....

स्थाई पता.....

के पक्ष में जारी अनुज्ञप्ति संख्या.....तारीख .....का.....

मास की अवधि के लिए.....19.....में नवीकरण कर दिया है ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 6 एल0 ई0

"मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 6 (3) और हिमाचल प्रदेश यान नियम, 1991 का नियम 15 (3) उन यानों की श्रेणियों की बाबत जिनके चालन का धारक हकदार है किसी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति में किए गये परिवर्तन की सूचना ।

प्रेषक,

.....

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी,

.....

प्रेषित,

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी,

.....

नाम.....

पिता का नाम .....
स्थाई पता .....

वर्तमान पता .....
.....
.....के पक्ष में जारी अनुज्ञप्ति संख्या.....तारीख
.....का तारीख.....19.....मे धारक को
निम्नलिखित और यानों की श्रेणियों के चालन का हकदार बनाने हेतु विस्तार कर दिया है ।

तारीख.....

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 7 एल0 कान0 ए0

[मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 30(2) और हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 22(1)]

कंडक्टर की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप

1. नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. वर्तमान पता .....
.....

4. स्थाई पता .....

5. मेरे पास पहले कोई संवाहक अनुज्ञप्ति नहीं थी पहले .....द्वारा जारी संवाहक अनुज्ञप्ति थी ।

6. मैं संवाहक अनुज्ञप्ति को धारित करने के लिए निरहित नहीं हुआ ।

7. मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं हूं और पूर्वोक्त कथन सही है ।

8. मैं अपने फोटो की दो नई प्रतियां सलग्न करता हूं ।

9. फीस, रसीद/बजाना चालान संख्या.....तारीख.....द्वारा संदत्त ।

तारीख.....

आवेदक के हस्ताक्षर
या निशान अंगूठा ।

आवेदक का द्विप्रतीक हस्ताक्षर
या निशान अंगूठा ।

अनुज्ञप्ति संख्या.....(जिसकी अवधि.....19.....को समाप्त हो रही है) और बैच संख्या.....जारी किया गया ।

तारीख.....

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 8 एफ0 ए0 ए0 बी0

हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम 1991 का नियम 21 (1) प्राथमिक उपचार का कार्य करने की सक्षमता प्रदर्शित करने वाला प्रमाण-पत्र ।

.....(सैंट जोन एम्बुलैन्स एसोसिएशन इण्डिया द्वारा अनुदत्त)

मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री.....आयु लगभग.....वर्ष प्राथमिक उपचार पेट का प्रयोग करने लिए अर्हित है ।

तारीख.....

हस्ताक्षर.....
पदनाम.....

हिमाचल प्रदेश प्ररूप एम0 सी0 कान0

[मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 30(2) और हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 22(2)]

संवाहक के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र का प्ररूप

(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा भरा जाये)

1. परीक्षित व्यक्ति का नाम.....

2. पिता का नाम.....

3. प्रकट आयु.....

4. क्या आपके द्वारा परीक्षित व्यक्ति आपकी उत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार शारीरिक रूप से सक्षम और मानसिक रूप से मंजिली गाड़ी कंडक्टर के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मानसिक रूप से सक्षम है ?

5. क्या वह मद्यसार या मादक द्रव्यों का अत्याधित व्यसनी होने का कोई साक्ष्य दर्शित करता है ?

6. पहचान चिन्ह.....

मैं प्रमाणित करता हूं कि परीक्षित व्यक्ति ने यहां अपने हस्ताक्षर या निशान अंगूठा मेरे सामने लगाया है और मेरी पूरी जानकारी और विश्वास अनुसार उक्त कथन सही है और संलग्न फोटो विवरणित व्यक्ति से युक्ति युक्त रूप से मिलता है ।

फोटो के लिए स्थान

परीक्षित व्यक्ति के हस्ताक्षर या
अंगूठा निशान.....
नाम.....
हस्ताक्षर.....
पदनाम.....

[मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 38 (4) और हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 22(4)]

हिमाचल प्रदेश सरकार

कंडक्टर अनुज्ञप्ति

नाम .....

पुत्र .....

वर्तमान पगा .....

स्थाई पता .....

.....

प्ररूप एल0 सी0 ओ0 ए0 से आवेदन के द्विप्रतीक हस्ताक्षर या अंगुठा निशान।

उसे संवाहक कंडक्टर अनुज्ञप्ति दी गई और संवाहक बैज, संख्या .....जारी किया गया ।

तारीख.....

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ।

(हिमाचल प्रदेश प्ररूप 10 एल0 कान0 ए0 आर0)

[मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 30 और 38 (2) (ड) और हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 24

संवाहक अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र

1. नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. वर्तमान पता .....
4. स्थाई पता .....
5. संवाहक अनुज्ञप्ति संख्या .....
6. .....तक विधिमान्य
7. ..... द्वारा जारी
8. नवीकरण के लिए नकद रसीद/खजाना, चालान संख्या, द्वारा संदत्त फीस .....
9. बैज संख्या .....
10. मैं संवाहक अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरर्हित नहीं हुआ हूं ।

.....आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान।

.....तक के लिए सत्यापित और नवीकरण

(अनुज्ञप्ति प्राधिकारी)।

संख्या..... तारीख..... स्थान.....

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी (मोटर यान) ..... को सूचनार्थ प्रति प्रेषित की जाती है । यह अनुरोध किया जाता है कि उसे उपरोक्त नाम वाले आवेदक को संवाहक अनुज्ञप्ति जारी किए जाने के अनुज्ञप्ति प्राधिकारी यावत अपने कार्यालय के अभिलेख पूर्ण कर लेने चाहिए ।

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ।

यह सूचना तभी भेजी जानी अपेक्षित है यदि अनुज्ञप्ति का नवीकरण अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी से अन्यथा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 12 पी0 पी0 टी0 वी0

[हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम (37) परिवहन यानों की विशिष्टियां प्रदर्शित करने के लिए प्ररूप]

1. यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या.....
2. स्वामी का नाम और पता जैसा कि रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में दिया गया है .....
3. इंजन संख्या.....
4. चैसिस संख्या.....
5. दुरूस्ती प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता की तारीख.....
6. किलोग्राम में खाली यान का वजन.....
7. भरे यान का किलोग्राम में वजन.....
8. वहन क्षमता.....

   (क) यदि मंजिली यान का संविदा यान यात्रियों की संख्या जिनके लिए स्थान का उपबन्ध किया गया..
   (ख) यदि माल यान किलो ग्राम में हो तो क्षमता.....

9. रजिस्ट्रीकृत आगे वाले एक्सल का भार.....
10. पीछे वाले एक्सल का भार.....
11. टायरों की संख्या और प्रकार:—

    (क) अगला एक्सल.....
    (ख) पिछला एक्सल.....
    (ग) मध्य वाला एक्सल यदि कोई हो.....

रजिस्ट्रीकरण के मूल प्रमाण-पत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्षर ।

जारी करने का स्थान.....

तारीख.....

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 13 सी0 एफ0

[हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 39 (2)]

हिमाचल प्रदेश सरकार

जब दरूस्ती प्रमाणन्पत्र की अवधि समाप्त हो गई हो तो यान का प्रयोग करने के शिए अस्थायी प्राधिकार

.....[1] का दरूस्ती प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.....
जिसका अन्तिम नवीकरण.....द्वारा किया गया था कि अवधि.....को समाप्त हो गई है मैं यान को.....तक की अवधि के लिए प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं परन्तु इसे तुरन्त पूर्ण यथोचित तत्परता के साथ उस प्राधिकारी के क्षेत्र को ले जाया जायेगा जिसके द्वारा दुरूस्ती प्रमाण-पत्र नवीकृत किया जाना है :

परन्तु यह भी कि इस प्राधिकार के अधीन प्रयोग में लाये जाने वाले यान में [2] ;

(क) चालक को अपवर्जित करते हुए .....से अधिक व्यक्तियों का वहन नहीं किया जायेगा।

(ख) किसी माल का वहन नहीं किया जायेगा [2]।

(ग) प्रति घंटा .....से अधिक की गति से नहीं चलाया जायेगा [2]।

[3] .....

199.....को.....मास के.....दिन को स्थान का नाम.....मुद्रांकित।

[1] यान का संक्षिप्त विवरण दें।
[2] यदि अपेक्षा न हो काट दें।
[3] प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 14 सी0 एफ0 एक्स0
(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 40)

परिवहन यानों की दुरूस्ती का प्रमाण-पत्र

निरीक्षण अभिलेख

(रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियां)
भाग 1

टिप्पण.— ब्योरे, यानों की भौतिक दुरूस्ती के सत्यापन के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में दी गई विशिष्टियों के अनुसार भरे जायेंगे :—

1. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह और श्रेणी
2. मेक और माडल
3. मूल रजिस्ट्रीकरण की तारीख
4. बाडी की किस्म
5. चैसिस संख्या
6. इंजन संख्या
7. व्हील बेस
8. बैठने की क्षमता/आर0एल0 डब्ल्यू0
9. टायरों की संख्या और आकार

   (1) आगे का फ्रंट एक्सल
   (2) रीअर एक्सल
   (3) कोई अन्य एक्सल

10. दुरूस्ती के पिछले प्रमाण-पत्र की संख्या, तारीख और विधिमान्यता.
11. रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पता

12. स्वामी की विशिष्टियां "रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां और सम्बन्धित विषय में परिवर्तन के बारे में टिप्पणी"।
13. निरीक्षण की तारीख

भाग-2

टिप्पण.—करंसी का अभिलेख सम्बन्धित दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए ब्यौरे के निर्देश भरे जायेंगे।

निम्नलिखित की विधि मान्यता की अवधि :

(क) परमिट
(ख) बीमा
(ग) यान कर
(घ) यात्री कर
(ङ) माल कर

भाग-3

टिप्पण.—यदि दशा सन्तोषजनक है तो (ओ0 के0) लिखें और यदि त्रुटिपूर्ण है तो मद्द के सामने संक्षेप में त्रुटियां लिखें।

1. ईंजन
2. कलच्च
3. गेयर बाक्स
4. प्रोपौलर शाफ्ट
5. यूनीवर्सिल जायंट
6. डिफरेन्शीयल
7. रोड व्हील
8. टायरज
9. चैसिस फ्रेम
10. फ्रंट एक्सल
11. रीयर एक्सल
12. एफ0 ए0 स्परिंग
13. आर0 ए0 स्परिंग
14. एग्जास्ट
15. फुट ब्रेक और सर्व इक्विपमेंट
16. हैंड ब्रेक
17. फ यूल सिस्टम
18. स्टीयरिंग सिस्टम
19. ईलैक्ट्रीकल सिस्टम
20. लाईट्स
21. विन्ड सक्रीन वाइपरज
22. हार्न
23. स्पीड मीटर

5. **एक्सल :**

(क) फ्रंट एक्सल के अग्रभाग में जैक लगाकर किंग पिनों और बुश प्ले की जांच करें ।
(ख) अगल चक्के की बियरिंग फ्ले की जांच करें ।
(ग) अगले शाक आबर्ज्वर की जांच करें ।

6. **स्टीयिरग :**

(क) स्टीयरिंग की बैक लेश की जाच करें ।
(ख) राड ऐड की जांच करें ।
(ग) ड्रैग लिंग और ड्रापआरम की जांच करें ।
(घ) स्टीयरिंग बाक्स, फाउंडेशम नेट बोल्ट की जांच करें ।

7 **रोड स्प्रिंग और संसपैंशन :**

(क) कमानियों।सपरिंग की तह की जांच करें ।
(ख) हैंगर ब्रैक्ट और शक्लपिनों की जांच करें ।

8 **विद्युत प्रणाली :**

(क) सेल्फ सटारटर और डयनमों की जांच करें ।
(ख) हेड लाईट और डिपर की जांच करें ।
(ग) पार्किग लाईट और विद्युत की जांच करें ।
(घ) वाईपर की जांच करें ।
(ङ) विद्युत हार्न की जांच करें ।
(च) पिछली लाईट और स्टाप लाईटों की जांच करें ।
(छ) एम्पीयर मीटर की जांच करें ।
(ज) बैटरी के पोल और टरमीनल के पोल की जांच कर ।

9 **उपकरण और गेज :**

(क) ऐयर प्रेशर वेकूयम गेज की जांच करें।
(ख) आयल प्रेशर गेज की जांच करें
(ग) रोड टेस्ट के दौरान स्पीडों मीटर/टेक्नोग्राफ की जांच करें ।
(घ) चालक के दरवाजे के नजदीक रियर व्यू मीटर लगाया जायेगा ।
(ङ) यान के सामने और पीछे दो कैट आईज रिफलेक्टर लगाये जायेंगे ।

10 **टायर :**

(क) टायर और उसकी ट्रीट की घिसाई की जांच करें, यान के अतिरिक्त पहिए की भी जांच करें ।

11 **अन्तिम रोड परीक्षण :**

प्रत्येक यान का सड़क पर परीक्षण किया जाना चाहिए और निम्नलिखित मदों की जांच की जानी चाहिए :

(क) फुट और हैंड ब्रेकों की क्षमता की जांच ।
(ख) स्पीडों मीटर की कार्य प्रणाली की जांच ।

12 **मंजिली गाड़ी की बाडी की दशा :**

परिवहन यानों की लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई, रीयर ओवर हैंग मोटर यान नियमों के अनुसार अनुज्ञेय आयामों की जांच होनी चाहिए। मंजिली और परिवहन यान राज्य के परिवहन विभाग के अनुमोदित रेखा चित्र के अनुसार होनी चाहिए।

13 **बाडी के बायीं ओर उप्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां :**

(क) स्वामी का नाम ।
(ख) यानों की श्रेणी ।
(ग) यू0 एल0 डब्ल्यू0 ।
(घ) आर0 एल0 डब्ल्यू0 ।
(ङ) एफ0 ए0 डब्ल्यू।
(च) आर0 ए0 डब्ल्यू ।
(छ) टायर का आकार।

प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या 1 से 13 आप निर्दिष्ट विशिष्टियों की व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा जांच कर ली गई है और यह सही पाई गई है/सही नहीं पायी गई है।

निरीक्षण बोर्ड
प्राधिकृत परीक्षण स्टेशन के हस्ताक्षर और मोहर।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 15 सी0 आर0 टी0 ई0 एन0 (5)
(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 42 (4) कआर

रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण-पत्र

पर्ण आ

पुस्तिका संख्या .....
क्रम संख्या .....
हिमाचल प्रदेश सरकार
रजिस्ट्रीकरण का अस्थाई
प्रमाण-पत्र
.....द्वारा जारी
स्वामी का नाम और पता
.....
.....
.....
यान का विवरण .....
मेक.....हिमाचल प्रदेश
ईंजन संख्या .....
बाडी का प्रकार.....
रंग .....
यान को दिया गया अस्थाई
रजिस्ट्रीकरण
चिन्ह पी0 .....

पर्ण इ

पुस्तिका संख्या .....
क्रम संख्या .....
हिमाचल प्रदेश सरकार
रजिस्ट्रीकरण का अस्थाई
प्रमाण-पत्र
.....द्वारा जारी
स्वामी का नाम और पता
.....
.....
.....
यान का विवरक .....
मेक.....हिमाचल प्रदेश
ईंजन संख्या .....
बाडी का प्रकार .....
रंग.....
यान को दिया गया अस्थाई
रजिस्ट्रीकरण
पी0 .....

पर्ण अ

पुस्तिका संख्या.....
क्रम संख्या .....
हिमाचल प्रदेश सरकार
रजिस्ट्रीकरण का
अस्थाई प्रमाण-पत्र
.....द्वारा जारी
स्वामी का नाम और पता
.....
.....
.....
यान का विवरण ....
मेक...हिमाचल प्रदेश
ईंजन संख्या .....
बाडी का प्रकार .....
रंग .....
यान को दिया गया
अस्थाई रजिस्ट्रीकरण
पी0 .....

स्थान जहां पर यान को स्थाई रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाना है.....	स्थान जहां पर यान को स्थाई रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाना है.....	स्थान जहां पर यान को स्थाई रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाना है .....

जारीकर्ता प्राधिकारी
तारीख.....

अस्थाई प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख तक विधिमान्य	.... से दस दिन के लिए विधिमान्य / जिला मैजिस्ट्रेट को सूचनार्थ प्रतिलिपि अग्रेषित ।	यह अस्थाई प्रमाण-पत्र केवल..... तक विधिमान्य है और यान को उस तारीख से पूर्व रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

तारीख.....

जारी कर्ता प्राधिकारी

हिमाचल प्रदेश 16 आर0 टी0 ई0 एन0

[मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 130 (1) और हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 47]

परिवहन यानों के रजिस्ट्रेशन के प्रमाण-पत्र और उपयुक्तता के प्रमाण-पत्र की रसीद

मैंने नीचे विवरणित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और दुरूस्ती प्रमाण-पत्र का कब्जा ले लिया है :

1 रजिस्ट्रीकरण संख्या .....
ईंजन संख्या .....
चेसिज संख्या .....
चालक सहित बैठने की क्षमता .....
दुरूस्ती प्रमाण-पत्र के .....
अवसान की अंतिम तारीख .....
धारक का नाम .....
पिता का नाम .....
वर्तमान पता .....
.....

2 धारक को अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और दुरूस्ती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के दायित्व से एतद्-द्वारा छूट दी जाती है । यह रसीद.....19 तक विधिमान्य है या जब तक कि अनुज्ञप्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलम्बित या रद्द न कर दिया हो, जो भी पहले हो ।

तारीख .....
.....

उपर्युक्त रसीद को एतद् द्वारा उन्हीं शर्तों पर .....
.....19 तक बढ़ाया जाता है । .....

---

1 रसीद को अनुदत करने या बढ़ाने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 17 सी0 आर0 टी0 आई0

(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 48 (2)

मोटर यान के स्वामित्व के अन्तरण की मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को सूचना

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
.....
.....

मोटर यान संख्या .....,(1).....के नाम पर....
.....199 से .....
..... (2) .....सुपुत्र .....
.....,निवासी .....
.....(3).....

के नाम पर अन्तरित कर दी गई है।

भाड़ाकाल करार के अन्य पक्षकार ने अन्तरण को अपनी सहमति प्रदान कर दी है और अन्तरिती के साथ उच्चतर क्रय करार यान के बारे में कर लिया गया है ।

(1) यहां रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की प्रविष्टि करें।
(2) यहां अन्तरिती का पूरा नाम लिखें। **रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी**
(3) यहां अन्तरिती का पूरा पता लिखें ।
(4) जो लागू नहीं उसे काट दें ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 18 आर0 एम0 1

(मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 47 और हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 49) नये रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को दिये जाने की सूचना और मूल प्राधिकारी से अभिलेख का मंगवाया जाना।

प्रेषक,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
.....

प्रेषित,

(1).....
.....

मैं एतद्द्वारा .....के रूप में पूर्वतन रजिस्ट्रीकृत मोटर यान को .....रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देता हूं ।

इस नोटिस के जारी किये जाने के दस दिन के भीतर नया चिन्ह वाहन पर विहित रीति में पुराने चिन्ह के स्थान पर चिपकाया जायेगा ।

रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी

तारीख.....
.....

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को सूचनार्थ अग्रेषित/अनुरोध किया जाता है कि यान का रजिस्ट्रीकरण अभिलेख या इसकी एक प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को अन्तरित की जाये।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

.....

तारीख.....

(1) यहां स्वामी का पूरा नाम और पता लिखें।

यदि यान उच्चतर क्रय करार के अध्याधीन है तो इस पत्र की एक प्रति संबंधित उच्चतर क्रम कम्पनी को भेजी जानी चाहिए।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 19 प्रविष्टि

(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 के नियम 53 और मोटर यान अधिनियम, 1955 की धारा 51 (10) और (11)

पूंजीपति के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में वाहन के आहमान की प्रविष्टि की सूचना का प्ररूप

प्रेषक :

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी (मोटर यान)

.....

प्रेषित :

.....

.....

(पूंजीपति का नाम और पता)

संख्या .....

तारीख .....

मोटर यान जिसकी इंजन संख्या .....,चैसिज संख्या.....
....,माडल.....है, को इस कार्यालय में.....
.....,निवासी.....के नाम से रजिस्ट्रीकृत कर लिया है और उसे हिमाचल प्रदेश एच0 पी0 ( ) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नियत कर दिया गया है रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित प्रविष्टियां आपके द्वारा की गई प्रार्थना/पत्र सहमति के आधार पर की गई है।

1 .....
2 .....
3 .....

(रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकार (मोटर यान)

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 20 एस0 आर0 पी0

(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 54 और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 62)

चोरी किये गये/बरामद यानों की सूचना के बाबत प्ररूप

प्रेषक :

.....

.....

(पुलिस स्टेशन प्रभारी का नाम)

प्रेषित :

निदेशक परिवहन,
हिमाचल प्रदेश,
शिमला ।

संख्या .....
तारीख .....

श्रीमान जी,

चोरी किये गये/बरामद वाहनों की निम्नलिखित विशिष्टियां आपकी सूचना और अभिलेख के लिये प्रस्तुत है :

1. क्रम संख्या
2. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
3. स्वामी का नाम और पता
4. यान का प्रकार, माडल और श्रेणी
5. इंजन संख्या
6. चेसिज संख्या
7. तारीख, समय और स्थान जब चोरी हुई
8. बरामदी की तारीख, समय और स्थान
9. प्रथम सूचना रिपोर्ट और तारीख
10. टिप्पण

हस्ताक्षर
प्राधिकृत पुलिस अधिकारी ।

जो लागू नहीं उसे काट दें ।

एच0 पी0 फार्म 21 पी0 एस0 टी0 एस0 ए0

हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991

मंजिली गाड़ी की सेवा के अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

सेवा में

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण,

.....

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 70 और 80 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम अधोहस्ताक्षरी अधिनियम की धारा 66 के अधीन मंजिली गाड़ी की सेवा के विषय मे अनुज्ञा-पत्र के लिए निम्नलिखित रूप में आवेदन करता हूं/करते हैं :

1. पूरा नाम .....
2. पिता का नाम (व्यक्ति की दशा में) .....
3. पता .....
4. रूट या क्षेत्र जिसके अनुज्ञा पत्र वांछनीय है .....
5. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह सहित यानों की अधिकतम संख्या जिनका अनुज्ञापत्र के निबन्धनों के अधीन किसी एक समय चलाया जाना वांछनीय है ।

6. यानों की न्यूनतम संख्या जिन्हें किसी भी एक समय अनुज्ञा पत्र के निबन्धनों के अधीन क्षेत्र में या किसी अन्य रूट या/और रूट के किसी भाग में चलाया जाएगा और यान के दैनिक फेरों की न्यूनतम संख्या .....

7. सेवा में प्रयुक्त किए जाने वाले यानों का प्रकार/के प्रकार और बैठने की लगभग क्षमता निम्नलिखित है:—

यान जिसकी सीटें.....से कम नहीं और.....से अधिक नहीं.....
यान जिसकी सीटें.....से कम नहीं और.....से अधिक नहीं.....
यान जिसकी सीटें.....से कम नहीं और.....से अधिक नहीं.....
यान जिसकी सीटें.....से कम नहीं और.....से अधिक नहीं.....

8. प्रस्तावित समय सारिणी (समय सारणियां) संलग्न है ।
9. किराए की मानक दर जो ली जानी प्रस्तावित है पैसे प्रति यात्री प्रति मील
10. आवेदक द्वारा धारित, राज्य की विधिमान्य किसी मंजिली या संविदा गाडी के अनुज्ञापत्र (या मोटर यान अधिनियम, 1939 और मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन इसी प्रकार का प्राधिकरण) की विशिष्टियां और (1) जुलाई, 1989 से पूर्व, और
11. तत्पश्चात् रूट या क्षेत्र जिसके आवेदक (आवेदकों) के यान नियमित रूप से चलाए गए थे, के ब्योरे .....आवेदक द्वारा भारत में अन्तिम चार वर्षों के दौरान किसी परिवहन यान के प्रयोग की बाबत रद्दकरण के आदेश के अधीन किसी अनुज्ञापत्र या लोक मोटर यान अनुज्ञाप्ति की विशिष्टियां .....
12. .....
13. मैं/हम घोषित करते हैं कि इन यानों में से.....से अनधिक यान संविदा गाड़ी के रूप में अनुज्ञा पत्रों (अस्थाई अनुज्ञापत्रों से अन्यथा) के अध्याधीन हैं या होंगे ।
14. मेरे/हमारे वर्तमान आवेदित अनुज्ञापत्र (अस्थाई अनुज्ञा पत्र से भिन्न) के अधीन प्रयोग के लिए प्राप्य .....यान कब्जे में है । यान मेरी/हमारी अपनी सम्पति है (यदि यान आवेदक की सम्पत्ति नहीं है (तो भाड़ा करार का विवरण दें ।
15. मैं/हम.....वर्षों के लिए एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि उपर्युक्त कथन सही और करार करते हैं कि मुझे/हमें जारी अनुज्ञा पत्रों की वही शर्तें होंगी ।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर
या निशान अंगूठा

परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय में भरे जाने के लिए

1. प्राप्ति की तारीख
2. प्रकाशन की तारीख
3. आक्षेप या तारीखें
4. 19 को अनुदत/उपान्तरित रूप में अनुदत/रद्द

सचिव,
क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 22 पी0 सी0 ओ0 पी0 ए0
हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 62 (11)
संविदागाड़ी अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन

सेवा में,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी,

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66,73 और 80 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम अधोहस्ताक्षरी

एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की 66 के अधीन इसके नीचे यथा उपवर्णित संविदा गाडी के विषय में अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करते हैं :

1. पूरा नाम .....
2. पिता का नाम व्यक्तिगत मामले में.....
3. पता .....
4. क्षेत्र जिसके लिए अपेक्षित है .....
5. यान का संक्षिप्त विवरण .....
6. बैठने की क्षमता .....
7. संविदा गाडी द्वारा की जाने वाली सेवाओं का विवरण पहाडी सड़क में प्रयोग की जाने वाली मोटर कैब से भिन्न मोटर कैब की दशा में आवश्यक नहीं है और पद्धति जिसमें कि इसकी मांग की जा रही है, यह सार्वजनिक सुविधा के लिए होगी
8. (मोटर कैब की दशा में) जिला या अन्य क्षेत्र जिसे आवेदक यान के मुख्यालय के रूप में रखना चाहता है ।
9. किसी मंजिली गाडी या संविदा गाडी के अनुज्ञपत्र, मोटर यान अधिनियम, 1969/मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन राज्य में विधिमान्य इसी प्रकार के प्राधिकार आवेदक के पास है या निम्नलिखित विवरण :

   (क) यह वाहन.....
   (ख) कोई अन्य वाहन.....

10. मोटर यान अधिनियम, 1939/मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अनुज्ञा-पत्र, पब्लिक मोटर यान अनुज्ञप्ति या इसी तरह के प्राधिकार का विवरण जो कि पिछले चार वर्ष के दौरान, भारत में परिवहन यान के प्रयोग की बाबत आवेदक के पास हो, और जो निलम्बन या रद्दकरण के आदेश का विषय है.....
    .....

11. मेरे/हमारे यान कब्जे में है, जोकि मेरी/हमारी अपनी सम्पत्ति है ।
    (यदि यान आवेदक की सम्पत्ति नहीं है, तो भाड़ा सम्बन्धी करार का विवरण दें) ।

12. मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा नहीं लिया है और मैं/हम समझते हैं कि जब तक मैं/हम कब्जा नहीं ले लेते और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर देते, तब तक अनुज्ञा-पत्र जारी नहीं किया जायेगा ।

13. मैं/हम यान को व्यक्तिगत रूप से/ड्राईवर द्वारा चलाना चाहते हैं ।

14. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मेरा/हमारा उपर्युक्त कथन सत्य है और करार करते हैं और कि ये मेरे/हमारे लिए जारी किसी अनुज्ञा-पत्र की शर्तें होंगी ।

तारीख.....

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर या
अंगुठा निशान ।

परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय में भरा जायेगा।

1. रसीद की तारीख.....

सदस्यों में परिचालन.....
2. बैठक में विचार किये जाने की तारीख .....
अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय.....

3. दिनां 1993.....को उपारित रूप में अनुदन्त अस्वीकृत

4. अनुज्ञा पत्र की संख्या.....

विकल्प पूर्णतया लागू न हों उसे काट दें।

यहां दर्शित करें कि क्या मोटर कैब की दशा में यह एक छत या दोहरी स्थिर छत या केवल शीशे वाली खिड़कियां या एक तरफ पर्दे वाली हैं तदनुसार मोटर कैब की दशा में प्रविष्टि करें, और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह भी लिखें, यदि कोई हो।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 26 पी0 एस0 वी0 ए0

(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1992 का नियम 62 (6)

प्राईवेट सेवा यान के विषय में अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन

सेवा में

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी,
.....

मैं अधोहस्ताक्षरी मोटर यान अधिनियम, 1989 की धारा 69, 76 और 80 के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन प्राईवेट सेवा यान के अनुज्ञा पत्र के विषय में निम्नलिखित रूप से आवेदन करता हूं।

1. पूरा नाम.....
2. पिता का नाम व्यक्ति की दशा में.....
3. पता.....
4. वह/वे मार्ग या क्षेत्र जिनके लिए अनुज्ञा पत्र वांछित है.....
5. व्यापार/कारबार के सम्बन्ध में किराये या परिश्रमिक से अन्यथा व्यक्तियों को ले जाने की रीति और प्रयोजन।
6. यान का संक्षिप्त विवरण और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.....
7. बैठने की क्षमता.....
8. समय सारिणी संलग्न है.....

"वैकल्पिक" कोई समय सारिणी प्रस्तावित नहीं है परन्तु मैं निम्नलिखित न्यूनतम सेवायें चलाने के लिए वचन बद्ध हूं :

9. संविदा गाड़ी या मंजिली गाड़ी अनुज्ञा पत्र का विवरण यदि कोई हो, या मोटर यान अधिनियम, 1939

मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन इसी प्रकार का प्राधिकार जो राज्य में विधिमान्य हो और निम्नलिखित के विषय में आवेदक के पास हो :

(क) यह यान.....

(ख) कोई अन्य किसी/किन्हीं मार्ग जिस/दिन पर यह यान नियमित रूप से (1) जुलाई, 1989 से पूर्व और (2) इसके पश्चात् चलाया जा रहा है.....

10. पिछले चार वर्षों के दौरान भारत में किसी परिवहन यान के बारे में आवेदक द्वारा धारित किसी अनुज्ञा-पत्र या सार्वजनिक मोटर यान का विवरण जो रद्दकरण के आदेश का विषय है ।

11. मैं/हम यान को माल के वहन के लिए माल वाहन के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं और मैं/हम उपर्युक्त विनिर्दिष्ट मार्ग, मार्गों या क्षेत्र के बारे में निजी सेवा यान अनुज्ञा-पत्र के अतिरिक्त माल वहन अनुज्ञा-पत्र के लिए आवेदन करते हैं ।

(2) मैं/हम निम्नलिखित प्रकार का माल वहन करना चाहते हैं.....

12. यान का कब्जा पहले से ही मेरे/हमारे पास है जोकि मेरी/हमारी निजी सम्पत्ति है । (यदि यान आवेदक की निजी सम्पत्ति नहीं है तो भाड़ा सम्बन्धी करार का विवरण दें) ।

13. मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम यह समझते हैं कि अनुज्ञा-पत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि हम कब्जा नहीं ले लेते और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करते ।

14. मैं/हम यान को व्यक्तिगत तौर पर/चालक द्वारा चलाना चाहते हैं।

15. मैं/हम.....वर्षों के लिए विधिमान्य अनुज्ञा-पत्र चाहते हैं।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मेरा/हमारा उपर्युक्त कथन सत्य है और मैं/हम सहमत हूं/हैं कि ये मुझे/हमें जारी किए गए किसी भी अनुज्ञापत्र की शर्तें होंगी ।

तारीख.....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगुठा निशान

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय में भरा जायेगा ।

1. प्राप्ति की तारीख.....
2. प्रकाशन की तारीख.....
3. आक्षेपों की सुनवाई की तारीख/तारीखें.....
4. 19.....के.....मास को.....दिन अनुमत/अस्वीकृत किया गया ।
5. जारी किए गए अनुज्ञा-पत्र की संख्या.....

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी

जो प्रविष्टि या विकल्प लागू न हो उसे काट दें ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 24 पी0 जी0 डी0 सी0 ए0

हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 62 (4)

माल वाहन के लिए आवेदन

सेवा में,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ..... मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 67, 77 और 80 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 66 के अधीन निम्नलिखित उप-वर्णित रूप में माल वहन अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं:—

1. पूरा नाम .....
2. पिता का नाम (व्यक्ति की दशा में) .....
3. पता .....
4. मार्ग या क्षेत्र जिसके/जिनके लिए अनुज्ञा-पत्र वांछित है .....
5. संधियुक्त यान के ट्रैलरों (अनुयानों) विकल्प ट्रैलरों सहित का प्रकार और क्षमता :

यानों की संख्या	प्रकार	भार उठाने की क्षमता	लदा भार	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
		1 कि0 ग्राम	1 कि0 ग्राम	

टिप्पण 1 :—

यदि कोई यान आवेदक के कब्जे में नहीं है तो किसी प्रवृत्त भार सीमा के अध्यधीन यदि दस प्रतिशत से ऊपर या नीचे के भीतर स्तम्भ 3 और 4 के अंक सही हैं तो यह पर्याप्त होगा । परिवहन प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा ताकि अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने से पूर्व अनुज्ञा पत्र में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जा सकें ।

टिप्पण 2 :—

यदि आवेदन यानों की अधिक संख्या के विषय में है तो उपर्युक्त प्ररूप के साथ एक अतिरिक्त अनुसूची संलग्न की जा सकेगी ।

6. यान द्वारा की जाने वाली सेवाएं और रीति जिनके आधार पर मांग की जा रही है कि ये सार्वजनिक सुविधा के लिए होगी, का पूर्ण विवरण .....

7. किसी माल वहन अनुज्ञा-पत्र या लोक मोटर यान अनुज्ञप्ति जो कि वर्तमानत: या पिछले दो वर्षों के दौरान कभी भी आवेदक के पास हो का विवरण और माल वाहन के लिए प्रभार्य न्यूनतम और अधिकतम दरों सहित उस क्षेत्र का विवरण जिस पर यान नियमित रूप से चलाया जा रहा हो ।

टिप्पण:— यदि विवरण व्यापक है तो कथन संलग्न करें ।

.....

.....

.....

8. किसी माल वहन या लोक मोटर यान अनुज्ञप्ति का विवरण जो आवेदक के पास हो, और जो रद्दकरण के किसी आदेश का विषय रहा हो ।

.....
.....
.....

9. मद् के अधीन दिए गए विवरण से भिन्न आवेदक द्वारा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी के क्षेत्र में किराए पर माल वहन करने या पारिश्रमिक की प्रविष्टि के लिए क्षेत्र के भीतर या क्षेत्र के बाहर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी करार या व्यवस्था को प्रमाणित करने वाले विवरण ।

.....
.....
.....

मैं/हम उस माल के वहन के लिए यान या यानों को.....के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं जो मेरी/हमारी अपनी सम्पति है या जिसका वहन मेरे/हमारे.....व्यापार के लिए आनुषंगिक है ।

माल जिसे मैं/हम माल वहन के रूप में ले जाना चाहते हैं :

.....
.....
.....

मैं/हम यानों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अग्रेषित करते हैं या मैं/हम यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अनुज्ञप्ति जारी किए जाने से पूर्व प्रस्तुत कर देंगे ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 25 पी टैम्प0 ए0
हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 62 (5)

अस्थाई अनुज्ञा-पत्र के लिए आवेदन

सेवा में,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी,
.....

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66 और 67 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन इसके नीचे यथा उपवर्णित अस्थाई अनुज्ञा-पत्र के लिए आवेदन करते हैं :

1. पूरा नाम.....

2. पिता का नाम (व्यक्ति की दशा में) .....
3. पता .....
4. प्रयोजन जिसके लिए अनुज्ञा पत्र अपेक्षित है .....
.....
5. मार्ग .....
6. अनुज्ञा-पत्र की अवधि की .....से .....तक मियाद .....
7. यान का प्रकार और लदा हुआ भार/बैठने की क्षमता या यान जिनके लिए अनुज्ञा-पत्र अपेक्षित है ।

.....

(8) (1) .....
यान/यानों के रजिस्ट्रीकृत स्वामी हैं,
और रजिस्ट्रेशन चिन्ह .....है/हैं ।

(2) यानों/यान को मैंने/हमने अभी तक भाड़े पर नहीं दिया है और मैं/हम रजिस्ट्रीकृत चिन्ह की सूचना देने का उत्तरदायित्व लेते हैं यदि वह यान/यानों को भाड़े पर देने से 24 घंटे के भीतर अपेक्षित हो ।

9. यान के बारे में जारी की गई अनुज्ञप्ति, जारीकर्ता के पदनाम सहित संख्या और तारीख.....

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हूं/हैं कि मेरा/हमारा उपर्युक्त कथन सत्य है और मैं/हम सहमत हैं कि वे मेरे/हमारे लिए जारी किए गए किसी भी अनुज्ञा-पत्र के लिए शर्तें होंगी ।

तारीख.....

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर या अंगुठा निशान ।

परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय में भरा जायेगा

1. प्राप्ति की तारीख.....
2. तारीख.....,मास.....1992 के.....मास के.....
.....दिन को अनुदत्त/अस्वीकृत ।
3. अनुज्ञा पत्र संख्या.....
4. यान/यानों को रजिस्ट्रीकृत चिन्ह यदि जारी किये जाने के पश्चात् सूचित किया गया है.....
.....

सचिव,
क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी

जो विकल्प लागू न हों उसे काट दें ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 26 पी0 एस0 पी0 ए0
(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 62 (6)
संविदा गाड़ी के विषय में विशेष अनुज्ञा पत्र के लिये आवेदन

सेवा में,
राज्य परिवहन प्राधिकारी,
हिमाचल प्रदेश ।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसार मैं अधोहस्ताक्षरी

एतद्द्वारा लोक सेवा यान के विषय में इसके नीचे यथा उपवर्णित विशेष अनुज्ञा-पत्र के लिए आवेदन करता हूं :

1. पूरा नाम .....
2. आयु .....
3. पिता का नाम (व्यक्ति की दशा में) .....
4. स्थायी पता .....
5. मार्ग या क्षेत्र जिनके लिए अनुज्ञा पत्र वांछित है .....
6. अवधि जिसके लिए अनुज्ञा पत्र अपेक्षित है .....
7. यानों का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह .....

   (क) इंजन संख्या .....
   (ख) चैसिज संख्या .....
   (ग) यान पर राज्य में अवधि तक कर लगाया गया है: .....
   (घ) अन्य राज्यों में संदत्त करों का विवरण .....

8. बैठने की क्षमता .....

9. अनुज्ञा पत्र, यान जिसके पहले ही अधीन है और प्राधिकारी जिसके द्वारा जारी किया गया हो, यदि कोई हो .....

10. ले जाए जाने वाले व्यक्तियों की प्रस्तावित संख्या .....
    (नाम और आयु, पते का विवरण संलग्न है)

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 27 पी0 एस0 टी0 एस0

(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 65 (1)

मंजिली गाड़ी की सेवा के बारे में अनुज्ञा-पत्र

भाग क

धारक द्वारा पूर्ण अनुज्ञा पत्र रखा जायेगा)

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी हिमाचल प्रदेश शिमला 3 पं0 पी0 एस0 टी0 एस0

1. धारक का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. पता .....
   .....
4. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञा पत्र विधिमान्य है .....
   (उपर्युक्त प्रविष्टि निम्न प्रविष्टि 16 की शर्तों के अध्यधीन होगी)

5. रजिस्ट्रीकृत चिन्ह (चिन्हों) या सेवा में प्रयोग किए जाने वाले यान में लगभग बैठने की क्षमता.... .....यान.....जिसमें कम से कम.....और अधिक से अधिक सीटें हैं।

6. अवसान की तारीख.....

7. यदि अधिनियम की धारा 67 के अधीन नियत किया गया है तो अधिकतम और न्यूनतम भाड़ा..... .....

8. अनुपालन की जाने वाली समय सारिणी, यदि कोई हो, तो विवरण..... .....

9. क्या यात्रियों के अतिरिक्त माल अकेले एक यान पर या सभी यानों पर ले जाया जा सकेगा और शर्तें जिनके अधीन माल ले जाया जा सकेगा.....

10. किसी भी समय किन्हीं यानों में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट यात्रियों की संख्या से अधिक संख्या में यात्रियों को नहीं ले जाया जायेगा।

11. जब भी यान का प्रयोग मंजिली गाड़ी या संविदा गाड़ी के रूप में प्रयुक्त किया जाये तो यानों के साथ सभी समय संवाहक भी ले जाया जायेगा।

12. क्या भाड़ा सारिणी यानों में प्रदर्शित की गई है.....

13. क्या समय सारिणी यानों पर प्रदर्शित की गई है.....

14. वह तारीख जिसका अभिलेख परिवहन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया और रखा जाने वाला अभिलेख .....

15. यह अनुज्ञा पत्र उपर्युक्त प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट समय तक माल वहन अनुज्ञा पत्र समझा जायेगा।

16. अनुज्ञा पत्र के धारक द्वारा से अधिक यानों को निम्न विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए संविदा गाड़ी के रूप में निम्न विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर सेवा के लिए प्रयुक्त किया जायेगा :

17. जब यानों को प्रयुक्त न किया जा रहा हो तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 117 के अधीन नियत किए गए खड़ा करने के स्थान या स्टैंड के अतिरिक्त किसी भी यान का सार्वजनिक स्थान पर खड़ा नहीं करेगा।

18. (1) उपर्युक्त प्रविष्टि द्वारा अनुज्ञात यान को संविदा गाड़ी के रूप में प्रयोग की जाने वाली सेवाओं के अतिरिक्त यदि धारक उपर्युक्त प्रविष्टि 16 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से बाहर भी इसी प्रकार यानको प्रयुक्त करना चाहता है तो उसे अन्य क्षेत्रों और भागों के विषय में सक्षम प्राधिकारी से विशेष अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होगा।

(2) कोई विशेष पास, एक बार बाहर जाने और वापिस यात्रा के लिए ही मान्य होगा और एक बार में एक से अधिक विशेष अनुज्ञा पत्र जारी किया जायगा और न ही किसी विशेष अनुज्ञा पत्र से धारक को नए तौर से वापिसी यात्रा क लिए किराए पर कारबार करन की अनुमति होगी।

(3) अधिनियम और नियमों के उपबन्ध वहन और अनुज्ञा पत्रों के प्रस्तुतिकरण के लिए जैसे लागू होते हैं वैसे ही व इस शर्त के अनुपालन में जारी किए गए किसी भी विशेष अनुज्ञा पत्र के लिए भी लागू होंगे।

19. इस अनुज्ञा पत्र के लिए देय फीस, हि0 प्र0 मोटर यान नियम, 1991 के नियम 68 के अधीन अधिकथित, देय तारीख को संदत्त की जायेगी ।

20. अन्य विशेष शर्तें .....

21. यह अनुज्ञा पत्र धारक को किसी भी ऐसी सड़क के विषय में मंजिली गाड़ी सेवा से सम्बन्धित किसी यान को मंजिली गाड़ी के रूप में, जिसके विषय में सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ने उस सड़क पर चलने वाली मंजिली गाड़ियों की संख्या को सीमित करने के आदेश दिए हैं, तब तक प्रयोग करने का अधिकार नहीं देता जब तक कि उपर्युक्त प्रविष्टि 4 में विशेष रूप से सड़कें (मार्ग) उल्लिखित न हो ।

22. यह अनुज्ञा पत्र धारक को उस सीमा से अधिक जो यहां दर्शाई गई है सबंन्धित सेवा यान को संविदा गाड़ी के रूप में या माल गाड़ी के रूप में किसी ऐसे मार्ग (सड़क) पर जिसके विषय में सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ने संविदा गाड़ी या माल गाड़ी, यथा स्थिति, की संख्या को सीमित करने के आदेश दिए हों, प्रयोग करने का अधिकार नहीं देता ।

23. इस अनुज्ञा पत्र का धारक अपने कर्मचारियों के कार्य का ऐसा पर्यवेक्षण करेगा जो कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि यान यात्रियों के वहन की सुविधा और सुरक्षा के लिए अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में चलाया जा रहा है ।

तारीख.....

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

नवीकरण 1993 के.....मास.....के.....दिन तक अनुज्ञा पत्र का एतद्द्वारा .....मास.....19 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन नवीकरण किया जाता है ।

यह उपर्युक्त लिखित तारीख तक प्रभावी रहेगा और किन्हीं शर्तों जोकि निम्नलिखित क्षेत्रों में पूर्व प्रतिहस्ताक्षर में संलग्न है, के अधीन रहेगा ।

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी
शिमला-2.

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

यह प्रतिहस्ताक्षर एतद् द्वारा 1993 के.....मास के.....दिन..... तक नवीकृत किया गया है ।

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

भाग-ख

प्रत्येक यान पर प्रदर्शित किया जाने वाला संक्षिप्त विवरण ।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी.....मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञा पत्र संख्या पी0 एस0टी0एस0.....

1. धारक का नाम और पता .....
.....

2. (1) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (चिन्हों) .....
(2) यान/यानों का प्रकार .....

3. सीट से कम क्षमता न हो और .....सीट से अधिक न हो।

4. मार्ग या क्षेत्र .....

(1) जारीकर्ता प्राधिकारी के क्षेत्र में .....
(2) अन्य क्षेत्रों में .....

5. अवसान की तारीख .....

6. शर्तें :—

(क) माल का वहन .....
(ख) संविदा गाड़ी के रूप में प्रयुक्त

(1) क्षेत्र के भीतर .....
(2) क्षेत्र से बाहर .....

(ग) भाड़ा .....

(1) क्या यात्री भाड़ा सारिणी प्रदर्शित की गई है .....

(घ) समय सारिणी

(1) अनुपालन किया जायेगा .....
(2) प्रदर्शित किया जायेगा .....

(ङ) अन्य विशेष शर्तें

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी।

तारीख.....

नवीकरण

.....19 तक नवीकरण किया जायेगा।

तारीख.....

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी।

प्रतिहस्ताक्षर

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी .....सं0 पी0 एस0 टी0 एस0 .....

..... प्रतिहस्ताक्षरित .....
..... अध्याधीन रहते हुए .....

(रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से फीस के संदाय के प्रतिहस्ताक्षर की रसीद यहां चिपकाएं)
तारीख .....

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

.....19 तक प्रतिहस्ताक्षर नवीनकृत किए गए ।

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

(प्रतिहस्ताक्षर और नवीकरण प्रतिहस्ताक्षर दोहराएं)

पी0 एस0 टी0 एस0 भाग 3 अ, प्रविष्टि 4 अकेले मार्ग या मार्गों से सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए एक प्ररूप ही प्रयोग किया जाना चाहिए । अन्यथा विभिन्न भागों या क्षेत्रों के लिए विभिन्न अनज्ञा पत्र प्रदान किए जाने चाहिए । भाग ख प्रविष्टि 3 विवरण क्षमता के आधार पर केवल प्रत्येक यान को सौंपे जाने चाहिए परन्तु विशेष यान को रजिस्ट्रीकरण कार्य द्वारा नहीं सौंपे जाने चाहिए ।

1. अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत विवरण की एक प्रति प्रत्येक यान को जारी की जाएगी ।
2. यहां अनुज्ञा पत्र संख्या लिखें और यानों की कुल संख्या तक, क्रम संख्या प्रकोष्ठों में लिखें ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 28 पी0 सी0 ओ0 सी0

(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 65 (2)

हिमाचल प्रदेश सरकार

संविदा गाड़ी अनुज्ञा-पत्र

भाग-क

(पूर्व अनुज्ञा-पत्र, धारक द्वारा रखा जाना चाहिए)
सी0 पी0 सी0

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी .....

1. धारक का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. पता .....
   .....

4. (1) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह .....
   (2) यान .....के साथ अवक्रय करार के अधीन है,

5. यात्रियों की एक बार में ले जाई जाने वाली अधिकतम संख्या .....
6. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञा पत्र मान्य है.....
7. (केवल मोटर कैब की दशा में) .....
यान का मुख्यालय .....जिला/क्षेत्र होगा ।

वर्णित जिला/ क्षेत्रों से बाहर किसी भी स्थान पर कोई यात्री यान में तब तक नहीं उठाया जायेगा जब तक कि वह उस जिला/क्षेत्र में उस स्थान में किसी स्थान तक के सारे मार्ग के लिए संविदा या आवेदन नहीं करता ।

8. (मोटर कैब से अन्यथा संविदा गाड़ी के मामले में)

(1) उपर्युक्त प्रविष्टि 6 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से बाहर भी संविदा के रूप में या उस क्षेत्र जिसकी बाबत यह अनुज्ञा पत्र प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है यान का प्रयोग किया जा सकेगा परन्तु प्रत्येक ऐसे अवसर पर अनुज्ञा-पत्र का धारक यान का इस प्रकार प्रयोग करना चाहता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी से विशेष अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना होगा ।

(2) एक ही समय में, बाहर की यात्रा और वापिसी यात्रा के लिए विशेष अनुज्ञा-पत्र एक से अधिक बार के लिए विधिमान्य होगा और न ही धारक को विशेष अनुज्ञा पत्र के अधीन वापिसी यात्रा की बाबत नवीन यात्री भाड़े के कारबार की अनुमति होगी ।

(3) वहन के सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को जारी किए गए विशेष अनुज्ञा पत्र के लिए शर्तों का अनुज्ञा पत्र को प्रस्तुत करने के लिए उसी प्रकार अनुपालन किया जायेगा जैसे कि अन्य अनुज्ञा-पत्र के लिए किया जाता है ।

9. अवसान की तारीख.....
10. केवल मोटर कैब के मामले में प्रति किलोमीटर भाड़े की दर.....
11. क्या टैक्सी मीटर लगाया गया है, (और यदि है तो) इसका प्रकार (केवल मोटर कैब की दशा में) .....
12. हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 के नियम 68 में वर्णित तारीख को ही इस अनुज्ञा पत्र क लिए फीस देय होगी ।
13. कोई अन्य शर्तें
14. रखा जाने वाला अभिलेख और तारीख जिस का विवरण परिवहन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।
15. इस अनुज्ञा पत्र से धारक को यान को मंजिली गाड़ी के रूप में प्रयोग करने का हक न होगा ।
16. हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 के नियम 66 के उपबन्धों के अधीन यह अनुज्ञा पत्र नीचे तद्धीन बताये नियमों के अनुरूप चलाया जा रहा है ।

तारीख.....

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

नवीकरण

इस अनुज्ञा पत्र का एतद्द्वारा.....दिन.....मास.....199 तक निम्नलिखित और शर्तों के अध्याधीन नवीकरण किया जाता है ।

सचिव,
तारीख..... **क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी**

प्रतिहस्ताक्षर

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी.....स0 पी0 जी0.....
.....मार्ग/क्षेत्र के लिए निम्नलिखित शर्तों क अन्तर के अधीन रहते हुए ।

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

उपर्युक्त प्रतिहस्ताक्षर का एतद्द्वारा.....दिन.....
मास.....19.....तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन नवीकरण किया जाता है ।

सचिव,
तारीख.....क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

नवीकरण

.....199 तक नवीकृत किया जाता है ।

सचिव,
तारीख.....क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

(भाग ख)

यान पर प्रदर्शित किया जाने वाला विवरण

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी .....
संविदा गाड़ी सं0 पी0 सी0 .....

1. धारक का नाम और पता .....
2. यान की किस्म .....
3. रजिस्ट्रीकृत चिन्ह .....
4. अवसान की तारीख .....
5. शर्तें :-

(क) मार्ग/क्षेत्र .....
(ख) यात्रियों की अधिकतम संख्या .....
(ग) भाड़ा .....

(1) दर
(2) क्या भाड़ा सारिणी प्रदर्शित की गई है

(घ) टैक्सी मीटर, यदि कोई है, तो उसका प्रकार
(ड) अन्य शर्तें

सचिव,
तारीख.....क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 29 पी0 पी0 एस0 बी0
हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 65 (3)

हिमाचल प्रदेश सरकार
प्राईवेट यान सेवा के विषय में अनुज्ञा-पत्र

भाग-क
(धारक द्वारा पूरा अनुज्ञा-पत्र रखा जायेगा)

सं0 पी0 पी0 एस0 सी0 .....
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी .....

1. धारक का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. पता .....
   .....
4. (क) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह .....
   (ख) यान .....के साथ उच्च क्रय करार के अधीन है ।
5. किसी एक समय पर ले जाई जा सकने वाली यात्रियों की अधिकतम संख्या
6. यान के साथ उन सभी समय पर जब कि इसका मंजिली गाड़ी या संविदा गाड़ी (गाड़ियों) के रूप में प्रयोग किया जा रहा हो, संवाहक को साथ ले जाया जायेगा ।
7. मार्ग/क्षेत्र जिनके लिए अनुज्ञा-पत्र विधिमान्य है .....
8. अवसान की तारीख .....
9. व्यक्तियों को ले जाने की रीति और प्रयोजन .....
10. अनुपालन की जान वाली समय सारिणी यदि कोई हो, का विवरण .....
11. क्या समय सारिणी यान पर प्रदर्शित की जायेगी .....
12. रखा जाने वाला अभिलेख और तारीख जिसका विवरण, परिवहन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा ।
    .....
    .....
13. जब यान प्रयुक्त न किया जा रहा हो तो अधिनियम की धारा 117 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत यान पार्क करने की जगह या स्टैंड के सिवाये किसी भी सार्वजनिक स्थान पर खड़ी नहीं किया जायेगा ।
14. अनुज्ञा-पत्र के लिए देय फीस हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 के नियम 68 में यथा अधिकथित देय तिथि को संदत्त की जायेगी ।
15. कोई अन्य शर्तें .....
16. हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 के उपबन्धों के अधीन यह अनुज्ञा-पत्र निम्न शर्तों के अधीन नीचे दिए गए क्षेत्रों में भी विधिमान्य होगा ।

क्षेत्र	मार्ग क्षेत्र	शर्तें

17. यह अनुज्ञा-पत्र धारक को किसी ऐसी सड़क पर जिसकी बाबत सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी से चलाये जाने वाली अनुज्ञा प्राप्त मंजिली गाड़ी की संख्या के परिसामन के आदेश दिए हों यान को

मंजिली गाड़ी के रूप में प्रयोग करने की तब तक अनुमति नहीं देता जब तक कि सड़क का उपर्युक्त प्रविष्टि 7 में विनिर्दिष्ट उल्लेख न किया गया हो ।

18. यह अनुज्ञा पत्र धारक को उस सीमा से अधिक जो यहां दर्शाई गई है, यान को किसी ऐसी सड़क (मार्ग) पर जिसके विषय में सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी संविदा गाड़ी या माल गाड़ी यथास्थिति, की संख्या को सीमित करने के आदेश दिए हों, यान को संविदा गाड़ी या माल गाड़ी के रूप में यथा-स्थिति प्रयोग करने का अधिकारी नहीं देता जब तक कि यहां चलाए जाने की आज्ञा न दी हो ।

19. इस अनुज्ञा पत्र का धारक अपने कर्मचारियों के कार्य का ऐसा पर्यवेक्षण करेगा, जोकि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि यान अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में और किन्हीं यात्रियों और जन साधारण की सुख सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है ।

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

तारीख .....

नवीकरण

यह अनुज्ञा-पत्र एतद्द्वारा .....19 के .....मास के दिन को ..... नवीकृत किया जाता है ।

यह उपर्युक्त लिखी गई तारीख और पूर्व प्रतिहस्ताक्षर से संलग्न किन्हीं शर्तों के अधीन निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभावी है

.....

.....

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

तारीख .....

प्रतिहस्ताक्षर

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 द्वारा यथा अपेक्षित प्रतिहस्ताक्षर के लिए ..... निम्नलिखित ..... शर्तों के अन्तर के अध्याधीन ..... ।

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

तारीख .....

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

उपर्युक्त हस्ताक्षर एतद्द्वारा मास .....दिन ..... 199 तक निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए नवीकृत किया जाता है :

.....

तारीख .....

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

1. यहां राज्य का नाम लिखें
2. यहां संक्षिप्त विवरण लिख, उदाहरणतया प्रतिदिन प्रत्येक मार्ग पर दो फेरों या संलग्न समय सारिणी के द्वारा ।

भाग-ख

परिवहन प्राधिकारी हिमाचल प्रदेश,

1. धारक का नाम और पता .....
2. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह .....
3. अवसान की तारीख .....
4. शर्तें :

(क) मार्ग .....
(ख) यात्रियों की संख्या .....
(ग) क्या समय सारिणी .....

(1) का अनुपालन किया गया ?
(2) प्रदर्शित की गई है ?

(घ) अन्य विशेष शर्तें .....

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी

तारीख .....

नवीकरण

.....19 तक नवीकृत किया गया है ।

सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी।

तारीख .....

प्रतिहस्ताक्षर

.....के लिये प्रतिहस्तारित है ।

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

तारीख .....

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

.....19 तक नवीकृत किया गया ।

सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी,

तारीख .....

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 30 पी० जे० डी० सी०
हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 6 (4)

माल का अनुज्ञा वहन पत्र

संख्या पी० बी० डी० सी०
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी

(धारक द्वारा पूरा अनुज्ञा पत्र रखा जायेगा)

1. धारक का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. पता .....
4. ..... मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञा पत्र विधिमान्य है ।
5. ट्रेलर सहित यानों का प्रकार और क्षमता और यानों का सुस्पष्ट वैकल्पिक :

यानों की संख्या	माडल	प्रकार	लदान क्षमता कि० ग्रा० में	लदान भार कि० ग्रा० में	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	इंजन सं०	चैसिज सं०
1	2	3	4	5	6	7	8

टिप्पणी.—उपर्युक्त के विषय में निम्न रजिस्ट्रीकरण चिन्हों द्वारा यान के साथ भाड़ा क्रय करार के अधीन है ।

6. अवसान की तारीख .....19.....
7. .....तारीख को विवरणी परिवहन प्राधिकारी को भेजी जायेगी और लेखा रखा जायेगा
8. इस अनुज्ञा-पत्र के लिए देय फीस हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 में अधिकथित देय तारीख को संदत्त की जायेगी ।

9. शर्तें :

.....
.....

10. .....क्षेत्रों के भीतर, धारक द्वारा इस अनुज्ञा-पत्र द्वारा प्राधिकृत यान (यानों) का प्रयोग निम्नलिखित माल वहन के लिए किया जायेगा :

(क) केवल धारक द्वारा किए जाने वाले व्यापार या कारोबार के सम्बन्ध में ।
(ख) अन्य माल के वहन के लिए ।

11. हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 के नियम 66 के उपबन्धों के अधीन यह अनुज्ञा-पत्र नीचे दिये गए क्षेत्रों में भी निम्न शर्तों के अधीन विधिमान्य है :

क्षेत्र	मार्ग/क्षेत्र	शर्तें

12. यह अनुज्ञा पत्र धारक को इसमें विनिर्दिष्ट विस्तार के अतिरिक्त किसी ऐसे मार्ग पर जिसके विषय में सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ने परिवहन यानों की संख्या को सीमित करने के आदेश दिए हों यान को प्रयुक्त करने का अधिकार नहीं देता ।

13. इस अनुज्ञा-पत्र धारक अपने कर्मचारियों का ऐसा पर्यवेक्षण कर सकेगा, जोकि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि यान अधिनियम और उसके तदधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप जनता की सुरक्षा, सुविधा और आराम को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है ।

सचिव,
तारीख ..... क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

नवीकरण

.....19 तक.....के अधीन नवीकृत किया जाता है.....
.....में भी विधिमान्य है ।

सचिव,
तारीख ..... क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

भाग-2

यान पर प्रदर्शित किया जाने वाला संक्षिप्त विवरण

माल वहन का अनुज्ञा-पत्र सं0 पी0 जी0 डी0 सी0

1. धारक का नाम और पता .....
2. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह .....
3. क्षेत्र या मार्ग .....
4. अवसान की तारीख .....
5. शर्तें : .....
   .....
6. .....माल के वहन के लिए प्राधिकृत ।

(1) धारक से सम्बन्धित कारबार या व्यापार के लिए ।
(2) अन्य माल के वहन के लिए .....के क्षेत्र में

तारीख .....

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

यहां कुल योग तक क्रम संख्या और अनुज्ञा-पत्र संख्या लिखें, यदि यह प्रतियां ट्रेलर से सम्बन्धित हैं तो यहां पत्र "टी" जोड़ें ।

नवीकरण

.....19 तक.....
.....के अधीन नवीकरण किया जाता है....
.....में भी विधिमान्य है ।

तारीख .....

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

प्रतिहस्ताक्षरित

.....परिवहन प्राधिकारी.....
सं0 पी0 जी0 डी0 सी0.....क्षेत्र के लिए प्रतिहस्ताक्षरित के अधीन रहते हुए ।

तारीख .....

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

प्रतिहस्ताक्षर का.....तथा नवीकरण किया जाता है.

तारीख .....

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 31 ई0 पी0 टैम्प0

(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 65 (5)

हिमाचल प्रदेश सरकार
अस्थाई अनुज्ञापपत्र (लोक वहन)

अनुज्ञा पत्र सं0.....
तारीख .....
अनुज्ञा पत्र फीस...रुपये...
.....

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी शिमला, हिमाचल प्रदेश

1. धारक का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. पता .....
4. यान का प्रकार .....
5. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह .....आर0 सी0.....
   के अनुसार लदान सहित भार.....

6. प्रयोजन जिसके लिए यान का अनुज्ञा पत्र विधिमान्य है .....
.....वहन के लिए

7. (क) (1) क्षेत्र या मार्ग जिसके लिए अनुज्ञा पत्र अविधिमान्य है,
(2) क्षत्र के भीतर ; क्षेत्र से बाहर ;

(ख) यात्री यान की दशा में एक ही समय में ले जाये जाने वाले यात्रियों की अधिकतम संख्या,
(ग) क्या यान के साथ पीछे वाले भाग में कलीनर ले जाया जा रहा है,
(घ) क्या यान का प्रयोग यात्रियों को ले जाने के स्थान पर माल वहन के लिए किया जा सकेगा,
(ङ) ढुलाई : क्या दर विहित है,
(च) क्या सारिणी प्रदर्शित की गई है,
(छ) समय सारिणी प्रदर्शित की गई है,
(ज) ले जाये जाने वाले माल की किस्म पर प्रतिबन्ध
(झ) कोई अन्य शर्तें

8. विधिमान्यता तारीख .....से.....तक
9. यह अनुज्ञा पत्र धारक को इसमें दर्शित विस्तार के अतिरिक्त किसी ऐसे मार्ग पर जिसके विषय में राज्य परिवहन प्राधिकारी ने परिवहन यानों की संख्या को सीमित करने के आदेश दिए हों, यान को प्रयुक्त करने का अधिकार नहीं देता ।

10. इस अनुज्ञा पत्र का धारक अपने कर्मचारियों का ऐसा पर्यवेक्षण कर सकेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि यान अधिनियम और इसके तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुरूप जनता या ले जाए जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है ।

11. लाग बुक और प्रतिवेदन पुस्तक रखी जायेगी जिसमें प्रमार्थ किया गया भाड़ा भी निरन्तर दर्शित किया जायेगा ।

तारीख .....

सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 32 एस0 पी0 पी0

मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा (88) 8 और हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 की धारा 65 (6)

विशेष अनुज्ञा पत्र

(1) ईजन संख्या..... अनुज्ञा-पत्र संख्या .....
(2) चैसिज संख्या.....
(3) रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

.....रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत.....
.....और.....
स्वामी सुपुत्र.....

स्थायी पता .....
.....

अनुज्ञा-पत्र संख्या ..... तारीख ..... के अन्तर्गत .....
.....राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया और व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा लिया गया जिनका विवरण निम्नलिखित है :—

पूरा नाम और पिता या पति का नाम	आयु	निवास स्थान
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		

उपर्युक्त व्यक्ति निम्न स्थानों की यात्रा करेंगे ।

.....
.....
.....

यह अनुज्ञा-पत्र .....तक विधिमान्य है ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित यान के विषय में इस अनुज्ञा-पत्र के अवसान की तारीख तक इस राज्य में देय सभी कर और फीस संदत्त कर दी गई है ।

यह अनुज्ञा पत्र किसी अन्य क्षेत्रीय/राज्य परिवहन प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के बिना सारे भारत वर्ष में विधिमान्य है । यह किसी भी वर्दी धारी पुलिस अधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत किया जायेगा ।

जारीकर्त्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

.....तक इस अनुज्ञापत्र की विधिमान्यता का विस्तार किया गया है। इस अवधि के दौरान, पक्षकार निम्नलिखित स्थानों की यात्रा भी कर सकेगा :

1 .....
2 .....
3 .....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

टिप्पणी :

1 अनुज्ञापत्र की मान्यता की अवधि 3 मास से अधिक नहीं होगी । इसका अधिकतम एक मास की अवधि तक विस्तार किया जा सकेगा ।

2 सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञापत्र जारी करने वाला क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी या उस क्षेत्र का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी जिसमें कि विस्तार के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार उस समय हो या जो कि भी समीप हो, अभिप्रेत है । विस्तार की स्वीकृति देने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान कर लेना चाहिए कि विस्तार की अवधि तक देय सभी कर और फीस आवेदक द्वारा संदत्त कर दी गई है ।

महत्वपूर्ण :

जारीकर्ता प्राधिकारी उन सभी खाली स्तम्भों को जिनका प्रयोग नहीं किया गया है कृपया क्रास कर दें ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 33 पी0 जी0 डी0 सी0
हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम 1991 का नियम 65 (7)

भाग क

(पूरा अनुज्ञापत्र धारक द्वारा रखा जायेगा)

सं0 पी0 जी0 डी0 सी0.....

1 अनुज्ञापत्र धारक का नाम .....
2 पिता का नाम .....
(व्यक्ति की दशा में या अन्य मामलों में प्रास्थिति)

3 पता .....

.....

4 प्रास्थिति का नाम केन्द्र शासित प्रदेश जिनके लिए अनुज्ञापत्र विधिमान्य है .....

.....

5 ट्रेलर सहित यानों का प्रकार और क्षमता और यानो का सुस्पष्ट विकल्प :

यानों की संख्या	प्रकार	लदान क्षमता	लदान भार	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
		कि0 ग्रा0	कि0 ग्रा0	

6 .....से.....तक विधिमान्य

7 रखे जाने वाले अभिलेख और तारीख जिसका परिवहन प्राधिकारी को विवरण भेजा जायेगा.....

.....

8 यान में ले जाये जाने वाले माल का स्वरूप.....

9 इस अनुज्ञापत्र से सम्बन्धित शर्तें :

10 इस अनुज्ञापत्र का धारक अपने कर्मचारियों का ऐसा पर्यवेक्षण कर सकेगा, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि यान अधिनियम और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुरूप जनता की सुरक्षा सुविधा और आराम को ध्यान में रख कर चलाया जा रहा है ।

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकारी,
हि0 प्र0 शिमला ।

तारीख

.....19 तक.....शर्तों के अधीन नवीकरण किया गया .....में भी विधिमान्य है ।

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकारी,
हि0 प्र0 शिमला ।

प्ररूप एन0 पी0 जी0 डी0 सी0

भाग ख

यान पर प्रदर्शित किया जाने वाला विवरण
हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकारी शिमला

माल वहन अनुज्ञापत्र सं0 एन0 पी0 जी0 डी0 .....

1 धारक का नाम .....

2 यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह .....

3 राज्य जिसके लिए अनुज्ञा पत्र विधिमान्य है .....

4 .....से.....तक विधिमान्य है,

5 अनुज्ञा पत्र के साथ संलग्न शर्तें .....

सचिव,

तारीख राज्य परिवहन प्राधिकारी,
हि० प्र० शिमला ।

नवीकरण

सं० एन० पी० जी० डी० सी० .....

..... 19 तक नवीकृत.....से.....19 तक....
.....में भी विधिमान्य है ।

सचिव,

तारीख राज्य परिवहन प्राधिकारी,
हि० प्र० शिमला ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 34 आर० पी० एफ०
हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 67, 68, 69)

हिमाचल प्रदेश सरकार

अनुज्ञा पत्र फीस के लिए रसीद

पुस्तिका संख्या..... रसीद संख्या.....

1 अनुज्ञापत्र या प्रतिहस्ताक्षर की संख्या.....

2 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया .....

3 रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.....

4 स्वामी का नाम और पता.....
.....

5 संदाय की तारीख .....
6 संदत्त राशि .....
7 अगले संदाय की देय तारीख .....

तारीख

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ।

कार्बन द्वारा द्विप्रतीक में भरा जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप टैम्प 35 रसीद
हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991

अनुज्ञा पत्र के स्थान पर रसीद का प्ररूप

(1) अनुज्ञा पत्र की संख्या ..... भाग "अ व "अ"
(2) जारीकर्त्ता प्राधिकारी ..... एस0 टी0 ए0 आर0 टी0 ए0
(3) अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र .....
(4) मार्ग अनुज्ञापत्र के अवसान की तारीख .....
(5) नाम, माता पिता का नाम, अनुज्ञापत्र धारक का पूरा पता .....
(6) कब्जे में मार्ग अनुज्ञा पत्र लेने का कारण .....
(7) .....जिस तारीख तक रसीद विधिमान्य होगी ।
(8) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह .....

अनुज्ञापत्र को कब्जे में लेने वाले प्राधिकारी के (पूरे पद नाम सहित) हस्ताक्षर ।

(1) जो लागू न हो उसे काट दें
(2) यह रसीद मार्ग अनुज्ञापत्र वापिस लेने के समय अभ्यर्पित की जायेगी
(3) रसीद जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा रसीद या बढ़ाई गई विधिमान्यता की अवधि हस्ताक्षरित की जायेगी ।
(4) व (6) में कब्जा लेने के लिए कारण संक्षिप्त रूप में दिए जायेंगे, जहां पर कारण मोटर यान अधिनियम 2988 या उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में हो सुसंगत धारा या नियम सहित अपराध के स्वरूप का उल्लेख भी किया जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 36 एम0 वी0 रैप0 ए0
हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1992 के नियम 77 और 78

अनुज्ञापत्र/प्रतिहस्ताक्षर के अधीन आने वाले यान के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन।

राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी
हिमाचल प्रदेश
राज्य

पूरा नाम .....
आवेदक का पता .....

मैं एतद्द्वारा मेरे द्वारा धारित अनुज्ञा/प्रतिहस्ताक्षर के अन्तर्गत आने वाले यान के प्रतिस्थापन के लिए नीचे वर्णित अनुसार आवेदन करता हूं :

(क) अनुज्ञा पत्र/प्रतिहस्ताक्षर संख्या .....
(ख) .....द्वारा जारी किए गये ।
(ग) ..... से ..... तक विधिमान्य ।
(घ) अनुज्ञा पत्र का प्रकार .....

2 ऐसे अनुज्ञा/पत्र प्रतिहस्ताक्षर के अन्तर्गत आने वाले विद्यमान यान के रजिस्ट्रीकरण और यान के प्रतिस्थापन का विवरण ।.....

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 38 टी0 ए0 पी0
(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 94)

हिमाचल प्रदेश सरकार
टिक्ट एजेंट का अनुज्ञा पत्र

दस्तावेज का धारक ..... को मेरे/हमारे द्वारा चलाए जाने वाले लोक सेवा यान में टिकटों के विक्रय के लिए मेरे/हमारे अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

स्थान :
तारीख :

प्राधिकार देने वाला
व्यक्ति या कम्पनी।

बैंज सं0.....
धारक का नाम .....

यथा उक्त प्राधिकृत करने के उपरान्त एतद्द्वारा मोटर यान नियम, 1991 के नियम 93, 94, 95 और 97 में विहित शर्तों के अधीन रहते हुए सारे जिला या विधिमान्यता के अन्य क्षेत्र में टिकटों के विक्रय के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करनें के लिए अनुज्ञप्त किया जाता है।

अनुज्ञापन प्राधिकारी,
जिला .....।

तारीख :

नवीकरण

नवीकृत/199.....से .....तक विधिमान्य।

तारीख :

अनुज्ञापन प्राधिकारी,
जिला.....।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 39 जी0 बी0 ए0
(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 110)

एकत्रित अभिकर्ता और अग्रेषित अभिकर्ता और वितरण अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए मूल/पूरक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन।

सेवा में,
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण,
उप मण्डल अधिकारी (सिविल)।

1 बड़े अक्षरों में पूरा नाम .....
2 (व्यक्ति की दशा में) पिता या पति का नाम .....

3 पता .....

.....

..... ।

4 परिवहन कारबार के प्रबन्ध में शैक्षित अर्हताएं या अनुभव .....

5 (क) स्थान जहां पर अभिकर्ता अपने आपको कार्यरत करने का प्रस्ताव करता है .....

(ख) स्थान जहां पर वह अपने उप अभिकरणों को स्थापित करने का प्रस्ताव करता है .....

6 आवेदक के लिए वित्तीय साधनों का स्वरूप .....

7 माल यानों का विवरण जो या तो आवेदक के स्वामित्व या नियंत्रण में है ।

(क) कुल संख्या .....

(ख) मेक .....

(ग) निर्माण का माडल या वर्ष .....

(घ) रजिस्ट्रीकृत लदा हुआ भार .....

(ड) रजिस्ट्रीकृत जिन्ह .....

8 स्थल का विवरण और उसकी स्थिति .....

9 परिसरों का विवरण स्थल आदि के भवन विस्तार का स्वरूप .....

.....

10 माल यान को खड़ा करने के लिए आवेदक द्वारा उपबंधित सुवधिाएं .....

.....

11 आवेदक द्वारा माल को चढ़ाने और उतारने और माल के भण्डारण के लिए उपबन्धित सुविधाएं .....

.....

.....

12 उक्त उल्लिखित स्थान पर उपबन्धित तोलन यन्त्र का विवरण .....

मैं/हम माल वहन अनुज्ञा पत्र की शर्तों और मोटर यान अधिनियम, 1988 और बनाए गए नियमों से जहां तक इनका मार्ग, तोल, माल को चढ़ाने और उतारने सम्बन्धी निर्बन्धन और अभिकर्ताओं के कर्त्तव्य और कृत्यों का सम्बन्ध है।

मेरे/हमारे आपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार उक्त विवरण शुद्ध और सही है।

तारीख :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर ।

टिप्पणी :

यदि यह आवेदन/इस राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को किया जाता है तो इसके साथ आवेदक द्वारा यानों को खड़ा करने, माल के चढ़ाने और उतारने तथा माल के भण्डारण के लिए उपबन्धित सुविधाओं को अनुमोदित करते हुए संबन्धित उपमण्डलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्ररूप संलन किया जाएगा ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 40 जी0 बी0 ए0 2
(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 को नियम 110)

एकत्रण अग्रेषण और वितरण अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए पूरक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन।

1 बड़े अक्षरों में पूरा नाम .....
2 पिता या पति का नाम .....
व्यक्ति की दशा में ।
3 पता .....
.....
4 परिवहन कारबार के प्रबन्ध में शैक्षिक अर्हताएं या अनुभव .....
.....
5 मूल अनुज्ञप्ति संख्या .....
6 आवेदक के वित्तीय साधन का स्वरूप और विस्तार .....
7 आवेदक के स्वामित्व या नियन्त्रण में माल यानों की विवरण :

(क) कुल संख्या .....
(ख) मेक .....
(ग) निर्माण का माडल या वर्ष .....
(घ) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह स्थल का विवरण और उसकी स्थिति .....

8 परिसरों का विवरण भवन का स्वरूप स्थल आदि का विस्तार .....
.....
9 आवेदक द्वारा माल यानों को खड़ा करने के लिए उपबन्धित सुविधाएं .....
.....
10 आवेदक द्वारा माल का चढ़ाने और उतारने और माल के भण्डारण द्वारा उपबन्धित सुविधाएं .....
.....
.....
11 उक्त उल्लिखित स्थान पर उपबन्धित तोलन यन्त्र का विवरण .....
.....

मैं/हम माल वहन अनुज्ञापत्र की शर्तों और मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों, उपबन्धों से पूर्णतया अभिज्ञ हैं (जहां तक मार्गों सम्बन्धी निर्बन्धनों, बजन, माल के चढ़ाने और उतारने और अभिकर्ताओं के कर्तव्य और कृत्यों का सम्बन्ध है) ।

मैं/हम अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार घोषित करते हैं कि उक्त विवरण शुद्ध और सही है ।

तारीख :
स्थान : **आवेदक के हस्ताक्षर**

टिप्पणी :

यदि यह आवेदन इस राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है तो इसके साथ आवेदक द्वारा यानों को खड़ा करने, माल के चढ़ाने और उतारने तथा माल के भण्डारण के लिए उपबन्धित सुविधाओं को अनुमोदित करते हुए सम्बन्धित मण्डलाधिकारी (नागरिक) का प्रमाण पत्र लगाया जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप जी0 बी0 ए0 41

(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम, 110)

(माल वहन के स्वामी द्वारा घोषणा-पत्र का प्ररूप)

मैं/हम............................यान संख्या..................के स्वामी होने के नाते जो माल वहन अनुज्ञा पत्र संख्या......................के अन्तर्गत आते हैं, सत्यनिष्ठा से एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि उपर्युक्त यान हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 के अधीन माल को एकत्रित, अग्रेषित और वितरित करने के लिए......................के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन चलाया जाएगा और हर समय माल को चढ़ाने और इसके परिवहन के लिए अभिकर्ता उपलब्ध होगा ।

तारीख : शपथकर्ता

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 42 जी0 बी0 ए0 4

(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 110)

मुख्य अनुज्ञप्ति..........................

अनुज्ञप्ति संख्या..........................

बड़े अक्षरों में पूरा नाम..........................
पिता या पति का नाम..........................
(व्यक्ति की दशा में)

पता..........................

....

एकत्रीकरण, अग्रेषण और विवरण अभिकर्ता को लगाने या एकत्रीकरण या अग्रेषण और वितरण अभिकर्ता के रूप में और (1) पर दर्शित प्रयोजनों के लिए उप अभिकरण कार्यालयों की व्यवस्था करने के लिए अनुज्ञप्त किया गया है ।

यह अनुज्ञप्ति..........................से..........................तक विधिमान्य है ।

सेवा में

....

तारीख

जब तक अनुज्ञप्ति विधिमान्य और समय-समय पर नवीकृत की जाती है धारक नियम 114 के उपबन्धों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अपने कारबार रखते हुए अपने कारबार के

बारे में परिसरों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है जिनका विवरण दर्शाया गया है ।

परिसरों का विवरण .....

शर्तें .....

सचिव,
राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/
उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) ।

तारीख :

1 स्थान या स्थानों को विनिर्दिष्ट करें जहां अभिकर्ता का/के कार्यालय स्थित होगा। होंगें ।
2 शर्तें विनिर्दिष्ट करें ।

नवीकरण

यह अनुज्ञप्ति.....से .....तक नवीकृत की जाती है ।

तारीख :

सचिव,
राज्य/क्षेत्रीय परिवहन,
प्राधिकरण/उपमण्डलाधिकारी
नागरिक ।

2 यह अनुज्ञप्ति.....से .....तक नवीकृत की जाती है ।

सचिव,
राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण
उपमण्डलाधिकारी नागरिक ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 43 जी0 बी0 ए0 5
(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 110)

पूरक अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या..... तारीख .....

बड़े अक्षरों में पूरा नाम .....

पति या पत्नी का नाम .....
(व्यक्ति की दशा में)

मुख्य अनुज्ञप्ति संख्या .....

एकत्रीकरण, अग्रेषण और वितरण अभिकर्ता को लगाने या एकत्रीकरण या अग्रेषण और वितरण अभिकर्ता के रूप में और[1]

यह अनुज्ञप्ति.....से .....तक विधिमान्य है ।

तारीख :

जब तक यह अनुज्ञप्ति विधिमान्य और समय-समय पर नवीकृत की जाती है धारक नियम 114 के उपबन्धों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अपने कारबार के बारे में परिसरों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है जिनका विवरण नीचे दर्शाया गया है :

शर्तें :

तारीख :

सचिव,
राज्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण
उपमण्डलाधिकारी नागरिक ।

(1) स्थान या स्थानों को विनिर्दिष्ट कर जहां अभिकर्ता का/के कार्यालय स्थित होगा/होंगे ।
(2) शर्तें विनिर्दिष्ट करें ।

नवीकरण

यह अनुज्ञप्ति..... से .....तक विधिमान्य है ।

तारीख :

सचिव,
राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण
उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) ।

यह अनुज्ञप्ति.....से .....नवीकृत की जाती है ।

सचिव,
राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण
उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 45 जी0 बी0 ए0 6
(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 112)

अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

सेवा में,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण,
उप मण्डलाधिकारी "नागरिक"

मैं/हम अपनी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं जो संलग्न है और जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

(क) अनुज्ञप्ति संख्या.....

(ख) जारी करने की तारीख.....

(ग) अनुज्ञप्ति का स्वरूप अर्थात् एकत्रीकरण अभिकर्ता या अग्रेषण और वितरण अभिकर्ता या एकत्रीकरण अग्रेषण और वितरण अभिकर्ता.....

.....

यदि नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख से 30 दिन पूर्व किया जाता है..... देरी के लिए कारण..... विहित फीस मुख्य अनुज्ञप्ति की दशा में 500 रुपये और शक्ति सहित पूरक अनुज्ञप्ति की दशा में 100 रुपये की राशि उपर्युक्त लेखा शीर्ष के अधीन जमा दर्शाते हुए खजाना द्वारा दी जाएगी।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि उन परिस्थितियों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया है जिनमें मुझे/हमें अनुज्ञप्ति जारी की गई थी जो इस अनुज्ञप्ति को धारण करने में मुझे/हमें निरर्हित करती है।

तारीख :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 45 जी0 बी0 ए0

(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 114)

अर्धवार्षिक विवरणी

31 मार्च/30 सितम्बर, 199.....तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए अर्धवार्षिक विवरणी :

सेवा में,

सचिव,
राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण,
उप मण्डलीय अधिकारी "नागरिक"

1. अनुज्ञप्ति संख्या.....
2. प्रदान करने या अन्तिम नवीकरण की तारीख.....
3. अभिकर्ता द्वारा स्वामित्व माल वहन की कुल संख्या.....
4. अभिकर्ता के नियन्त्रण के अधीन माल वहन की कुल संख्या.....
5. उपसंख्या (3) और (4) में उल्लिखित में से माल वहन की संख्या.....
6. एकत्रित और अग्रेषण और वितरण अभिकर्ताओं को सुपुर्द किया माल टनों में.....

अग्रेषण और वितरण अग्रेषण और वितरण अभिकर्ताओं किया का नाम व पता	अभिकर्ताओं को सुपुर्द हुआ माल टनों में

टिप्पण: यदि मद संख्या (6) के अधीन उक्त दिया गया स्थान पर्याप्त न हो, पृथक शीट संलग्न की जाए :

7. अभिकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित अग्रेषित और सुपुर्द किए गए माल कुल टनों में.....

8. अधिकतम और न्यूनतम दूरी जिसके लिए माल अग्रेषण स्थान से सुपुर्दगी स्थान तक अग्रेषित किया गया था ।

दूरी	कुल टन
(क) 90 किलोमीटर से अनधिक दूरी ।	
(ख) 80 किलोमीटर से अधिक किन्तु 160 किलोमीटर से अनधिक दूरी ।	
(ग) 160 किलोमीटर से अधिक किन्तु 240 किलोमीटर से अनधिक दूरी ।	
(घ) 240 किलोमीटर से अधिक किन्तु 320 किलोमीटर से अनधिक दूरी ।	
(ङ) 320 किलोमीटर से अधिक किन्तु 400 किलोमीटर से अनधिक दूरी ।	
(च) 400 किलोमीटर से अधिक किन्तु 480 किलोमीटर से अनधिक दूरी ।	
(छ) 480 किलोमीटर से अधिक दूरी ।	

9. उक्त मद 8(छ) में की गई प्रविष्टि के बारे में माल का स्वरूप फल, ग्लास, घरेलू सामान, कोयला आदि विनिदिष्ट करें .....

10. मद संख्या 3 और 4 में उल्लिखित माल यानों द्वारा की गई कुल यात्रा की दूरी किलोमीटर में .....

11. अग्रेषण और वितरण अभिकर्ताओं द्वारा प्रेषण की बुकिंग की तारीख से लिया गया अधिकतम समय

समय	प्रेषण के टन	अग्रेषण स्थान से सुपुर्दगी स्थान तक की दूरी

12. प्राप्त और तक किए गये दावे :

(1) पूर्ववर्ती अर्धवर्ष से लम्बित दावों की संख्या.....
(2) रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्राप्त दावों की संख्या.....
(3) रिपोर्ट की अवधि के दौरान दावाकृत प्रतिकर.....
(4) रिपोर्ट की अवधि के दौरान तक किये गए दावों की संख्या.....
(5) रिपोर्ट की अवधि के दौरान संदत्त प्रतिकर.....
(6) रिपोर्ट की अवधि तक लम्बित दावों की संख्या.....

13. भाड़ा और कमीशन :

उक्त मद संख्या (3) में उल्लिखित यानों के बारे में कुल भाड़ा.....
उक्त मद संख्या (4) में उल्लिखित यान के बारे में नियुक्त कुल भाड़ा.....

14. माल के बीमा के लिए बीमा कम्पनियों को संदत्त प्रीमियम की कुल राशि.....
15. माल की हानि या क्षति के लिए दावों के बारे में बीमा कम्पनियों से नियुक्त कुल राशि.....
16. अग्रेषण और वितरण अभिकर्ता को सुपुर्द करने से पूर्व एकत्रीकरण अभिकर्ता द्वारा प्रेषण के लिए लिया गया अधिकतम समय.....

17. प्रेषण से पूर्व अग्रेषण और वितरण अभिकर्ता द्वारा अपने गोदाम में रखे प्रेषण के लिए लिया गया समय.....

18. प्रेषण की सुपुर्दगी से पूर्व वितरण बिन्दु पर अप्रेषण और वितरण अभिकर्ता द्वारा अपने गोदाम में रखे गए प्रेषण के लिए अधिकतम समय.....

तारीख

अभिकर्ता के हस्ताक्षर

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 46 एस0 एम0 टी0 यू0
(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 124)
राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा उपबंधित सड़क परिवहन सेवा सम्बन्धी स्कीम का प्रस्ताव

राज्य सरकार की यह राय है कि साधारणतया पर्याप्त मितव्ययी उपयुक्त समन्वित पथ परिवहन सेवा क्षेत्र.....के सम्बन्ध में.....मार्ग पर.....ले जाते हुए मोटर यान सेवा या उसका कोई भाग मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबन्धों के अनुसार चलाया जाना चाहिए और जिसका संचालन राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा किया जाना चाहिए। पथ परिवहन सेवा सम्बन्धी प्रस्ताव निम्नलिखित रूप में प्रकाशित किया जाता है :

1. उपक्रम का पूरा नाम.....
2. पता.....
3. स्कीम के अन्तर्गत आने वाला/वाले मार्ग का क्षेत्र.....

4. क्या उपक्रम का अन्य व्यक्ति या अन्यथा.....को आवंटित करते हुए स्कीम के अन्तर्गत आने वाले उक्त मार्ग/मार्गों क्षेत्र/क्षेत्रों पर पथ परिवहन सेवा को चलाने का प्रस्ताव है ।

5. उक्त (3) में उल्लिखित मार्ग/मार्गों या क्षेत्र पर चलने वाले विद्यमान अनुज्ञा पत्र धारकों के नाम और पते.....

नाम	पता	मार्ग या क्षेत्र

6. की जाने वाली प्रस्तावित सेवाओं का स्वरूप.....

7. स्कीम के अन्तर्गत किसी एक समय चलाए जाने के लिए प्रस्तावित यानों की अधिकतम संख्या.....

8. स्कीम के अधीन किसी एक समय चलाए जाने के लिए प्रस्तावित यानों की अधिकतम संख्या और दैनिक ट्रिपों की संख्या.....

9. सेवा पर प्रयोग के लिए प्रस्तावित यानों का प्रकार और बैठने की क्षमता.....
यान..... सीटों से अन्य.....

और..... से अनधिक.....

10. प्रत्येक ऐसे मार्ग पर चलाए जाने के लिए प्रस्तावित ट्रिपों की संख्या.....

11. वसूल किए जाने वाले प्रस्तावित भाड़े की दर .....

12. जिस तारीख से उपक्रम का सेवाओं का प्रचलन (यदि तारीखें विभिन्न मार्गों या क्षेत्रों के लिए भिन्न हों, तो उनका उल्लेख करें) आरम्भ करने का प्रस्ताव है .....

13. क्षेत्रीय प्राधिकरणों के नाम जिनकी अधिकारिता के अन्तर्गत मार्ग/मार्गों या क्षेत्र या उसका कोई भाग आता है.....

14. कोई अन्य जानकारी.....

.....

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति राजपत्र में प्रस्तावित स्कीम के प्रकाशित किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के समक्ष आक्षेप दायर कर सकेगा।

राज्यपाल के आदेश द्वारा
और उसके नाम पर.....

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 47 ए0 एस0 एस0 टी0 यू0
(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 121)

राज्य परिवहन उपक्रम की पथ परिवहन सेवा की अनुमोदित स्कीम मोटर यान अधिनियम सन 1988 की धारा 100(3) के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित अनुमोदित स्कीम एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है।

1. उपक्रम का पूरा नाम.....
2. पता.....
3. स्कीम के अन्तर्गत आने वाला/वाले मार्ग या क्षेत्र.....
4. उपक्रम अन्य व्यक्ति या अन्यथा.....
   को पूर्णतः या अंशतः छोड़कर (अंशतः छोड़ने पर) विवरण का उल्लेख करें स्कीम के अन्तर्गत आने वाले उक्त मार्ग/मार्गों क्षेत्र या क्षेत्रों पर पथ परिवहन सेवा चलायेगी।
5. की जाने वाली सेवा का स्वरूप.....
6. यानों की अधिकतम संख्या जो स्कीम के अन्तर्गत चलेंगे.....
7. यानों की न्यूनतम संख्या जो स्कीम के अन्तर्गत चलेंगे और यानों के दैनिक ट्रिप.....
8. सेवा पर प्रयोग किये जाने वाले यानों की प्रकार और बैठने की क्षमता
   यान.....सीट.....से अन्यून और.....से अनधिक।
9. प्रत्येक मार्ग पर चलाए जाने वाले ट्रिप की संख्या.....

.....

.....

10. प्रनारित भाड़े की मान दर.....
11. तारीख/तारीखें जिससे/जिनसे उपक्रम प्रचालन करेगा,
    (यदि तारीखें विभिन्न मार्ग/मार्गों क्षेत्र/क्षेत्रों के लिए
    विभिन्न हो तो उनका उल्लेख करें) .....

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के
आदेश द्वारा और उसक नाम पर

शिमला :

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 48
बस अड्डा अ

श्रेणी (अ) के अड्डे के रूप में प्रयोग किए जाने वाले स्थल की अनुज्ञा प्रदान करने वाला आदेश

1. सरकार के आदेशों द्वारा या उनके अधीन किए जाने वाले प्रबन्धों के अधीन मंजिनो गाड़ी और अन्य

परिवहन यानों के लिए साधारण अड्डा के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली निम्न दर्शित भूमि के लिए अनुज्ञा प्रदान की जाती है ।

2. यह आदेश हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम 1991 के नियम 200 के उप-नियम (2) के अधीन किया जाता है और.....वर्ष/वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा जब तक पहले रद्द न किया गया हो ।

तारीख :

जिला मैजिस्ट्रेट
जिला

1. भूमि और उस पर किसी भवन के स्वामी/स्वामियों की विशिष्टियों सहित अड्डे में सम्मिलित भूमि का विवरण..... .....

2. यानों की अधिकतम संख्या जिनका किसी समय अड्डे में प्रवेश किया जा सकेगा .....

3. फीस अड्डे पर निम्नलिखित दरों पर प्रभार्य होंगी.....

4. अन्य शर्तें.....

नवीकरण

यह आदेश..... 199 तक और अवधि के लिए नवीकृत किया जाता है ।

जिला मैजिस्ट्रेट
जिला

तारीख :

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 49 "आ"
(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 का नियम 210 और 203)

वर्ग "आ" का अड्डे के रूप में प्रयोग किए जाने वाले स्थल को अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आदेश

1. हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 और नीचे विहित शर्तों के अधीन रहते मंजिली गाड़ी और अन्य यान के लिए साधारण अड्डा को निम्नलिखित स्थल पर निर्माण हेतु अनुज्ञा प्रदान की जाती है ।

2. यह अशयित है कि अड्डे का प्रबन्ध उक्त नियमों में वर्णित प्रकार के करार द्वारा प्रबन्धक को सौंपा जायेगा जो इस आदेश से संलग्न शर्तों और अधिनियम तथा नियमों जो लागू हों, के सभी उपबन्धों को पूरा करने के लिए उतरदायी होगा ।

3. यह आदेश हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 के नियम 200 के उप-नियम (2) के अधीन किया जाता है और.....वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जब तक कि पहले वाला रद्द नहीं कर दिया जाता है।

तारीख :

जिला मैजिस्ट्रेट
जिला

1. स्थल में सम्मिलित भूमि और भवनों का विवरण और उनके स्वामियों की विशिष्टियां यदि भूमि या भवनों लिए तृतीय पक्षकारों को प्रबंधक द्वारा भाड़ा संदत्त करना आवश्यक हो तो संदेय राशि यहां विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए ।

2. सुधार जो कि प्रबंधक द्वारा अपने करार के निबन्धनों के निष्पादन के लिए अपेक्षित हों ।

सुधारों का विवरण	जिस तारीख तक सुधार पूरे किए जाते हैं ।	मूल्य रु0

3. प्रबन्धक द्वारा अड्डे पर रखे जाने वाले कर्मचारी ।
4. प्रबन्धक द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख ।
5. अन्य विशेष शर्तें जिनका प्रबन्धक द्वारा अनुपालन किया जायेगा ।
6. यानों की अधिकतम संख्या जिन्हें किसी भी समय अड्डे में प्रवेश दिया जा सकेगा ।
7. अड्डे पर फीस निम्नलिखित दरों पर प्रभार्य होगी ।
8. अन्य शर्तें

नवीकरण

आदेश 199.....तक की और अवधि के लिए बढ़ा कर एतद्द्वारा नवीकृत किया जाता है

जिला मैजिस्ट्रेट
जिला

तारीख :

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 41 अड्डा "ई"
(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम 1991 का नियम 200 और 204)

वर्ग "ई" के अड्डे के रूप में प्रयोग किए जाने वाले स्थल को अनुज्ञा प्रदान करने वाला आदेश

1. हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 के अध्याय (9) में विनिर्दिष्ट शर्तें और नीचे वर्णित अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए ..... की समिति .....द्वारा किए जाने वाले प्रबन्धों के अधीन मंजिली गाड़ी और अन्य परिवहन यानों के लिए साधारण अड्डे के रूप में वर्णित भूमि के लिए अनुज्ञा प्रदान की जाती है ।
2. हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 के नियम 204 के उप-नियम (3) के खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए सहमत राशि ।
3. यह आदेश हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 के नियम 200 के उप-नियम (2) के अधीन किया जाता है और .....वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्ति रहेगा यदि इसे पहले रद्द न किया गया हो ।

जिला मैजिस्ट्रेट
जिला

तारीख :

1. भूमि और भवनों के स्वामियों सम्बन्धी उनकी विशिष्टयों सहित स्थल में सम्मिलित भूमि और भवनों का विवरण ।

2. यदि भूमि का कोई भाग स्थल पर अड्डे की स्थापना के पूर्ववर्ती प्रथम वर्ष से बीस वर्षों के दौरान क्रय

द्वारा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अर्जित किया गया हो तो ब्याज के विवरण सहित जो स्थानीय प्राधिकरण भूमि अर्जित करने के लिए उधार ली गई राशि पर संदत्त कर रहा हो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा खर्च की गई राशि का विवरण यहां दिया जाना चाहिए ।

3. यदि किसी भूमि या भवन के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भाड़ा किसी निजी व्यक्ति को संदत्त किया जा रहा है तो उसका विवरण दें ।
4. लगभग मूल्य और निर्माण की तारीख सहित अड्डे के प्रयोजन के लिए स्थल पर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए गए किन्हीं भवनों का विवरण ।
5. स्थल पर जिस तारीख तक सुधार किए जाने आशयित हो और स्थल पर सुधारों का विवरण जिनको करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण प्राधिकृत है ।

सुधारों पर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यय की जाने वाली राशि

6. यानों की अधिकतम संख्या जिन्हें एक ही समय पर अड्डे में प्रवेश किया जा सकेगा ।
7. अड्डे का प्रयोग करने वाले यानों के बारे में रखा जाने वाला अभिलेख ।
8. अड्डे पर फीस निम्नलिखित दरों पर प्रभार्य होगी ।
9. अन्य शर्तें ।

नवीकरण

आदेश 199.....की और अवधि के लिए नवीकृत किया जाता है ।

तारीख :

जिला मैजिस्टेट ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 51 अड्डा "ई"
(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम 1991 के नियम 200 और 206)

वर्ग "ई" के अड्डे के रूप में प्रयोग किए जाने वाले स्थल की अनुज्ञा प्रदान करने वाला आदेश

1. इस आदेश द्वारा ..... को जिनका विवरण नीचे दिया गया है यहां दी गई विशिष्ट शर्तों और हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 के अधीन रहते हुए इसमें इसके पश्चात् कम्पनी अडडा के रूप में वर्णित भूमि के प्रयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है ;
2. जिस व्यक्ति या कम्पनी के पक्ष में यह आदेश किया गया है उनसे सम्बन्धित यानों से भिन्न किसी अन्य यान को अडडे में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
3. यह आदेश हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1991 के नियम 200 के उप-नियम (2) के अधीन किया जाता है और यह ..... वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा यदि इसे पहले रद्द न किया गया हो ।

तारीख :

जिला मजिस्ट्रेट ।

1. उस व्यक्ति, फर्म या कम्पनी का विवरण जिसे अनुज्ञा प्रदान की गई है ।
2. अड्डे में सम्मिलित भूमि और भवनों का विवरण ।
3. जिस व्यक्ति या कम्पनी के पक्ष में यह आदेश किया गया है उससे संबन्धित यानों से भिन्न यान जिन्हें अड्डे में प्रवेश दिया जा सकेगा ।

तारीख :

जिला मैजिस्ट्रेट
जिला ।

हिमाचल प्रदेश प्ररूप 52 एम0 ए0 सी0 टी0 ए0
(हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम 1991 का नियम 215)

प्रतिकर के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
.....

मैं ..... सुपुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी मोटर यान दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई क्षति के लिए प्रतिकर को प्रदान करने के लिए एतद्द्वारा आवेदन करता हूं।

क्षति यान के बारे में आवश्यक विवरण नीचे दिया जाता है :

मैं/हम ..... के पिता/माता/पुत्र/पुत्रियां/विधवा, निवासी ..... मोटर यान दुर्घटना में श्री/श्रीमती ..... की हुई मृत्यु/क्षति पर प्रतिकर प्रदान करने के लिए विधिक प्रतिनिधि के रूप में आवेदन करता हूं। मृत्तक/क्षतिग्रस्त और यान के बारे में आवश्यक विवरण नीचे दिया जाता है :

1. मृतक/क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम और पिता का नाम (विवाहित महिला/विधवा की दशा में पति का नाम) .....
2. मृत्तक/क्षतिग्रस्त व्यक्ति का पूरा पता .....
3. मृतक/क्षतिग्रस्त व्यक्ति की आयु .....
4. मृतक/क्षतिग्रस्त व्यक्ति का व्यवसाय .....
5. मृतक के नियोजक का नाम और पता यदि कोई हो .....
6. मृतक/क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मासिक आय .....
7. क्या वह व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिकर का दावा किया गया है, आय कर देता है ? यदि ऐसा है तो आय कर की राशि दर्शित करे (दस्तावेज साक्ष्य द्वारा समर्पित) .....
.....
8. दुर्घटना का स्थान, तारीख और समय .....
9. पुलिस थाने का नाम और पता जिस की अधिकारिता में दुर्घटना हुई या मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया। .....
10. क्या व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिकर का दावा किया गया है, दुर्घटना में अन्तर्वलित मोटर यान द्वारा यात्रा कर रहा था ? यदि ऐसा है तो यात्रा के आरम्भ और गन्तव्य स्थान का नाम दें .....
11. हुई क्षति का स्वरूप .....
12. चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी, यदि कोई हो, का नाम और पता जिसने मृतक/क्षतिग्रस्त की देखरेख की हो .....
13. उन पर उपगत व्यय यदि कोई हो और इलाज की अवधि (दस्तावेज साक्ष्य द्वारा समर्पित) .....
14. दुर्घटना में अन्तर्वलित मोटर यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या और उसका प्रकार .....
15. मोटर यान के बीमा कर्ता का नाम और पता .....
16. मोटर यान के स्वामी का नाम और पता .....
.....
17. क्या स्वामी बीमाकर्त्ता के पास कोई दावा दायर किया गया है, यदि ऐसा है तो क्या परिणाम निकले हैं .....(परिणाम) ।
18. .....,आवेदक का नाम और पता ।

19. .....मृतक के साथ सम्बन्ध ।
20. .....मृतक की सम्पत्ति का हक ।
27. .....दावाकृत प्रतिकर की राशि ।
22. कोई अन्य जानकारी जो कि दावे .....के निपटान में आवश्यक/सहायक हो ।
23. दावा आवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण और बेरोजगार जिन पर विलम्ब के लिए माफी दावा किया गया है ..... ।

24. दुर्घटना के कारण का संक्षिप्त विवरण .....
.....
मैं .....सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार सही और ठीक है ।

आवेदक का
हस्ताक्षर या अंगूठा/निशान ।

टिप्पणी

1. आवेदक, दावे के आवेदन के साथ, दावे के आवेदन में उल्लिखित प्रार्थियों की संख्या के समान, आवेदन की अतिरिक्त प्रतियां, प्रत्यार्थियों को नोटिस के साथ भेजने के लिए संलग्न करेगा ।
2. आवेदन, दुर्घटना होने से 60 दिन के भीतर दायर किया जाएगा और आवेदन देर से प्रस्तुत करने के लिए आवेदन में कारण, अभिलिखित करेगा ।
3 आवेदक अपना दावा/आवेदन रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा मोटर यान दावा अधिकरण को भेज सकेगा ।

आदेशानुसार,

एस0 के0 सूद,
आयुक्त एवं सचिव (परिवहन) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।